खण्ड-439, अंक-2
बुधवार, 2 ज्येष्ठ, शक संवत् 1923
(23 मई, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 439 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य		1–2
आरक्षण विषयक नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास	..	3
प्रश्नोत्तर	..	3–45
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं		
स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षित महिला अध्यक्ष पद के कार्य का निर्वहन उनके परिजनों द्वारा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	45–46
जनपद सीतापुर के ग्राम कुशीनगर में घाघरा नदी पार करते समय तीन बच्चों की मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिजनों को सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	46
जनपद एटा के विकास खण्ड सिद्धपुरा में तालाबों की खुदाई एवं पुनरोद्धार से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होने के कारण जलप्लावन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	46
दिल्ली से रेल द्वारा मोदीनगर मेरठ, खतौली आदि स्थानों तक व्यापारिक सामान लाने वाले लोगों के साथ व्यापार कर विभाग द्वारा व्यावहारिक पद्धति विकसित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	47
उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा संचालित होटलों के कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	47
लखनऊ के गोमतीनगर फेज-2 के विभव व अन्य खण्डों में पूर्व से आवंटित भूखण्डों के आवंटियों को कब्जा देने एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	48–49
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत विद्युत् उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	49
गोपनीयता के आधार पर प्रश्नों का अनुचित निरस्तीकरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	49–51
प्रश्नों के लिखित उत्तर सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर से दिये जाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	51–53
औचित्य के प्रश्न की सूचना बिना सुने अस्वीकृत किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	..	54–56
उच्च शिक्षा के बजट के दौरान महापुरुषों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	56–57
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	..	57–74
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान–39, भाषा विभाग, अनुदान संख्या–72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (जारी)	..	74–87

विषय	पृष्ठ-संख्या
आज की कार्यसूची की मद संख्या 8 (15), अनुदान संख्या–21खाद्य एवं रसद विभाग को दिनांक 28 मई, 2001 के उपवेशन में लिए जाने की सूचना	87
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 39, भाषा विभाग, अनुदान संख्या 72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (जारी) ..	87–92
सदन में मोबाइल फोन जब्त किये जाने हेतु श्री अधिष्ठाता के निर्देश ..	92
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 39, भाषा विभाग, अनुदान संख्या 72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ..	92–110
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) अनुदान संख्या 75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत) ..	110–135
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	136–138
प्रदेश के सभी बड़े नगरों के सिनेमाघरों में अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन के कारण समाज पर पड़े रहे दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ..	138–139
प्रदेश के राजकीय बालिका कालेजों में बी०टी०सी० वेतनमान की शिक्षिकाओं को एल०टी० में प्रोन्नत/संविलीन किये जाने के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य ..	139
प्रदेश में अनियमित रूप से की जा रही विद्युत् कटौती से जनसामान्य को हो रही असुविधाओं तथा पावर कारपोरेशन द्वारा समस्या का सम्यक् निराकरण न कर पाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	139–140
प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में वार्षिक गृह परीक्षायें मई माह में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य	140–141
फिरोजाबाद नगर में पीने के पानी की भीषण कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य ..	141–142
वाराणसी नगर के सर सुन्दर लाल मेडिकल कालेज में आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न एक नई "मर्चरी" का निर्माण तथा शव-विच्छेदन हेतु डाक्टरों एवं कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था व शवों के साथ आने वाले लोगों के लिए प्रतीक्षालय व शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य ..	142

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुरादाबाद के सम्भल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नई बस्ती व मण्डलाई के ग्रामीण विद्युत् लाइन (हातिम सराय सब स्टेशन) से कनेक्शन लेने वाले किसानों को शहरी लाइन की दरों से बिलों के भुगतान का नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री इकबाल महमूद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ..	143
जनपद फैजाबाद, मसौधा शुगर फैक्ट्री के निकट शराब फैक्ट्री के जहरीले पानी से जनसामान्य को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	143–144
प्रदेश के राजकीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त सभी प्रवक्ता (पुरुष) पदों को तत्काल पदोन्नति से भरे जाने के सम्बन्ध में श्री चेतराम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	144–145
जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ग्रामों में हुई ओलावृष्टि व ग्राम अमीननगर में हुए भीषण अग्निकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अरविन्द गिरि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राहत कार्य राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	145
टाण्डा थर्मल प्रोजेक्ट विद्युत् नगर, टाण्डा, जनपद अम्बेदकर नगर में उ0 प्र0 राज्य विद्युत् उत्पादन निगम द्वारा तापीय परियोजना में कराये गये कार्यों का क्षेत्रीय ठेकेदारों व श्रमिकों की बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	146
उ० प्र० पुलिस आवास निगम में अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति में व्याप्त आरक्षण सम्बन्धी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	146–147
मेसर्स ग्लेयर्स आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०, गढ़ी बलना, जनपद हाथरस की उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा अनियमित रूप से की गयी नीलामी के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	147–149
जनपद सन्त रविदासनगर के विधान सभा क्षेत्र, भदोही में स्वीकृत 50-50 हैण्ड पम्प अभी तक न लगाये जाने के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ..	149–150
यू० पी० पावर कारपोरेशन द्वारा ऐसे किसानों के नलकूपों को, जो शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, से नई संशोधित टेरिफ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अत्यधिक शुल्क लिये जाने तथा लघु एवं मध्यम पावर में संगणित कर इण्डस्ट्रियल रेट वसूले जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	150
नत्थी	151

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 23 मई, 2001

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
अजय राय, श्री	वाराणसी	नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	मंजू, श्रीमती	बलिया
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	मंडलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
कासिम हसन, श्री	फतेहपुर	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
केशो मेहरा, श्री	आगरा	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा	मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर	मुराद लारी, श्री	देवरिया
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद	मोती लाल, श्री	खीरी
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच	यशवन्त, श्री	आजमगढ़
चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात	रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	राजधारी, श्री	बलिया
जय नारायण तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर	राजाराम पाल, श्री	कानपुर देहात
तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर	राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
दद्दू प्रसाद, श्री	बांदा	राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद		

राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं	शिव शंकर, श्री	बांदा
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद	शिवाकान्त, श्री	प्रतापगढ़
राम नाथ, श्री	प्रतापगढ़	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर	सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव	सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद	समरपाल सिंह, श्री	मेरठ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद	सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र	सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा	हरिनारायण, श्री	बलिया
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती	हरि प्रसाद उर्फ धमड़ी, श्री	सोनभद्र
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोररखपुर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर		
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा		

सत्यमेव जयते

बुधवार, दिनांक 23 मई,2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 1! बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।)

आरक्षण विषयक नियम--311 की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री रामजग--

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सरकार कोटा पूर्ण नहीं कर रही है। रिक्त पदों को समाप्त किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय पर नियम 56 में सूचना है। नियम 311 के बारे में आप व्यवस्था जानते हैं। नियम-56 में इस विषय पर एक सूचना चयनित है उस समय आप अपने विचार व्यक्त कर लीजिएगा। इस पर आपकी भी सूचना है व अन्य की भी सूचना है।

(इसी मध्य श्री रामजग, श्री विनोदमणि व श्री रामस्वरूप सिंह वेल मे आ गए) (वेल से)

श्री रामजग--

मान्यवर, इस विषय पर चर्चा करा ली जाए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों का कोटा पूर्ण नहीं किया जा रहा है तथा रिक्त पदों को समाप्त किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय पर नियम 56 में सूचना चयनित है। नियम 311 के बारे में आप व्यवस्था जानते हैं कृपया अपने आसन पर जाएं।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर, वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गए।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में माफिया गिरोहों को चिन्हित करने एवं सरकार द्वारा बनायी गयी कार्य योजना

श्री संजय गर्ग तथा डा० ज्ञानवती सिंह (अनुपस्थित)--

**1--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माफिया विरोधी अभियान के अन्तर्गत किन गिरोहों को शासन ने चिन्हित किया है ? क्या सरकार ने माफिया विरोधी अभियान के खिलाफ कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)--

प्रदेश में संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों का चिन्हीकरण शासन स्तर पर नहीं किया जाता है।

जनपद स्तर पर संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों का चिन्हीकरण किया जाता है एवं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

इन अपराधियों पर नियंत्रण हेतु कार्यवाही करने के लिए जनपद स्तर पर एस०ओ०जी० का सृजन किया गया है। इस कार्यवाही का अनुश्रवण परिक्षेत्र, जोन एवं प्रदेश स्तर पर किया जाता है।

प्रदेश स्तर पर इन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 का सृजन किया गया है।

वांछित क्रियाशील अपराधियों की गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए इनकी गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार भी समय-समय पर घोषित किया जाता है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था के अन्तर्गत जिलों में अनुश्रवण समीक्षा की व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा बनायी गयी नीति

श्री राम ललित चौधरी–

**2–क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये प्रत्येक दो माह में जिलों में अनुश्रवण समीक्षा की व्यवस्था करने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा परिक्षेत्र स्तर, जोन स्तर एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश स्तर से नियमित रूप से की जाती है, जो कि निरन्तर प्रक्रिया है। समय-समय पर शासन स्तर से भी समीक्षा होती रहती है। अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामललित चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में सत्ता का उदय जनता से होता है। प्रजातंत्र में प्रशासन जनता के लिए है न कि जनता प्रशासन के लिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि परिक्षेत्र स्तर, जोन स्तर एवं पुलिस महानिदेशक स्तर पर अनुश्रवण की बैठकें हो रही हैं जिस तरह से अन्य अनुश्रवण बैठकों में विधायकों की भागीदारी होती है वह अध्यक्षता करता है क्या वैसे ही इन बैठकों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होगी व यह बैठकें जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में होंगी ? यह बैठकें जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में करेंगे ?

*श्री हुकुम सिंह–

यह चूँकि कानून व्यवस्था से सम्बंधित मामला है। कानून व्यवस्था क लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको इसका दायित्व सौंपा गया है उन्हीं का दायित्व बना रहे तो ठीक है। हमारी तो सोच इसमें यही है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है उनकी जिम्मेदारी बनाए रखी जाए। जहां तक जनप्रतिनिधियों की भागीदारी है। हर जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए हैं जब प्रभारी मंत्री जाते हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वह भी आमंत्रित होते हैं तो वहाँ पर जन प्रतिनिधियों की भागीदारी हो जाती है इसलिये यह सोचा गया कि मंत्रीगण जायं उनके साथ बैठक हो, जनप्रतिनिधि आपस में बैठकर बात कर सकें। यह उचित नहीं समझते कि किसी अधिकारी /कर्मचारी की अध्यक्षता में बैठक हो।

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम ललित चौधरी—

आपको ऐसा करने में क्या दिक्कत है ?

*श्री हुकुम सिंह—

दिक्कत की बात नहीं है। व्यवस्था की बात है। एक व्यवस्था चल रही है और मैंने बताया कि उत्तरदायित्व जिन अधिकारियों को सौंपा गया है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा करते रहते हैं। वह ज्यादा प्रभावी होती है। उससे अलग हटकर कि जन प्रतिनिधियों को भी अपनी बात कहने के लिये सही मंच मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई है।

श्री राम ललित चौधरी—

मान्यवर, यह व्यवस्था बहुत पुरानी है जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था कायम करेगें ?

श्री हुकुम सिंह—

नई पुरानी व्यवस्था चल रही है। मार्ग दर्शन सिद्धान्त पुराने नहीं हैं। वह बराबर जारी होते रहते हैं और इस बैठक की प्रायरिटी बदलती रहती है। ब्रिटिश काल से चलने वाली बात नहीं है। ब्रिटिश काल से पार्लियामेण्ट चल रही है, असेम्बली चल रही है।

श्री बी0 आर0 वर्मा —

माननीय, मंत्री जी को इस बात की जानकारी निश्चित तौर पर होगी कि जो प्रभारी मंत्री बने हैं बड़ी मुश्किल से जिला योजना की बैठक में पास कराने के बाद में पहुँच जावें। यह बहुत बड़ी बात होती है। समीक्षा के लिये जैसा मैं जौनपुर जनपद का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, वहाँ पर अबकी बार की जिला योजना की बैठक पास करने में मंत्री जी नहीं पहुँच पाये। कमोवेश ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में है। मान्यवर, जो बैठक होती है उसमें यह सही है कि एस० पी० भी उसके सदस्य होते हैं और कानून व्यवस्था भी उस बैठक में एक प्वाइन्ट होता है कि इस पर भी बैठक में चर्चा होगी। विकास कार्य जिससे जिला योजना संबंधित हैं उस पर समीक्षा नहीं हो पाती है। कानून व्यवस्था के बारे में जरूर एस० पी० समय-समय पर एक महीने , दो महीने पर सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाता है उनसे विचार-विमर्श करके सलाह जरूर करते हैं, ऐसा हर जिले में व्यवस्था है परन्तु मान्यवर, उसमें दिक्कत यह होती है कि एस० पी० अध्यक्षता करते हैं और जनप्रतिनिधि एक सदस्य के रूप में बैठकर अपने सुझाव, सलाह जो कुछ रखते हैं अपने क्षेत्र से संबंधित, जिले में जो कानून व्यवस्था की स्थिति होती है, अपना नजरिया रखते हैं। माननीय सदस्य इसीलिये नहीं जाते हैं क्योंकि आज तक जितनी कमेटियां हैं जैसे डी०आर०डी०ए० की थी उसमें जिलाधिकारी अध्यक्षता करते थे। अब जितनी भी कमेटियां हैं एम०एल०ए० या एम०एल०सी० जिसके सदस्य होते हैं, उसकी अध्यक्षता अब कोई अधिकारी नहीं करते हैं बल्कि उन जनप्रतिनिधियों में से कोई आदमी करता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एस० पी० की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों को बुलाकर कानून व्यवस्था करने के बारे में बैठक करते हैं। उस बैठक में जनप्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। जिस प्रकार से डी०आर०डी०ए० जिसमें जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं और अध्यक्षता करते हैं। इसलिए जिला स्तर पर जो बैठक होती है उसमें जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में बैठक करने के बारे में जिससे इस सदन और माननीय सदस्यों की गरिमा बनी रहे, उसकी व्यवस्था करेगें ?

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह--

पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की बैठक होती है कहा ही है वह बैठक नहीं होती है वह आमंत्रित करते हैं। वह खाली निमंत्रण है। माननीय सदस्य आएं उनसे विचार-विमर्श हो जाए, कोई अध्यक्षता नहीं करता है न ही वह विधिवत् कमेटी है। यह ठीक है उनका आसन वहां होता है वहां बैठते हैं लेकिन वह निमंत्रण है ताकि जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श हो जाए यह कोई अध्यक्षता की बात नहीं है।

श्री बी० आर० वर्मा--

यह इस तरह की बैठक नहीं है तो क्या कानून व्यवस्था में सुधार हो सके और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता उसमें हो सके जनप्रतिनिधि अपने सुझाव दे सकें चाहे वह जिला पंचायत के हों, चाहे क्षेत्र पंचायत के हों चाहे एम०एल०ए० हो जो उनको जानकारी है वह नये डी०एम०, एस०पी० को वहां के अपराध के बारे में वहां की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न होने में कौन से कारक प्रभावशाली होते हैं जितनी जानकारी इनको होगी उतनी जानकारी उनको नहीं होगी। दूसरी बात क्या कोई ऐसी कमेटी बनाने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे, सरकार विचार करेगी, जिसमें जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में पुलिस के अधिकारी बैठकर जिले की कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसको सुदृढ़ किया जाए इसके बारे में विचार-विमर्श करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

विचार करने की बात है।

श्री हुकुम सिंह--

थोड़ा व्यवस्था को समझना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि का क्या रोल होना चाहिए, क्या रोल है, श्रीमन्, जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है कि मेयर का चुनाव हो जाता है वह कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। हम विधायी कार्य में लगे रहते हैं। कानून व्यवस्था का काम सी० आर०पी०सी० आदि के लिए है इसमें नियम बनाये गए हैं कौन जिम्मेदार है, कहीं जिलाधिकारी, कहीं मजिस्ट्रेट, कहीं पुलिस, कहीं जुडीशियरी की जिम्मेदारी है कहीं पुलिस आयुक्त का पद है, कहीं डी०जी०पी० का पद है, तो वर्तमान में कोई व्यवस्था में तब्दीली होना समीचीन नहीं है। दूसरी परामर्श की बात कहीं जनप्रतिनिधि की भागीदारी होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था है। व्यवस्था वरिष्ठ जनप्रतिनिधि की नहीं है स्थानीय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित है थाना दिवस इसलिए रखा है कि सामान्य नागरिक इकट्ठा हों, अपने नगर के बारे में सलाह दें। तहसील स्तर पर तहसील दिवस होता है वहां तहसील स्तर के लोग बैठेंगे नगरपालिका के मेम्बर, प्रमुख जा सकें और अपनी राय दे सकें। तीसरी बात हमने जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए हैं प्रभारी मंत्री जिलों में जाएंगे, वह निर्देश भी दे सकते हैं ऐसी व्यवस्था की गई है।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताने का प्रयास किया कि एक पुलिस की व्यवस्था है कानून को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी है, प्रशासन, जिला प्रशासन है इसमें कोई व्यवधान डालने की बात नहीं है। सभी जिलों में प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या विधायी मंत्री की अध्यक्षता में तीन महीने में एक बार कानून व्यवस्था के अनुश्रवण के बारे में बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

* मान्यवर, प्रभारी मंत्री हैं उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि तीन महीने में दो महीने में या एक महीने में जाये और वह जाते भी हैं। अलग से कोई शासनादेश की आवश्यकता नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

मान्यवर, यह सरकार पुलिस को बिल्कुल निरंकुश कर रही है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। यही कारण है कि जनप्रतिनिधियों को ऐसी व्यवस्था में शामिल करने से कतरा रही है नौकरशाही को बढ़ावा दे रही है और जुल्म ज्यादती के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इसलिए ऐसी लचर कानून व्यवस्था और कानून का मजाक जो उड़ाया जा रहा है उसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का वहिर्गमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में पानी की समस्या के निराकरण हेतु 100 व्यक्तियों पर एक हैन्ड पम्प लगाये जाने की माँग

*1—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार प्रदेश में पीने के पानी की समस्या के निदान हेतु प्रति 100 व्यक्तियों की संख्या पर एक इण्डिया मार्का—2 हैण्ड पम्प लगाने की किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)—

जी नहीं।

हैण्ड पम्प लगाये जाने का मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की भारी समस्या को हल करने के लिए मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया था। मान्यवर, 100 व्यक्तियों पर एक हैण्ड पम्प की स्थापना की जाय यह मैंने कहा था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसमें असमर्थता जाहिर की और यह कहा कि भारत सरकार के मानक के अनुसार हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं। गाँवों में जो आवासीय व्यवस्था है उसमें कहीं पर ऐसा होता है कि बहुत दूरी पर हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं। एक भाग में है तो दूसरे भाग में नहीं है। शहरों में भी ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ हैण्ड पाइप लगाये जाते हैं वहां पर लम्बी कतार रहती है तो पानी की समस्या है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि 250 के मानक से अलग हटकर जो व्यावहारिक दृष्टिकोण है उसको दृष्टिगत् रखते हुए क्या 100 व्यक्तियों पर हैण्डं पम्प लगाने की कार्य योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

मान्यवर, माननीय राम औतार शाक्य जी ने कहा कि क्या कार्य योजना पर विचार करेंगे तो मैंने पहले ही निवेदन किया है कि ऐसी कोई भी नीति प्रदेश सरकार ने नहीं बनायी है। वैसे तो हम

पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगाया जाय यह सुनिश्चित कराया जा रहा है। भारत सरकार को लिखा है जैसा कि आपने बताया है कि मजरे छूट गये हैं हमने भारत सरकार को लिखा है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। अभी तक जो मानक हैं उसके अनुसार हमने उत्तर दिया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि पेयजल संकट है खास तौर से ग्रामीण अंचलों में। उसको दूर करने के लिए भारत सरकार को लिखा है। आज एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई है। जब कि यह मानक बना हुआ है तब तालाब और कुऐं भरे होते थे लेकिन आज वह सूख गये हैं।

मान्यवर, या तालाब पट गये हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि क्या स्वयं जाकर भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री से और सचिव से इस बारे में उत्तर प्रदेश के लिये आग्रह करेंगे कि कम से कम 100 व्यक्तियों पर पूर्व मानक हटाकर कर दिया जाये ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि 150 की आबादी पर हैण्ड पम्प उत्तर प्रदेश में लगाये जायें इसके लिये भारत सरकार को लिखा है केन्द्रीय मंत्री से वार्ता भी हुई है। जैसा कि आपने कहा पेयजल की सुविधा के लिए स्वयं जाकर बात कर लेंगे कोई परेशानी नहीं है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा --

मान्यवर, आज कुछ क्षेत्रों में भूगर्भ का जल स्तर घटता जा रहा है इसमें फिरोजाबाद है आगरा है इसमें हैण्ड पम्प के बारे में जो बात है, मान्यवर, जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है देहाती क्षेत्रों को छोड़कर शहरों में आप मकानों को धोने के लिये भी पानी दे रहे हैं और गांवों में पशुओं को पानी पिलाने के लिए उन्हें हैण्ड पम्प पर जाना पड़ता है तो क्या 100 से कम की आबादी पर भी हैण्ड पम्प लगवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, मैंने उत्तर आपके निर्देश पर दे दिया है मगर बताया जाये कि कहीं पर परेशानी है तो परेशानी को दूर करने में हम लोग लगे हुए हैं भारत सरकार से वार्ता कर रहे हैं और निश्चय ही निकट भविष्य में इसको हल कर लेंगे।

श्री श्रीराम पाल--

मान्यवर, जो ढाई सौ की आबादी पर मानक है सच्चाई यह है कि जिस एक गांव की आबादी 2,000 है तो वहाँ 8 हैण्ड पम्प लगने हैं तो 8 उस गांव में चिन्हित किये गये हैं या नहीं क्या आपने कोई सर्वे कराया है कि किस स्थान पर लगने हैं हो यह रहा है कि कहीं-कहीं चार-चार कदम पर हैण्डपम्प और दूसरी तरफ गांव का गांव खाली पड़ा है। तो आपने स्थान चयनित किये हैं जिसमें वह कवर हो रहे हों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में लगभग 9 लाख 75 हजार से ऊपर हैण्ड पम्प हम लगा चुके हैं ढाई सौ की आबादी पर जो पूरी तरह आच्छादित हुए हैं उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में

जिसमें लखनऊ, आगरा, सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली है पायलेट प्रोजेक्ट भी लागू है जिसमें आवश्यकतानुसार हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे। भारत साकार ने इसके लिए प्रोजेक्ट दिये हैं वहां पर लोगों को प्रशिक्षित करना है जो डेढ़ सौ की आबादी पर हैं। मान्यवर, 10 प्रतिशत स्वयं लाभार्थी को देना पड़ेगा इस आधार पर इन जिलों में यह योजना लागू करने जा रहे हैं और उसे देख रहे हैं अगर होगा तो और जिलों में भी लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न था कि कोई सर्वे कराया है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, आबादी के आधार पर सर्वेक्षण कराया है उसी आधार पर हैण्डपम्प लगना है मान्यवर, एक निवेदन पूर्व में किया जैसा शाक्य जी ने भी कहा यह गांव की आबादी जितनी है उसी आधार पर हैण्डपम्प लगाये जाते हैं कहीं-कहीं पर टोले मजरे छूटे हैं यह हम मानते हैं।

श्री राम जग--

मान्यवर, देखा यह जा रहा है कि अगर किसी गांव की आबादी में 5 हैण्डपम्प लगने हैं तो जो असरदार व्यक्ति हैं उनके घर मशीन लगी हुई है किसी मंदिर पर या किसी धार्मिक स्थल पर मशीन लगी हुई है किसी मंदिर किसी धार्मिक स्थल पर मशीन लग गयी लेकिन पूरी की पूरी आबादी पानी पीने से वंचित है। तो क्या मंत्री जी इसका सर्वे कराकर पानी की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। आज भी मान्यवर, आबादी के बहुत बड़े हिस्से को पानी नहीं दिया जा रहा है तो सर्वे कराकर हैण्डपम्प लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

श्रीमन, मैंने निवेदन किया है कि जो जनसंख्या है उसके आधार पर लगा चुके हैं इससे कहीं-कहीं जो छूटे हैं तो मान्यवर, डेढ़ सौ के मानक के आधार पर भारत सरकार को पत्र लिखा है जैसा अभी माननीय कुँवर साहब कह रहे थे मैंने स्वयं निवेदन किया है कि भारत सरकार के मंत्री से मैं स्वयं जाकर बात कर लूंगा और प्रयत्न करूंगा कि उसके आधार पर लगे।

श्री बी० आर० वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ढाई सौ की आबादी पर एक हैण्डपम्प किस वर्ष की जनगणना के आधार पर लगा रहे हैं सम्भवत: 1991 की जनगणना के आधार पर लगा रहे थे। 1991 में जहां की आबादी 250 थी उसके आधार पर हैण्डपम्प लगा रहे हैं और 91 से 2001 में यह आबादी काफी बढ़ गयी है तो यह ढाई सौ का मानक 91 का था उसको बदलकर क्या आप 2001 में जो बढ़ी हुई आबादी है, 2001 के आधार पर 250 को मानक बनाकर लगाने का काम करेंगे या 91 के मानक पर ही लगाने का काम करेंगे ?

दूसरा प्रश्न, क्या माननीय मंत्री जी ने जो भारत सरकार से अनुरोध किया है उसमें आबादी का जो 250 की आबादी थी उसको कम करके, क्योंकि 250 की आबादी कितने दिनों में संतृप्त हो पायेगी ? यह तो मंत्री जी ने कुछ बनाया ही होगा कि इतने दिनों में आच्छादित हो जायेगी, तो क्या उसको घटाकर डेढ़ सौ, सौ पर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है अगर नहीं करा है तो क्या करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी स्वयं विद्वान सदस्य हैं। वह जानते हैं कि 1991 की जनगणना के आधार पर हमने 250 की आबादी पर किया है। आज जो आबादी बढ़ी है, श्रीमन्, मैं जब यह स्वयं कह रहा हूं कि हम डेढ़ सौ की आबादी पर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हर जगह लगाने की छूट दी जाये तो फिर उस आबादी के प्रतिशत कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि हम स्वयं उससे नीचे जाकर लगाने जा रहे हैं 2001 की जनगणना का आधार तो बाद में बनेगा। हमने डेढ़ सौ के आधार पर मांग की है तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 250 की आबादी के अनुरूप आज की जनसंख्या पर पूरे प्रदेश में कुल कितने हैण्डपम्प की आवश्यकता है और जितने हैण्डपम्प की आवश्यकता है उसका लक्ष्य आप कब तक पूरा कर लेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि 250 की आबादी के आधार पर 9 लाख 75 हजार हैण्ड पम्प हमने लगा दिये हैं। अब हमारी केवल 66 बस्तियां रह गयी हैं, 14 हजार हैण्डपम्प और लगाने हैं और वह जून तक पूरा हो जायेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरा एक मौलिक सवाल है कि यह जो हैण्डपम्प इण्डिया मार्क-2 लगाये जाते हैं इस पर करीब 18-19 लाख रुपये खर्च होता है और देखने में यह आता है कि हैण्डपम्प की स्थिति का कोई भरोसा नहीं रहता है कि 6 माह चलेंगे, 8 माह चलेंगे या साल भर चलेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प जो अधिष्ठापित किया जाता है तो इसका मानक क्या है, कितनी डीप बोरिंग की जानी चाहिए और जो कार्यदायी संस्था इसको लगाती है तो क्या उसकी कोई जिम्मेदारी होगी कि इतने दिन पानी दें ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

श्रीमन्, कार्यदायी संस्था जो सबसे अच्छी संस्था मानी जा रही है, वह जल निगम है वह जब लगाते हैं तो देख लेते हैं। सबसे निचले स्ट्रेटा से पानी नीचे चला जाता है, बीच में खराब हो जाते हैं तो सरकार ने लगभग 15 करोड़ रुपया आवंटित किया है इस पेयजल की व्यवस्था से निपटने के लिए कि जहां कहीं भी खराब हो गये हैं या रिबोर करने की जरूरत है तो इस मई के महीने में, अधिकतम 15 मई तक ठीक कर दिया जाय। बुन्देलखण्ड के लिए 5 करोड़ रूपया और शेष जनपदों के लिए 10 करोड़ रूपया दे दिया है, उससे कहीं भी खराबी है तो उसको ठीक करेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। मेरा प्रश्न करने का आशय था कि जो प्रति हैण्डपम्प 18-19 हजार रुपया व्यय हो रहा है, वह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। सरकार इसकी सार्थकता सुनिश्चित करे और इस दिशा में यह भी जी०ओ० होना चाहिये कि अगर निर्धारित अवधि तक हैण्डपम्प पानी नहीं देता है, मानक के अनुसार उसकी डीप बोरिंग नहीं होती है तो कार्यदाई संस्था को जिम्मेदार मानकर, उसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह सुझावात्मक अनुपूरक प्रश्न है, इसे देख लीजिये।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, जिस तरह से पानी का स्ट्रेटा नीचे होता चला जा रहा है, उससे हम लोग स्वयं चिन्तित हैं और इसीलिये अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, सुनिश्चित रोजगार योजना है। हम उस एजेन्सी को कैसे जिम्मेदार ठहरायेंगे, जब जलस्तर नीचे होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का आशय यह है कि निर्धारित बोरिंग न होने से जब पानी नहीं मिलता और हैन्डपम्प बेकार हो गये तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे हैन्डपम्प निर्धारित अवधि तक पानी दें और यदि नहीं देते हैं तो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेंगे ? पानी का लेविल नीचे जाने से हैन्डपम्प बेकार नहीं होता।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैंने बताया है, वैसे हम इसको दिखवा लेंगे।

श्रीमती कृष्णा राज--

जो हैन्डपम्प लगाये जा रहे हैं, उसमें से 60 प्रतिशत गांवों में खराब पड़े हैं, उसके लिये कुछ माननीय मंत्री जी कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दिया, आपने सुना नहीं 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, जो मैं कहने जा रहा हुं वह पूरे प्रदेश की समस्या है और सभी विधायकों के क्षेत्र की समस्या है। अभी 15 करोड़ रुपये जल निगम को देने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है। जल निगम जो इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का अध्यारोहण कर रहा है, जितनी लापरवाही यह विभाग करता है, उतना कोई दूसरा नहीं करता। पिछले 2-2 साल से संस्तुत किये गये हैन्डपम्पों का आज तक रोहण नहीं हो रहा है। जल निगम 19 हजार रुपये में एक हैण्डपम्प लगाता है, जबकि अन्य संस्थायें उसी हैन्डपम्प को 14 हजार रुपये में लगाती हैं, तो ऐसे में जल निगम प्रति हैन्डपम्प 5 हजार रुपया जयादा ले रहा है तो ऐसी कार्यदाई संस्था को 15 करोड़ रुपये दिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, जल निगम जो हैन्डपम्प का पैसा लेता है, उसमें वह सिन्टेक चार्ज भी लेता है, वह अपनी लागत उसी आधार पर निकालते हैं और उसी आधार पर सरकार उनको पैसा देती है। रख-रखाव एजेन्सी के सन्दर्भ में हमने पंचायतों को देने की बात सोची थी और दिया भी था लेकिन पंचायतें सक्षम नहीं थी, इसलिये जल निगम को पुन: दिया गया है। अगर ठीक नहीं रहेगा तो पुन: पंचायतों को दे सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, सत्ता पक्ष की एक माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया और बताया कि 60 प्रतिशत नल खराब हैं तो यह जल निगम कहां सो रहा है ? (उत्तर नहीं आया)

श्री उदयराज यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पेयजल संकट की बात स्वीकार की गयी है। जहां तक मुझे जानकारी है कि जितने हैण्डपम्प प्रति वर्ष लगते हैं उतने हैण्डपम्प प्रति वर्ष खराब भी होते हैं। तो पेयजल की जो समस्या पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और लगातार बनी हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत जो हैण्डपम्प बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं क्या एक साथ उन सारे हैण्डपम्प को सही कराने के लिए कोई कार्य योजना के लिए काम करेंगे ?

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है मंत्री जी, पिछले सत्र के दौरान मंत्री जी ने उदारता का परिचय देते हुए पेयजल की किल्ल्त को देखते हुए माननीय विधायकों के प्रस्ताव के आधार पर 50-50 हैण्डपम्प देने की घोषणा की थी। क्या इस बार भी ऐसी घोषणा करके 50-50 हैण्डपम्प के प्रस्ताव माननीय विधायकों से लेकर उसी स्थान पर हैण्डपम्प लगाने का कष्ट करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया कि 50 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हैं। मान्यवर, जो सर्वेक्षण कराया गया है उसके आधार पर 11 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब पाए गये हैं और इनके आधार पर ही हमने 15 करोड़ रुपये री बोरिंग के लिए देने का काम किया है, शेष के सम्बन्ध में जैसी स्थिति देखेंगे, वैसा करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हमारे सामने है उसके पृष्ठ 20 पर जो घोषणा सरकार ने की है उसमें है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए सभी बस्तियों में 250 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प के मानक के आधार पर प्रदेश को इस माह के अन्त तक संतृप्त कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् यह मानक 150 व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहभागिता के आधार पर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, उधर तो राज्यपाल के अभिभाषण में यह घोषणा की कि 150 पर हमने हैण्डपम्प लगाने का निर्णय ले लिया है और उत्तर आ रहा है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने इसकी संस्तुति कर दी है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, संस्तुति एक चीज होती है। मान्यवर, आप इसको देख लें कि राज्यपाल का अभिभाषण गलत है या मंत्री जी ग़लत हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी बड़े विद्वान सदस्य हैं, शब्दों को पकड़ते हैं लेकिन शब्दों तक जाते नहीं। उन्होंने स्वयं यह पढ़ा है कि सामुदायिक आधार पर और मैंने भी कहा है कि 250

की आबादी पर निर्णय लिया है लेकिन उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में जो मैंने गिनाया है वहां पर 150* की आबादी के आधार पाइलट प्रोजेक्ट के आधार पर हम कर रहे हैं, ये जिले हैं--लखनऊ, आगरा, चन्दौली, मिर्जापुर और सोनभद्र।

श्री राम हर्ष सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ब्लाक सूखाग्रस्त घोषित है, जहां के जिलाधिकारी ने शासन को संस्तुति भी की है, क्या उन ब्लाकों के लिए माननीय मंत्री जी 150 के अतिरिक्त भी कोई व्यवस्था कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं, तो कब तक ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, हम डार्क ब्लाक के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वहां हैण्डपम्प की बात नहीं होती है, वहां डीप बोरिंग की बात होती है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नकली दवाओं तथा नकली ग्लूकोज के विक्रय पर रोकथाम की मांग

*1-- श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में नकली दवाओं तथा नकली ग्लूकोज के विक्रय का धन्धा चल रहा है ? सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री--(डा० राम बाबू हरित)--

नकली दवाओं एवं नकली ग्लूकोज के बारे में औषधि निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षण/छापों के दौरान जांच/विश्लेषण हेतु एकत्रित किये गये औषधियों के नमूनों में यदा-कदा नमूने नकली पाये जाते हैं।

जनपद/ मण्डल में तैनात औषधि निरीक्षकों/ पर्यवेक्षक अधिकारियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण एवं नमूने संग्रहित करने की कार्यवाही के अलावा विशेष छापामार दलों का गठन कर अधोमानक, नकली एवं मिथ्या छाप औषधियों के रोकथाम हेतु कार्यवाही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के अधीन की जाती है। सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर औषधि निरीक्षक (अभिसूचना) के द्वारा भी छापे की कार्यवाही समय-समय पर सम्पन्न करायी जाती है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है। आज नकली दवायें और नकली ग्लूकोज धड़ल्ले से बिक रही हैं। इसको संज्ञेय अपराध के रूप में लिया जाना चाहिए। मान्यवर, उत्तर के प्रथम खण्ड में स्वीकार भी किया गया है कि औषधि निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षण/छापों के दौरान जांच/विश्लेषण हेतु एकत्रित किये गये औषधियों के नमूनों में यदा-कदा नमूने नकली पाये जाते हैं। जहां रोगी कराह रहा है और उसे ग्लूकोज की आवश्यकता है उसको नकली दवा व ग्लूकोज मिल जाये तो तड़पते हुये उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसी विषम परिस्थिति में इस तरह के धन्धे में जो लोग

लिप्त हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह से कितने मामले पकड़े गये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

*डा० राम बाबू हरित--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित रहे इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। समय-समय पर विशेष छापामार योजना चलती है और नियमित नमूना एकत्रित करने रहते हैं। वर्ष 2000-2001 में 2326 नमूने निरीक्षकों द्वारा लिये गये। 145 नमूने विशेष अभियान के अन्तर्गत लिये गये इस प्रकार कुल 2471 नमूने लिये गये। उनकी जांच करायी गयी और जांच के उपरांत 19 नकली पाये गये, उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की गयी1

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में एक रटा-रटाया जवाब दे दिया कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितने नकली दवाओं के नमूने परीक्षण के लिए गये, उनमें कितने का परिणाम आया और कितने उस प्रक्रिया में हैं, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री अध्यक्ष --

मंत्री जी ने बताया कि कुल 2471 नमूने लिये गये और उनका परीक्षण कराया गया।

डा० राम बाबू हरित--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि कुल 2471 नमूने लिये और उसमें से 678 का बिश्लेषण कराया, 576 मानक के आधार पर सही पाये गये और 96 अधोमानक पाये गये।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, कुल 2471 नमूने लिये गये उसमें से मात्र 678 का परीक्षण हुआ और 576 ठीक पाये गये बाकी अधोमानक पाये गये। आपने यह भी कहा कि 19 के खिलाफ कार्यवाही की गयी तो जो आपने कार्यवाही की, वह कितने प्रतिशत है ? जब आपने 2471 नमूने लिये तो आपको सबका परीक्षण कराना चाहिए था आपने 678 का परीक्षण कराया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी को सुविधा शुल्क देकर छोड़ दिया गया हो ?

श्री अध्यक्ष --

यह उत्तर कैसे आयेगा ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मसले पर कच्छप गति से विभाग कार्य कर रहा है उसकी ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस परीक्षण की प्रक्रिया को अपडेट करने के लिए क्या कोई अभियान चलाकर परीक्षण कराने की कृपा करेंगे ?

नोट:--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० रामबाबू हरित--

मान्यवर, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला 200 सैमपुल प्रतिमाह परीक्षण करता है, इसमें व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोडिंग सिस्टम हो जाय जिससे पारदर्शिता रहे और परिणाम ठीक प्रकार से आये। हम इसकी प्रतिमाह समीक्षा करेंगे। जो हमारे औषधि निरीक्षक हैं, कितने नमूने लिये हैं, किस व्यापारी से नमूने लिये ओर उसके जांच के परिणाम क्या आये इसको हम सुनिश्चित करेंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

प्रश्न के उत्तर में स्वयं सरकार कह रही है कि 900 सैम्पुल प्रतिमाह परीक्षण की क्षमता है। अगर 600 सैम्पुल प्रतिमाह भी मान लिया जाये तो पूरे वर्ष के लिए 7200 हुआ। कुल 2471 सैम्पुल थे अर्थात् एक तिहाई थे। तो यह प्रयोगशला अपनी परीक्षण क्षमता से कितना कम कर रही है। मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन दें कि यह परीक्षण प्रयोगशाला अपनी पूर्ण क्षमता पर परीक्षण करके जन स्वास्थ्य पर जो गम्भीर खतरा है, ऐसे औषधि निर्माताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे।

*डा० राम बाबू हरित--

मान्यवर, हम इसमें सुदृढ़ीकरण करने जा रहे हैं और अभी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका के अन्तर्गत नित्यानन्द कमेटी का गठन किया गया है, इसके द्वारा जो संस्तुतियां दी गयी हैं उसको हमने भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

डा० कौशल किशोर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे डकैत डकैती डालकर उन पैसों को लूट लेता है जिन पर उसका अधिकार नहीं है, उसी तरह यह जो नकली दवाईयां और ग्लूकोज बनाकर सप्लाई कर रहे हैं और पैसों को लूट रहे हैं तथा जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या सरकार ने इस पर कोई गंभीर चिंतन किया है और जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त दण्डात्मक कार्यवाही का प्राविधान किया है ?

डा० रामबाबू हरित--

मान्यवर, इसमें सरकार ने संशोधन किया है और इसमें आजीवन कारावास की सजा का भी प्राविधान रखा है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत जो नियमावली बनी थी उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 274-275-276 के अन्तर्गत पुलिस विभाग द्वारा भी कार्यवाही की जाती है।

डा० कौशल किशोर--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि जो नकली दवाईयां और नकली ग्लूकोज बनाकर जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही हुई है ? कितने लोगों को दण्डित किया गया है ?

नोट:--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों को दण्डित किया है ?

डा० रामबाबू हरित--

मान्यवर, यह जो नकली दवाईयां बनाते हैं इस संबंध में श्री अशोक नन्दन शाही, जो बनारस के हैं, इनको 6 माह की सजा दी गयी है। इस संबंध में सारी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री वसीम अहमद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो नकली दवाईयां और ग्लूकोज की सप्लाई होती है, इसकी सबसे ज्यादा बिक्री आजमगढ़ में होती है पिछले दिनों हमारे यहां सरदार जी की वाईफ की 12 घन्टें में मृत्यु हो गयी तो जितनी नकली दवाइयां आजमगढ़ में मिलती हैं, उतनी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बेची जाती हैं तो इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया)

श्री रामजग--

माननीय अध्यक्ष जी, नकली दवाओं के प्रयोग से अनेक मौतें हुई हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितने लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है ? कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं ? यह सरकार क्या एक महीने का अभियान चलाकर नकली दवाएं बनाने वाले और बेचने वाले,गोरखधंधे् में जो शामिल हैं, क्या अभियान चलाकर सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करेगी ?

डा० रामबाबू हरित--

माननीय अध्यक्ष जी, हम विशेष अभियान भी चलाते हैं और 1996-97 में 28 लोगों के खिलाफ, 97-98 में 38 लोगों के और 98-99 में 7 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है ।

*2--श्री संजय गर्ग,

श्री विजय पाल सिंह तथा

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सरकार द्वारा विधायक निधि को समयबद्ध तरीके से निर्गत करने की मांग

*3--श्री राम औतार शाक्य--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में विधायक निधि को समयबद्ध तरीके से निर्गत करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

विधायक निधि के अन्तर्गत धनराशि विधान सभा क्षेत्रवार तथा विधान परिषद के माननीय सदस्य की इच्छानुसार उनके निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों को धनराशि अवमुक्त की जाती है। माननीय सदस्यों से जैसे-जैसे प्रस्ताव जनपदों में प्राप्त होते हैं, उन प्रस्तावों को विधायक निधि मार्गदर्शी सिद्धान्त में दिये गये निर्देशों के अनुरूप परीक्षण कराकर सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को धन अवमुक्त किया जाता है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतार शाक्य--

माननीय अध्यक्ष जी, विधायक निधि के संबंध में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि विधायक निधि को समयबद्ध तरीके से निर्गत करने पर सरकार विचार कर रही है ? माननीय सदस्य की इच्छानुसार उनके निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों को धनराशि अवमुक्त की जाती है। माननीय सदस्यों के जैसे-जैसे प्रस्ताव जनपदों में प्राप्त होते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से, यह जानना चाहता हूं कि प्राय: देखा जाता है कि एक साथ प्रदेश में एलाटमेंट की धनराशि प्राप्त नहीं होती है कभी पहले कर दिया जाता है, और कभी बाद में कर दिया जाता है जिससे प्रदेश के माननीय सदस्यों में असंतोष व्याप्त रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक साथ पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में यह धनराशि अवमुक्त करने की व्यवस्था करेंगे ? क्या इसको 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ विधायक निधि करने पर विचार करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

माननीय अध्यक्ष जी, विधायक निधि 3 किस्तों में भेजी जाती है, यह कहना कि कुछ जिलों में पहले और कुछ जिलों में बाद में भेजी जाती है, सही नहीं है, प्रत्येक जिलों में एक साथ धनराशि अवमुक्त की जाती है । अगर कहीं ऐसी बात हो तो हम निश्चित रूप से दिखवा लेंगे और दण्डित भी करवा देंगे।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, प्राय: देखा जाता है कि कभी-कभी वर्ष बीत जाने के बाद कुछ अंश भेजा जाता है, कभी-कभी जुलाई में भेजा जाता है, कभी-कभी मई और जून में भेज दिया जाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश से जो जिलों में धनराशि भेजी जाती है उसमें कोई समय-सीमा निर्धारित करेंगे कि अमुक माह में इतने प्रतिशत जायेगा। 3 किस्तों के लिए कोई अलग माह निर्धारित करने की कृपा करेंगे।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

श्रीमन् यह व्यवस्था हर योजना में रहती है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विधायक निधि को प्रायरटी के अनुसार भेज दिया जाता है।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, धनराशि 3 किश्तों में जाय इसमें एतराज नहीं है लेकिन तीनों किश्तों को समय पर जाना चाहिये। आप बता दें कि यह तीनों किश्तें कब कब दी जायेंगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, वर्ष 2000-2001 में पहली किश्त 12.50 लाख की दी है और दूसरी किश्त 1 मई , 2000 को 37.50 लाख रूपये की किश्त दी है और इस प्रकार से 50 लाख रुपया दिया है। यह जो 75 लाख किया गया है इसके लिये जैसे ही हमारा लेखानुदान पास हुआ, मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि 18.75 लाख रुपये का शासनादेश कर दिया गया है जब आप सत्र के बाद अपने यहां पहुंचेंगें तो वह धनराशि भी आपके यहां पहुंच चुकी होगी।

डा० अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय विधायक कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं होते हैं। अपने क्षेत्र के विकास के लिये विधायक निधि से वह संस्तुति करते हैं। विधायक निधि द्वारा कराये गये कार्य मानक के अनुरूप हैं या नहीं ? इसकी जांच हेतु कोई सघन जांच की जायगी ताकि गुणबत्ता के आधार पर यह कार्य खरे उतरें।

श्री अध्यक्ष--

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसके बारे में अलग से प्रश्न कर लीजिये, तो अच्छा रहेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग--

मान्यवर, यह सत्य है कि विधायक निधि कब पहुंच पायेगी इसमें अनिश्चितता बनी रहती है ? संभवत: यह अंतिम वित्तीय सत्र है। आप जो 2 किश्तें जानी हैं, उनका समय बता दें ताकि उसके अनुसार योजना बनाकर विकास कार्य आगे प्रारम्भ कर सकें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, लेखानुदान जैसे ही पारित हुआ 18.75 लाख की किश्त का शासनादेश करा दिया और वह धनराशि अवमुक्त हो गयी है । आगे वित्तीय संसाधनों को देखते हुये निर्धारित समय पर अवमुक्त करा देंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग--

सितम्बर, अक्तूबर तक अवमुक्त करा देंगे।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र अवमुक्त करा देंगें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सन् 98-99 में पहली बार 25 लाख रुपये स्वीकृत हुआ था तो यह एक मुश्त दिया गया था। बाद में इसमें 25 लाख की अभिवृद्धि की गयी तो दूसरी किश्त गयी। अभी तक सारी धनराशि एक बार में दिये जाने की परम्परा रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहले विधायक निधि की धनराशि एक किश्त में गयी है उसी का अनुकरण करते हुये इस बार भी एक किश्त में इसको देने की व्यवस्था करेंगें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सांसद निधि के आधार पर विधायक निधि बनी। सांसद निधि में भी एक बार में पैसा अवमुक्त नहीं किया जाता है। आपके समक्ष मैंने अभी बताया है उसी आधार पर विधायक निधि का पैसा अवमुक्त करेंगें।

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं जब पूरा बजट एक बार में पास हुआ है, धनराशि अवमुक्त हुई है तो विधायक का बजट है, विधायक निधि को एक बार में अवमुक्त करने में क्या वैधानिक कठिनाई है ? दूसरे जो विकास कार्य हम कराते हैं उसमें ईंट लगती है, सीमेंट लगती है लोहा लगता है, लेबर लगता है उनमें लगभग इस वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले । मान्यवर, इस विधान सभा का यह अन्तिम वित्तीय वर्ष है क्या इसको देखते हुए जब बजट पूरा पारित हो गया तो एकमुश्त विधायक निधि की धनराशि भेजने की व्यवस्था करेंगे। दूसरे जो 20--25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसको ध्यान में रखते हुए 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने की घोषणा करेंगें ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि तीन किश्तों में देने की व्यवस्था बनाई गई है क्योंकि आडिट के भी आब्जेक्शन आते रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसे प्राविधान करने की कोई स्थिति नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार--

एक करोड़ वाली बात का उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष--

एक कहावत है मौन स्वीकृति लक्षण । वह उत्तर देना नहीं चाहते। दो अर्थ हैं चुप रहने के।

श्री बालचन्द्र मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन से विधायक निधि को निर्गत करने में तो धन आड़े आ सकता है लेकिन जो निर्गत हो चुकी हैं जिला मुख्यालयों पर जा चुकी हैं और विधायकों द्वारा विभाग के लोगों को लिखकर दिया जा चुका है कि अमुक जगह पर इतना धन लगाया जाए व यह कार्य किया जाए लेकिन बार-बार प्रयास करने के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी उस कार्य को निष्पादित न करा रहे हों तो क्या मंत्री जी कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे कि जो अधिकारी निर्देश के बावजूद उस धन का सदुपयोग समय के भीतर न कर रहे हों उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

इस प्रकार का कोई विषय जानकारी में आएगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

इलाहाबाद जनपद में कारगिल की लड़ाई में शहीद परिवारों पर राज्य सरकार के ऋण की माफी की मांग

*4--श्री जोखू लाल यादव--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के कारगिल की लड़ाई में शहीद परिवारों पर राज्य सरकार का ऋण या अन्य देनदारियों को माफ किये जाने विषयक श्री राधे श्याम निषाद सदस्य, विधान परिषद का पत्र दिनांक 30-11-99 मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, सचिव सहकारिता एवं सचिव सैनिक कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)--

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में माननीय सदस्य द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार कारगिल शहीद के पिता श्री सूर्यदीन, ग्राम पतुलकी तहसील करछना जनपद इलाहाबाद के ऋण को माफ करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद को शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने सूचित किया है कि श्री सूर्यदीन पर उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक, करछना का 15,176 रु0 बकाया था। उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ ने उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक करछना, इलाहाबाद को अपने पत्र दिनांक 12-01-2001 के द्वारा यह सूचित किया गया कि उक्त ऋण को माफ करने का निर्णय लिया गया है तथा ऋण का विवरण भेजने के निर्देश दिये गये। उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक करछना ने ऋण का विवरण भेज दिया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--

इसमें आपकी सूचना आ गई है। अब अनुपूरक की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिला अस्पताल की भांति लोकल परचेज पर दवा नि:शुल्क उपलब्ध कराने की मांग

*5--श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकल परचेज पर गरीब लोगों को जिला अस्पतालों की भांति नि:शुल्क दवा देने की सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० राम बाबू हरित--

जी नहीं।

लोकल परचेज मात्र आकस्मिक मामलों के लिये ही अनुमन्य है तथा आकस्मिक मामले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा जिला चिकित्सालयों को संदर्भित किये जाने की व्यवस्था है।

श्री नरेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं जहां लोकल परचेज के सम्बन्ध में मंत्री जी ने उत्तर दिया कि लोकल परचेज मात्र आकस्मिक मामलों में ही अनुमन्य है तथा आकस्मिक मामलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला चिकित्सालयों को संदर्भित किया जाता है। मंत्री जी जानते होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ डाक्टर रहते हैं, सर्जन रहते हैं, आर्थोपैडिक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी रहते हैं।

(इस समय 12 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, 50-50 किलोमीटर दूर जिला केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां भी आकस्मिक मरीज जो गरीब हैं भर्ती होते हैं। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं आकस्मिक मामले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा जिला चिकित्सालयों को संदर्भित किये जाने की व्यवस्था है तो यदि कोई आकस्मिक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आता है तो क्या उसे लोकल पर्चेज दिया जायेगा और दूसरा सवाल यह है कि आजमगढ़ में सामुदायिक स्वांस्थ्य केन्द्रों पर कितने आकस्मिक मामलों में लोकल पर्चेज की व्यवस्था दी गई ? संज्ञान में तो यह आता है कि लोकल पर्चेज का दुरुपयोग होता है गरीबों को नहीं मिलती दवाएं।

डा० रामबाबू हरित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जो मामले प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आते हैं तो वहां प्रति शैय्या प्रति वर्ष दस हजार रुपये की औषधि का प्रविधान है जो कि पर्याप्त है। सभी को दवायें उपलब्ध हो जाती हैं। शासनादेश में जिला अस्पतालों के संदर्भ में कहा गया है कि वहां समूह क, ख, ग के अन्दर दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय और कुछ ऐसी दवायें हैं जो अनुपलब्ध हैं उनके लिए एल० पी० की व्यवस्था की गयी है जिसका मानक 15 प्रतिशत होता है।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि जब प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हर विषय के विशेषज्ञ रहते हैं तो फिर वहां पर एल० पी० की व्यवस्था होनी चाहिये जो कि नहीं है और दूसरी बात कि आजमगढ़ जनपद में आकस्मिक मामलों में कितनी एल0 पी0 की गई और कितनी बड़े आदमी के दबाव में एल० पी० की गई ?

डा० रामबाबू हरित--

शासनादेश के अन्दर व्यवस्था है कि 80 प्रतिशत दवायें खरीदी जायेंगी हमारे पेरीफेरल स्वास्थ्य सेवाओं में और 20 प्रतिशत औषधि भण्डार से, जो कि उपलब्ध करा दी जाती हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरे दो स्पष्ट प्रश्न हैं, पहला यह कि एल० पी० की दवायें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर खरीदी जायेंगी या नहीं जबकि वहां विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं और दूसरा यह कि आजमगढ़ में कितने आकस्मिक मामलों में एल० पी० कराई गई ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं तो वहां लोकल पर्चेज की व्यवस्था है या नहीं, इन दवाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजा जाता है या नहीं और आजमढ़ जनपद में किस सीमा तक एल0 पी0 की गई है ?

डा0 रामबाबू हरित--

मान्यवर, एल0 पी0 का विशेषज्ञ से कोई सम्बन्ध नहीं है। एल0 पी0 तो विभागाध्यक्ष की सहमति से होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 10 हजार प्रति शैय्या प्रतिवर्ष दवायें उपलब्ध रहती हैं। आजमगढ़ के संदर्भ में सतर्कता विभाग में जांच चल रही है।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने लिखित उत्तर दिया है और जो मौखिक उत्तर है दोनों में विरोधाभास है। चूंकि प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एल0 पी0 की व्यवस्था नहीं है और अचानक सीरियस मरीज आ जाता है उसके लिए दवायें उपलब्ध नहीं हैं तो क्या वहां एल0 पी0 की व्यवस्था करायी जायेगी या अन्य कोई व्यवस्था करेंगे ताकि मरीज को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके उसका जीवन बचाया जा सके ?

डा0 रामबाबू हरित--

मान्यवर, हमारे पास दवायें उपलब्ध रहती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई हृदय रोगी आ जाता है अटैक की स्थिति है तो उसे प्राथमिक चिकित्सा के उपरान्त जिला अस्पताल भेज दिया जाता है वहां उसे सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, यह सवाल जनजीवन से जुड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जिला अस्पतालों में एल0 पी0 की व्यवस्था है क्या सरकार सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी यही व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

डा0 रामबाबू हरित--

मैंने उत्तर दिया है।

श्री अवधेश प्रसाद--

यह हिन्दुस्तान गांवों का देश है। अधिकांश लोग गांवों में बसते हैं और सामुदयिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जुड़े रहते हैं। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जो जवाब देना चाहिये था नहीं दिया बल्कि लीपा-पोती किया है। सीधा सा सवाल है सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लोकल परचेज की व्यवस्था कराने में इनको क्या कठिनाई है ? वहां डाक्टर हैं, दवायें हैं लेकिन

कुछ ऐसी दवायें हैं जो उनके पास नहीं हैं उन्हें लोकल परचेज के माध्यम से मरीज को दिलाने में सरकार को क्या कठिनाई है ? यह सरकार गांव और गरीब विरोधी सरकार है इसलिए यह सरकार गांवों के गरीबों के ऊपर दवा जैसी चीज की व्यवस्था करने में आनाकानी कर रही है।

डा0 रामबाबू हरित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्णतया ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार ने इसके लिए व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई है। पहले गांवों में औषधि मद था 4950 रुपये और शहरों के लिए 5 हजार रुपया फिर हमारी सरकार ने इस असमानता को दूर करते हुए इस मद को 10 हजार रुपया प्रति शैय्या प्रति वर्ष कर दिया है। ताकि मरीजों को दवायें उपलब्ध हो सकें।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, यह सरकार गरीब विरोधी सरकार है। गरीबों को दवायें देने में आनाकानी कर रही है और गलत बयानी इस सदन में कर रही है और प्रदेश के किसी भी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें नहीं जाती हैं इसके विरोध में मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अवधेश प्रसाद और उनकी पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो उत्तर दिया है, मुझे तो खेद इस बात का है कि मंत्री जी स्वयं पेशे से चिकित्सक हैं और पेशे से चिकित्सक होने के बावजूद आपातकालीन स्थिति की परिस्थितियों को समझते हैं। गरीब लागों के लिए जिला अस्पताल पर आपातकालीन स्थिति में लोकल परचेज की सुविधा दे रखी है। गांव में अगर कोई मरीज सीरियस होता है, तत्काल इमरजेन्सी में बचाने के लिए किसी दवा की आवश्यकता है और वह दवा अस्पताल में नहीं है। जिला अस्पताल जाने के समय तक के बीच में उस दवा की आवश्यकता पड़ती है। लोकल परचेज करके दवा देने पर सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है। मंत्री जी स्वयं चिकित्सक हैं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि उस जनपद के हैं जिस चीज के लिए वह जाना जाता है, वह इनके क्षेत्र में स्थित है। इस रटे-रटाये, पढ़े-पढ़ाये उत्तर को सदन में दे रहे हैं। गरीब आदमी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र जाता है और उसको जिस दवा की आवश्यकता है वह वहां उपलब्ध नहीं है। जब तक उसे जिला अस्पताल ले जाया जाय, उसको बचाने के लिए उस बीच में इस दवा की आवश्यकता है, उसको परचेज करने की सुविधा क्यों नहीं दी है ? मान्यवर, मुझे तो इनके चिकित्सक होने पर भी सन्देह हो रहा है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठ जायं। मंत्री जी का उत्तर आने दें।

डा0 रामबाबू हरित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसा वे कह रहे हैं कि मैं स्वयं चिकित्सक हूं। हर बात को अच्छे से समझ लेता हूं। मान्यवर, कभी-कभी मेडिकल एज्यूकेशन की बात को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। मैं

उसको ठीक करना चाहता हूं ताकि पुन: इस तरह की गलती न करें। हमने 1,000 रुपये के लोकल परचेज की व्यवस्था कर रखी है। एक हजार रुपये तक, जो भी मेडिकल आफिसर वहां पर हैं, वे दवा परचेज कर सकते हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, अगर यह व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी तो प्रश्न का उत्तर देते। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं, आप कृपया करके संज्ञान ले लें इनके उत्तर का--जी नहीं, लोकल परचेज मात्र आकस्मिक मामलों के लिए अनुमन्य है तथा आकस्मिक मामले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा जिला चिकित्सालयों को संदर्भित किये जाने की व्यवस्था है। इस समय माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि लोकल परचेज के लिए एक हजार रुपये का बजट अनुमन्य है, इमरजेन्सी होने पर दवा खरीद सकते हैं। उत्तर में ही कह देते तो क्या दिक्कत थी। मूल प्रश्न था कि लोकल परचेज पर गरीब लोगों को जिला अस्पतालों की भांति नि:शुल्क दवा देने की सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? मान्यवर, मैं इसके सम्बन्ध में आपका संरक्षण चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा करा ली जाय या फिर इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया जाय।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती गौरी देवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि गोरखपुर सदर हास्पिटल इतना बड़ा है लेकिन इसमें कमजोर बच्चों को रखने वाली जो मशीन होती है इन्सुलेटर, वह नहीं है। प्राइवेट में ले जाना पड़ता है वहां मशीन की व्यवस्था तत्काल कराई जाय।

डा0 रामबाबू हरित--

यह मेडिकल कालेज से सम्बन्धित है। इसलिए सम्बन्धित मंत्री जी को अवगत करा देंगे।

(इस समय 12बजकर 20 मिनट।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

मद संख्या 3 में कुछ नहीं है।

डा0 वकार अहमद शाह--

गोरखपुर की सदस्य कह रही हैं बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अधिष्ठाता--

यह इनके विभाग का प्रश्न नहीं है।

नोट :-- नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मैनपुरी के प्राइमरी पाठशाला कुम्हरौआ तथा नगला रामसिंह में छात्रवृत्ति की धनराशि गबन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

1—श्री समर पाल सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1999-2000 की छात्रवृत्ति की धनराशि प्राइमरी पाठशाला, कुम्हरौआ एवं प्राइमरी पाठशाला नगला रामसिंह विकास खण्ड कुरावली जनपद मैनपुरी के ग्राम प्रधान बानेश्वर सिंह यादव द्वारा छात्रों में न बांटकर उसका गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर उपरोक्त विद्यालयों की छात्रवृत्ति की धनराशि की वसूली उक्त प्रधान से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त विद्यालयों के वर्ष 2000-2001 की छात्रवृत्ति की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार—

जी हां।

जी हां।

छात्रवृत्ति वितरण में दोषी पाये गये प्रधान श्री बानेश्वर सिंह एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और गबन की धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2000-2001 में उक्त विद्यालयों की छात्रवृत्ति वितरण की जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

2—श्री समर पाल सिंह—

[6 ठें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0-28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद मैनपुरी के ग्राम कुम्हरौआ के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जे0 आर0 वाई0 की धनराशि के दुरुपयोग करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

3—श्री समर पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी की तहसील-मैनपुरी, विकास खण्ड कुरावली की ग्राम सभा-कुम्हरौआ के प्रधान बानेश्वर सिंह यादव के विरुद्ध जे0 आर0 वाई0 की धनराशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में उक्त ग्राम सभा के सदस्यों का पत्र दिनांक 23/25-10-2000 मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कर्यो ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

ग्राम सभा कुम्हरौआ के प्रधान के विरुद्ध जे0 आर0 वाई0 की धनराशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में उक्त ग्राम सभा के सदस्यों का पत्र दिनांक 23/25-10-2000 प्राप्त नहीं हुआ है अपितु ग्राम पंचायत कुम्हरौआ के सदस्य श्री घमण्डी लाल, सूरजमुखी, सोनेलाल एवं अरुण कुमार का एक दिनांक रहित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था।

प्रकरण की जांच हेतु सहायक अभियन्ता डी0 आर0 डी0 ए0 को निर्देशित किया गया। परन्तु उक्त ग्राम पंचायत में जे0 आर0 वाई0 के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण नहीं हो सकी। अभिलेख न उपलब्ध कराये जाने के लिए उत्तरदायी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (बी0 एच0 डब्ल्यू) के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बिना प्रस्ताव के मार्ग निर्माण कराये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

4--श्रीमती कृष्णा राज--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां, तहसील मोहम्मदी में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बिना प्रस्ताव के कितने मार्ग वर्ष 2000 में निर्माण हेतु प्रारम्भ कराये गये ? क्या बिना प्रस्ताव कार्य कराने के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

खण्ड विकास अधिकारी पसगवां द्वारा वर्ष 2000 में बिना प्रस्ताव/कार्य योजना के किसी भी मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के शव विच्छेदन गृह के निर्माण की मांग

5--श्रीमती कृष्णा राज--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-5-99 जो मोहम्मदी तहसील जनपद लखीमपुर खीरी में शव विच्छेदन गृह के निर्माण के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)--

उक्त पत्र स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

6--श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद

[5 वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद महराजगंज में विशुनपुरा, बभ्मौली, भुड़िया सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की आवश्यकता

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह --

7--क्या लघु सिचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र श्यामदेव उरवा, जनपद महराजगंज के अन्तर्गत वर्ष 1991 में ग्रामीण अभियंत्रण

सेवा द्वारा लक्ष्मीपुर देउरवा में विशुनपुरा बख्मौली, भुड़िया तक सम्पर्क मार्ग को पिच कराया गया था ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि उक्त सम्पर्क मार्ग अब पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है ? यदि हाँ तो उक्त सम्पर्क मार्ग का जीर्णोद्धार कब तक करा दिया जायेगा ?

लघु सिचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)

जी हाँ, जी नहीं । मार्ग 1991- 92 में निर्मित होने के कारण मरम्मत की आवश्यकता है। मरम्मत का कार्य किसी भी स्रोत से धनराशि प्राप्त होने पर निर्भर है।

रायबरेली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रजनन एवं बाल कल्याण के धन में घटिया सामग्री, दवाओं के खरीद में घोटालों की जॉच एवं कार्यवाही की मॉग

डा0 पूर्णमासी पंकज --

8--क्या सरकार को जानकारी है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी,रायबरेली द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रजनन एवं बाल कल्याण के धन से घटिया कार्यालय सामग्री एवं शल्य क्रिया से सम्बन्धित सामग्री क्रय की गयी है ? क्या यह सत्य है कि मात्रा से कम दवायें लेकर अधिक भुगतान किया गया है तथा पल्स पोलियो प्रोग्राम एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण एवं जीर्णद्धार में भारी घोटाला किया गया है ? यदि हाँ तो क्या सरकार इसकी जाँच करवाकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मातृ एवं शिशु कल्याण व परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)--

जी नहीं।

स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार में प्रारम्भिक जाँच के फलस्वरूप कतिपय प्रक्रियात्मक त्रुटियॉ प्रकाश में आयी हैं।

प्रारम्भिक जॉच आख्या के फलस्वरूप प्रकाश में आयी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3344/5-9-2000-10 (11)/2000, दि0 24.9.2000 द्वारा भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है, जबकि उपकेन्द्रो के अभिनवीकरण/पुनर्निर्माण एवं अन्य सिविल कार्यो में की गयी प्रक्रियात्मक त्रुटियो के संबंध में अभियन्त्रण शाखा से संबंधित क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर के कार्मिको का दायित्व निर्धारित करने हेतु महानिदेशक परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया जा चुका है। महानिदेशक, परिवार कल्याण की आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

9.10 व 11, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-- [5 वे शुक्रवार में अता0 प्र0स0-77, 78, व 81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के लघु सिंचाई उपखण्ड में लगातार 18 से 25 वर्षो तक कार्य करने वाले अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

डा0 कौशल किशोर--

12--क्या लघु सिचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेगे कि जनपद लखीमपुर में लघु सिंचाई उपखण्ड, में कितने अवर अभियन्ता लगातार 18 से 25 वर्षों से एक ही

स्थान पर कार्यरत है ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उन्हे अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

दो

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गाजीपुर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित निविदाओं से सम्बन्धित बीजकों के भुगतान की जानकारी

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी---

13--विधान सभा के प्रथम सत्र , 2000 के पांचवें बुधवार के लिये निधार्रित अतारांकित प्रश्न सं0171 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर द्वारा जिला चिकित्सालय एवं जनपद के अन्य चिकित्सालयों के भवनों/कार्यालयों के रख-रखाव एवं लघु निमार्ण संबंधी कार्यो को कराये जाने हेतु वर्ष 1997-98,1998-1999 तथा 1999-2000 में टेण्डर (निविदायें) कब और किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग-अलग किन -किन फर्मो द्वारा और कुल कितनी निविदायें प्राप्त हुई थी तथा इन निविदाओं के प्रकाशन से सम्बन्धित समाचार पत्रों के बीजक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में कब प्राप्त हुए थे और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अलग-अलग निविदाओं के प्रकाशन पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या इन बीजकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर द्वारा जिला चिकित्सालय एवं जनपद के अन्य चिकित्सालयों के भवन/ कार्यालय के रख-रखाव एवं लघु निर्माण संबंधी कार्यो को करने हेतु वर्ष 1997-98, 98-99 तथा 1999-2000 में निविदायें क्रमश: दिनांक 5-2-97/14-2-97 को भारत दूत, दैनिक वाराणसी, तरुण मित्र जौनपुर, गाजीपुर टाइम्स गाजीपुर तथा दिनांक 14-11-98 को निष्पक्ष पूर्वाचल टाइम्स में प्रकाशित की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 97-98 एवं 98-99 में निम्न निविदायें प्राप्त हुई :—

1.श्री श्याम बिहारी सिंह।

2.श्री सत्यदेव विश्वकर्मा ।

3.एस.एम.रफीक एण्ड सन,गाजीपुर।

4.निदा कन्सट्रक्शन,गाजीपुर।

5.प्रभात इन्टर प्राइजेज,गाजीपुर।

6.मो0 युनुस,गाजीपुर।

7.मेसर्स समीरा ट्रेडर्स, गाजीपुर।

8.मेसर्स अनुष इण्टर प्राइजेज, गाजीपुर।

वित्तीय वर्ष 99-2000 में निम्न निविदायें प्राप्त हुई :--

1.श्री ज्ञानेन्द्र सिह।

2.श्री निदा कन्सट्रक्शन,गाजीपुर।

3.एस0एम0 रफीक एण्ड सन, गाजीपुर।

4.मेसर्स प्रभाग इण्टर प्राइजेज, गाजीपुर।

दैनिक समाचार पत्र तरुण मित्र का बिल संख्या-22/47, दिनांक 18-2-97, रू01172.00 का दिनांक 20-2-97को प्राप्त हुआ, जिसका भुगतान ड्राफ्ट द्वारा दिनांक 28-6-97 को किया गया।निष्पक्ष भारत दूत का बिल संख्या-11559, दिनांक 16-2-97 को रु0 586.00 का दिनांक 19-2-97 को प्राप्त हुआ जिसका भुगतान दिनांक 5-5-97,को किया गया गाजीपुर टाइम्स का बिल संख्या-95, दिनांक 20-2-97 रु0 2926.40 को दिनांक 20-2-97 को प्राप्त हुआ, जिसका भुगतान दिनांक 31-3-97 को किया गया। 1999-2000 की निविदाओं का प्रकाशन निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा कराया गया था। अत: भुगतान की कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर द्वारा नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-वृद्धि पर लगी रोक को हटाने की मॉग।

14. श्री राम ललित चौधरी --

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के 5वें बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के संदर्भ में समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों की वेतन वृद्धि की राशि पर कोई रोक न लगी होने पर भी लखनऊ के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इस जनपद के अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों की वेतनवृद्धि पर मार्च, 1999 से रोक लगा दी गयी है तथा जुलाई ,1998 के बाद से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि वेतन में नहीं जोड़ी जा रही है ? यदि हॉ, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार --

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-662/26-3-99-4 (79)/96,दिनांक 8-3-99 के क्रम में निदेशालय पत्रसं0-918, दिनांक 19-7,99 द्वारा जो रोक लगी थी, उसे शासनादेश संख्या-1489/26-3-2001-रिट (125)/99, दिनांक 27-4-2001 एवं तत्सम्बन्धी निदेशालय पत्र सं0-220, दिनांक 30-4-2001 द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

जी हाँ

सम्बन्धित प्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत देयकों में उक्त धनराशि न जोड़ने के कारण।

प्रतापगढ़ जिला समाज कल्याण अधिकरी द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की अधीक्षिका श्रीमती कमलदीप कौर को उत्पीड़ित किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

15- श्री राम ललित चौधरी --

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती कमलदीप कौर, अधीक्षिका, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, प्रतापगढ़ द्वारा जिला समाज क़ल्याण अधिकरी प्रतापगढ़ द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21-8-1999, 24-7-2000 एवं दिनांक 13-8-2000 तथा दिनांक 9-11-2000 को निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकरी, प्रतापगढ़ को भेजे गये शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार--

जी हॉ।

शिकायती पत्र दिनांक 21-8-99 तथा 24-7-2000 में उल्लिखित शिकायतें जांचोपरान्त निराधार पायी गयी ।दिनांक 9-11-2000 के पत्र पर जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से आख्या प्राप्त की जा रही है। दिनांक13-8-2000 के पत्र में की गई शिकायतों की जांच उप निदेशक, (स0क0), इलाहाबाद से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला मोहान रोड लखनऊ में अधीक्षक डा0 वी0 के0 मिश्रा के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

16-श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा के नियमितीकरण एवं अवशेष वेतन के भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों का राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला मोहान रोड लखनऊ के अधीक्षक डा0 वी0 के0 मिश्रा द्वारा अनुपालन न किये जाने के कारण वहा कार्यरत भुक्तभोगी कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी) राम नरायण सिहं द्वारा पूर्व में सूचित करते हुये दिनाक 7-3-2001 को निर्माणशाला परिसर में आत्मदाह किया था ? यदि हां, तो इस सम्बंध में दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर) --

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राम नारायण सिंह द्वारा अपनी सेवा के विनियमितीकरण के संबंध में दिनांक 7-3-2001 को निर्माणशाला परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया गया तथा दिनांक 11-3-2001 को राजकीय मेडिकल कालेज लखनऊ में उनका निधन हो गया।

प्रकरण की जांच सी0 बी0 सी0आई0डी0 से कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

17-18-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद [5 वें शुक्रवार में अता0 प्र0 स0-79 व 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के हजरत काले शहीद बाबा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में हुयी अनियमितता की जांच एवं अधूरे निमार्ण कार्य को पूरा कराये जाने की मांग

19--श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में प्राथमिक स्वा0 केन्द्र तिन्दवारी के सामने से हजरत काले शहीद बाबा सम्पर्क मार्ग निमार्ण हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से वर्ष 1998-99 में कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विस जल निगम बांदा को 1.00 लाख रुपये अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां तो, उक्त धनराशि से कुल कितना निर्माण कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा मौके पर कार्य न कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषियों से धन की वसूली व अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के प्रतीक्षा सूची के चयनित ग्राम्य विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने की मांग

20--श्री अफजाल अहमद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समूह "ग" भर्ती नियमावली, 1998 के अधीन ग्राम विकास अधिकारी (पुरुष) पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से योगदान न करने पर प्रतीक्षा सूची के चयनित ग्राम विकास अधिकारियों को पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कराने के लिये आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक सी-33/स्था0-2/प्र0सू0ग्रा0 वि0अ0/2000, दिनांक 12-9-2000 द्वारा सूचना मांगी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद भी उन्हें प्रशिक्षण पर अभी तक न भेजे जाने के क्या कारण हैं ? कब तक उन्हें प्रशिक्षण पर भेजा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद शुक्ल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चन्दौली के डा0 के0एन0 सिंह चिकित्साधिकारी राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय मुगलसराय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

21--श्री भोनू राम सोनकर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 03 फ/2914/91/548 दिनांक 28-2-2000 द्वारा स्थानान्तरित चिकित्सा अधिकारी को निलम्बित करने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री--

जी, हां ।

महानिदेशक के पत्र दिनांक 28-2-2001 के संदर्भ में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार डा0 के0 एन0 सिंह, चिकित्साधिकारी, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, मुगलसराय, चन्दौली के विरुद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 6882/चि0-3-2000-टी0 293/98, दिनांक 06-11-2000 के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

22—श्री भोनू राम सोनकर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बँतायेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र नियमताबाद चन्दौली पर पूर्व में तैनात चिकित्साधिकारी डा0 के0 एन0 सिंह के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी/चन्दौली ने अपने पत्रांक वि0कार्यवाही/जांच/डा0 के0एन0 सिंह/1998 दिनांक 31-8-98 एवं पत्रांक वि0का0/डा0 के0एन0 सिंह/99 दिनांक 24/27-7-99 तथा पत्रांक 4/9-2-2000 द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु शासन एवं निदेशालय स्तर पर भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री--

जी हां ।

संबंधित चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6882/चि-3-2000-टी0 293/98, दिनांक 06-11-2000 के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चन्दौली प्रा0 स्वा0 केन्द्र नियमताबाद के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ठ लिपिक द्वारा कथित धन गायब करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

23--श्री प्रभु नारायण सिंह यादव--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री वा जानकारी है कि श्री कान्त नन्दी बी0 एच0 डब्लू0, का एरियर रु0 5732.30 जो डा0 के0 एन0 सिंह तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र नियमताबाद चन्दौली एवं वरिष्ठ लिपिक जनार्दन सिंह द्वारा कोषागार चन्दौली में दिनांक 17-5-98 का जमा दिखाया गया है परन्तु ट्रेजरी में उक्त धनराशि जमा नहीं है और चेक संख्या 808018दिनांक 13-5-98 रु0 29205 भी जनार्दन सिंह द्वारा गायब किया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह—

रु0 5732.30 ट्रेजरी चालान संख्या-32 के द्वारा दिनांक 27-5-98 को जमा कर दिया गया है। चेक संख्या-808018 दिनांक 13-5-98 रु0 29205 के स्थान पर चेक संख्या-408018 दिनांक 13-5-98 रु0 39205 कोषागार, वाराणसी से निर्गत किया गया है जिसे उप कोषागार, चन्दौली से आहरित होना था, परन्तु उप कोषागार, चन्दौली से उक्त चेक आहरित नहीं हुआ ।

वरिष्ठ लिपिक श्री जनार्दन सिंह को निलम्बित कर दिया गया है । डा0 के0एन0 सिंह व श्री जनार्दन सिंह के विरुद्ध अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा जांच की जा रही है, जांचोपरान्त संस्तुति प्राप्त होने पर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न नहीं उठता।

चन्दौली के प्रा0 स्वा0 केन्द्र नियमताबाद से स्थानान्तरित चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी

24—श्री प्रभु नारायण सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र नियमताबाद चन्दौली से दिनांक 17-11-99 को स्थानान्तरित चिकित्सा अधिकारी डा0 वेद प्रकाश चन्द्र द्वारा सरकारी रेफ्रीजरेटर गायब कर देने के फलस्वरूप दिनांक 21-1-2000 को थाना अलीनगर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नियमताबाद, चन्दौली से कभी कोई सरकारी रेफ्रीजरेटर गायब नहीं हुआ । वहां सरकारी रेफ्रीजरेटर आज भी उपलब्ध है । आपसी द्वेषवश तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 उमेश सिंह यादव द्वारा द्वितीय चिकित्साधिकारी डा0 वेद प्रकाश चन्द के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी ।

विवेचनोपरान्त प्राथमिकी में फाइनल रिपोर्ट लगाकर न्यायालय को दिनांक 21-4-2000 को भेजी जा चुकी है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 31-01-2001 को स्वीकार कर ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चन्दौली प्रा0 स्वा0 केन्द्र नियमताबाद के कर्मचारियों/अधिकारियों के लम्बित बकायों के भुगतान की मांग

25—श्री प्रभु नारायण सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र नियमताबाद, चन्दौली के कर्मचारियों/अधिकारियों के लम्बित बकाया देयकों के भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 1-3-2000 को आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा प्रा0 पाठशाला कालोनी खरैवा के ध्वस्त भवन के पुनर्निर्माण की मांग

26—श्री बाबू लाल कुशवाहा—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रा0 पा0 कालोनी खरैवा वि0 खण्ड महुआ, जनपद बांदा का भवन ध्वस्त हो चुका है जिसके कारण खुले आसमान में विद्यालय लगता है ? यदि हां, तो विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार—

जी, हां ।

जी, हां ।

ऐसे विद्यालय के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी शासन की नहीं है ।

निजी क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक सूची पर अनुदानित विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु शासन की कोई योजना नहीं है ।

बाराबंकी के अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा कार्यालय में कार्यरत श्री श्याम सुन्दर दुबे के अवशेष वेतन के भुगतान की मांग

27--श्री मलखान सिंह--

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बाराबंकी के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी बर्कघाज के पद पर कार्यरत श्री श्याम सुन्दर दुबे पुत्र श्री रामबली दुबे को मा0 उच्च न्यायालय के दिनांक 28-4-99 एवं 17-8-99 में पारित आदेश के अनुपालन में अवशेष वेतन की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

जी हां ।

03 अप्रैल, 2001 को

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ--महिला समाज कल्याण निदेशालय में तैनात जिला स्तरीय कनिष्ठ लिपिकों को वापस जिले में भेजने की माँग

28--श्री कृपा शंकर सिंह--

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जिला स्तरीय कार्यालयों के कनिष्ठ लिपिकों की तैनाती निदेशालय में स्थापना/योजना अधिष्ठानों में की गयी है ? यदि हां, तो क्या इन कनिष्ठ लिपिकों को जनपदीय कार्यालयों में वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार 14 मण्लीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में तैनात आशुलिपिकों जिनकी अनुमन्यता समाप्त कर दी गयी है, को निदेशालय में स्थापना/योजना अनुभाग में तैनात करेगी ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार व प्रारंभिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)--

जी हाँ।

जी हाँ।

रिक्त पदों के भरे जाने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आशुलिपिक का कार्य आशुलेखन एवं टंकण का है जो उनसे लिया जा रहा है।

आजमगढ़--महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन महिला चिकित्सालय में नियुक्त महिला चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक की माँग

29--श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में कितनी महिला चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में तैनात महिला चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री--

महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में चार महिला चिकित्सक तैनात हैं।

उक्त महिला चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

प्राप्त शिकायतों की जांच करायी गयी तथा जाँच रिपोर्ट शासन में दिनांक 18 मई, 2001 को प्राप्त हुई है, जो परीक्षणाधीन है।

जनपद-सीतापुर--जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वजीर नगर द्वारा कराये गये विकास कार्यों के बारे में जानकारी

30--रमेश राही--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसांवा की ग्राम पंचायत वजीर नगर में वर्ष 1996 से 1999 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई विकास कार्य कराया गया है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर नगर में अपर निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा जाँच के दौरान पाये गये फर्जी विद्यालयों के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

31--श्री राजाराम पाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की श्री प्रभू दयाल श्रीवास, अपर निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वर्ष 2000-2001के मध्य कानपुर नगर के किन-किन विद्यालयों की जांच की गयी ? जांच में किन-किन विद्यालयों को फर्जी/अस्तित्वहीन पाया गया और फर्जी/अस्तित्वहीन विद्यालयों में कितनी-कितनी शासकीय धनराशि के गबन का प्रकरण प्रकाश में आया तथा उसके लिये दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार--

श्री प्रभूदयाल श्रीवास तत्कालीन अपर निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य कुल 23 विद्यालयों की जांच की गई जिसकी सूची संलग्न है।

जांच में 4 विद्यालय अस्तित्वहीन पाये गये जिसमें वर्ष 1999-2000 की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित रु0 1,68,660.00 (एक लाख अरसठ हजार छः सौ साठ) के शासकीय धन के गबन का प्रकरण प्रकाश में आया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	धनराशि (छात्रवृत्ति) रु0
1	शारदा पूर्व मा0 विद्यालय जूही, कानपुर	37,500.00
2	रूमी प्राइमरी स्कूल जूही, कानपुर	30,300.00
3	के0 पी0 वाई0 पब्लिक स्कूल, तिरम्बी	31,500.00
4	एम0 के0 विद्यालय बिनिगवां, कानपुर	69,360.00

प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ .....पर)

कानपुर नगर के फर्जी अस्तित्वहीन विद्यालयों को दिये गये शुल्क क्षतिपूर्ति की धनराशि के गबन की जांच

32--श्री राजाराम पाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा की गयी वर्ष 2000-2001 के मध्य जांचों में फर्जी अस्तित्वहीन पाये गये विद्यालयों में से किन-किन विद्यालयों को वर्ष 1997-98, 98-99, 99-2000 में शुल्क क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कितना-कितना किया गया है ? क्या फर्जी/अस्तित्वहीन विद्यालयों के विरुद्ध शुल्क क्षतिपूर्ति की धनराशि के गबन की जांच कसकर दोषी के बिरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार--

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य की गई जांचों में फर्जी/अस्तित्वहीन पाये गये विद्यालयों में से रेन्ज कान्वेन्ट जूनियर हाई स्कूल आचार्य नगर, कानपुर नगर को वर्ष 1997-98 में रुपया 9,028.00 व वर्ष 98-99 में रुपया 9,488.00 की धनराशि का भुगतान शुल्क क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया है और वर्ष 99-2000 में कोई धनराशि इस विद्यालय को नहीं दी गई।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में हाई स्कूल, इण्टर की परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के कारण दी जाने वाली विशेष छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में जानकारी

33--श्री राजाराम पाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन निधि के अन्तर्गत विशेष छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर प्रदान करने की व्यवस्था है ? यदि हां , तो क्या इस हेतु वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा वर्ष 2000-2001 में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार--

जी, हाँ।

जी नहीं।

समाज कल्याण निदेशालय के पत्रांक सी--2628/सक/शिक्षा/2000-2001, दिनांक 12 मार्च, 2001 द्वारा योजना के अर्न्तगत रु0 1.235 लाख की जो धनराशि आवंटित की गयी थी उससे सम्बन्धित धनावंटन का उक्त पत्र डाक विभाग द्वारा उपनिदेशक,समाज कल्याण, कानपुर मण्डल व जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर के कार्यालय को अति विलम्ब से वितरित करने के कारण धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्दर कोषागार से आहरित नहीं की जा सकी।

जनपद उन्नाव के प्रा0 स्वा0 केन्द्र सिकन्दपुर में तैनात चिकित्सकों की अनुपस्थिति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

34--श्री राम कुमार एडवोकेट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र सिकन्दपुर व सरोजी ब्लाक सिकन्दपुर सरोसी, जनपद उन्नाव में प्रभारी चिकित्साधिकारी सहित कितने चिकित्सकों की तैनाती की गयी है ? क्या उक्त अस्पतालों में तैनात सभी चिकित्सक कार्य करते हैं ? यदि नहीं , तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त अस्पतालों में न पहुंचने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री--

प्रा0 स्वा0 केन्द्र सिकन्दपुर सरोजी सहित 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिसमें प्रभारी चिकित्साधिकारी सहित 7 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

जी, हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के ग्रामपंचायत पतुलकी के पंचायत भवन के निर्माण में फर्जी ढंग से कराये गये भुगतान की जाँच की माँग

35--डा0 धर्मज्ञ मिश्र--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विकास खण्ड लालगंज के ग्राम पंचायत पतुलकी के पंचायत भवन के बाउण्ड्री निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में बनवाया जाना दिखाकर रुपया निकाला गया है ? यदि हां, तो क्या सच है कि मौके पर बाउन्ड्री निर्माण एवं गड्ढा भराई कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या इसका स्थलीय सत्यापन टी0 ए0 सी0 से कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

जनपद मिर्जापुर में विकास-खण्ड लालगंज के ग्राम पंचायत पतुलकी के पंचायत भवन के बाउन्ड्री निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कोई धनराशि नहीं निकाली गयी है, बल्कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में इस कार्य हेतु 31,700.00 निकाला गया है।

जी हां।

तकनीकी मूल्यांकन व जांच कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ब्लाक सरोजनी नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

36--श्री बाबू लाल कुरील--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सदरौना, ब्लाक सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच हेतु शासन ने अपने पत्र संख्या सी0 एम0-257/38-1-2000-16-सी0 एम0/2000, दिनांक 23 फरवरी, 2001 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को आदेशित किया गया था और उसकी आख्या 10 दिन के भीतर मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आख्या प्राप्त हो गई है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के चयन परिणाम घोषितं न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

37--श्री हरी शंकर माहौर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी रूल्स, 1926 के अन्तर्गत फैकल्टी गठित है ? यदि हां, तो उक्त फैकल्टी की गवर्निंग बाडी के सदस्यों में स्थायी सदस्य तथा सरकार द्वारा नामित सदस्य कौन-कौन हैं ? क्या फैकल्टी के समस्त क्रिया कलाप उक्त

नियमावली 1926 के अनुसार गवर्निंग बाडी के अनुमोदन से संचालित होते हैं ? क्या यह सही है कि फैकल्टी द्वारा गत तीन वर्षों में किये गये लैबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के चयन परिणाम गवर्निंग बाडी के अनुमोदन से जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी नियम के विरुद्ध की गयी उक्त कार्यवाही के लिये दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री--

जी हां।

उत्तर प्रदेश के स्टेट मेडिकल फैकल्टी के गवर्निंग बाडी के स्थायी सदस्य तथा सरकार द्वारा नामित सदस्य निम्नवत् हैं :-.

(क) स्थायी सदस्य (पदेन सदस्य)—

1- डायरेक्टर, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज उ0 प्र0 (वर्तमान में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0 प्र0)।

2- एडीशनल डायरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेज, उ0 प्र0।

3- डीन, फैकल्टी आफ मेडिसिन, लखनऊ यूनीवर्सिटी।

4- प्रिन्सिपल, मेडिकल कालेज, आगरा।

5- असिस्टेन्ट डायरेक्टर, प्रोविन्सल हाइजिन इन्स्टीट्यूट, (वर्तमान में स्टेट हेल्थ इन्स्टीट्यूट, लखनऊ)।

6- डिप्टी डायरेक्टर, मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेज (वोमेन) उ0 प्र0।

(ख) सरकार द्वारा नामित सदस्य--

1- एक प्रोफेसर अथवा रीडर मेडिकल कालेज,लखनऊ।

2- एक प्रोफेसर अथवा रीडर, मेडिकल कालेज, आगरा।

जी हां।

जी हां, क्योंकि शासनादेश संख्या–2976 (1)/5-7-95-707 बी0 पी0/92, दिनांक 27-9-95 में यह प्राविधान किया गया है कि फैकल्टी द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षणों की चयन प्रक्रिया का निष्पादन अध्यक्ष, उ0 प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की अनुमति से किया जायेगा। तद्नुसार चयन की कार्यवाही की जाती रही है।

चूंकि प्रशिक्षण हेतु चयन की कार्यवाही उपरोक्त शासनादेश में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की गयी है, इसलिए किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर कमिश्नरी में कहार जाति को अनुसूचित जाति के फर्जी जारी प्रमाण-पत्र को निरस्त कराने की मांग

38--श्री शिव पूजन राम तथा श्री बनवारी लाल दोहरे--

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे बुद्धवार के लिये निर्धारित श्री दीपलाल भारती द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-31 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने का मुख्य आधार

(मानक) उक्त जाति के लोगों का अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा से प्रभावित होना है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर में कहार जाति के कतिपय व्यक्तियों द्वारा जाति बदलकर पिछड़ी जाति के साथ-साथ अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करा लिये हैं ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति के फर्जी जाति प्रमाण-पत्र निरस्त किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार--

जी हां,

गोरखपुर मण्डल के जनपद देवरिया, महाराजगंज एवं गोरखपुर में कहार जाति के व्यक्तियों द्वारा जाति बदलकर पिछड़ी जाति के साथ-साथ अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं कराया गया है, जबकि जनपद कुशीनगर में कहार जाति के कतिपय व्यक्तियों द्वारा जाति बदलकर पिछड़ी जाति के साथ-साथ अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत कराया गया है।

जनपद कुशीनगर में अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र जांच में फर्जी पाये जाने पर प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

संत रविदास नगर भदोही में रजपुरा चौराहे से मोरवा नदी तक सीवरेज ड्रेन के निर्माण की माँग

39--डा0 पूर्णमासी पंकज--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के वि0 ख0 भदोही में वर्ष 1998-99 में जे0 आर0 वाई0 अन्तर्गत रजपुरा चौराहे से मोरवा नदी तक जल निकासी हेतु सीवरेज ड्रेन के 1.5 कि0मी0 निर्माण हेतु खण्ड विकास अधिकारी भदोही को 2.07 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ड्रेन का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

40--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे बुद्धवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-144 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रों की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब करायी गयी ? क्या जांच के समय प्रश्नकर्ता को भी बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त पत्रों की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर जांच के समय प्रश्नकर्ता को बुलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री--

अतारांकित प्रश्न संख्या-144 में उल्लिखित शिकायतों की जांच तत्समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहाँपुर/वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से समय-समय पर करायी गयी थी।

प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य को उपरोक्त जांच हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा दो बार आमंत्रित किया गया। अभिलेखों के आधार पर जांच पूर्ण की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुरसठ जनपद हरदोई में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की माँग

41--डा0 धर्मज्ञ मिश्र--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुरसठ जनपद हरदोई कब से चिकित्सक विहीन चल रहा है ? क्या सरकार जनहित में जनता की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये वहां चिकित्साधिकारी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुरसठ जिला हरदोई में चिकित्साधिकारी का पद दिनांक 28-6-97 से रिक्त चल रहा था किन्तु दिनांक 8-5-2001 से डा0 शशि कान्त दूबे चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं1

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य

42--श्री अफजाल अहमद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-1-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित रोजगार योजना की 30 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायतों को तथा 70 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को अवमुक्त की जा रही है। जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य योजना पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तैनात निदेशक, महानिदेशक की चल अचल सम्पति का विवरण

43--श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऐसे कितने निदेशक, महानिदेशक हैं जिन्होंने सेवा में आने के बाद अपनी चल अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत किया है ? क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकतर निदेशक /महानिदेशकों की चल अचल सम्पत्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के आय के स्रोतों की जांच करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री--

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्यवाहक महानिदेशक, परिवार कल्याण, निदेशक (महिला) एवं निदेशक (भण्डार) द्वारा अपनी चल अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 24-4-2001 को उपलब्ध कराया गया है ।

उपरोक्त अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्पत्ति विवरण का परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त यथावश्यक कायर्वाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में फर्जी रूप से एल0 टी0 सी0 तथा भविष्य निधि से धन प्राप्त करने वाले चिकित्सकों एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

44--श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में ऐसे कितने चिकित्सक हैं जिनके विरूद्ध फर्जी रूप से एल0 टी0 सी0(अवकाश यात्रा) तथा भविष्य निधि से अवैधानिक रूप से पात्र न होते हुये उन्हें कई-कई बार भुगतान किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ऐसे चिकित्सकों के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या संबंधित दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं , तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

डा0 डी0 सी0 काण्डपाल, कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा 7 चिकित्साधिकारियों को अवकाश यात्रा सुविधा तथा 10 चिकित्साधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम नियमों के विरुद्ध स्वीकृत किये जाने तथा डा0 यशपाल सिंह तत्कालीन कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा एक चिकित्साधिकारी को अनियमित अवकाश यात्रा सुविधा दिये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में है।

डा0 यशपाल सिंह को विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में दंडित किया जा चुका है तथा डा0 डी0 सी0 काण्डपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। उक्त प्रकरणों में संलिप्त चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ को दिये गये हैं।

विभागीय कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए।

महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रशिक्षित आवजलीय नर्स तथा अप्रशिक्षित नर्सों के कार्य एवं दायित्व समान होने के बावजूद वेतनमान में विभिन्नता के सम्बन्ध में जानकारी

45--गजेन्द्र कुमार मुन्ना--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के पहले बुद्धवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-109 के उत्तर के सम्बन्ध में क्यां महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में प्रशिक्षित आवजलीय नर्स तथा अप्रशिक्षित नर्सों के वेतनमान क्या-क्या हैं ? क्या यह सही है कि आवजलीय नर्सों के पास ए0एन0एम0 का डिप्लोमा होने के बाद भी अप्रशिक्षित नर्सों के पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां,तो ऐसी कितनी नर्सें हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं है ? क्या उपरोक्त सभी प्रकार की नर्सों के कार्य एवं दायित्व समान हैं ? यदि हां, तो इनके वेतनमान में भिन्नता का औचित्य क्या है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी--

प्रशिक्षित नर्सों का रु0 4500-7000 एवं आवजलीय (अप्रशिक्षित) नर्सों का रु0 3050-4590।

जी हाँ, 13 आवजलीय नर्सों के पास ए0एन0एम0 का डिप्लोमा है।

19 ऐसी नर्सों के पास किसी प्रकार का डिप्लोमा नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदं एटा के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ड्रग लाइसेन्स जारी करने में शासन की नीति के कथित उल्लंघन के प्रकरण की जांच की मांग

46--श्री विजय पाल सिंह तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में थोक एवं फुटकर दवाओं की बिक्री हेतु ड्रग लाइसेंस निर्गत करने के लिए एक थोक तथा 10 फुटकर ड्रग लाइसेंस दिये जाने की शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा द्वारा अपने कार्यकाल में अब तक कुल कितने थोक व फुटकर दवाओं के बिक्री हेतु लाइसेंस निर्गत किये गये हैं ? क्या यह सही है कि जनपद एटा के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त का अनुपालन न करके शासन की नीति का उल्लंघन किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री--

सामान्यत: प्रत्येक जनपद में दवाओं की बिक्री हेतु दस फुटकर लाइसेंस पर एक थोक लाइसेंस जारी करने की नीति है। वर्तमान मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा द्वारा दिनांक 01-06-99 से 01-03-2001 तक कुल 48 फुटकर तथा 117 थोक लाइसेंस निर्गत किये गये हैं।

प्रकरण की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के ग्राम नरायणपाली में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

47--श्री छोटे लाल राजभर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के गड़वार ब्लाक के ग्राम नरायणपाली के सी0 एम0 आर0 संख्या 205 सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम विचार पाण्डेय के घर के सामने होते हुये स्वीकृत सम्पर्क मार्ग पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संदर्भित कार्य जिलाधिकारी, बलिया द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना में 30-1-99 स्वीकृत किया गया था परन्तु उस समय धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा 7 मई, 99 को अवमुक्त धनराशि से केवल प्रारम्भ हो चुके अधूरे कार्यों को ही पूर्ण कराने का प्राविधान था इससे नये कार्य नहीं लिये जाने थे। वर्ष 1999-2000 से योजना के स्वरूप में परिवर्तन हो गया एवं अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों को ही कराया जाना था। शासी निकाय की बैठक दिनांक 29-4-2000 में निर्णय लिया गया कि स्वीकृत ऐसी परियोजना, जिन पर धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, पर विचार न किया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राम औतार की प्रभारी चिकित्साधिकारी, दारुलशफा एवं बलरामपुर में तैनाती के दौरान कथित तौर पर किये गये घोटाले की जांच के सम्बन्ध में जानकारी

48--श्री संजय गर्ग--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम औतार, प्रभारी चिकित्साधिकारी होम्यो0 केन्द्र दारुलशफा एवं बलरामपुर होम्योपैथी केन्द्र में तैनाती के दौरान किये गये घोटाले की जांच सतर्कता विभाग से करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और इनके खिलाफ क्या कांयवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद शुक्ल--

जी हां।

उक्त जांच में डा0 राम औतार, प्रभारी चिकित्साधिकारी को सतर्कता विभाग द्वारा दोषी नहीं पाया गया था किन्तु सतर्कता विभाग द्वारा मामले में आडिट कराकर स्वविवेक से निर्णय लिये जाने की संस्तुति की गयी थी। उक्त आडिट के संबंध में संबंधित विभाग से स्थिति प्राप्त कर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम सिकन्दरपुर से जलालपुर को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

49--श्री दीपलाल भारती--

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम सिकन्दरपुर से जलालपुर सड़क में जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग पर

एक वर्ष से केवल मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग को पिच कराने का कार्य किया जाना है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग को कब तक पिच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द--

जी हां, सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग के लेपन स्तर तक निर्माण हेतु. स्वीकृत कुल रु0 20.90 लाख के सापेक्ष केवल रु0 9.00 लाख ही प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष उक्त मार्ग का दो कोट गिट्टी स्तर तक निर्माण कार्य कराया जा सका है।

लेपन स्तर का कार्य धनराशि प्राप्त होने पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 23 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुयीं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई जो निम्नवत हैं--श्री दीपलाल भारती, श्री महेन्द्रकुमार सिंह, श्री मूल चन्द्र, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री रामऔतार शाक्य, श्री राम विशुन आजाद। प्रतीक्षा सूची में दो सूचनायें हैं--श्री रामाधार सिंह एवं श्री जगदीश नारायण राय की। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकर की गई हैं उनके नाम हैं--श्री ओंकार सिंह एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षित महिला अध्यक्ष पद के कार्य का निर्वहन इनके परिजनों द्वारा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम -301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपलाल भारती--

[मान्यवर, सरकार ने आरक्षण व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में सदस्य प्रधान, क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष पद के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान कर निर्वाचन कराया है, जिसके तहत समाज का नेतृत्व महिलाओं को ही किया जाना चाहिए तभी महिला-आरक्षण का लाभ महिलाओं को होगा, किन्तु आज तक गांव पंचायत में निर्वाचित महिला सदस्य, बी0 डी0 सी0, प्रधान तथा प्रमुख पद का निर्वहन उनके पति अथवा परिजन कर रहे हैं, जो शासनादेश के विरूद्ध है तथा कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में काफी परेशानी व दिक्कतें उत्पन्न हो रही है।

नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) का अध्यक्ष पद पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित है जहां श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री राजेन्द्र जायसवाल निर्वाचित है, जिनके शपथ ग्रहण के बाद से ही उनके पति तथा परिजन कार्यालय में पहुंचकर कर्मचारियों को स्वयं उल्टा-सीधा निर्देश दे रहे हैं तथा भवन-मानचित्र स्वीकृत करने, अभिलेख की नकल, स्ट्रीट लाईट लगने तथा वेतन देने में पहल और अच्छे कर्मचारियों को अनुपस्थित करके उत्पीड़न करने का कार्य किया जा रहा है, जनहित को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चूंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रकरण है, इसीलिए इस ज्वलन्त प्रकरण को उठाकर सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षित-महिला पद पर निर्वाचित महिलाओं के पति व परिजन किसी प्रकार का हस्तक्षेप/निर्वहन कर रहे हैं उसे रोका जाय तथा दोषी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाय।]

जनपद सीतापुर के ग्राम काशीपुर में घाघरा नदी पार करते समय तीन बच्चों की मृत्य केु फलस्वरूप उनके परिजनों को सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह--

[महोदय, जनपद सीतापुर के ग्राम काशीपुर, थाना तम्बौर में 12-5-2001 सायं 4 बजे बबली उम्र 11 वर्ष पुत्री श्री भागीरथ जाति कहार निवासी काशीपुर, नीरज उम्र 10 वर्ष पुत्र अशर्फी जाति कहार निवासी काशीपुर, सोनी उम्र 9 वर्ष पुत्र श्री पप्पू जाति जायवाल निवासी हुसेनगंज, सीतापुर घाघरा नदी पार करके जानवर चराने गई थी वापसी में नदी में पानी बढ़ गया। जिससे तीनों मासूम की अचानक मौत हो गई । शासन प्रशासन के तरफ से कोई नहीं गया ।

अत: मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सहायता के रूप में दो-दो लाख स्वीकृत करने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा के विकास खण्ड सिद्धपुरा में तालाबों की खुदाई एवं पुनरोद्धार से भूमिगत जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जल प्लावन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द्र--

[महोदय, शासन की नीति के अनुरूप इन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जलस्तर काफी नीचे पहुंच जाता है, तालाबों की खुदाई करायी जाती है फलस्वरूप बरसात में इनमें पानी भराव से भूमिगत जलस्तर में वृद्धि होती है परन्तु विकास खण्ड सिद्धपुरा जनपद एटा में जहां स्तर पूर्व में ही इतना ऊंचा है कि वर्षा ऋतु में इस स्तर में अत्यधिक वृद्धि होने से जलस्तर प्लावन की स्थितियां उत्पन्न हुई है तथा वर्ष 1999 में महामारी से सैकड़ों व्यक्ति काल कवलित हुए हैं। विकास खण्ड सिद्धपुरा में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जान बूझकर वकालती क्षेत्र में एटा गंज डुण्डवारा मुख्य मार्ग पर बहुत बड़े तालाब की खुदायी कराकर लाखों रुपयों का कार्य दिखाया गया है तथा इसकी गहराई बढ़ाने का कार्य ट्रेक्टरों द्वारा कराया गया है जबकि इस सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है तथा खण्ड विकास अधिकारी सरकारी धन का गोलमाल किया है इसी प्रकार इस योजना द्वारा अन्य स्थानों पर भी धन का दुरुपयोग किया गया है एवं फर्जी मस्टर रोल कराकर कार्य से अधिक व्यय दर्शाकर हड़पा गया है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिल्ली से रेल द्वारा मोदीनगर, मेरठ, खतौली आदि स्थानों तक व्यापारिक सामान लाने वाले लोगों के साथ व्यापार कर विभाग द्वारा व्यवहारिक पद्धति विकसित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

[मान्यवर, लगभग 6000 नौजवान लोग प्रतिदिन रेलवे से दिल्ली से सामान लाकर मोदीनगर, मेरठ नगर, मेरठ कैण्ट, खतौली, मुजफ्फरनगर तक व्यापारिक सामान पहुंचाते हैं।

रेलवे से ब्रेकवान प्रतिदिन हजारों रुपये किराये पर लेकर उसमें रेलवे के हिसाब से नियमित सामान लाकर व्यापारी तक पहुंचाते हैं 1 व्यापार कर की समुचित व्यवहारिक व्यवस्था न होने के कारण यह लोग दो नम्बर का काम करने वाले कहे जाते हैं।

बेरोजगार गरीब नौजवान हैं कड़ी मशक्त के बाद यह लोग अपने परिवार की रोटी चला पाते हैं। व्यापार कर विभाग की इसकी नियमित व्यवस्था नहीं करता, रिश्वत लेकर लाने देता है, अनावश्यक आर्थिक शारीरिक उत्पीड़न करता है, प्रतिकार करने पर पकड़ कर जेल भेजना, मारपीट करना, लाखों का माल जब्त कर लेना तथा नियमानुसार उस माल को अर्थ दण्ड लेकर भी न छोड़कर उत्पीड़न करना इनका कर्त्तव्य हो गया है।

जेल से जमानत पर न छूटने देना उसके लिये भी रिश्वत मांगना इसकी चरम परिणति है।

यह सब बेरोजगार लेकिन मेहनत कस नौजवान है। यदि इनका ऐसा ही उत्पीड़न हुआ तथा कोई विधिक व्यवस्था व्यापार कर विभाग द्वारा नहीं बनाई गई , जिससे कि इन नौजवानों का जीवन यापन भी होता रहे सरकार को कर भी मिलता रहे, रिश्वतखोर अधिकारी उपेक्षित हो तो यह सिवाय बुरे कार्य व समाज विरोधी कार्यों में लिप्त होकर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करेंगे।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए व्यापार कर विभाग से व्यवहारिक पद्धति विकसित करने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा संचालित होटलों के कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल--

[महोदय, उ0 प्र0 पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे होटलों में अधिकांश की हालत बहुत ही खराब है और घाटे में चल रहे हैं। ऐसे घाटे में चलने वाले 20 होटलों को निगम ने अपने आदेश दिनांक 11 जनवरी 2001 द्वारा यह कहा है कि वे अपने स्तर से आय अर्जित कर कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान करें, निगम द्वारा वेतन मद में कोई धनराशि नहीं दी जायेगी। इस आदेश के बाद से ऐसे होटलों के कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। इससे कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं। सरकार इस ओर तत्काल ध्यान देकर होटलों के इन कर्मचारियों को वेतन दिलाने की व्यवस्था करे।

अत: सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि इन होटलों के कर्मचारियों का बकाया वेतन तत्काल भुगतान कराने की व्यवस्था करें और भविष्य में नियमित वेतन मिलता रहे, सुनिश्चित करें।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ के गोमतीनगर फेज-2 के विभव व अन्य खण्डों में पूर्व से आवंटित भूखण्डों के आवंटियों को कब्जा देने एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य--

[महोदय, मैं आपका ध्यान उपरोक्त के संबंध में दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि लखनऊ प्राधिकरण निम्न प्रकार से धांधली करके आवंटियों का शोषण कर रही है।

1--ई टाइप के भूखण्ड जो कि आवंटित के समय बने लीज प्लान 14.80 x 5 मीटर = 74 वर्गमीटर एरिया के थे परन्तु अब धांधली करके बता रहे कि पुराना क्षेत्रफल 65.50 वर्गमीटर था अब 74 वर्गमीटर हो गया है जो कि 9 वर्गमीटर बढ़ा है उसकी कीमत आज की दर से मांग रहे हैं। वर्तमान और पहले के लीज प्लान देखकर स्पष्ट किया जा सकता है कि एरिया आवंटन के समय ही 74 वर्गमीटर था वर्तमान में एरिया नहीं बढ़ा है।

2--सभी भूखण्डों की कीमत जमा करने की अंतिम तिथि विज्ञापन द्वारा 15-3-93 दी गयी थी । उसके अनुसार आवंटन पत्र के अनुसार अवशेष कीमत 15-3-93 तक जमा करने को कहा था विज्ञापन द्वारा केवल कीमत ही मांगना ब्याज न मांगना दर्शाता है कि इस तिथि तक जमा कीमत समय के अन्दर जमा मानकर ब्याज नहीं लिया जायेगा क्योंकि 18 जनवरी 01 के दैनिक आज में विज्ञापन में है कि इस अंतिम तिथि तक अवशेष राशि तथा तिथि तक का ब्याज जमा करा दें, से स्पष्ट है कि 15-3-93 तक जमा करने वालों से कीमत के अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जायेगा।

3--प्राधिकरण के अनुसार 65.50 वर्गमीटर की कीमत रु0 12000/- जो कि 183/- प्रति वर्गमीटर के हिसाब से है इसमें जो 9 वर्गमीटर जो एरिया बढ़ता उसकी भी कीमत रु0 183/- प्रति वर्गमीटर के हिसाब से मांगनी चाहिए जबकि कुछ से अधिक मांग रहे हैं।

4--अंतिम गणना में बढ़ी भूमि की कीमत भूखण्ड परिवर्तन या अन्य में कुछ से आवंटन समय की कुछ से वर्तमान समय की लेते हैं।

5--25-11-97 का भूखण्ड का मूल्यांकन का आदेश से कई गुना अधिक कीमतें मांग रहे हैं।

6--15 वर्षों से कीमतें जमा करने वाले ब्लड रिलेशन सहित सभी आवंटित को अभी तक किराये में हुए खर्च तथा मकान बनाने में अब बढ़ी लागत को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाय।

7--ब्लड रिलेशन के आवंटियों को भूखण्ड दें या बाजार दर के बराबर भूखण्ड की कीमत देकर ही भूखण्ड निरस्त करें और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

8--माननीय श्री उदय राज यादव सदस्य, विधान सभा व अन्य विधायकों के पत्र प्राधिकरण तथा शासन को प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जाय।

9--अन्तिम गणना में एरिया नहीं बढ़ा तो कीमत भी नहीं बढ़ी मांगी जायेगी और 15-3-93 के विज्ञापन में ब्याज नहीं मांगा गया तो ब्याज भी नहीं जमा करना है इसलिए 15-3-93 तक 12000 /= रुपया जमा करने वालों पर एन ओ सी भी दी गयी इसलिए इसी राशि पर रजिस्ट्री की जायेगी। यह तात्कालिक लोक महत्व का प्रश्न है]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: इस तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर उपरोक्तानुसार समान नीति बनाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद--

[महोदय, आपको अवगत करना है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में विद्युत अव्यवस्था भारी पैमाने पर पहुंच चुकी है जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर के अन्तर्गत मोतीगंज, फीडर और बगदर फीडर अधिक लम्बी होने के कारण विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाता है। हल्की सी हवा चलने पर उक्त फीडरों के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रामों में जो तार गये हैं, टूट जाते हैं। जिससे विद्युत व्यवस्था बाधित होती रहती है उपभोक्ताओं में माह में 8-10 दिन तक विद्युत मिल पाती है शेष दिनों विद्युत व्यवस्था में विद्युत दोष के कारण बाधित रहती है, कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराया जाय या बीच में छोटा सब स्टेशन दे दिया जाय, जिससे विद्युत व्यवस्था ठीक हो जाय और उपभोक्ताओं को विद्युत सही ढंग से प्राप्त हो सकें। परन्तु इसी प्रकार कार्यवाही नहीं रही। मोतीगंज फीडर की दूरी लगभग 50 कि0 मी0 और बगदर फीडर की दूरी लगभग 40 कि0 मी0 है जिस पर एक-एक ही लाइन मैन काम करता है। जब किसी प्रकार का विद्युत दोष होता है तो उपभोक्ताओं को एक-एक हफ्ते तक दौड़ना पड़ता है। क्षेत्र में सहायक अभियन्ता और अवर अभियंता के न रहने से भी विद्युत उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: उपरोक्त समस्याओं को सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की आपसे मांग करता हूं।]

गोपनीयता के आधार पर प्रश्नों का अनुचित निरस्तीकरण के सम्बन्ध में औचिन्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 23 मई, 2001 को नियम 300 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं :--

पहली सूचना है श्री राम औतार शाक्य की।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रथम सत्र 2000 के दूसरे सोमवार के लिए मेरे द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या-149 पूछा गया था उसके माध्यम से पूछा था कि उत्तर प्रदेश में आई0पी0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस की जांच का सिद्धान्त क्या है ? कितने आई0पी0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई है ? कितने आई0पी0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस जांच के आधार पर विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए गए ? यह प्रश्न ऐसा था जिसमें नीति विषयक मामला था। मैंने किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई , यह नहीं पूछा न सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया, अगर इस तरह का प्रश्न भी आदरणीय सदन में नहीं पूछा जायेगा तो माननीय सदन में आने का औचित्य क्या है ? इस प्रश्न में कोई भी गोपनीयता

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भंग नहीं होती है, सरकार जानबूझकर जिनके द्वारा गड़बड़ी की जाती है बड़े अधिकारियों के चंगुल में हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, एक तरफ सरकार पारदर्शिता का नाटक करती है दूसरी तरफ नीति विषयक मामलों में पीछे हटती है। श्रीमन्, एक प्रश्न प्रथम सत्र 2000 के पांचवें मंगलवार . .

*संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री--(श्री हुकुम सिंह)--

मेरी आपत्ति है।

मान्यवर, मेरी एक आपत्ति है, वह यह है कि प्रश्नों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना आपका अधिकार है। नियम-45 आप देखें। अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे। आपने विनिश्चय कर लिया कि गाह्य नहीं है। कुछ सदस्य जो नियमों के जानकार हैं, लेकिन नियमों का दुरुपयोग करने में माहिर हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय को चुनौती देने का अधिकार किसी सदस्य को नहीं है। यहां आपके अधिकार को चुनौती दी जा रही है। आपने निर्णय ले लिया, कि ग्राह्य नहीं है तो क्या उस विनिश्चय को चुनौती दी जायेगी ? अगर इसी प्रकार नियम-300 के आकार का विस्तार कर देंगे, तो निर्णय लिया है उन पर चर्चा होगी तो कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि इसके बारे में चर्चा कराने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि यह अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। उसी के समर्थन में मैं यह तर्क रख रहा हूं। मान्यवर, प्रथम सत्र 98 के पांचवे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या-1में मैंने यह पूछा था कि 1996-97, 1997-98 के कितने आई0ए0एस0 अधिकारियों के प्रति विजिलेंस इंक्वायरी लम्बित है ? जो उत्तर आया उससे सहमति नहीं हुई और इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दिया गया। मान्यवर, इसमें गोपनीयता भंग नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठ जायें। आपकी बात आ गयी है।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, तो हम लोगों का औचित्य क्या है ? सदन चलाने का औचित्य क्या है ? मेरा आपसे आग्रह है कि जो पूछा गया है उसका उत्तर दिलवा दें या फिर इस्में वक्तव्य दिलवा दें। इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

जैसा कि अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 है उसमें नियम-45 में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे और दूसरी बात यह है कि इसी में नियम 38 (3) में यह व्यवस्था है कि यदि मंत्री की राय हो सदन के द्वारा अपेक्षित सूचना लोक हित में नहीं दी जा सकती तो वे ऐसा कहेंगे। यह सूचना में माननीय मंत्री जी के द्वारा . . . .

(श्री राम औतार शाक्य द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप कृपया बैठ जायें। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप तो भिज्ञ सदस्य हैं और जानकार भी हैं। आपकी पूरी बात आ चुकी है। व्यवस्था सुन लें। यह व्यवस्था है कि कोई भी मंत्री जनहित में और यदि आवश्यक समझें कि इसकी सूंचना देना समीचीन नहीं होगा तो ऐसे प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष उसे अग्राह्य कर सकते हैं और इसी आधार पर माननीय अध्यक्ष जी ने नियम-45 के अन्तर्गत निर्णय लिया । इसके बाद कोई प्रश्न सदन में उठ नहीं सकता है। यह आप भी जानते हैं और अब मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, इस पर आप पुनर्विचार कर लें।

श्री अधिष्ठाता--

कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर से दिये जाने की व्यवस्था किये जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के नियम-32 को देख लें। उसमें यह है कि प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी। इसी सम्बन्ध में मेरा औचित्य का प्रश्न है। मान्यवर, यह व्यवस्था है कि माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा दिया जाता है और जो उत्तर होता है उसके बायें पृष्ठ में प्रश्न तथा दांयी तरफ उसका उत्तर होता है नीचे संबंधित मंत्री का नाम तथा विभाग लिखा होता है।

मान्यवर, उत्तर के नीचे सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होते हैं।

मान्यवर, सदन में प्रश्नों के दिये जाने वाले उत्तर का साइक्लोस्टाइल पार्ट प्राप्त होने पर उसे बंटवा दिया जाता है किन्तु संबंधित मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित उत्तर की कोई भी प्रति माननीय सदन/माननीय अध्यक्ष के अभिलेख के लिए उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

सुस्थापित संसदीय प्रक्रिया एवं परम्पराओं के अनुसार मंत्रियों की ओर से प्राप्त होने वाले विधेयकों, प्रस्तावों, संकल्पों एवं वक्तव्यों की कम से कम एक हस्ताक्षरित प्रति माननीय सदन/माननीय अध्यक्ष के अभिलेख के लिए अवश्य प्रेषित की जाती है जिसके आधार पर उसे सदन की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाता है और ऐसे प्रत्येक प्रस्थापना की जैन्यता सुनिश्चित करती है। यदि किसी कारणवश बिना हस्ताक्षर के विधान सभा सचिवालय में प्राप्त होने वाले प्रश्नों के उत्तर के प्रेषण में भ्रमवश कोई त्रुटि हो जाये तो भी भेजे गये उत्तर मशीनी प्रक्रिया के तहत वितरित हो जायेंगे और सदन में प्रश्नोत्तर भी हो जायेगा।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रश्नोत्तर अंतिम क्षणों में बदला जाता है और उसके स्थान पर नया प्रश्नोत्तर भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में तो त्रुटि की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है।

अत: सदन में माननीय मंत्रियों की ओर से दिये जाने वाले विधान सभा प्रश्नों के उत्तर की कम से कम एक हस्ताक्षरित प्रति माननीय सदन/माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने हेतु उसी प्रकार प्रेषित की जानी चाहिए जिस प्रकार विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों एवं वक्तव्यों की हस्ताक्षरित प्रति संबंधित मंत्रियों द्वारा भेजी जाती है।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर परिवर्तित कर दिया लेकिन उसकी एथान्टेसिटी क्या है, जिससे परीक्षण हो सके ? मान्यवर, इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है कि एक प्रति हस्ताक्षरित आ जाये। मान्यवर, कभी-कभी उत्तर उस समय आ जाते हैं जब विधान सभा प्रारम्भ हो जाती है।

मान्यवर, इसमें आपसे सुनिश्चित व्यवस्था की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य ,स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री--(हुकुम सिंह) --

मान्यवर, यह एक व्यवस्था भी हुई है नियमों में स्पष्ट प्राविधान है, निर्देश भी दिये गये हैं कि क्या रीति होगी, क्या तरीका होगा उत्तर देने का ? मान्यवर, कभी कोई कठिनाई इस बारे में आयी नहीं है। मान्यवर, हम लोग भी देख रहे हैं कोई इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, मैं यह समझ नहीं पाया कि आप कहीं न कहीं से तैयारी करके काफी लिख लाये हैं। संबंधित विभाग प्रश्नोत्तर-प्रश्न के उत्तर की तैयारी करता है। प्रश्न की विभाग तैयारी नहीं करता है प्रश्न आपने तैयार किया, उत्तर हमने तैयार किया तो क्या हम प्रश्न भी करें और उत्तर भी तैयार करें, मान्यवर, जो व्यवस्था बनी हुई है वह ठीक है।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, उत्तर अंतिम क्षणों में बदल भी जाते हैं।

श्री हुकुम सिंह--

आपने प्रश्नोत्तर शब्द का प्रयोग किया है।

डा0 अशोक बाजपेयी--

डिक्शनरी से इसको देखा जा सकता है।

प्रश्नोत्तर प्रश्न का उत्तर है। इसको पढ़ने में प्रश्नोत्तर होता है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न और उत्तर ।

श्री अम्बिका चौधरी --

यह सन्धि का मामला है।

श्री हुकुम सिंह--

विच्छेद की बात तो आप करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न का उत्तर जब साइक्लोस्टाइल होता है तो साइक्लोस्टाइल होने से पहले स्टेंसिल कटता है अगर इस स्टेंसिल पर माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षर हो जायें तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, उसमें कठिनाई है व्यवहारिक कठिनाई बता रहा हूं यह इतना आसान नहीं है।

मान्यवर, ऐसे भी प्रश्न हैं आपको भी जानकारी है, कि जिसके भार साधक मंत्री हैं, जैसे मुख्य मंत्री जी न जाने कितने विभागों का काम देखते हैं लेकिन उत्तर का दायित्व दूसरे मंत्री को सौंप देते हैं उसका एप्रूवल भी वही करते हैं लेकिन उनका हस्ताक्षर होकर नहीं आ पायेगा, माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम से आयेगा या प्रभारी मंत्री के नाम से आयेगा। कभी ऐसा होता है कि विभागीय मंत्री नहीं होते हैं वह बाहर गये हैं तो उसका अनुमोदन दूसरे से लेना पड़ता है तो हस्ताक्षर जिसके भारसाधक मंत्री होते हैं, उनका आयेगा।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न मैंने हस्ताक्षर के लिए नहीं उठाया। यह सदन की निश्चित जानकारी है कि मंत्री लोग प्रश्नों का उत्तर देने में जो गंभीरता होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए जिससे सम्यक् सुसंगत उत्तर विधान सभा में आये वह नहीं आता। प्रश्न प्रहर का बड़ा महत्व है, प्रश्नों की गंभीरता बनी रहे। जवाबदेही बनी रहे इसलिए आवश्यक है कि प्रश्न का उत्तर आने से पहले कम से कम मंत्री की हस्ताक्षरित एक प्रति आनी चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, पीठ के आदेश लौटाये नहीं। (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आप व्यवस्था करीब-करीब दे ही चुके थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके कुछ आग्रह किया। मैं चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखें उस पर विचार कर लें कोई जरूरी नहीं है कि आज ही व्यवस्था दे दें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा पूरा सम्मान इस पीठ के प्रति है, मैंने केवल व्यवहारिक कठिनाई का उल्लेख किया है।

श्री अधिष्ठाता--

इसको व्यवहारिक रूप से देख लीजिए, अगर संभव है तो हस्ताक्षर करवाकर आयेगा तो त्रुटियां होने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह व्यवहारिक है ही नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कहा है यदि व्यवहारिक रूप से संभव हो तो।अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की है। यह नियम 300 में नहीं आती है इसे मैं निरस्त करता हूं। अगली सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की है यह भी नियम 300 में नहीं आती है। इसे भी मैं निरस्त करता हूं।

(श्री प्रमोद कुमार एवं डा 0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

औचित्य के प्रश्न की सूचना बिना सुने अस्वीकृत किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 300 का संज्ञान लें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपकी सूचना निरस्त कर दी है।

संसदीय कार्य ,स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री--(श्री हुकुम सिंह)--

आपको मान्यवर, सम्मान करना चाहिए। पीठ का एक आदेश हो गया है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं न इतनी नम्रता बरत सकता हूं, न वह भाषा इस्तेमाल कर सकता हूं जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी की है।

श्री अधिष्ठाता--

भाषा कौन सी सुनाई दे गयी ?

श्री प्रमोद कुमार--

आपको कुछ न हुआ हो लेकिन मुझे कष्ट हुआ है। वक्त-वक्त की बात है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह टिप्पणी उचित नहीं है, पीठ के लिए इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है, आपको क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं हुकुम सिंह जी की तरफ से क्षमा याचना करता हूं, जो इन्होंने कहा है।

मान्यवर, आप नियम 300 के उपनियम 3 को देखने की कृपा करें। इसमें है उपनियम 1 व 2 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुये कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर विनिश्चय तो हो गया कि आपकी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती।

*श्री प्रमोद कुमार--

आप पूरा नियम तो सुन लें। किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे। अब माननीय हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव जी ने कल सदन के बाहर एक घोषणा की, जो उन्हें सदन में करनी चाहिए। नियमावली में है, वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप ही पढ़ रहे हैं और आप ही उसका पालन नहीं कर रहे हैं।

---

*(वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।)

श्री प्रमोद कुमार--

किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें तो अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे। मैं इसी बात पर तो बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

लेकिन अगर ठीक न समझें तो ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आप नियमों के विपरीत नहीं जा सकते। मैं तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहूंगा। मेरा बल भी इसी बात पर है, आपने बिना सदस्यों की बात सुने ही अपना विनिश्चय दे दिया, यही तो मेरी आपत्ति है। कृपा पूर्वक मेरी बात तो सुनें। माननीय हरीश जी ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी, केवल एक घोषणा सदन के बाहर कर दी कि पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में 25 को निर्णय लेंगे, यह बात सदन में कही जानी चाहिये थी।

श्री अधिष्ठाता--

निर्णय लेंगे, यह कोई घोषणा तो नहीं है, निर्णय लेंगे, सिर्फ यही तो कहा है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, यह जरूरी नहीं कि आप जल्दबाजी में अपना निर्णय दें। विनिश्चय देने के पहले सुनने की परम्परा है। आपकी पीठ के कई बार के निर्देश हैं कि जो महत्वपूर्ण घोषणायें हैं, वह सदन यदि चल रहा हो तो सदन में ही की जानी चाहिए। यदि वित्त मंत्री चाहें तो स्पष्ट कर दें।

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी') --

मान्यवर, मैंने जो कल कहा है, वह मेरे हाथ में है, जिन 10 समाचार पत्रों में छपा है, उनकी कतरन है। मैं वह आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा । चूंकि माननीय सदस्य ने मेरा नाम ले लिया, इसलिये मैं इस बात को लेकर खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' --

इसमें दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान सहित कई समाचार-पत्र हैं, किसी समाचार-पत्र में इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। केवल एक राष्ट्रीय सहारा अखबार है। हम लोग समाचार-पत्रों का सम्मान करते हैं, जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, वह राष्ट्रीय सहारा में लिखा है, प्रदेश के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें देने के बारे में अंतिम फैसला लेने के लिये आगामी 25 को लखनऊ में बैठक होगी। मात्र बैठक के संबंध में कहा है और कुछ ऐसी बात नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि निर्णय की घोषणा की जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह जो वित्त मंत्री जी ने कहा है वह सदन की सम्पत्ति बन गया।

उच्च शिक्षा के बजट के दौरान महापुरुषों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, कल सदन में उच्च शिक्षा के बजट के दौरान कुछ महापुरुषों के बारे में टिप्पणी की गयी। मान्यवर, हमारे लिए भगवान बुद्ध, महर्षि बाल्मीकि, सम्राट अशोक, भगवान राम, हजरत मुहम्मद साहब, ईशा मसीह सब इस समूचे जनमानस के लिए श्रद्धा के योग्य हैं। मान्यवर, करोड़ों-करोड़ जनता के आराध्य राम के प्रति अपमानजनक टिप्पणी सदन में हुई इससे सारे सदन का स्तर समूचे देश की जनता के सामने गिरा। भगवान राम के लिए टिप्पणी की गयी कि भगवान राम पैदा नहीं हुए थे, दशरथ [xxx] था, खीर खाकर पैदा हुआ था। मान्यवर, इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों से करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। मान्यवर, आप खुद भी अवगत होंगे, मैं जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान के मनीषी जिनके बनाये गये संविधान का हम अक्षरश: पालन कर रहे हैं, उनका भी पहले का नाम भीम राम जी अम्बेडकर था। मान्यवर, राम के नाम से इतना बैर। मान्यवर, इससे करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कांशीराम के नाम के साथ भी राम जुड़ा हुआ है क्या वे इसे हटाने का काम करेंगे ? मान्यवर, आप कल की कार्यवाही देख लें अगर यह टिप्पणी या मन्तव्य करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला न हो तो दूसरी बात है अन्यथा आप इस पर व्यवस्था दे दें। मान्यवर, कल जो सदन में हुआ है उसके बारे में देश की जनता का विचार कुछ अच्छा नहीं बना है। हमारा सिर शर्म से झुका है, मान्यवर, इस सदन का स्तर ऐसा नहीं है। कृपया आप व्यवस्था देने का कष्ट करें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप बैठ जायें। आपका नाम नहीं लिया गया है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

[xxx]

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मौर्य जी आप बैठें, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया आप उत्तेजना फैलाने का काम न करें। जो आप बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। कृपया आप बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

[xxx]

(शोर व्यवधान) (कई सदस्यों के बोलने पर।)

नोट :--[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रेस के लिए भी नहीं होगा, यह लिखा नहीं जायेगा। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। कृपया आप बैठें। माननीय मौर्य जी, कृपया आप बैठिये, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर व्यवस्था सुरक्षित रख रहा हूं।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन मर्यादा के लिए, नियम, परम्पराओं के लिए और संविधान की संरचना के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है.....

श्री अधिष्ठाता--

अगर उसी विषय के सम्बन्ध में उठा रहे हैं तो उस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, जो बातें मर्यादा के विपरीत हैं और कार्यवाही में आ गयी हैं, यह कार्यवाही बहुत दिनों तक पढ़ी जायेगी। इसलिए इसको आप देख लें और जो शब्द मर्यादा के विपरीत हैं उसको निकालने की व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 23-5-2001 को नियम 56 में 21 सूचनाएं प्राप्त हुई एवं नियम 311 में प्राप्त 1 सूचना को नियम 56 में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री आर0 के0 चौधरी जी की है।

श्री [illegible]मोद कुमार--

मान्यवर, जो सूचनायें स्वीकार हैं उन माननीय सदस्यों के नाम पढ़ दें।

(श्री अधिष्ठाता ने नाम पढ़े।)

श्री राम जग--

मान्यवर, मेरी सूचना नियम 311 में आरक्षण के सम्बन्ध में थी उसको आपने नहीं बताया।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी सूचना को मौर्य जी की सूचना के साथ जोड़ दिया गया है।

*श्री आर0 के0 चौधरी--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने प्रदेश के एक महत्वपूर्ण विषय पर, ग्राह्यता पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अनुसूचित

*वक्ता मे भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। मान्यवर, वह आरक्षण के कोटे को पूरा नहीं कर रही है। पूरे प्रदेश में, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद और तमाम जिला मुख्यालयों में आज जनाक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, आरक्षण रोजी-रोटी का मामला नहीं है। यह मामला समुचित भागीदारी पाने का है। आज इतना जनाक्रोश व्याप्त है लोगों द्वारा जिला मुख्यालयों पर धरना, प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों साल से समाज के कमजोर वर्गों के साथ यह अन्याय किया जा रहा है उनको बढ़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, यह बड़े दु:ख की बात है कि हजारों सालों से, उनके अधिकारों में, मान-सम्मान में, शिक्षा में और अन्य सभी सुविधाओं में कटौती की जा रही है। इस प्रकार वह आज जानवरों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं।

मान्यवर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, माननीय बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर ने संविधान बनाते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूजित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के मान-सम्मान और उनके आगे बढ़ने के लिए आरक्षण का प्राविधान किया था, जिससे पिछड़े लोग भी शिक्षा पाकर समाज में आगे बढ़ सकें। लेकिन मान्यवर, यह बड़े दु:ख की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आरक्षण कोटे को पूरा करने पर कोई विचार नहीं कर रही है बल्कि आरक्षण कोटे में गैर आरक्षण जाति के लोगों को बैठाने का काम कर रही है। मान्यवर, नगर विकास विभाग में दो-दो मुख्य अभियन्ता के पद रिक्त हैं जो कि अनुसूचित जाति के हैं। इसके लिए डी0 पी0 सी0 हुई और तीन का चयन किया गया लेकिन बाद में यह प्रक्रिया बन्द कर दी गई, लिफाफा बन्द कर दिया। मान्यवर, वित्त विभाग में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत समूह "ग" के 6 पद अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, जिनको सामान्य जाति के लोगों से भर दिया गया है। मान्यवर, यह व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण अधिनियम 1994 में कि, अगर कोई अधिकारी इस प्राविधान का उल्लंघन करता है या इस प्रक्रिया को विफल करता है तो उसे 6 माह की सजा और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी जायेगी, लेकिन क्या ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित किया गया है ?

श्री अधिष्ठाता--

कृपया विषय पर बोलें और संक्षिप्त करें।

श्री आर0 के0 चौधरी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिकारी जो इस समय संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और जिन्होंने आरक्षण कोटे को पूरा नहीं किया है, उन्हें निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। मान्यवर, जो आरक्षण कोटा है उसको सामान्य वर्ग से पूरा कर रहे हैं, यह दु:खद है। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार जो यह कर रही है, वह श्वेत-पत्र जारी करके स्पष्ट करें कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में कितने सरकारी नौकरियों में, सार्वजनिक उपक्रमों में, किसी श्रेणी के कितने पद सृजित किये गये हैं ? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कितना कोटा आरक्षित है और आरक्षण कोटे के कितने पदों पर भर्ती हो चुकी है और कितने पद खाली हैं, उनको शीघ्र भरा जाये। मान्यवर, दु:खद है कि आरक्षण कोटे के अनुसार नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है और यह सरकार सो रही है। सामान्य कोटे को तो पूरा करती है लेकिन आरक्षण के कोटे को पूरा नहीं कर रही है। मान्यवर, यह विषय तात्कालिक है, लोक महत्व का है, अति

महत्वपूर्ण है इससे महत्वपूर्ण दूसरा और कोई विषय नहीं हो सकता । मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की कृपा की जाये।

*श्री बी0 आर0 वर्मा–

मान्यवर, संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 335 में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्राविधान किया और इसी को पूरा करने के लिए 14(4) और 15(4) में एक संशोधन हुआ कि जो लोग इस कोटे से वंचित रह गये हैं ऐसे लोगों को सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण की सुविधा दी जायेगी और उसी के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं और उनको आरक्षण दिया जाता है। मान्यवर, अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई सूची न होने के नाते अनुच्छेद 330 में यह व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति ने एक आयोग गठित करके जांच करा लिया। पिछड़े वर्ग के लिए 1952 में काका कालेलकर आयोग बना, 1955 में उसने रिपोर्ट दी। पुन: 1977 में सरकार बनी और 1978 में मण्डल कमीशन का गठन किया गया और मण्डल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी जिसके तहत अन्य पिछड़ी जातियों की सूची बनी और पिछड़ी जाति के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान हुआ जो संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत है। मान्यवर, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली-जुली सरकार थी तो एक आरक्षण अधिनियम बनाया गया और आरक्षण कोटा न पूरा करने पर संज्ञेय अपराध माना गया था और यह व्यवस्था की गयी थी कि अगर कोई अधिकारी आरक्षण कोटा को पूरा नहीं करता है, उसको संज्ञेय अपराध घोषित किया गया। मान्यवर, दु:ख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पर लगी हुई है कि जो आरक्षण का प्राविधान है, आरक्षण अधिनियम बना हुआ है वह निष्प्रभावी हो जाये।

मान्यवर, अभी लोक सेवा आयोग को जो पद भेजे गये थे उसमें भी अनियमितता की गयी है, सचिव का पत्र है उन्होंने लिखा है कि छानबीन करायें और नियुक्ति विभाग से पूछा है कि यह जो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लिए अभियाचन भेजा गया है वह त्रुटिपूर्ण है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के कितने पद बनते हैं इसकी जांच करायें। आपने जो त्रुटिपूर्ण अभियाचन भेजा है उसके कारण एस0 डी0 एम0 और अन्य अधिकारियों के पद भरे नहीं जा सकेंगे और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके पद बढ़ जायेंगे। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। मान्यवर, लोक सेवा आयोग की सूचना के अनुसार सरकार ने उत्तर नहीं दिया। इस तरह की अनियमितताएं भा0 ज0 पा0 सरकार में हो रही है। पहले राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा एक पुस्तिका प्रकाशित होती थी जिसमें सभी विभागों से सूचनायें मंगाकर कि वहां पर कितने पद हैं, उनमें कितने पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और कितने भरे गये हैं और कितने खाली हैं इनकी सूचना सभी विभागों से और निगमों से मंगाकर यह जानकारी प्रकाशित की जाती थी। लेकिन भा0 ज0 पा0 सरकार जबसे बनी तब से यह पुस्तिका प्रकाशन का काम बन्द कर दिया गया ताकि किसी को पता न चले कि अनुसूचित जाति के कितने पद होने चाहिये और कितने सरकार ने नहीं भरे हैं। आरक्षण कोटा जो पूरा नहीं किया गया है उस तथ्य को छिपाने के लिए यह कुचक्र रचा जा रहा है। कल संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि सेवा की अवधि को 58 साल से बढ़ा कर 60 साल करने पर विचार किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तरफ आप वित्तीय जर्जरता की बात करते हैं और दूसरी तरफ वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं। इसका मकसद क्या है। 2 साल में जो रिक्तियां होती हैं, वह भरी जातीं और उनको भरने में आरक्षण के प्राविधानों का अनुपालन करना पड़ता तो कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलता और सामान्य श्रेणी में भी वह 10-15 प्रतिशत तक सफल होते और उनको नौकरियां मिलतीं लेकिन 2 साल की समय सीमा बढ़ा कर इन वर्गों के लोगों को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। मैं इसके लिए उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिये 100 पद हैं आज से 20 साल पहले भरे गये होंगे तो उस समय यह कहकर कि अनुसूचित जाति के लोग उपलब्ध नहीं हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उस समय पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं था तो उस समय अनुसूचित जाति के लोगों कि लिए नाट अवलेबिल कह कर उनकी भर्ती नहीं की गई और आज जब उपलब्ध हैं तो कहा जा रहा है "अवलेबिल बट नाट सुटेबिल" कह कर इनकी नियुक्ति टाली जा रही है। इसी तरह से आप यूनिवर्सिटीज में देख लें, डिग्री कालेजों में देख लें वहां पर इन वर्गों के प्रोफेसर और लेक्चरर आपको चिराग लेकर ढूंढ़ने पर भी नही मिलेंगे। आज आई0 ए0 एस0 बनने के लायक शेड्यूल कास्ट का बेटा तो हो गया है लेकिन लेक्चरर और प्रोफेसर के काबिल नहीं है। भा0 ज0 पा0 सरकार जो चश्मा लगाये हैं उसको इस तरह की बातें नहीं दिखायी दे रही हैं। आज प्रमोशन को लेकर, आरक्षण का कोटा पूरा करने को लेकर, नौजवानों में आक्रोश है। वह विधान भवन के सामने धरना तथा प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम विभागों में डी0 पी0 सी0 हुई है लेकिन पता नहीं इस दिशा में क्या किया जा रहा है ? भर्ती को लेकर इन वर्गों के लोगों में असंतोष है, अधिकारियों और कर्मचारियों में असंतोष है। सरकार उनका कोटा न भरकर उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। इससे स्थिति विस्फोटक हो सकती है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है इसलिए इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने का कष्ट करें।

*श्री रामजग--

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों में कोटा पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में भारी असंतोष है। जब से भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों की सरकार आई है। यह सरकार आरक्षण का कोटा पूरा किये जाने से पीछे हट रही है। जो पद खाली थे उन पदों को भरा जाना था उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक कलम चलाकर साढ़े बारह हजार पदों को समाप्त कर दिया। जो पद खाली हैं उन पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों से कोटा पूरा होना था जब पद समाप्त कर देंगे तो कोटा कहां से पूर्ण होगा। जो ऊर्जा विभाग में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता के पद खाली हैं हर विभाग में हजारों की संख्या में पद खाली हैं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभियान चलाकर इन आरक्षित पदों को नहीं भर रही है। यह चिन्ता का विषय है।

आजादी के 53 साल बाद शिक्षण संस्थाओं में चाहे ब्वाई स्कूल हो, इण्टरमीडिएट हो, डिग्री कालेज हो, यूनिवर्सिटी हो सभी जगह आरक्षण का कोटा नहीं भरा गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं भर रही है। जहां तक पदोन्नति का सवाल है तमाम पद खाली हैं, हर विभाग में खाली हैं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पदोन्नति के मामले लटकाये हुए हैं। अन्य वर्ग के लोग उनमें चार्ज लेकर काम कर रहे हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और बाद में न्यायालय से स्टे ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की आरक्षण विरोधी नीति के चलते अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों में भारी असंतोष है। यह सरकार जो पद खाली हैं उनको समाप्त कर रही है, भर नहीं रही है। बिजली विभाग और दूसरे विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है, कहां से सरकार कोटा पूरा करेगी ? यह सरकार पूंजीपतियों की कृपा पर है व पूंजीपतियों को विभागों को सौंप रही है। यह गम्भीर विषय है। कहीं भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण पूरा नहीं किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार में दम है और अनुसूचित जाति की विरोधी नहीं है तो सदन में घोषणा करें कि अभियान चलाकर हर विभाग में कोटे को पूर्ण किया जायेगा और जो पदोन्नति के मामले इन वर्गों के लटके हुए हैं उसमें अर्हता में छूट देकर पदोन्नति का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति विरोधी नीतियों के चलते यहां भी आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि आरक्षण का कोटा पूर्ण करायें। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, तात्कालिक है। पूरे प्रदेश में आन्दोलन चल रहा है, धरने चल रहे हैं पूरे प्रदेश की जनता में आज असंतोष है, यह विषय गम्भीर है, तात्कालिक है, इसलिए सारे नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुण्ठा से ग्रसित होकर भारतीय संविधान के विपरीत आचरण कर रही है। मान्यवर, भारतीय संविधान में एक विशेष प्राविधान किया गया है कि देश और प्रदेश में जो शोषित और पिछड़े लोग हैं, उनको आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिले। संविधान के निर्माता यह जानते थे कि समायोजन करने वाले लोगों की नियति ठीक नहीं है इसीलिए आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई है। आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। आरक्षण कोटा पूरा किया जाना तो दूर आरक्षण वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के मुताबिक वरिष्ठता क्रम में आगे बढ़ने से रोक रही है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं श्री पूरन सिंह रावत, डिप्टी एस0पी0 हल्द्वानी में है। 85 कैडर के हैं लेकिन उनको एस0पी0 के कारण प्रमोशन नहीं दिया गया जबकि 86-87 बैच के पांच डिप्टी एस0पी0 को प्रमोशन दिया जा चुका है इसके बाद भी 12 अन्य लोगों को प्रोन्नति दी गई जबकि श्री रावत वरिष्ठता में एस0सी0 के कैंडीडेट की पात्रता रखते हैं।

यह सरकार वरिष्ठता क्रम में अनुसूचित जाति के लोगो को फायदा नहीं कराना चाहती है और अनुच्छेद 14, 15 का उल्लंघन कर रही है जिसमें व्यवस्था की गई है कि प्रोन्नति के समय जो प्राकृतिक न्याय है उसका पालन किया जाना चाहिए। दूसरे श्री अनन्तराम सिंह डिप्टी एस0पी0 को भी वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि वे एस0सी0 हैं। गंगा सिंह पांगती एई0 को एक्सीएन नहीं बनाया गया उनसे जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया। हाई कोर्ट ने आदेश 26. 4. 2000 को दिया, याचिका संख्या 190 बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में कि प्रमोशन किया जाय। सरकार ने पालन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट गई वहां याचिका एस0एल0पी0 इनकी खारिज हो गई और डाइरेक्शन हुआ कि प्राकृतिक न्याय के अनुसार वरिष्ठता क्रम में एक्सीएन बनाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के विपरीत कार्य कर रही है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार की नीयत साफ होती, लोक सेवा आयोग एक प्रतिष्ठित अधिष्ठान है, जो एक न्यायालय जैसी गरिमा रखता है। उसने जब अधियाचन मांगा तो इन्होंने जो सूची भेजी थी उसकी निन्दा करते हुए कहा अभी तक आरक्षण का कोटा पूरा क्यों नहीं किया गया ?

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री अधिष्ठाता --

मौर्य जी, यह सब पहले ही वर्मा जी कह चुके हैं। आप उन्हीं तथ्यों को रिपीट कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मौर्य जी, मैं उन्हें नहीं दोहरा रहा हूं। इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग था जो हर वर्ष इस प्रकार की सूची तैयार करता था कि अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, पिछड़ी जाति के कितने लोग हैं। मान्यवर, जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, इस प्रकार का लेखा जोखा जो आता था, वह देना बन्द कर दिया ताकि इनके काले कारनामें बेपरदा न हो जायं। अगर यह सरकार सम्वेदनशील है तो जैसा 1997 में सुश्री बहिन मायावती तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक विशेष अभियान चलाकर कोटा पूरा करने का काम क्यों नहीं करती हैं ? आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह आज तमाम संस्थाओं का निजीकरण कर रहे हैं जिससे कि आरक्षण लागू करने से इन्हें मुक्ति मिल जाय। मान्यवर, वह सभी निजीकरण की संस्थाएं जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित हैं, जो सरकार के सहयोग से चलती हैं, उनमें आरक्षण व्यवस्था लागू की जाय, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मौर्य जी, अब समाप्त करें। आप जैसे सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहेंगे। कृपया समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। आज मान्यवर, पूरे भारतीय संविधान की धज्जियां यह उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं।

*संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री--(श्री हुकुम सिंह) --

मान्यवर, यह भाषण पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यह कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यह कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट है। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की गरिमा बनाये रखें। नियमों में दिया है और आप इस तरह की बात कह रहें हैं, कम से कम सदन की गरिमा बनाये रखी जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले केवल इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि अगर यह बहुत ही सम्वेदनशील है तो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से एक न्याय देते हैं, आदेश कर दिया कि इसका क्रियान्वयन होना चाहिए तो आप लीपा-पोती करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह आप जो लीपा पोती करते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह किस मंशा से करते हैं ? कन्टैम्प्ट आफ कोर्ट करने की नीयत से करते हैं ? यह धज्जियां उड़ाने के लिए करते हैं मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों में आरक्षण कोटा पूरा न होने से बहुत रोष है। यह लोक महत्व का प्रश्न है इसमें सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, समाज का वह वर्ग जो बहुत लम्बे समय से अपने अधिकारों से वंचित रहा, उनका सामाजिक, शैक्षिक उत्पीड़न हुआ, उनको सम्मान अधिकार नहीं मिला, इसके आधार पर संविधान में व्यवस्थायें की गई, उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया ताकि समाज का वह वर्ग आगे बढ़ सके देश और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलता है सबको अवसर मिले सरकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, सबने प्रयास अपने-अपने स्तर से किया होगा लेकिन प्रयासों के बावजूद इन बातों से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उस समाज को जितना अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वर्तमान सरकार प्रयासों में पीछे रही है वर्तमान सरकार ने व्यवस्था की हैं, हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। 1994 का अधिनियम है अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए इसमें व्यवस्था है कितना पालन हो रहा है इसके बारे में स्पष्ट व्यवस्था है--"आरक्षण पूरा करने के लिए रोस्टर बनाया गया है, यदि किसी भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं होते तो एक रिक्ति वर्ष में तीन बार विशेष भर्ती की व्यवस्था की गई है। तीसरा आरक्षित वर्ग की रिक्तियों को अग्रेनीत कर भरने की व्यवस्था की गई है। चौथा, आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है। " आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिष्ठान में निरन्तर व्यवस्था की जाती है माननीय सदस्य मौर्या जी द्वारा कहा गया कुछ उनके द्वारा उल्लेख भी किया गया है नगर विकास के बारे में। अनुसूचित जाति के मुख्य अभियन्ता को प्रोन्नति दी जानी चाहिए इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि 2-5-2001 में डी0पी0सी0 बैठी परन्तु नियुक्ति नहीं हुई। 2-5-2001 को सम्पन्न हुई सम्बन्धित विभाग की चयन समिति की संस्तुति है, कार्यवृत्त बनता है, प्रोसीडिंग बनती है। आपको जानकारी होगी, विभागीय मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं जब तक हस्ताक्षर न हों प्रोसीडिंग पूरी नहीं होती। 17-5-2001 को अनुमोदन प्राप्त हो गया है। तैनाती का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ मंत्री जी के समक्ष विचाराधीन है। उसके बाद नियुक्ति होगी। ऐसा नहीं है उसको टाल दिया गया है आपने कई बातों के उदाहरण दिए। डी0एस0पी0 और कई अधिकारियों को लिखा गया उस विस्तार में जाएं बिना आप यह बात कहें कि हमारे मन में इस पार्टी के मन में कोई वेदना उस वर्ग के लिए नहीं है ? हमारे मन में भी उनके प्रति वेदना है।

हम समझते हैं 50 वर्ष में हमें ऐसी स्थिति में उस वर्ग को लाना चाहिए था कि वह अपनी हिम्मत पर बराबर के स्थान पर खड़ा हो जाता । केवल आरक्षण के स्थान पर ही नहीं, आर्थिक स्थिति भी सुधरनी चाहिए थी। पहले इस वर्ग को क्लास में जाने की अनुमति नहीं थी उनके लिए कक्षा की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था और आर्थिक रूप से सहायता यह उनको पहले मिल गई होती तो आप आरक्षण का मानक लेकर यहां खड़े न होते, आप केवल आरक्षण को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं आप अपनी मानसिकता बदलें इनमें कैसे विश्वास पैदा हो इसको देखना है। इस सरकार में श्री राय अरुण, डी0जी0पी0 हुए इस सरकार ने उन्हें बनाया, सर्वोच्च स्थान पर एक व्यक्ति बैठा है जो सारे पुलिस बल का संचालन करता रहा । इसी सरकार

में वर्तमान में प्रदेश का मुख्य मंत्री एक मुखिया का स्थान रखता है उसके सचिवालय में प्रमुख सचिव के पद पर कौन है, नगर विकास के प्रमुख सचिव के पद पर कौन है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर कौन है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

वह आपकी दया पर नहीं है। वह पहले से हैं। आपने डी0जी0पी0 को क्यों नहीं बनाया . . .

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मौर्य जी आप जो कुछ भी कहें, वह पीठ को सम्बोधित करके कहें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैंने मेहरबानी की बात कही नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

जो मेहरबानी का पद है वह मुख्य सचिव का पद है, डी0जी0पी0 का पद है उसमें क्यों नहीं बनाया।

श्री हुकुम सिंह--

इन्हें पता नहीं कहां से क्रोध के इंजेक्शन लग गये कि कभी सामान्य भी बात करते हैं तो डर लगता है कि कहीं कूदकर इधर न आ जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

आयेंगे लेकिन पांच-छः महीने बाद।

श्री हुकुम सिंह--

आप तो पहले भी आ चुके हैं। आयेंगे तो छः महीने के लिए। हमारे साथ ही आयेंगे। तो मान्यवर, मैं दृष्टिकोण की बात कह रहा था। मेहरबानी की बात से मेरा विरोध है।मैंने जिस अधिकारी का नाम लिया वह मेहरबानी का मोहताज नहीं है और वह अपनी मेरिट से आये हैं। मान्यवर, एक पीड़ा मेरे मन में है, कृपापूर्वक अवसर देंगे। अवसर तो हर एक को मिला और उस वर्ग को उस स्थान पर बैठने का अवसर मिला था जो दलित और शोषित कहा जाता था। अगर मानसिकता रही होती तो मैं उम्मीद करता था कि वह समाज और वह वर्ग, उस समाज के लिए कुछ करके जाता। खाली आकर पार्क बना दिया, उड़नखटोले पर घूमने लगे, यह कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का हमारा दायित्व है। आप जाति वाद के नाम पर तोड़ना चाहते हो, आपने विघटनकारी ताकतों को जन्म दिया है, उसको प्रोत्साहन दिया है इसके अलावा आपकी कोई और सोच नहीं है। आपको इस वर्ग की चिन्ता है तो हाथ मिलाकर चलिये। सामाजिक समरसता क्या होती है हम इसका परिणाम दिखायेंगे।

श्री बी0आर0 वर्मा --

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(श्री राम विशुन आजाद के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता जी--

आजाद जी आप बैठ जायें।

श्री बी0आर0 वर्मा --

मान्यवर, मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का तीन चार बिन्दुओं पर उनका संज्ञान लेने की कोशिश की थी न कि राजनीतिक रूप के आधार पर कहना चाह रहा था । मान्यवर, यह जानना चाहा था कि विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था बहन मायावती जी की सरकार में कि जो आरक्षण कोटा अनुसूचित जाति जनजाति का बाकी है उसको भरने के लिए जिस पर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के द्वारा कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण कोटा एक साथ नहीं भरा जा सकता है। हम लोग का प्रयास था कि 100 प्रतिशत विशेष भर्ती अभियान चलाकर नियुक्तियां की जायें उस पर रोक लग गयी। उसके लिए क्या मंत्री जी और उनकी आरक्षण समर्थक सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में जायेगी। क्या उस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन करके आरक्षण अधिनियम में कोई इस तरह की तब्दीली करने की कोशिश की है जिससे आरक्षण कोटा पूरा हो सके।

मान्यवर, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की हर साल पुस्तिका छपती है आरक्षण विषयक तो क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह राष्ट्रीय एकीकरण विभाग पुस्तिका छापकर हर विभाग से निगम से या सरकारी विभाग से या ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं से उन सारी जगहों से सूचना मंगवाकर यह जानकारी देने का काम करेगा कि आरक्षण कितना पूरा है और कितना नहीं और उस पुस्तिका को बंटवाने का काम किया जाये या सरकार उस पर कोई श्वेत पत्र जारी करने का काम करेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न वर्षों में जो उनके यहां अधियाचन भेजे गये हैं जांच करके कार्मिक विभाग को पत्र लिखा कि यह जो आपने अधियाचन भेजा है त्रुटिपूर्ण रहे अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जो कम चयन हुए हैं उसमें संशोधन करने का काम करें ताकि और अभ्यर्थी चयनित कर जो अन्याय हुआ है उसको दूर किया जा सके ।

मान्यवर, जो हमारे मेडिकल कालेज हैं इंजीनियरिंग कालेज हैं इसको आप एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में विकसित कर रहे हैं ताकि आरक्षण लागू न होने पाये आप उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो वहां आरक्षण का प्राविधान पूर्ण रूप से लागू हो सके इसके लिए कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, कई प्रश्न इकट्ठे पूछे हैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का । मान्यवर, जो राष्ट्रीय एकीकरण से पुस्तिका छपने की बात है मैं स्वीकार करता हूं और वह पुस्तिका निश्चित रूप से छपेगी और वह पुस्तिका नहीं छापी गयी, कारण क्या रहे, उसको हम देखेंगे। मान्यवर, अधियाचन के बारे में कहा गया है कि त्रुटिपूर्ण रह गया हम इसका परीक्षण कर रहे हैं जो त्रुटि रह गयी हैं उसको दूर किया जायेगा। मान्यवर, जहां तक मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज को, जो स्वायत्तशासी बनाने की बात है बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी को आरक्षण से निकालकर वहां भेजने की बात नहीं है वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके बारे में विचार चल रहा है कि कैसे उसे सुदृढ़ किया जाये उसका आशय यह नहीं कि हम किसी वर्ग को वंचित कर रहे हैं। मान्यवर, एक शब्द तो धन्यवाद का सुनना चाहता था कि पहली बार किसी दल ने दलित वर्ग की किसी महिला

को इस उच्च स्थान पर बैठने का दायित्व निभाया और मान्यवर, वह नक्शा आपके सामने हो गेस्ट हाउस में बहनजी की क्या हालत थी, किन लोगों की वजह से और किस दल के लोगों ने उनको बचाया, इसका श्रेय तो इसी दल को है। मान्यवर, इस सूचना को कृपया निरस्त किया जाये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसे निरस्त कर रहा हूं। अगली सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, जिस तरह से आरक्षण के बारे में उत्तर मांगा गया उसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यह आरक्षण विरोधी सरकार है।

[बहुजन समाज पार्टी के श्री आर0 के0 चौधरी, श्री लालजी वर्मा, श्री राम ललित चौधरी, श्री रामफेर उपाध्याय, श्री राम अचल राजभर आदि अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे।]

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आसन ग्रहण करें।

[श्री अधिष्ठाता द्वारा बार-बार यह आग्रह कि माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें, के बावजूद भी सदन के फ्लोर में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे--जिससे सदन में व्यवधान बना रहा।]

श्री अधिष्ठाता--

मैं आधा घंटे के लिए सदन स्थगित कर रहा हूं।

[घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 10 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजकर 10 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।]

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, आज संसदीय कार्य मंत्री जी से आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या कोई विशेष भर्ती अभियान चलाकर आरक्षण कोटा को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण दे दें कि सरकार की मंशा क्या है, क्या विशेष भर्ती अभियान चलाकर रिक्त कोटा को पूरा करने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्य जी, अधिष्ठाता के सामने यह प्रकरण समाप्त हो गया है। मैं समझता हूं कि अभी जो विभिन्न अनुदान की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत होने वाली हैं, आगे आने वाले दिनों में। आरक्षण का प्रश्न तो किसी एक विभाग से जुड़ा नहीं है, अनेक विभागों से जुड़ा हुआ है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, अगर इनकी मंशा है तो स्पष्टीकरण दे दें।

श्री अध्यक्ष--

जब विभिन्न विभागों की अनुदान की मांगें आयेंगी तो उसमें भी आप उल्लेख कर सकेंगे, उस समय आपको ज्यादा विवरण प्राप्त हो सकेगा। अभी अनेक अवसर आयेंगे। आपका जो स्पष्टीकरण है, मैं संसदीय कार्य मंत्री से पूछ लेता हूं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि कार्यवाही चले।

श्री राम जग--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है। आज सरकार इस सदन में आश्वासन दे कि आरक्षण को कोटा अभियान चलाकर पूरा करेंगे और पदोन्नति के जो भी पद खाली हैं, क्या पदोन्नति के खाली पदों को भरने का काम आप करेंगे, यह स्पष्ट हो जाये। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, मैं उनसे पूछ लेता हूं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, स्वयं मौर्य जी ने और वर्मा जी ने उसका उल्लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हुआ। मान्यवर, प्रदेश सरकार एक व्यवस्था के अन्तर्गत संविधान की धाराओं के अन्तर्गत कार्य करती है उनका उल्लंघन करना न तो किसी सरकार के लिए सम्भव है और न हमारे लिए सम्भव है और संविधान का इण्टरप्रिटेशन करने का अधिकार मा0 उच्च न्यायालय और मा0 सर्वोच्च न्यायालय को भी है। जो कानून आज प्रदेश और देश में है उसके अनुरूप हर सम्भव हम कार्यवाही करेंगे कि आरक्षण कोटा पूरा हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, आपने संविधान और न्यायालय की बात कर दी। तमिलनाडु में, केरल में, आन्ध्र प्रदेश में वहां पर 67 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 63 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है तो आप उस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी यह लाभ देने के लिए, आरक्षण कोटा को पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ? यह भी बता दें।

श्री अध्यक्ष--

वह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए आप अलग से प्रश्न कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा साफ नहीं है। यह संविधान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी है। इनके आरक्षण विरोधी रवैये को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी मा0 सदस्य नारे लगाते हुये सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री राम जग--

माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी का जो बयान है उससे स्पष्ट है कि यह सरकार आरक्षण का कोटा पूरा नहीं करना चाहती, यह दलितों की विरोधी सरकार है। इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री राम जग ने भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष--

अगली सूचना पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह की सुरक्षा व्यवस्था में कमी विषयक तीन माननीय सदस्यों की है। श्री रघुवर दयाल वर्मा, डा0 अशोक बाजपेयी एवं कुंवर रेवती रमण सिंह जी की है। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देख रहा है। इस सूचना को आज मैं स्थगित करता हूं। जिस दिन कहूंगा उस दिन दे दीजियेगा।

तीसरी सूचना माननीय रामवीर उपाध्याय जी की भी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में हैं इसको भी मैं देख लेता हूं । चौथी सूचना श्री अकबर हुसैन जी की है । अकबर हुसैन जी अनुपस्थित हैं । पांचवी सूचना श्री विनोदमणि जी की है ।

*श्री विनोद मणि--

मान्यवर, प्रदेश सरकार के अविवेकपूर्ण निणर्य से हमारे जनपद की जनता 18 तारीख से आन्दोलित हैं। 18 तारीख को जनता ने छः घण्टे तक नेपाल जाने वाले मुख्य मार्ग को जाम रखा। सुनौली में 19-20 तारीख को जाम करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया । यह घटना मात्र जनपद के दो तस्करी में लिप्त थानेदारों से सम्बन्धित है । जांच से यह सिद्ध हो गया कि वह तस्करी में लिप्त हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि नेपाल की सीमा पर हमारा जनपद स्थित है। तस्करी की घटनायें आये दिन प्रकाश में आती हैं । मान्यवर, एक तस्कर महराजगंज थाने में पकडा गया जिसकी जेब से पत्र मिला वह पत्र किसी सामान्य आदमी का नहीं था वह उसी थानेदार का पत्र था जिसने तस्कर को लिखा कि थानेदार होने के बाद हमारे रेट में 50प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाय । इसकी जांच पुलिस अधीक्षक, महराजगंज ने सी0 ओ0 से करायी और जांच में यह पाया गया कि थानेदार जो बार्डर के थानों में तैनात हैं, तस्करी में लिप्त हैं ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है,हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछ लेते हैं ।

श्री विनोद मणि--

मान्यवर, पूरी बात आ जाये । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपका निर्णय चाहे जो हो, स्थानान्तरण करना आपका काम है, हमें कोई आपत्ति नहीं है । एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक महराजगंज ने एक पत्र डी0जी0पी0 को लिखा और उसमें साफ-साफ लिखा कि इन थानाध्यक्षों को पुनः उन थानों में तैनात करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से बराबर दबाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा पुलिस अधीक्षक पद पर रहकर कार्य करना मुश्किल हो रहा है। उस पत्र की गम्भीरता को देखते हुए डी0पी0जी0 ने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा कि ऐसी परिस्थिति में एस0 पी0, महराजगंज का स्थानान्तरण पुलिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग के लिए उचित नहीं होगा । इसके बावजूद एस0पी0 को स्थानान्तरित कर दिया गया। हमारे जनपद के दो माननीय मंत्री हैं . . .

(इस समय 2 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पुन: पीठासीन हुए।)

मान्यवर, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा डी0जी0पी0 पर लगातार दबाव डाला जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मान्यवर, एक मामला ऐसा भी है कि जो अधिकारी ईमानदार होते हैं जिन्हें लोग जानते हैं कि यह ईमानदार है। वह चाहते हैं कि वह अधिकारी वहां पर रहे तो ऐसे अधिकारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। मान्यवर, वह अधिकारी जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है उनसे सेवा लेनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह व्यवस्था चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में आज इसके विरोध में तमाम धरने प्रदर्शन करे जा रहे हैं, लोग सड़कों को बन्द कर रहे हैं, बाजार बन्द करवा रहे जिसका असर सामान्य जनजीवन पड़ रहा है। इसलिए मान्यवर, यह जो विरोध जताया जा रहा है, मेरे इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, किसी भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी का स्थानान्तरण करने का काम सरकार अपने विवेक से करती है कि किसको कहां रखना ठीक होगा और कहां नहीं, यह सरकार देखती है। इसमें गुणदोष के आधार पर जो शासन ने निर्णय लिया वही किया गया है, यह कार्य-स्थगन का सवाल नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय विनोदमणि और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं कार्य-स्थगन के रूप में इसको निरस्त करता हूं लेकिन इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

छठी सूचना श्री राम बिशुन आजाद एवं श्री राम औतार शाक्य जी की है, जो कि प्रदेश में गिद्ध पक्षी की संख्या में निरन्तर कमी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। सातवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू एवं श्री राधेश्याम जायसवाल की है जो कि जनपद सीतापुर स्थित कताई मिल सहित अन्य कताई मिलों के मजदूरों द्वारा मिलों की बन्दी को लेकर विधान भवन के सामने किये जा रहे धरना-प्रदर्शन के सम्बन्ध में है। इस सूचना पर भी शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। आठवीं सूचना श्री अरविन्द गिरि की जो कि जनपद लखीमपुर में शहर के मध्य प्रमुख व्यापारी जसवंत सिंह व उनके परिवार की सामूहिक हत्या व लूट का खुलासा होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में है। इस सूचना पर भी शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

माननीय प्रमोद कुमार जी की सूचना पर विशेष उल्लेख के रूप में मैं माननीय प्रमोद कुमार जी को अनुमति दे रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आपका ध्यानाकर्षण कर रहा हूं। मान्यवर, महंगाई एक ऐसा विषय है जिसमें चाहे सत्तापक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों या सामान्य लोग हों आज सभी इससे प्रभावित हैं। लेकिन इससे सबसे अधिक

प्रभावित मध्यमवर्गीय लोग हैं आज कोई तबका ऐसा नहीं है जो इस महंगाई की मार को न झेल रहा हो खासतौर से गरीब और किसान लोग हैं जो अपनी फसलें बेचकर अपनी बसर करते हैं। मान्यवर, महंगाई दो तरीके से हो रही है। एक तो लागत मूल्य बढ़ जाने से और दूसरी महंगाई हमारे सामने काला बाजारी के कारण आ रही है जिससे महंगाई बढ़ रही है। मान्यवर, आज जो रासायनिक खादों के दाम निर्धारित हैं, उससे कई गुना अधिक मूल्य पर वह किसानों को प्राप्त हो रही है, लोग मनमाफिक भाव से बिक्री कर रहे हैं। मान्यवर, साग-सब्जियों का दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं जो आलू है, सब्जी के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आज यह भी सामान्य लोगों के लिए मुश्किल हो गया है आज इसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं जिससे सामान्य जनजीवन मुश्किल हो गया है। इस वर्ष आलू के उत्पादन में कमी आई है इसका कारण पिछले वर्ष लोगों ने आलू बोया था, इतना अधिक पैदा हुआ था, वह स्टोरों में नहीं लिया गया लोगों का नुकसान हुआ यह सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ। मान्यवर, जो आलू 1 लाख 15 हजार 144 रुपये टन था अब वह 80 हजार टन हुआ है। जरूरत की जो सब्जियां हैं उनके दाम में बढ़ोत्तरी हुई है, चीनी महंगी हो गयी है। मान्यवर, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महंगाई न बढ़ी हो। मान्यवर, लखनऊ में बम्बइया आम 25--30 रुपया किलो हो गया, लीची 35--40 रु0 किलो, खरबूजा 15--20 रु0 किलो, तरबूज 15 रु0 प्रति पीस, सेब 35--40 रु0 किलो, संतरा 25 रु0 प्रति दर्जन, केला 10--18 रु0 दर्जन, अंगूर 25--35 रु0 प्रति किलो, गाजर 4-5 रु0 किलो, ककड़ी 10 रु0 दर्जन, खीरा 10 रु0 दर्जन। तो मान्यवर, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आवश्यक वस्तुएँ बाजार में उपलबध नहीं हैं जो उपलबध हैं जैसे रासायनिक खाद, मिट्टी के तेल, डीजल बढ़े दामों में मिल रहे हैं।

मान्यवर, इस सरकार के राज्य में सबसे सस्ती इंसान की जान है। मान्यवर, जो मंत्री हैं--10 लाख, 20 लाख की चाय पी जाते हैं, जो 1 करोड़ रुपया पाकेट मनी के रूप में ले रहे हैं। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिस पर महंगाई का असर न हो। मान्यवर, महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी है। गरीब आदमी हो, जो तनख्वाह पाता हो या फसल पैदा करके किसान अपने एक सीमित संसाधन में अपना जीवन व्यतीत करता है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं सब महंगी हो गयी हैं। गैस जो 155 रु0 की बिकती थी वह बढ़कर 242 रु0 की हो गयी है। मान्यवर, मिट्टी का तेल जो हर घर में इस्तेमाल होता है और हर गरीब आदमी की जरूरत है। रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए 6 रु0 था, अब 9.13 पैसे लीटर हो गया है। मान्यवर, आज डीजल जो इधर से उधर लाने के लिए इस्तेमाल होता है उसकी कीमत 15 रुपये 18 पैसे से बढ़कर 18 रुपये, 19 रु0 हो गयी है। केला 18 रु0 दर्जन हो गया है, गाजर मिलना मुश्किल हो गया है। 7-8 रुपया किलो आलू बिक रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज कीमत आसमान छू रही है। हर चीज महंगी हो गयी है। अगर यह महंगाई नहीं रोकी गयी तो जो किसान हैं या वेतन पाने वाले कर्मचारी जो कम तनख्वाह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका जीवन-यापन करना मुश्किल हो जायेगा। अत: मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, किसी चीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना यह सरकार का दायित्व है। जो भी जीवन के लिये उपयोग खाद्य सामग्री या पदार्थ हैं उनकी उपलब्धता बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आलू का आपने उल्लेख किया कि वह महंगा हो गया आपको जानकारी है कि आलू की हमारी आवश्यकता 40--45 लाख मीट्रिक टन है। आलू का उत्पादन 65 लाख मी0 टन हुआ है इसको देखते हुये इसकी कमी नहीं होगी। पहले भी यह बात उठायी गयी थी कि इसका भण्डारण नहीं हुआ। इसका भण्डारण इसलिये नहीं हुआ कि उस समय इसके भाव अच्छे मिल रहे थे इसलिये इसके भण्डारण में किसानों को कोई आकर्षण नहीं हुआ। इसके दामों में जो फर्क हुआ है वह थोड़ा बहुत हुआ है ऐसा नहीं है कि दाम आसमान को छू रहे हैं। मान्यवर, तरबूज और खरबूजे की बात कही। बागपत, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मशहूर स्थान है खरबूजे के लिये। लेकिन कौकब हमीद साहब जबसे विधायक बने हैं तबसे खरबूजा किसी को मयस्सर नहीं हुआ है।

मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जबसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है तमाम चीजें, इलेक्ट्रानिक गुड्स आ गये हैं, तमाम चीजें आ गयी हैं यहां तक कि फल और सब्जियां बाहर से आने लगे हैं। इसके लिये हमें चिन्ता करनी चाहिये ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है उसके लिये यह स्टेटस सिंबल हो जाता है कि जब तक आयातित चीजें टेबिल पर न रख लें उनकी मेहमानबाजी पूरी नहीं होती है। लेकिन ऐसी चीजें बाहर से आने पर हमारे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जो विभाग हैं जैसे बागवानी विभाग, कृषि विभाग तो यह प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उत्पादनों की गुणवत्ता बढ़ायी जाय ताकि हमारा निर्यात करने का कार्यक्रम आगे बढ़ सके। इसके अलावा जिन चीजों का उल्लेख किया गया उनकी कमी नहीं है। डीजल, मिट्टी के तेल के बारे में बता दें कि कहां पर नहीं मिल रहा है। इसके जो भाव हैं वह तो सारे देश में एक होंगे। इसलिये मेरा आग्रह है कि इस सूचना को निरस्त करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर,बड़ी सफाई से जिन बातों को नहीं कहना था उनको कह दिया और जिनको कहना था कि उनके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी ने नहीं कहा। आज रासायनिक खाद, मिट्टी का तेल, डीजल के दाम बढ़े हैं, इनके दाम भारत सरकार तय करती है लेकिन इनकी उपलब्धता दोनों सरकारें मिल कर करती हैं । मेरा कहना है कि इन चीजों के जो दाम निर्धारित हैं उस मूल्य पर यह बाजार में नहीं मिल रही हैं। सारी चीजें महंगी हैं सिर्फ इंसान की जान को छोड़कर। आज यह सरकार संवेदनहीन हो गयी है। सरकार का आचरण गैर जिम्मेदारान और अविवेकपूर्ण हो गया है। यह सरकार संवेदनहीन हो गयी है। महंगाई को न रोक पाने के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री कौकब हमीद--

सरकार इस मँहगाई जैसे गम्भीर विषय पर संवेदनशील नहीं है। अत: सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री कौकब हमीद ने भी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में विलारी तहसील है वहां की जनता, अधिवक्ता वर्ग व शिक्षित वर्ग सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1988 में तहसील विलारी का विभाजन हुआ था उस समय तहसील विलारी का मुंसिफ न्यायालय उसके उप नगर चंदौसी में स्थापित था उसी समय से जनता लगातार यह मांग करती रही है कि जब विभाजन हो गया तो मुंसिफ न्यायालय तहसील हेडक्वार्टर के साथ हो , मुंसिफ न्यायालय चंदौसी में कार्यरत है उसे विलारी में शिफ्ट कर दिया जाए। यह मांग 10 साल से लगातार चलती रही उसे अब शिफ्ट तो किया जा रहा है लेकिन जो शासन की नीति है सुलभ न्याय दिलाने की उसके विपरीत विलारी न करके मुरादाबाद में शिफ्ट कर रहे हैं वहां की जनता इससे आंदोलित है धरना प्रदर्शन कर रही है। इससे तो आसमान से टपका खजूर पर अटका वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, अगर शिफ्ट करना है तो शासन की नीति और वहां की जनता की मांग के अनुसार विलारी तहसील मुख्यालय पर ही शिफ्ट करना चाहिए। नहीं तो चंदौसी से मुरादाबाद शिफ्ट करने का क्या औचित्य है इससे जनता की कठिनाई ज्यों की त्यों रहेगी। मेरी मांग है कि जनता की मांग के अनुसार इस पर सरकार कार्यवाही करे वह इस गम्भीर प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री हुकुम सिंह--

जो सूचना सदस्य ने दी है उसका परीक्षण करवा लेंगे। न्यायालय को स्थापित करना और न्यायालय को शिफ्ट करना उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है भी नहीं। फिर भी आपने जो बात कही है उसका संज्ञान लेते हुए देख लेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रस्तुत सूचना पर श्री अकबर हुसैन व संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए इसको निरस्त करता हूँ।

श्री अरविन्द गिरि--

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं, श्री रामविशुन आजाद अपनी बात दो मिनट में कह दें।

*श्री रामविशुन आजाद--

अधिष्ठाता महोदय, आज देश और प्रदेश में पर्यावरण की सबसे ज्यादा चिन्ता बनी हुई है। इस सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई । आज उत्तर प्रदेश में गिद्धों की संख्या गिरती जा रही है। जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। वर्ष 1990 से लेकर 1995 तक गिद्धों की संख्या में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। इसे रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। 1990 में गिद्धों की संख्या 20,000 थी, जो 1999 में घटकर 15000 पहुँच गयी जो सरकारी गिद्धों के बराबर है। ब्रिटेन की साइंस पत्रिका ने सर्वे कराया व जो अध्ययन हुआ उसमें कहा गया है कि अगर पक्षियों को नहीं बचाया गया तो 11 प्रतिशत पक्षियों का भविष्य खतरे में है। और जो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती का विषय बना है वह पक्षी आज लुप्त हो गया है।

नोट : --वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

गाँव में जानवरों के मरने पर उनके शरीर को साफ करता था ऐसे पक्षी के न रहने पर पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है। बाम्बे नेशनल सोसाइटी की सहायता के लिए विदेशी विशेषज्ञों ने जांच की और जांच में पाया कि गिद्धों के गुर्दे खराब हो रहे हैं और उनका कलेजा सफेद हो रहा है इसलिए गिद्ध मरते जा रहे हैं। पारसी समुदाय में यह विषय चिन्ता का बना हुआ है। उनके यहाँ जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको ऊँचे स्थान पर रखा जाता है बाम्बे में संस्था ने तीन करोड़ रुपये दिया है गिद्धों को बचाने के लिए लेकिन उत्तर प्रदेश और इस देश की सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। गिद्धों को बचाने के लिए कोई योजना बनाई जाय और पर्यावरण को बचाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे। बहुत ही महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय सवाल है सुनने लायक है, गिद्धों के बिना पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा, यदि ऐसा हुआ तो समाज का कोई नेता जिंदा नहीं रह सकता । पर्यावरण को बचाने के लिए गिद्धों को बचाया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, गिद्ध तो इधर भी हैं उधर भी और इधर से उधर गिद्ध दृष्टि डाली जा रही है तो सदन का पर्यावरण दूषित हो रहा है ।

श्री राम बिशुन आजाद--

उधर तो (XXX) बैठे हैं जो पूरे प्रदेश को खाये जा रहे हैं ।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं किसी विशेष प्रजाति के बारे में नहीं कह पाऊंगा कि कौन प्रजाति कहां बैठी है लेकिन गिद्धों का लुप्त होना चिन्ता का विषय है । ये गिद्ध सारे माहौल की सफाई करते है गंदे माहौल की, मृतक पशुओं का भोजन करते हैं और गिद्धों का स्थान हमारी संस्कृति में रहा है । ये भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि सारे विश्व से लुप्त हुये हैं। अमेरिका मे एक पार्क बनाकर कोशिश की जा रही है कि कैसे इनको जीवित रखा जा सके ? कोई भी वैज्ञानिक यह खोज करने में कामयाब नहीं हो सका है कि गिद्ध लुप्त होने का कारण क्या है ? इस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे इस पक्षी को जो पयार्वरण शुद्ध करने में सहायक होता है जीवित रखा जाय । प्रजातियों का जिक्र किया गया जहां-जहां बैढ़ी है मैं उसका संज्ञान ले रहा हूं । गिद्ध दृष्टि तो बहुत ही पुराना मुहावरा है । आज तो आपका कवित्व हृदय हो गया इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ । जिस शान्त पक्षी के बारे में अशांत भाव से आपने बात रखी है । वह पक्षी है ही नहीं । मेरा आग्रह है कि इस विषय पर 2 ढाई धंटे चर्चा हो चुकी है । एक दो दिन में पर्यावरण के ऊपर बजट आने वाला है । बच्चा पाठक जी उस पर विस्तार से अपने विचार रखेंगे । आपको, यदि पर्यावरण के सम्बन्ध में कुछ कहना हो तो उस दिन कह लीजियेगा । मान्यवर,इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था दे देगें तो फिर उसके बाद मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, आप जानते हैं इस लिये जरा मैं एक बात कह लूं । मेरा सिर्फ सुझाव है कि आज कल बहुत से राज्य मंत्री हैं,उनके पास कोई काम नहीं हैं । आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, एक गिद्ध मंत्रालय बनवा दीजिये उसमें 3/4 असन्तुष्ट जो इधर बैठे हैं वे भी सन्तुष्ट हो जायेंगें और आपके राज्यमंत्री को भी काम मिल जायेगा ।

नोट :- [xxx] श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुँवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जैसा कि अभी राम बिशुन आजाद जी ने कहा और माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने भी इसको माना कि यह प्रजाति विलुप्त होती जा रही है । यह चिन्ता का विषय है । अमेरिका का उल्लेख माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने किया कि वहां पर गिद्धों को बचाने के लिये एक वल्चर पार्क बनाया गया है । क्या उत्तर प्रदेश सरकार में भी गिद्धों को संरक्षण देने के लिये, उनको बचाने के लिये यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था करेगी ? जैसे कि कुकरैल में मगरमच्छों के लिये क्रोकोडायल पार्क बना रखा है । मान्यवर, जब आप व्यवस्था दें तो सरकार को इसके लिये भी निर्देशित करें।

श्री हुकुम सिंह--

कुँवर साहब बात में से बात निकालने में माहिर हैं । बचाया तो उसे जाये जो हों । बड़ी विकट स्थिति है । जैसी कि मुझे जानकारी है, यह इस वक्त नहीं है । मैंने पहले भी कहा कि यह चिन्ता की बात है और इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर जो संभव उपाय होंगे, किये जायेंगें।

श्री अधिष्ठाता--

मैं इस सूचना पर पहले ही शासन का ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गयीं, अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं -- श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री राम चन्द्र यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री मूलचन्द्र, डा0 वकार अहमद शाह एवं श्री सौलत अली, डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री सौलत अली एडवोकेट एवं श्री मूल चन्द्र, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री राजेन्द्र यादव एवं रामस्वरूप सिंह।

श्री राम बिशुन आजाद--

मान्यवर, यह सरकार गिद्धों को बचाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है न कोई योजना बनाने जा रही है। यह सरकार जो हमेशा कहती है कि पर्यावरण के लिये हम कई योजनाएं चला रहे हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार द्वारा इस ओर कोई प्रयास न किये जाने के कारण मैं सदन से वाक आउट कर रहा हूँ।

(असन्तुष्ट होकर श्री रामबिशुन आजाद ने सदन का त्याग किया)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान-39, भाषा विभाग अनुदान संख्या 72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा, भाषा मंत्री (डा0 नैपाल सिंह) --

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,94,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक

शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,28,37,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, भाषा विभाग पर प्रारम्भ में एक कार्य था संविधान ऐक्ट, नियमों तथा अन्य चीजों का, जो अंग्रेजी में होती थी उनका हिन्दी में अनुवाद करना। समय के साथ-साथ इसकी सीमायें बढ़ी। सीमायें बढ़ने के साथ कुछ संस्थान एकेडमी शामिल हो गए। प्रदेश में 8 संस्थान और एकेडमी हैं उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, हिन्दुस्तानी एकेडमी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, स्व0 फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल एकेडमी उत्तर प्रदेश, सिन्धी एकेडमी, उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी।

हिन्दी संस्थान की जो कार्य सीमायें हैं उसमें हिन्दी के साहित्यकारों को सम्मानित करने के साथ ही हिन्दी के ग्रन्थों का प्रचार करने, पुराने ग्रन्थों को पुनर्जीवित करने, बिक्री हेतु प्रदर्शन करने, यह कार्य सीमा है, इसके लिए 2001 में 20 हजार प्लान से और 90 हजार नान प्लान से धन की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें जो सम्मानित किये जाते हैं वह पुरस्कार है भारत भारती सम्मान, यह 2 लाख 51 हजार का है, लोहिया साहित्य सम्मान यह दो लाख का है। हिन्दी गौरव सम्मान यह भी दो लाख का है, महात्मागांधी साहित्य सम्मान यह दो लाख का है, अवन्तीबाई सम्मान भी दो लाख का है। साहित्य भूषण सम्मान है इसमें प्रत्येक में दस हैं और 50 हजार दिए जाते हैं लोक भूषण सम्मान 50 हजार का है, कला भूषण सम्मान है, पत्रकारिता भूषण सम्मान है यह 50 हजार का है इस तरह से सम्मानित किया जाता है। संस्कृत संस्थान है जैसा कि हिन्दी में कार्यप्रणाली की सीमायें हैं उसी प्रकार संस्कृत संस्थान की सीमायें हैं। इसमें संस्कृत का प्रचार तथा संस्कृत को जन-जन की भाषा बनाने, पुराने ग्रन्थों को पुनर्जीवित करना, सबसे बड़ी बात बजट की यह है कि हर वर्ष संस्कृत भाषा एवं पुरोहित शिक्षण होता था, शिक्षण संचालन हेतु केन्द्र सरकार ने दस हजार 25 लाख रुपये का अनुदान दिया है जिसको प्रेक्षण कार्यों में लगाया जाएगा। इसमें संस्कृत के विद्वानों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार हैं। विशेष भारती पुरस्कार, विशेष पुरस्कार, वेद पंडित पुरस्कार, नामित पुरस्कार, विशेष पुरस्कार, विविध पुरस्कार, हिन्दुस्तान एकेडमी। मान्यवर, इसमें कार्य सीमायें विभिन्न भाषाओं के लिए बढ़ा दी गई हैं। हिन्दी, उर्दू, बृज, अवधी भाषायें इनका प्रचार करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाना, गोष्ठियां करना, किताबों का प्रकाशन करना जैसी दूसरी संस्थाओं का कार्य है वैसे इसके कार्य हैं। इसके लिए वर्तमान में 10 लाख रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान इसका काम विभिन्न भाषाओं, बोलियों, लोक भाषाओं का प्रकाशन करना और प्रचार करना और यह भाषा संस्थान की 10 करोड़ की निधि है उसके ब्याज से यह चलता है। इसमें प्रकाशन होता है। शब्द कोष हिन्दी और अंग्रेजी का और दूसरा उपयोग यह है कि जो अंग्रेजी का संविधान है या ऐक्ट है उनका हिन्दी में ट्रांसलेशन करके कार्यालयों को भिजवाना। इसके लिए बजट में उसके ब्याज से कार्य किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी- उर्दू भाषा का प्रकाशन करना उनका विक्रय तथा साथ ही साथ उर्दू की गोष्ठियां, मुशायरा करना आदि है। इसके लिए इस वर्ष बजट में प्राविधान 67.1 लाख रुपये का है। यह फखरुद्दीन अली मेमोरियल सोसायटी- यह उर्दू से भिन्न है। इसमें उर्दू का प्रचार प्रसार करना, प्रकाशन करना इसके अलावा इसमें उर्दू के अच्छे शोध कर्ताओं को शोध कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है इसके लिए इस वर्ष बजट में प्राविधान 12.00 लाख का है।

मान्यवर, सिन्धी एकेडमी- इसकी स्थापना 1997 में हुई इसका काम सिंधी की पुस्तकें छापना, सिंधी भाषा का प्रचार प्रसार करना और सिंधी पुस्तकों का ट्रांसलेशन। इसके इस वर्ष बजट में प्राविधान 5.1 लाख रुपये का है। पंजाबी एकेडमी- इसकी स्थापना भी 97 में हुई। इसमें गोष्ठियां और पंजाबी भाषा की किताबों का एकत्रीकरण और इसके लिए इस वर्ष बजट में प्राविधान 1.05 लाख रुपये का है। तो यह एक सूक्ष्म कार्य प्रणाली है। जो कार्य सीमायें हैं भाषा विभाग की वह मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी है और मेरा सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बजट की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, पढ़वा सब दिया है। यह पूरा भाषण ही कर दें।

(समय 3 बजकर 20 मिनट।)

डा0 नैपाल सिंह--

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा प्रदेश के प्रत्येक परिवार से जुड़ी हुई है और इस नाते हमारा प्रयास रहा है कि इस विभाग का लाभ प्रदेश के प्रत्येक परिवार को पहुंचे और उसी के कारण हमने इस बजट का उपयोग चार बिन्दुओं को लेकर किया है शिक्षा का विस्तार और विकास दूसरे शिक्षा में सुधार और सुविधायें। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा में उत्तरांचल के निकल जाने के बाद 11,524 विद्यालय चल रहे हैं ये विद्यालय 3 प्रकार के हैं एक वह विद्यालय हैं जिनका बोझ पूरा सरकार लेती है और उनका विकास भी करती है भवन निर्माण भी करती है तथा उनका संचालन भी करती है उनकी संख्या 548 है दूसरे वह विद्यालय हैं अशासकीय शिक्षा प्राप्त जिनका वेतन सरकार देती है तथा संचालन प्रबंधतंत्र करता है जिनकी संख्या 4,435 है तीसरे प्रकार के विद्यालय हैं जिनको सरकार मान्यता देती है लेकिन पूरा संचालन प्रबन्ध तंत्र करता है इन विद्यालयों को वित्त विहीन विद्यालय कहते हैं और इनकी संख्या 6,541 है।

जैसा कि मैंने कहा कि हमारी शिक्षा की नीति है विस्तार और विकास की। हमने राजकीय विद्यालयों में विज्ञान कम्पलसरी होने के बाद 2000-2001 में 14 प्रयोगशालाओं के लिए 68.05 लाख की स्वीकृति प्रदान की थी इस वर्ष राजकीय विद्यालयों में 15 प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 77.20 लाख का बजट में प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, साथ ही साथ ग्रामीण अंचलों में निरक्षरता ज्यादा थी इसलिए सरकार की नीति है कि कन्याओं की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा ग्रामीण अंचलों में कैसे पहुँचे किसान की झोपड़ी तक, गांव की मेड़ तक कैसे पहुँचे । मान्यवर, कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था के लिए राजकीय सेक्टर में ग्रामीण अंचल में असेवित विद्यालयों का विकास किया गया है और साथ ही साथ विस्तार किया गया है। मान्यवर, विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कन्या विद्यालय की स्थापना होती है 2000-01 में 133.05 लाख की स्वीकृति प्रदान की थी इस वर्ष यह धनराशि 166.97 लाख रुपये बजट में प्रस्तावित की गयी है। मान्यवर, एक दूसरी योजना के अन्तर्गत असेवित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2000-01 में 165.83 लाख रुपये की व्यवस्था स्वीकृत की गयी थी। इस वर्ष में पूर्व में खोले गये 19 विद्यालयों में सृजित 209 पदों के वचनबद्ध व्यय हेतु रु0 182.64 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी इसके साथ ही साथ हाई स्कूल विद्यालयों को उच्चीकरण भी किया गया है और उच्चीकरण हेतु 1997-98 से 1999-2000 तक 100 राजकीय विद्यालय इण्टरमीडिएट स्तर

तक उच्चीकरण की श्रेणी में आये। मान्यवर, 2000-01 में उक्त योजना में 236.34 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी इसके इस वर्ष वचनबद्ध व्यय हेतु 250.03 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, इन राजकीय कन्या विद्यालयों के साथ-साथ शिक्षा की सुविधा कैसे ग्रामीण अंचलों में बालिकाओं के लिए पहुँचे, एक योजना असेवित विकास खण्डों के लिए बनायी गयी है और इसमें 357 विकास खण्ड चिन्हित किये गये जिसमें विद्यालयों की आवश्यकता थी, लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए कन्या स्कूलों की आवश्यकता थी अब तक 152 ब्लाकों में जहाँ पर कन्या स्कूल खुले हुए हैं हमने दोनों किस्ते वहाँ पर पर स्वीकृत कर दी है साथ ही साथ 2000-2001 में हमने इन ब्लाकों से हटकर असेवित न्याय पंचायतों में भी कन्या स्कूल खोले हैं। पिछले वर्ष 36 असेवित न्याय पंचायतों में यह स्कूल खोले गये और 360 लाख का बजट स्वीकृत किया गया इस वर्ष 50 विद्यालय खोलने की नीति बनी है और इस पर 500 लाख की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।

151 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इस प्रदेश में ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं हैं या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, ऐसे विद्यालयों के भवनों के निर्माण की आवश्यकता थी। हमने 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत 25 नवीन एवं अधूरे भवनों के निर्माण हेतु 501 लाख की स्वीकृति की थी और अब 2001-2002 में चालू एवं नवीन कार्यों हेतु 500 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। मान्यवर, इसके साथ-साथ राजकीय सेक्टर में भी हमने भवनों का निर्माण किया है। पिछले वर्ष 12 अधूरे भवनों के निर्माण हेतु राज्य सेक्टर में 2000-2001 में 500 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी और 2001-2002 में भी इस कार्य हेतु 315.22 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

मान्यवर, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण करने के लिए 2000-2001 में 18 भवनहीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों तथा 14 प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु रु01356.56 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। वर्ष 2001-2002 में भी उक्त कार्य हेतु 600 लाख रुपये की धन की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव किया गया है।

कम्प्यूटर शिक्षा, मान्यवर, इस सरकार ने जब से विज्ञान को हाई स्कूल तक कम्पलसरी किया है उस समय से कम्प्यूटर की शिक्षा 9 से 12 तक विद्यालयों में चालू की है और इसके अन्तर्गत 1998-99 में 550 लाख रुपये धन की स्वीकृति की गयी और उपलब्ध धन के आधार पर 100 विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी लेकिन अभी तक 93 विद्यालयों में व्यवस्था ठीक चल रही है 7 जिलों में व्यवस्था करायी जा रही है। 2001-2002 में 50 लाख रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में की है। पूर्व में भी कम्प्यूटर के लिए कि वह ठीक तरह से चल सके कक्षों के निर्माण के लिए व्यवस्था बजट में की गयी थी। कम्प्यूटर की मान्यता के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को कह दिया गया है, वहीं से मिलेगी इसलिये कम्प्यूटर की शिक्षा की मान्यता के लिए दिक्कत नहीं होगी। मान्यवर, ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं पब्लिक लाइब्रेरी हेतु 2533.20 लाख की बजट की व्यवस्था 2001-2002 में की गयी है इस व्यवस्था के कारण जिला मुख्यालयों पर कम्प्यूटर केन्द्र बनायें जायेगें और इसके लिए 1658.20 लाख रुपया प्रस्तावित किया गया है।

मान्यवर, शिक्षा के विस्तार और विकास के साथ-साथ हमने उस ज्ञान पर भी ध्यान दिया है जिसमें ज्ञान छप रहा है, ज्ञान की जो पोटलियाँ होती है, भंडार होता है, उसके लिए हमने पुस्तकालयों पर धन दिया है। प्रदेश में पाँच जिला पुस्तकालयों की व्यवस्था की है यह पुस्तकालय बुलन्दशहर, फैजाबाद, इटावा, महराज गंज तथा फरुर्खाबाद में हैं और इसके लिए 15.77 लाख की व्यवस्था की गयी थी और इस वर्ष उनको आगे बढ़ाया जायेगा। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों को आवर्तक अनुदान के रूप में उनको पहले 500 रुपया मिलता था अब उसको बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है। मान्यवर, राजा राम मोहन राय पुस्तक प्रतिष्ठान द्वारा पिछले वर्ष एक करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी, जिससे हमने किताबें खरीदकर 71 राजकीय पुस्तकालयों तथा 2002 गैर सरकारी पुस्तकालयों को भेजी थी। इस वर्ष हमने 50 लाख की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की है, इतना ही धन हमें इस प्रतिष्ठान से प्राप्त होगा, इस प्रकार एक करोड़ रुपये की व्यवस्था इन पुस्तकालयों में पुस्तकों के लिए हो जायेगी।

मान्यवर, 11वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त 14.5 करोड़ रुपये से सार्वजनिक पुस्तकालय विकास निधि का गठन किया गया है और इसके ब्याज से इन पुस्तकालयों को दुबारा और सहायता मिल सकेगी और यह अधिक चल सकेगें।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन 1998 में हुआ था और अब तक इसके द्वारा 1352 नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं। इसमें 269 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, 308 प्रवक्ता और 815 सहायक अध्यापक, इन सभी की नियुक्तियाँ जिला स्तर पर की जा चुकी हैं और काफी संख्या में यह चयनित अध्यापक विद्यालयों में जा चुके हैं। साथ ही 2001-2002 में 2531 रिक्तियाँ हुई थीं जिनमें प्रधानाचार्य का चयन चल रहा है और मेरे ख्याल से 8 जून तक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हो जायेगी। इसमें 517 इनकी संख्या है। इसके अलावा लेक्चरर 572, सहायक अध्यापकों की संख्या 2442 है। इस प्रकार टोटल इस वर्ष अध्यापक 2531 जुलाई-अगस्त तक विद्यालय में पहुंच जायेगें। हमें और भी अधियाचन प्राप्त हुये हैं, जिसमें 358 प्रधानाचार्य, 310 लेक्चरर और 170 अध्यापकों के पद सहित कुल 838 रिक्तियाँ प्राप्त हुयी हैं। यह भी चयन शीघ्र प्रारम्भ कर देगे और नियुक्तियाँ अगस्त तक हो जानी चाहिए।

मान्यवर, चयन बोर्ड में चयन की जो प्रक्रिया थी, उसमें प्रधानाचार्य के लिये गुणांक, अनुभव 10 प्रतिशत और इण्टरव्यू था। लेक्चरर्स और सहायक अध्यापक के लिये गुणांक, परीक्षा और 10 प्रतिशत इन्टरव्यू का था। इस प्रक्रिया में कुछ विलम्ब होता था क्योंकि कलकुलेशन करना पड़ता था, और उसमें काफी समय लगता था। इस प्रक्रिया में हमने इस साल थोड़ा परिवर्तन किया है। इस साल हमने प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के चयन के लिये परीक्षा 85 नं0, 10 का इण्टरव्यू और 5 नं0 एक्स्ट्रा क्वालीफिकेशन के रखे हैं और प्रक्रिया को तेज किया है और मुझे विश्वास है कि इससे जल्दी चयन हो जायेगा।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् में कम्प्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, जैसा कि मैनें पूर्व में बताया कि यह शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक प्रारम्भ हो गयी है। साथ ही कम्प्यूटर की मान्यता पढ़ाने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय से मिलेगी, यह नीति भी निर्धारित की गई है। साथ ही कुछ हमने प्रश्नपत्रों में भी परिवर्तन किया है। पिछले वर्ष विज्ञान के दो प्रश्न-पत्र होते थे, इस वर्ष से विज्ञान के 3 प्रश्न-पत्र किये हैं। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का एक प्रश्न-पत्र होता था, इस साल सामाजिक विज्ञान का छात्रों के हित में 2 प्रश्न-पत्र किया है। अगले साल अंग्रेजी के भी 2 प्रश्न-पत्र

करने जा रहे हैं। इससे छात्रों को पढ़ने में काफी सुविधा प्राप्त होगी, साथ ही मान्यवर, इस साल हमने इण्टरमीडिएट के स्लैबस में कुछ परिवर्तन किया है और कुछ वर्गों को समाप्त करके 30 ऐसे विषय समाप्त किये हैं जिनकी उपयोगिता बहुत कम थी। परीक्षा- मान्यवर, इस वर्ष हम परीक्षा कराने में काफी सफल रहे हैं और ये परीक्षा एक नीति के अन्तर्गत चलायी गयी। हमने संस्थागत बालिकाओं के लिए स्वकेन्द्र स्थापित किये, साथ ही नकल न हो, पूरे विभाग के अधिकारी जिलों में गये और नकल रोकने का भरपूर प्रयास किया और काफी अच्छे परिणाम निकले और नकल रोकने के परिणाम में इस वर्ष 234 कक्ष निरीक्षक नकल कराने में पाये गये, 34 केन्द्र व्यवस्थापक नकल के सहयोग में पाए गये और एक प्रबन्धक नकल के सहयोग में पाया गया और अब तक 8661 छात्र नकल के केस में पकड़े गये हैं। साथ ही साथ परीक्षा के बाद जो सबसे मुख्य काम होता है जिसमें छात्र का भविष्य निहित होता है, छात्र का भविष्य उस पर डिपेन्ड करता है।

(इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी आप संशोधित करिये।

डा0 नैपाल सिंह--

मान्यवर, आप कहें तो मैं गेस पेपर बना दूँ।

श्री अधिष्ठाता--

सारी बातें उत्तर भाषण में आ जायेंगी।

डा0 नैपाल सिंह--

मूल्यांकन केन्द्र के साथ-साथ हमने स्क्रीनिंग करना भी प्रारम्भ कर दिया है, इससे मूल्यांकन काफी ठीक हो रहा है। इस वर्ष हमने 1986 के पूर्व के 68 विद्यालय जो अनुदान सूची में लेने से रह गये थे, इस वर्ष हमने उन्हें अनुदान सूची पर ले लिया है और इसके लिए 2001-2002 में 960.51 लाख की व्यवस्था की है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मंत्री जी, एक बार फिर बता दें।

डा0 नैपाल सिंह--

मान्यवर, 1986 से पूर्व वित्तविहीन मान्यता दी जाती थी लेकिन उनको धीरे-धीरे अनुदान सूची पर लिया जाता था। 1986 के पूर्व के 68 विद्यालय जो अनुदान सूची में लिए जाने से रह गये थे, इस वर्ष उन्हें हमने अनुदान सूची पर ले लिया है और इसके लिए 960.51 लाख की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की है।

*कुंवर रेमती रमण सिंह--

माननीय मंत्री जी आपने यह अच्छा किया है इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं लेकिन मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि 86 और 2001, यह बड़ा लम्बा अन्तराल हो गया तो माननीय मंत्री जी, कई बार विधान सभा में यह प्रश्न भी आया और आज फिर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि

नोट:--वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यमिक शिक्षा को आप चौपट न करिए और इसके लिए शिक्षा शुल्क भी लेना पड़े तो शिक्षा शुल्क ले करके 86 के बाद के जो विद्यालय हैं उनका भी अनुदान सूची पर लाने का काम करिए ताकि लाखों लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

डा0 नैपाल सिंह--

आप मुझसे बड़े हैं लेकिन इतना ही कहूँगा कि सब काम समय से होता है। आप भी समय से ही विधायक बने होंगे। हो सकता है आगे बजट में व्यवस्था हो जाये।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, अभी मंत्री जी इसको टालने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत पहले विधायक बन गये थे। मान्यवर, मेरी सीनियारिटी का कोई विधायक है नहीं, कल्याण सिंह जी को छोड़कर। यह मेरे विधायक बनने न बनने का सवाल नहीं है। प्रश्न यह है कि आने वाले दिनों में आप इन विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। आप विधायक बनने न बनने की बात बता रहे हैं। सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं।

डा0 नैपाल सिंह--

मान्यवर, इस वर्ष हमने गोरखपुर को क्षेत्रीय कार्यालय बनाने की प्रक्रिया जारी कर दी है और यह जुलाई से क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उभर जायेगा। इस क्षेत्रीय कार्यालय में गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती ये जनपद क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आ जायेंगे। मान्यवर, शिक्षकों के लिए सुविधायें देने जा रहे हैं उसमें हमने माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारियों की बीमा राशि को बढ़ाया है पहले यह 25,000 रुपया था इसको बढ़ाकर एक लाख रुपया कर दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बीमा राशि जो 18 हजार रुपये थी उसे 50 हजार रुपया कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचरियों को पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु बिद्यालय की असहायता प्राप्त अवधि को अर्हता की सेवा जोड़े जाने हेतु पी0पी0एफ0 अंशदान में राजकोष में जमा करने का समय 31 मार्च, 2002 तक बढ़ा दिया गया है। एक जो व्यवस्था सरकार करने जा रही है वह वित्त विहीन अध्यापकों के लिए सेवा शर्तों की नियमावली बनने जा रही है इस पर निर्णय जल्दी लेने वाले हैं।

मान्यवर, समयबद्ध माध्यमिक शिक्षकों को पेंशन अनुमन्य कराने की कार्यवाही गतिमान है हमने शिक्षकों को सुविधायें दी हैं और यह भी प्रयास किया है कि उनकी संख्या बढ़े और पढ़ाई का काम ठीक प्रकार से चले इसके लिए विषय विशेषज्ञों की नीति बनायी गयी थी और 73 शिक्षक इस योजना के अनतर्गत नियुक्त किये गये जिसको 5 हजार रुपये प्रति माह मिलता था इस वर्ष 722 विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जायेगी इसके लिए बजट में 12 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के बारे में यह बिन्दु मैंने सदन के समक्ष रखे हैं और मेरा सम्मानित सदन से निवेदन है कि बजट को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री राम औतार शास्त्री--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 39- भाषा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी.....

श्री अधिष्ठाता--

शाक्य जी, अगला अनुदान भी रख दें उसके बाद विचार रखें।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, मैं केवल भाषा विभाग पर कटौती रख रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा पर दूसरे माननीय सदस्य कटौती रखेगें। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी जब भाषा विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने 10 करोड़ रुपये की निधि की बात कही थी। यह कहा था कि उस निधि से हम भाषाओं के विकास की योजना बना रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 10 करोड़ रुपये की जो निधि थी उसको पहले ऊर्जा विभाग को लोन के रूप में दे दिया गया 10 वर्षों के लिए। खैर यह गनीमत रही कि ऊर्जा विभाग ने वह लोन वापस कर दिया लेकिन उसके बाद पुन: 7.50 करोड़ रुपया "पिकप" को दे दिया गया है और 7.50 करोड़ रुपये का लोन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को दे दिया गया।

राज्य औद्योगिक निगम ने तो वह धनराशि वापस कर दी लेकिन पिकप ने आज तक वह धनराशि वापस नहीं की है। जो धनराशि वापस भी कर दी है वह वापस नहीं की है बल्कि उसका हेड गलत हो गया है । जहां तक आपकी साढ़े सात करोड़ रुपये की धनराशि का सवाल है जो पिकप को दे दी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जो पैसा भाषा विभाग को देना चाहिए था पिकप को दे दिया है। आप कहते हैं कि 10 करोड़ रुपये की जो धनराशि है उससे भाषाओं का उन्नयन करेंगे, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि वह पैसा अब आपकी जेब में है या नहीं। मान्यवर, जहां तक बजट का सवाल है तो अब करेप्शन और इररेगुलर्टीज की बात आपकी समझ में नहीं आयेगी।

एक और महत्वपूर्ण बिन्दु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस समय जो बजट 2,94,42,000 का बजट प्रस्तुत किया गया है यह बजट 1997 में दो करोड़, तीन लाख,पैंतालिस हजार का प्रस्तुत किया गया था लेकिन भाषा विभाग द्वारा बजट से ज्यादा 3 करोड़ का घपला किया गया था। अब मैं बताना चाहता हूं कि यह घपला कैसे किया गया था। इन्होंने बजट के विपरीत 85,00,000 लाख की पुरानी किताबें नये लेविल लगाकर तीन करोड़ में खरीद लीं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, वित्त विभाग से, कोई स्वीकृत नहीं ली। यह आपके संज्ञान में भी होगा आप उस समय भाषा मंत्री थे। यह विशेष सचिव के कार्यकाल में हुआ और उसको रिवार्ड के रूप में चित्रकूट का डी0 एम0 बना दिया गया। फिर जब दूसरे विशेष सचिव आये तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और इसका पर्दाफाश किया तथा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी कि इसमें करेप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। इसको तत्काल ही चित्रकूट के डी0 एम0 पद से हटाया जाय यह आदेश हुआ लेकिन आज तक इसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई । तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लिखा कि इसका अभिगत विजीलेंस से ले लिया जाय और विजीलेंस के प्रमुख सचिव ने लिखा कि यह आपराधिक मामला बनता है इसकी जांच विजीलेंस से करायी जाये। कदाचित वही प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बन गये तो उनकी हिम्मत नहीं हुई पत्रावली को आगे बढ़ाने की । उसके बाद तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने 3 करोड़ के स्थान पर डेढ़ करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश कर दिया और फिर फाइल फाइनेंस विभाग को गयी। उन्होंने टिप्पणी लिखी कि आपराधिक मामला बनता है इसमें दण्ड दिया जाय। पुन: पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गयी वह पत्रावली आज

तक आपके पास है। क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे। [x x x] आज भी चित्रकूट धाम के डी0 एम0 बने बैठे हैं, क्या उनको हटाने का काम करेंगे।

माननीय भाषा एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, आपको नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। विभागीय मंत्री, मुख्य मंत्री को लिख रहा है कि करेप्शन हुआ है कार्यवाही की जाये, लेकिन डी0 एम0 को हटाया नहीं गया इसलिए आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां अन्य बिन्दुओं का सवाल है भाषा का सवाल बड़ा संवेदनशील है। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि "संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुये और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।" इसी के तहत संविधान की आठवीं अनुसूची में 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसका विवरण नहीं कहूंगा।

आपने भाषाओं के उन्नयन की बात कही है। उत्तर प्रदेश में भाषा नीति का जिक्र किया है उसमें हिन्दी से अलग अन्य 13 भाषाएं तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बंगला, उड़िया, पंजाबी, सिन्धी, असमिया, काश्मीरी और नेपाली भाषाओं के पठन-पाठन और प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब धन नहीं है तो इन भाषाओं का पठन-पाठन और प्रशिक्षण आप कैसे कर सकेंगे। मान्यवर, भाषा का प्रश्न बहुत संवेदनशील है, राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान तीन कारणों से गुलाम हुआ--भाषावाद, जातिवाद और साम्प्रदायवाद के कारण। दो कारणों पर विचार व्यक्त नहीं करूंगा लेकिन भाषावाद की चर्चा जरूर करूंगा। मान्यवर, यह भावना थी कि राष्ट्रभाषा को प्रतिष्ठित किया जाय, लेकिन हिन्दी देश की दासी बनी हुई है और अंग्रेजी रानी बनी हुई है और अन्य भारतीय भाषाओं का कोई स्थान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं यह मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि तमिल के नाम पर तमिलनाडु, असमिया के नाम पर असम, काश्मीरी के नाम पर कश्मीर, पंजाबी के नाम पर पंजाब, गुजराती के नाम पर गुजरात। यदि यही हाल रहा तो 100--200 साल बाद यह प्रान्त अलग देश मांगने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए राष्ट्रीय एकता को कायम करने के लिए, हिन्दी के पठन-पाठन के लिए और उसकी बहबूदी के लिए काम किया जाये। उत्तर प्रदेश में हिन्दी बोली जाती है और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बनती है कि हिन्दी को प्रतिष्ठित करें। धन कुछ भी नहीं है, लेकिन जो धन है उसमें भी कटौती करते जा रहे हैं। इस तरह हिन्दी को बहबूदी मिलने वाली नहीं है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उर्दू भी एक राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने का काम किया गया था।

मान्यवर, उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का काम किया गया और उसको रोजगार से जोड़ने का काम किया गया और उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति की गयी। उस वक्त उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी तत्कालीन सरकार ने उसकी पैरवी की

[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

थी और उसके बाद यह रिट याचिका निरस्त हो गयी थी। इसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय गया आज उसकी पैरवी कोई नहीं कर रहा है। जब आपको हाईकोर्ट से निर्णय कराना होता है तो दीपक और लालटेन लेकर जजमेंट कराते हैं लेकिन उर्दू भाषा के लिये उसकी बहबूदी के लिये उच्चतम न्यायालय में पैरवी करने के लिये आपके पास वक्त नहीं है। अभी हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया है जिसमें उन्होंने जो कहा है उसको मैं अभी आपके सामने रखूंगा।

मान्यवर, देश की एकता जब कायम हो सकती है जब हर कौम संतुष्ट हो। जब कोई कौम भाषा के आधार पर असंतुष्ट हो जायगी तो यह मुल्क से अलग होकर अलग देश बनाने की मांग करेगी।असमियां के नाम पर आसाम बोडो के नाम पर बोडोलैंड बनाने की मांग की जाती है। इसी तरह से दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा को वहां पर रखने के नाम पर आंदोलन तक हुये हैं और राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति पहुंचायी गयी है और उसे जलाने का काम किया गया है। सरकारें भाषा को आगे बढ़ाने का काम ठीक से नहीं कर रही है। हिन्दुस्तान में हिन्दी को मुख्य धागा बनाना चाहिये और अन्य भाषायें जो हैं उनको मोतियां बनाकर उस धागे में पिरोना चाहिये। तभी देश की एकता कायम रह सकेगी । मैं हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहता हूं "ए डिवीजन हेन्स कम्प्रीजिंग जस्टिस मारकण्डे काटजू एण्ड जस्टिस आर0 बी0 मिश्रा आब्जर्ड दैट द ओनली वे दिस कन्ट्री केन रिमेन यूनाइटेड एण्ड प्रोगेस इज टू गिव इक्वेल रिस्पेक्ट टू आल कास्टस रिलीजन्स , कम्यूनिटीज, लिंगुअल एण्ड इथनिक ग्रूप शुड रिस्पेक्ट इच अदर एण्ड शुड नाट फाइट इच अदर"मान्यवर, लिंगुअल शब्द का इस्तेमाल किया गया है । इससे जाति धर्म और साम्प्रदायिक एकता कायम रह सकती है । मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं । आपकी सरकार ने अन्य भाषाओं का प्रशिक्षण देने का काम नहीं किया है । मैं लम्बी बात न कहकर यह कहना चाहता हूं कि भाषा विभाग ने बजट कम रखा और सरकार ने इस बजट की महत्ता को घटाने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण दें तो इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री विश्वनाथ--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी अध्यापक हैं मान्यवर, मंत्री जी जो अध्यापक हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जी भी अध्यापक हैं, भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वह भी अध्यापक हैं और मैं कटौती के प्रस्ताव को रखने वाला, मैं भी अध्यापक हूं। बड़ी बिंडबना है कि बजट के बारे में मै सोचता था कि यह पोख्ता होगा, दृढ़ होगा, दुरूस्त होगा, चुस्त होगा, सम्पन्न होगा। आपका जो नाम है उसका जो प्रवाह है, प्रभाव है भले ही आपका नाम विदेशी है लेकिन है तो मित्र राष्ट्र का ही आपसे बड़ी उम्मीद है। यह जो आपने बजट रखा है वह सम्पूर्ण बजट का 2.06 प्रतिशत है तो कहां गाया जाए कहां रोया जाए। मंत्री जी सम्पूर्ण बजट की 2.06 प्रतिशत धनराशि का यह बजट है। इसमें क्या करेंगे ? आप राख भी खरीदकर बोरी में भरकर भेजना चाहें तो सभी स्कूलों में नहीं भेज पाएंगे। मुझे कुछ मौलिक बातें करनी हैं सरकार सुने या न सुने। जिसके संविधान की हम सहायता लिए हैं वह इस पर अपना आधा बजट खर्च करता है। शिक्षा पर इतना ही नहीं जो सम्पन्न राष्ट्र हैं

शिक्षा की दृष्टि से वह भी अपने रक्षा बजट से ज्यादा शिक्षा पर खर्च करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार अपने को कहती है। यह धरा धाम सुधारने का काम तो नहीं कर सकते लेकिन सुरधाम भेजने की इनके पास जबरदस्त नुस्खा है। कमेनियस ने देखा कि सामाजिक विषमता के अपार पारावार में वर्तमान समाज डूब रहा है। शिक्षा ही उसका विलीनीकरण कर सकती है। तत्कालीन शिक्षा में वर्ग भेद का बोलबाला था। धनी वर्ग की शिक्षा का आकार प्रकार एवं पद्धति निम्न वर्ग से पूर्णत: भिन्न थी। कमेनियस इस शिक्षा क्षेत्र के वर्ग भेद को मिटाना चाहता था। उसने ग्रेट डाइटेटिव में लिखा है। शिक्षा केवल धनी एवं प्रभावशाली लोगों के लिए नहीं है, वह तो लड़के व लड़की, भद्र व अभद्र, धनी व दीन, शहरों व देहातों में और भवनों तथा झोपड़ियों में सबके लिए समान है। इस प्रकार उसने सार्वलौकिक एवं सार्वभौमिक शिक्षा की धारा प्रवाहित कर एवं वैषम्य मिटाकर शिक्षा का सच्चा रूप खोज निकाला। मैं महात्मा गांधी के इस सम्बंध में विचारों को रखना चाहता हूं। भले ही उस बेंच के लोगों को यह रुचिकर न लगें।

सत्य, अहिंसा एवं न्याय के पुजारी गांधी जी ने तत्कालीन समाज की दयनीय स्थिति एवं वर्गभेद की गहरी तथा विशाल खाई का अध्ययन किया। उन्होंने समाज की विषमता के पारावार में डूबते देखा। बेकारी की लपटों में उस झुलसते समाज को एवं पीड़ा से धधकते हुए मानव हृदयों को देखा तो करूणा का सागर लहरा उठा। परिवर्तन की ओर समाज का नेतृत्व किया। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का बोलबाला था। निम्न वर्ग तो गरीबी से पीड़ित होने के कारण शिक्षा के साधन जुटाने में असमर्थ था। अत: शिक्षा व्यवस्था पर उच्च वर्ग के प्राणियों का ही एकाधिकार था। उससे तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती थी एवं वर्ग भेद बढ़ता जा रहा था महात्मा गांधी जी ने यह सब देखा। शिक्षा क्षेत्र में प्रचलित अव्यवस्था एवं अनुपयुक्तता को समाज के समक्ष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ग भेद को पाटने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है।

मान्यवर, आपसे क्या उम्मीद करूं। शिक्षा और ज्ञान की यदि कमी न होती तो यह गांव स्वर्ग बन जाते। आप गांवों में क्या शिक्षा ले जायेंगे इसमें बेप्रयास के रह गये हैं आप। हमको लगता है शिक्षा को चौपट करने के लिए इस सरकार ने अध्यापक को लगा दिया। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच का वह हिस्सा है कि इसके बिना उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। आधी आबादी को तो आप साक्षर मान लेते हैं लेकिन जिसे आप साक्षर मानते हैं वह शिक्षित नहीं है। गांधी जी भी साक्षर को शिक्षित नहीं मानते थे। एक श्रेणी ऐसी आबादी की है जो हस्ताक्षर करती है एक श्रेणी साक्षर की एक श्रेणी शिक्षित की और एक श्रेणी अशिक्षित की है। हस्ताक्षर और शिक्षित में कोई खास अंतर नहीं है लेकिन 50 वर्षों की आजादी के बाद स्वर्ण जयंती मनाने के बाद जब हम दो वर्ष आगे बढ़े तो भी हम अशिक्षा और शिक्षा के बीच के झूले में झूल रहे हैं। क्या यह अच्छा न होता कि शिक्षा अनिवार्य कर दी गई होती, सामान्य कर दी गई होती, सबको सुलभ कर दी गई होती, मुफ्त कर दी गई होती लेकिन मुफ्त करने के बजाय आप शिक्षा को निश्चित रूप से प्राइवेट जगत में ले जा रहे हैं।

जब जिला योजना में शिक्षा भवन बनाने का काम लिया जा रहा है तो कैसे काम चलेगा। 96 प्रतिशत वेतन पर आपका खर्च हो जायगा पता नहीं क्या करेंगे आप। राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पदों के संदर्भ में मैं सरकार को बताना चाहता हूं। 86 के बाद पद भरने का इक्का दुक्का काम किया गया। चयन प्रक्रिया में चयन हुआ स्कूलों में ज्वाइनिंग के लिए

जब लोग गये तो उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। प्रधानाचार्य के 809, हेडमास्टर के 507, प्रवक्ता के 4383, एलटीग्रेड के 10837 पद खाली हैं। यदि इस हिसाब से देखूं तो मुझे बैठ जाना चाहिए लेकिन मेरा काम है सरकार को बताना। आजादी के बाद शिक्षक छात्र का अनुपात निश्चित करने के लिए आचार्य नरेन्द्र देव आयोग बना उसने सुझाव दिया 20 लड़कों पर एक अध्यापक होना चाहिए लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई । 74 में एक मानक निर्धारित किया गया जिसमें 35 छात्रों पर एक अध्यापक की संस्तुति हुई फिर इसके बाद 94 में उन्नीनकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर हुई उसमें कहा गया कि 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार है वह उसे प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार ने इसको भी तवज्जो नहीं दिया। मान्यवर, शिक्षा का हाल इस तरह से कर दिया गया है कि एक कमरे में हजारों को घुसा दो। अध्यापकों की आवाज सुनाई दे या न सुनाई दे, उनके बैठने की व्यवस्था हो न हो। काल कोठरी में जो सजा मिलती है वह आज इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण देखने को मिलती है। अध्यापकों का यह हाल है कि 30 प्रतिशत अध्यापक इन सरकारी स्कूलों में हैं और 70 प्रतिशत पद खाली हैं । जहां पर 30 प्रतिशत अध्यापक हों और 70 प्रतिशत अध्यापक के पद खाली हों वहां पर पढ़ाई लिखाई की कल्पना करना कल्पना से परे बात होगी।

श्री अधिष्ठाता--

विश्वनाथ जी, संक्षिप्त करें।

श्री विश्वनाथ--

मान्यवर, संक्षिप्त कर देता हूं। माध्यमिक शिक्षा में एक लाख से कम शिक्षकों की जरूरत नहीं है। छात्र संख्या बढ़ रही है। 35 लड़कों पर अगर आप सेक्शन बनाते हों, उन पर एक शिक्षक रहता हो। 6ठें, सातवें और आठवें में तो आपने 35-35 का सेक्शन बना दिया। 9वीं और दसवीं में एक सेक्शन में छात्रों की संख्या 40--45 की हुई, इन्टरमीडिएट क्लास में 50 कर दी गई। स्कूलों में शिक्षकों के निरन्तर अभाव के कारण, शिक्षकों की घटती संख्या के कारण विद्यालय शिक्षक विहीन हो गये हैं। हमको लगता है कि आपका इरादा यही है कि धीरे-धीरे इन स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती करें, यह स्कूल ऐसे ही बन्द हो जायेंगे और आपको इससे दो लाभ मिलेंगें। एक तो शिक्षा पूंजीपतियों के हाथ में चली जायेगी, थैलीशाहों के हाथ में चली जायेगी। गरीब आदमी शिक्षित नहीं हो सकेगा। वह अज्ञानता के अन्धेरे में पड़ा रहेगा। दूसरा लाभ आपको यह होगा कि जब स्कूल बन्द हो जायेंगे, उन भवनों को आप बेचेंगे तो आपको कुछ दाम मिल जायेगा। ऐसा इरादा हो तो आप जाने लेकिन स्थिति बड़ी भयावह हो गयी है। स्कूल में विषय के अध्यापक नहीं हैं। आज रोज अध्यापक बदल रहे हैं, विषय बदल रहे हैं। यह कैसे काम चलेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन विद्यालयों में अध्यापक दीजिये। माननीय मंत्री जी, बड़ी झेंप होती हैं जब लोग कहते हैं जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री अध्यापक हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अध्यापक हो, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का मंत्री सभी अध्यापक हों वहां शिक्षा का यह हाल है। मान्यवर, 1974 में जो मानक तय किया गया था, उसकी ओर आप ध्यान दें । विद्यार्थियों की इतनी संख्या बढ़ी है। आज विद्यार्थियों की संख्या हो गयी है।

मान्यवर, संख्या जो विद्यार्थियों की है वह संख्या है 76,81,409 शीघ्र इनके लिए अध्यापक चाहिए। प्राथमिक को मैं नहीं जोड़ रहा हूं प्राथमिक के ठीक दूने के लगभग है।

डा0 नैपाल सिंह--

इन्होंने छात्रों की संख्या जो गिनाई है इस कैलकुलेशन का आधार क्या है ? यह बेसिक की संख्या है या माध्यमिक की है।

श्री विश्वनाथ--

पृष्ठ 41 है आपका जो बजट साहित्य है इसको देखिए सारिणी-7 है इसमें विद्यार्थियों की संख्या--2000-2001 की दी है।

डा0 नैपाल सिंह--

माध्यमिक की संख्या के बारे में संशोधन कर लें 52 लाख है।

श्री विश्वनाथ --

सीनियर बेसिक स्कूल 6, 7, 8 हायर सेकेन्डरी स्कूल 9 से 12, जोड़ा है . . .

श्री अधिष्ठाता--

माध्यमिक शिक्षा की परिभाषा न बदलें।

श्री विश्वनाथ-

मंत्री जी स्कूल के प्रोफेसर हैं, मैं छोटे स्कूल का इण्टरमीडिएट कालेज का प्रिंसिपल रहा हूं लेकिन आपने मुझे इंगित किया मैं आपको कर रहा हूं। इसको समझ लें, एक लाख से काम अध्यापक रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। दो रुपये की मजदूरी के हिसाब से आपको बोर्ड के टाइम लेबर चाहिए। (व्यवधान) आपने इम्तहान व्यवस्था की बड़ी तारीफ की, गजब हो गया, यू0 पी0 बोर्ड की तृष्णा सिंह का परीक्षाफल घोषित हुआ, 600 में से 386 अंक दिए गए वह अंक जब अदालत में गए अदालत के सामने कापियों की पुन: जांच के बाद अंक बढ़कर 501 हो गए, 115 अंकों का इजाफा हुआ। स्क्रूटनी की बात कही गई स्क्रूटनी में भी विश्वसनीयता नहीं है। तृष्णा के मामले में बोर्ड की एक लापरवाही और उजागर हुआ है जिसने शासन में उच्च पदों पर बैठे आला अफसरों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल, प्रदेश में शिक्षा का सबसे बड़ा तन्त्र कहे जाने वाले यू0 पी0 बोर्ड में "छेद" सिर्फ उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षकों द्वारा की जाने वाली जांच में ही नहीं है बल्कि परीक्षाफल से असन्तुष्ट बच्चों को राहत देने के मकसद से बनाई गई अंकों की पुनर्गणना यानि स्क्रूटनी की व्यवस्था भी ध्वस्त साबित हो गई है। हाई कोर्ट में कापी जांचने से यह मामला भी प्रकाश में आया है। तृष्णा को संस्कृत प्रश्न पत्र में जहां अदालत द्वारा कराई गई अंकों की गणना के पूर्व में मिले 38 अंक बढ़कर 83 हो गये। मान्यवर, उसके सोशल साइंस में 47 से बढ़कर 76 हो गये और मान्यवर, आपने खुद ही कहा कि इतने लोगों को गिरफ्तार किया, बड़ी गर्जना थी कि परीक्षा सफल और सही हो जायेगी। आपने खुद बन्द किया इतने लोगों को, इतने लोगों को सजा दी, बच्चों और अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य को। तो, यह कामयाबी का प्रतीक नहीं है। कामयाबी तो यह है कि आपकी व्यवस्था में परीक्षा सुचारू और स्वस्थ ढंग से संचालित हुई होती। मान्यवर, यह भी अखबारों में कहा गया कि "प्रश्न पत्र आऊट होने से कई जिलों में परीक्षा निरस्त की गयी नयी तिथियों की घोषणा" "22 केन्द्रों पर परीक्षाएं निरस्त" "उत्तर प्रदेश में फर्जी आदेशों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का भण्डाफोड़" क्या आपसे दरख्वास्त करूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनना चाहता था लेकिन वह चले गये। वह कह रहे थे कि ऐसी व्यवस्था लाने जा रहे हैं कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का बन्द द्वार खोल देंगे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि इन कठिनाइयों का निवारण कराये। आपकी केन्द्र और प्रदेश में सरकार है। दोनों आपके घर हैं। इस बजट से काम चलने वाला नहीं है। अध्यापक होने के नाते अध्यापकों का आदर और सम्मान पाना है तो अगर उन दायित्वों का निर्वहन न हो पाये, शिक्षा में सुधार न हो पाये, एकरूपता न हो पाये, समान शिक्षा न हो पाये तो आइये इधर बैठिये, अध्यापकों का सम्मान लीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मै कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

(सभा 4 बजकर 20 मिनट।)

आज की कार्य सूची की मद संख्या 8(5), अनुदान संख्या-21 खाद्य एवं रसद विभाग को दिनांक 28 मई , 2001 के उपवेशन में लिए जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता--

इसके पहले बजट के समर्थन और कटौती के समर्थन में व्यक्तियों को आमंत्रित करूं मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। मुझे सदन को यह सूचित करना है कि नेता सदन तथा नेता विरोधी दल द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 188 (2) के अन्तर्गत पारस्परिक विचार-विमर्श के उपरान्त यह निश्चय किया गया है कि आज दिनांक 23 मई, 2001 को सदन की कार्य-सूची की मद संख्या-8(5) पर सूचीबद्ध अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग पर विचार एवं मतदान सोमवार 28 मई , 2001 के उपवेशन के लिए पहले से निर्धारित आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान से पूर्व हो।

तद्नुसार अब अनुदान संख्या- 21 खाद्य तथा रसद विभाग पर विचार एवं मतदान की मद दिनांक 28 मई , 2001 के उपवेशन के लिए पहले से निर्धारित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान की मदों से पूर्व ली जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग, अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (क्रमागत)

*श्री गोरख नाथ पाण्डेय--

मान्यवर, आपने मुझे भाषा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, शिक्षा किसी समाज का दर्पण होती है और शिक्षा से ही किसी समुन्नत समाज का विकास होता है। आज इस प्रदेश में शिक्षा आजादी से पूर्व में और आज की स्थिति में अनेकों उतार-चढ़ावों को झेलते हुए एक ऐसे आयाम पर पहुंची है। मान्यवर, पहले गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी फिर आजादी के बाद मैकाले की शिक्षा पद्धति से विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा दी गयी। ज्यों -ज्यों हमने शिक्षा के प्रति विकास और छात्रों को शिक्षित करके उन्हें देश के भावी कर्णधार के रूप में बनाने की बात सोची इस शिक्षा जगत में सुधार करने की अनेक व्यवस्थायें दीं। मान्यवर, इस बजट की व्यवस्था में अनेकों ऐसी बातें रखी हैं जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है चाहे विद्यालय सरकारी, गैर सरकारी, असरकारी हों--सभी में शिक्षा देने की बात कही है।

नोट:--वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, असेवित क्षेत्रों में कन्या विद्यालयों की स्थापना करके गांव में गरीब और मजदूर वर्ग की बेटियों को जो शिक्षा से वंचित रह जाती थी और दूर-दराज तक जाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती थी, आज हर ब्लाक में असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूल और इण्टर की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, विद्यालयों के जर्जर भवन हुआ करते थे उसमें छात्र-छात्रायें अध्ययन नहीं कर पाते थे तो उसमें व्यवस्था को पुनर्गठित करके नव निर्माण, की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, विद्यालयों में पुस्तकालयों का अभाव हुआ करता था। मान्यवर, आपने उस संबंध में अपनी व्यवस्था दी है गजट में और इसमें प्रर्याप्त धन देने की बात आपने कही है। मान्यवर, कम्प्यूटर की आज एक विशेष व्यवस्था कायम हुई है आपने माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की है और वहां छात्रों और छात्राओं को कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध करायी है।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और परिषद् के माध्यम से जो अनेक बिसंगतियां थीं जो शिक्षा के लिए एक कोढ़ हुआ करती थीं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है।

मान्यवर, परीक्षा प्रणाली में जो सुधार की बात है जो अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे वे अपनी वेदना के साथ बात रख रहे थे मान्यवर, शिक्षा जगत से जुड़ा होने के कारण मेरा कटु अनुभव है। मान्यवर, आज नकल रोकने की बात कही जाती है आप मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते थे मान्यवर, उन्हीं के समय में नकल रोकने की व्यवस्था हुई थी, जिसकी सराहना पूरे देश और प्रदेश में हुई थी और उस व्यवस्था को ध्वस्त करने की कल्पना यहां पर की गयी और ज्यों ही उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया एक तरफ तो आप नकल प्रणाली का विरोध करते हैं और अच्छे समाज की कल्पना भी करते हैं मान्यवर,डाक्टर, इंजीनियर, पढ़कर ही निकलते हैं। नकल व्यवस्था से जो डाक्टर, इंजीनियर निकलेंगे वे कहां से अच्छे निकल सकते हैं आप देखते हैं कि शिकायत आती है कि पुल बना ध्वस्त भी हो गया दूसरी तरफ आपरेशन किया तो पेट में कैंची निकली, पेट में पट्टी रह गयी यह सब नकल शिक्षा प्रणाली की देन रही है क्योंकि वे वास्तविक शिक्षा से दूर हो जाते हैं और नकल पद्धति से निकलकर आपरेशन और दूसरे कार्य करते हैं। पुल का जो मानक है वह उस हिसाब से बनता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

अब कृपया समाप्त करें।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

क्योंकि जो उनकी शिक्षा होती है नकल के माध्यम से होती है। इसलिए इस पर आपने विचार करने का प्रयास किया है जो अन्य सारी व्यवस्थायें हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने बजट भाषा में रखी हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात कही है मान्यवर, आज इस प्रगतिशील युग में शिक्षा समाज की धुरी है और प्रगति के लिए शिक्षा जरूरी है मान्यवर, आज विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है बगैर अध्यापक के सही व्यवस्था का ज्ञान विद्यार्थियों को नहीं मिल पायेगा। मान्यवर, पठन-पाठन में जहां ओर सुविधायें जरूरी हैं वहीं अध्यापक का पूर्ण रूप से होना यह भी नितांत आवश्यक है। मान्यवर, बहुत दिनों से नियुक्तियां नहीं हो पायी हैं अनेक विषयों के अध्यापकों की कमी है तो कृपया इस कमी को पूर्ण करने के लिए तत्काल कोई प्रयास करें। मान्यवर, जो अध्यापक के मामलों में हाईकोर्ट से उन्हें निर्देश या आदेश मिलता है वह भी किन्हीं कारणों से लटके पड़े हैं जो न्यायविद् है उसमें उनको हक दिलायें।

अनुदान की सूची में जो 4-5 वर्षों से लम्बित विद्यालय पड़े हैं मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे विद्यालयों को अनुदान सूची पर लायें ताकि पठन-पाठन सुनिश्चित हो सके। संस्कृत जो हमारी मातृ भाषा, देव भाषा रही है उसकी उपेक्षा हो रही है। ऐसे विद्यालय जो कभी अनुदान की सूची में थे, जो चला करते थे किन्हीं न किन्हीं कारणों से वह अनुदान की सूची से हट गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे संस्कृत विद्यालय जो अनुदानित थे उन्हें फिर अनुदान की सूची में लायें और जहां शिक्षा का सर्वांगीण विकास करने की योजना है उसमें संस्कृत भाषा के लिए जो योजना है, उसको दिया जाय। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का स्वागत करते हुए उस पर पुन: बल देता हूं।

श्री सौलत अली एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा के बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी मेरे आदरणीय है, मेरे जिले के भी हैं, बहुत करीब से मैं जानता हूं माननीय मंत्री जी को और तर्जुबा भी है हर मोड़ का, हर मोड़ से गुजरने का हर अंधेरे उजाले को देखा है। किस तरह से शिक्षा को राजनीति में शामिल किया जाय और किस तरह से राजनीति को शिक्षा में शामिल किया जाय इसकी भी महारत है मंत्री जी को। माननीय मंत्री जी आपकी बहुत विशेषतायें हैं बताने में बहुत टाइम लगेगा। आपने माध्यमिक शिक्षा का जो लिटरेचर उपलब्ध कराया है उसमें 8459 विद्यालय आपने उत्तर प्रदेश में बतायें। एक आपकी योजना असेवित क्षेत्र को सेवित करने की, ब्लाक उसमें इकाई माना। ब्लाक के ऊपर आपने घोषणा की कि सारे ब्लाक सिंचित कर दिये, फिर इकाई न्याय पंचायत को बनाया। आपके जिले का एक उदाहरण दे रहा हूं और आपसे जानकारी भी चाहता हूं एक कहावत है अंधा बाटे रेवड़ी अपने-अपने को देय। मान्यवर, साढ़े चार वर्ष से अधिक हो गया इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं जानना चाहता हूं कि मुरादाबाद जिले में गूड़ा पाण्डे एक ब्लाक है। 2 साल पहले आपने अपनी पार्टी के जिले के एक पूर्व विधायक जी को निजी क्षेत्र में, या उनकी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उन्हें आपने एक कन्या विद्यालय के लिए अनुदान दिया। इस योजना के अन्तर्गत दो साल के बाद आपने न्याय पंचायत को यूनिट माना और उस ब्लाक में न्याय पंचायत में दूसरा अनुदान दिया जो आपके बहुत करीबी ससुराल पक्ष से रिश्तेदार हैं उनको और वह विद्यालय बना रामपुर के बार्डर पर जबकि जिला प्रशासन सन् 82 से इन पांचों गांवों को जिला रामपुर में जोड़ने का प्रस्ताव भेज रहा है। आप मुझे यह बतायें कि जिस-जिस विकास खण्ड न्याय पंचायत को आपने दिया है उसका जिला मुरादाबाद के लोगों को क्या फायदा पहुंचा ? मैं यह जानकारी आपसे चाहूंगा। मान्यवर, यह एक ब्लाक की बात हो गयी। इसमें एक और ब्लाक भगतपुर है आज तक भगतपुर को सेवित कर नहीं पाये वहां कोई भी कन्या विद्यालय नहीं है। इस साल मैंने सुना है कि निवाहुरखास में आपने कुछ स्वीकृति का आश्वासन दिया है, कुछ आगे क्रिया प्रक्रिया पहुंच गयी है मैं नहीं जानता लेकिन इस तरह से सरकारी आंकड़े प्रस्तुत करके पूरे उत्तर प्रदेश को सिंचित करेंगे या बतायेंगे और जनता को यह संदेश देना चाहेंगे तो मान्यवर, जनता में क्या संदेश जायेगा। इस पर आप फिर से विचार करें। इस बार कक्षा 9 की बोर्ड की परीक्षायें आपने शुरू करा दीं, इसका औचित्य, क्या है, यह मैं नहीं समझ पाया, आपके शिक्षक भी समझ नहीं पाये और विद्यालय के छात्र भी नहीं समझ पाये कि इस सरकार का क्या उद्देश्य है और क्या लाभ इससे सरकार ने कमाया और क्या जनता को लाभ पहुंचा ? मान्यवर, इतना जरूर हुआ है कि जो प्रश्न-पत्र पहले डेढ़ से दो

रूपये में बन जाता था, अब आधार के कार्ड के माध्यम से साढ़े 6 रुपये में प्राप्त होता है । आप पूरे प्रदेश का औसत लगा लीजिये, इस बहाने से धन की प्राप्ति की जाय तो मैं सरकार के इस आंकड़े को चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन इसे उपलब्धि भी नहीं मानूंगा । कृपया माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लें। यह निर्णय जनता के हित में नहीं है, विद्यार्थियों के हित में नहीं है, शिक्षा विभाग के हित में नहीं हैऔर छात्रों के हित में भी नहीं है।

मान्यवर, व्यवसायिक शिक्षकों की शुरुआत 1989 से हुई है और इसके अन्तर्गत 910 माध्यमिक विद्यालयों में 11 वर्षों से लगभग 5000 शिक्षक काम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने इन शिक्षकों को स्थायी करने हेतु 12 जुलाई, 2000 को आदेश कर दिया और कहा कि 400 पूर्ण कालिक और 400 अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति कर दें, इसके लिये आपको 441.34 लाख रुपया भी केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुका है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यह सरकार लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी पद सृजन अभी तक नहीं कर पायी है। अब शिक्षा के प्रति इनकी हमदर्दी इससे प्रकट हो गई है। मैं चाहूंगा कि आप केन्द्र सरकार के आदेश का पालन सुनिश्चित करायें और इन शिक्षकों का 1999 से जो वेतन रुका है, ऐसे लोगों को डेलीवेजेज पर एक मजदूर से भी कम औसत का वेतन बैठता है, उसको दिलाने का काम करें तथा इनको विनियमित करने की कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, हमारे मुरादाबाद जनपद में शिक्षा विभाग के नगर में 9 कार्यालय हैं और यह शहर के चारों कोनों पर हैं, इसमें से 5 कार्यालय नार्मल स्कूल में चल रहे हैं, हर बार अखबारों में छपता है कि किसी भी वक्त यह बिल्डिंग धराशायी हो जायेगी, यह 150 साल पुरानी इमारत है। बार-बार इसके लिये शिक्षा विभाग के भी प्रस्ताव आ रहे हैं, अब शिक्षा विभाग के कर्मचारी जबरदस्ती मौत के साये में काम करने को मजबूर हैं। पता नहीं क्या कारण है कि आप इतने संवेदनहीन हो गये हैं। नार्मल स्कूल में 2 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, आप उसमें उसकी बिल्डिंग बनवा दें इससे लोगों की जान बच जायेगी और शिक्षा का काम भी तेजी से हो सकेगा।

मान्यवर, अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में यह सरकार बड़ा ढिंढोरा पीटती है, अल्पसंख्यकों के सम्मान की बड़ी दुहाई दी जाती है और इस विधान सभा में माननीय राजा गजनफर अली और विधान परिषद् में सुश्री सीमा रिजवी को मंत्री बनाकर यह सरकार अल्पसंख्यकों का कल्याण कर रही हैं। मान्यवर,, हफीज सिद्दीक इस्लामिया इंटर कालेज, बदायूं का विवाद चल रहा है प्रबन्ध समिति का, इसी तरह सैकड़ों अन्य स्कूलों के विवाद चल रहे हैं। यह जानकर यह करते हैं कि प्रशासक नियुक्त कर देते हैं उसके बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक के यहां 2-2 साल तक तारीख नहीं पड़ती है और वही प्रशासक 8-8 साल तक काम करते रहते हैं, इससे आप अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के मामलों को शीघ्र निपटाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मान्यवर, रामप्यारी आर्य कन्या इन्टर कालेज, चन्दौसी में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल कु0 कुशल कान्ता की मैनेजमेंट की सांठ-गांठ से रिटायर होने के बाद 2 वर्ष बीत गये, प्रिंसिपल बनी हुई हैं और उनकी जगह पर श्रीमती आशारानी गुप्ता को प्रधानाचार्य बनाकर भेजा गया, तो उनको रिलीव कर दिया गया। एक बात और कहना चाहूंगा , इनके यहां कारगिल शहीद के नाम पर विद्यालयों में 5 रुपये , 10 रुपये तक वसूल किये गये और बाद में उसमें 16,500 रुपये का गबन हो गया। बाद में शिकायत करने पर दिनांक 4-1-2001 को 3000 रुपये का ड्राफ्ट तारीख निकल जाने के बाद

भेज दिया गया, इस प्रकार अभी भी 13,500 रुपये का गबन है। माननीय मंत्री जी आप क्यों नहीं ऐसे मामलों की जांच कराते ? आप ऐसे मामलों की जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने का काम करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एम0ए0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, सहसवान, जिला बदायूं और इस्लाहुल खवातीन गू0 हाई स्कूल, मुजफ्फरनगर की हाईस्कूल की मान्यता के बारे में मैं आपसे मिला था दोनों स्कूलों का आपने मुझे आश्वासन दिया था, आपके विभाग के अधिकारियों पर शायद आपका अंकुश नहीं है, वे निरंकुश हो चुके हैं। ये आपके आदेशों का पालन आपके मशविरे से नहीं करते हैं यह तो नहीं कहूंगा। आपने जो आदेश किये थे वह फाइल के साथ आपके रीजनल आफिस में पहुंच गया है। मान्यवर, आपने जो इसके मार्क्स बनाये हैं उसे गरीब विद्यालय पूरे नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने 1990 में उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ा था और अदीब, कामिल और मोआल्लिम को नौकरियां दी थीं। मान्यवर, आज माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 8,459 है उसमें से मात्र 1,289 में ही उर्दू पढ़ाई जाती है, और बीड़ा उठाया जा रहा है कि उर्दू के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया। अभी माननीय पाण्डेय जी ने नकल अध्यादेश का जिक्र किया आपने कुछ कर दिया आपने श्रीमन् , नकल अध्यादेश लागू करके ठेके पर नकल कराने को बढ़ावा दिया है।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें नहीं तो अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री सौलत अली एडवोकेट--

मान्यवर, अब स्कूल के प्रिंसिपल नकल कराने के ठेके लेते हैं और बेगुनाह छात्रों को जिनके पास किसी दूसरे ने पर्ची फेंक दी उन्हें जेल भेज देते हैं। इस पर गम्भीरता से सरकार विचार करे, आप इनके साथ खिलवाड़ न करें और इस नकल अध्यादेश को वापस लेने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य 5 मिनट की समय सीमा का ध्यान रखेंगे।

श्री अजय कुमार पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा और खाद्य के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, मंत्री जी द्वारा बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है और 2001-2002 में एक कन्या विद्यालय सेक्षित विकास खण्ड में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। न्याय पंचायत पर निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा विद्यालय खोले जायेंगे उसके लिए 5 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन्, 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरा करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए इस वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 31.33 करोड़ की जो व्यवस्था की गयी है वह भी अपने में एक सराहनीय कार्य है। श्रीमन्, हाईस्कूल के स्तर पर मान्यता के लिए बार-बार भटकना पड़ता था अब वन टाइम में एक ही मान्यता से काम चल जायेगा और बार-बार विद्यालयों के प्रबन्धकों को चक्कर लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, यह भी एक बधाई का कार्य है। श्रीमन्, 2001-2002 में 68 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान की सूची में रखकर एक सराहनीय कार्य किया गया है

जिससे कि विद्यालय के शिक्षक और सभी लाभान्वित होंगे। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि शिक्षक पंचायत बुलाकर उन्होंने एक सराहनीय काम किया है। पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में, जो कमेटी बनायी गई है, वह भी एक सराहनीय काम है जिससे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ अनुरोध करना भी उचित समझूंगा। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा का जन्म हुआ, ब्रज भाषा बनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा अकादमी नाम की कोई संस्था नहीं है। जबकि हमारे पड़ोस के प्रदेश राजस्थान में ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना हो सकती है तो जहां पर ब्रज भाषा पनपी उत्तर प्रदेश में वहां ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना क्यों नहीं हो सकती ? श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना, ब्रज भाषा की रक्षा और रख रखाव के लिए आज की परिस्थिति में अत्यन्त आवश्यक हो गयी है।

जबकि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ लोग दौड़ लगा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना हो । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मथुरा में जिला पुस्तकालय है वह बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में है, उसमें अमूल्य पुस्तकें हैं। मैं चाहूंगा कि उसकी मरम्मत व सुदृढ़ीकरण कराया जाये तो यह एक सराहनीय कार्य होगा। श्रीमन्, आपके माध्यम से एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि हमारे गोवर्द्धन विधान सभा क्षेत्र में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है वहां के छात्र साइन्स पढ़ने के इच्छुक हैं। 6 किलोमीटर तक कहीं भी साइंस की पढ़ायी नहीं होती है।

सदन में मोबाइल फोन जब्त किये जाने हेतु श्री अधिष्ठाता के निर्देश

(मोबाइल फोन की घण्टी बजने पर)

श्री अधिष्ठाता–

सदन में मोबाइल फोन की घण्टी बजना क्या शोभनीय लगता है ? कई बार इस पीठ से अनुरोध किया जा चुका है, माननीय अध्यक्ष जी भी अनुरोध कर चुके हैं। किसी भी दृष्टि से यह उचित नहीं है। यह अत्यन्त अशोभनीय है और सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और वक्ता एवं श्रोता दोनों को कठिनाई होती है।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, कई बार निर्देश दिया जा चुका है उसके बाद लोग नहीं मान रहे हैं तो मोबाइल फोन जब्त कर लीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निर्देश देता हूं कि इस मोबाइल फोन को, जहां भी हो, जब्त कर लिया जाये।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग, अनुदान संख्या-72 शिक्षा

विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (क्रमागत)

श्री अजय कुमार पोइया--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में साइंस की शिक्षा के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीन वर्षों से पत्रावली आपके यहां चल रही है और कहीं कमरों

की कमीं या अन्य कोई व्यवस्था की कमी निकाल देते हैं। मान्यवर, मैं मंत्री जी से बजट के मौके पर कहना चाहता हूं कि कमरे के निर्माण में जो व्यय आयेगा उसे मैं अपने विधायक निधि से पूरा कर दूंगा, वित्तीय खर्च उठाने की आवश्यकता नहीं है। जनहित में केवल उस विधायक को साइंस की मान्यता दे दें तो यह सपना साकार हो जायेगा और वहां के छात्र-छात्राओं को साइन्स की पढ़ाई-लिखाई में सुविधा होगी।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार पोइया--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन माननीय मंत्री जी अपने हाथों से करके आये वह बहुत अच्छा चल रहा है परन्तु 6-7-8 की कक्षायें नहीं लग रही हैं। अगर 6-7-8 की कक्षायें खुलवा दें तो पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के क्षेत्र में आपकी महती कृपा हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार पोइया--

माननीय अधिष्ठाता जी, अन्तिम बात करना चाहता हूं कि विद्यालयों में जो पद रिक्त चल रहे हैं उनमें नियुक्तियां लम्बित हैं। नियुक्तियां न होने के कारण छात्रों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। एक सघन अभियान चलाकर एक रूपरेखा बनाकर जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाये। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। बजट का समर्थन करता हूं।

डा0 कौशल किशोर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं तथा माध्यमिक शिक्षा पर रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, सारे जीवों की दो किस्में होती हैं। सहज बुद्धि जीवी और विवेक बुद्धि जीवी मनुष्य विवेक बुद्धि का प्राणी है। विवेक बुद्धि का विकास होता है वह जो कुछ सीखता है पढ़ने-लिखने से सीखता है, विवेक बुद्धि का बिकास पैदा होने के बाद होता है जबकि सहज बुद्धि जन्मजात होती है और विवेक बुद्धि जन्म के समय शून्य होती है। विवेक बुद्धि में विकास की बहुत ही आवश्यकता है इसका निरन्तर विकास होता रहता है। मनुष्य जो कार्य करता है वह विवेक के द्वारा ही करता है। विवेक के विकास के बिना मनुष्य अधूरा दूसरा सहज बुद्धि के जीव अपने जीवन की सुरक्षा का साधन स्वयं बना सकता है। अगर मनुष्य में विवेक है तो वह नदी को तैर करके पार कर जाता है नहीं तो वह बीच में ही डूब जाता है मनुष्य विवेक से नदी तैर कर पार कर सकता है, नाव से पार कर सकता है, जहाज से पार कर सकता है। पुल बनाकर पार करता है, पृथ्वी पर जन्में सभी लोग दो श्रेणियों में बंटे हुए हैं। एक गरीब है और दूसरा अमीर है। गरीब लोग वह है जो उत्पादन व निर्माण का काम करते हैं, और अमीर लोग वह हैं जो केवल उपभोग का कार्य करते हैं। गरीब लोग अनाज पैदा करते हैं, कपड़े बनाते हैं,चमड़े का काम करते हैं, और अमीर लोग इनका उपभोग करते हैं।

विवेक के बगैर इंसान जानवर से भी बदतर है। इसीलिए सभी लोगों को समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए सभी समान शिक्षा के अधिकारी हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी के लिए स्कूलों में एक जैसी समान शिक्षा की व्यवस्था की जाय। सभी स्कूलों में चाहे वह पब्लिक स्कूल हो या सरकारी स्कूल हों सब में समान शिक्षा होनी चाहिए। उंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए, जाति-पांति का भेद नहीं होना चाहिए। छोटों-बड़ों को समान शिक्षा के अवसर सुलभ होने चाहिए। लिहाजा यह इस देश की आवश्यकता है, देश में सभी लोगों को समान शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिये सभी समान शिक्षा पाने के अधिकारी हैं। आज मान्यवर, विद्यालयों में दाखिला की समस्या है 100 की जगह दो-दो सौ विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं, तो इसके निराकरण के लिए नये विद्यालय भवनों की आवश्यकता होगी। भवनों के लिए जमीन की जरूरत होगी तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए बहुत सारे विद्यालय जो पटल से संचालित है, एक पाली में संचालित होते हैं, उन्हें दो पालियों में चलाया जाय। एक पाली सुबह से दोपहर तक और दूसरा पाली दोपहर से शाम तक चलाई जाय तो विद्यालय में भर्ती की समस्या है, उसका समाधान हो जायेगा। मान्यवर, आज अध्यापकों की समस्या है एक सेक्शन पर 1½ अध्यापक के हिसाब से कक्षा 6 से 10 तक 5 सेक्शनों पर कम से कम आठ अध्यापक होने चाहिए परन्तु नियुक्ति पर रोक की वजह से बहुत कम है। 40-40 छात्रों का एक सेक्शन हैं और इसी हिसाब से अध्यापक नियुक्त किया है। एक-एक कक्षा में 40-40 विद्यार्थी ही होने चाहिए। सरकार ने शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा रखी है जबकि कक्षा 6 से 12 तक एक सेक्शन के हिसाब से एक विद्यालय में एक दर्जन शिक्षक होने चाहिए। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि कक्षा एक से 10 तक सभी के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाय। मैं चाहता हूं कि जो विद्यालय खुले हुए हैं मान्यवर, 1986 तक के शेष 68 विद्यालयों को अनुदान दिया गया है। वर्ष 1968 के बाद के बाकी स्कूलों को आपने वित्त विहीन घोषित कर दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उन विद्यालयों को भी आप अनुदान सूची में शामिल कर लें अगर आप सभी को एक साथ नहीं कर सकते हैं तो धीरे-धीरे ही उन्हें अनुदान सूची में ले लें।

मान्यवर, बहुत से सरकारी विभाग हैं, जैसे पुलिस, पी0 ए0 सी0, मिलिटरी और तमाम विभाग हैं इनसे आपको आय नहीं प्राप्त होती है उनकी आप सारी जरूरतें पूरी करते हैं लेकिन शिक्षा विभाग से आपको आय प्राप्त होती है तो इसे आय का विभाग न बनावें और मुफ्त शिक्षा देने की ओर ध्यान दीजिए। बड़े जोर-शोर के साथ आपने नकल अध्यादेश लागू कर दिया और कहा कि हम नकल नहीं होने देंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से सब कुछ नकल से ही सीखता है खाना, पीना, ओढ़ना, चलना, नहाना आदि। शिक्षा का उद्देश्य है कि मनुष्य को समाज में जो जीवन-यापन के अवसर उपलब्ध हैं उनके लिए ज्ञान आवश्यक है ज्ञान प्राप्त करके स्वावलम्बी बने। मान्यवर, आपकी सरकार में मासूम बच्चे जेल भेजे गये उसका असर उनके जीवन पर पड़ेगा। मान्यवर, यह जो शिक्षा चल रही है और इस शिक्षा में अभी-अभी जो परीक्षा हुई थी इसमें कापियों के पन्ने इतने खराब थे कि लिखो इस तरफ तो दूसरी तरफ भी छप जाता था। मान्यवर, इस तरह से कैसे काम चलेगा। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस देश की शिक्षा ऐसी हो जिसमें मानवता, समानता का विचार हो, जिसमें मनुष्य आगे बढ़ सके और आज कल जो शिक्षा चल रही है वह बहुत ही पैसे वालों के लिए कर दी गयी है गरीब शिक्षा से वंचित रह जायेगा। मान्यवर, अगर यही होता रहा तो यह देश रसातल में चला जायेगा, यह देश गुलाम बन जायेगा। मान्यवर, उंच-नीच और भेद-भाव में फंस जायेगा और इस देश के लोग शिक्षित बेरोजगार हो

जायेंगे। गरीब के बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा अनिवार्य और नि:शुल्क हो।

मान्यवर, प्रदेश के तमाम अध्यापक उत्तराखण्ड में पहले से कार्यरत है और उन्होंने विकल्प भी भरा है और वे उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं आज उनको लाने में सरकार को कठिनाई नजर आ रही है और सरकार चाहती है कि वे उत्तराखण्ड में ही रहे। उनके उत्तराखण्ड में रहने से उनके बच्चों का जीवन दुष्कर हो जायेगा। मान्यवर, मैं इस बजट के कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जो अध्यापक उत्तर ···ेश के रहने वाले हैं और उत्तराखण्ड में कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं तो उनके लिये माननीय मंत्री जी व सरकार से मैं चाहूंगा कि उनको आने का मौका दिया जाये, जिससे उनके बच्चों का भविष्य उजागर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री श्रीराम पाल--

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी द्वारा माध्यमिक शिक्षा के प्रस्तुत बजट पर विश्वनाथ जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले जो भी सरकारें रहीं उन सरकारों ने हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट तक नि:शुल्क शिक्षा छात्र और छात्राओं को देने की व्यवस्था की थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी मान्यवर, हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट में पढ़ने वाले छात्र /छात्राओं से बढ़ी हुई फीस वसूलने का काम इस सरकार ने किया है। मान्यवर, शिक्षा क्षेत्र में अनेक ऐसे विद्वान हुये हैं जिन्होंने शिक्षा नीति कैसी हो इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है। इसी क्रम में एक लार्ड मैकाले शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने देश की शिक्षा नीति को बनाने का काम किया था। उनका कहना था कि समाज में शिक्षा शिखर से टपकायी जानी चाहिये अर्थात् जमींदार, जागीरदार और पूंजीपतियों को और जो सरकार को लगान देते थे उनके परिवारों को बच्चों को बढ़ने का अवसर दिया जाय। लार्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वही आज इस प्रदेश की सरकार की है उसी का अनुगमन यह सरकार कर रही है। आज 50-60 रुपये फीस ली जा रही है मजदूरी करने वाला व्यक्ति यह फीस कैसे देगा ? उनके बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे ?

शिक्षा आज जनोपयोगी न होकर सम्पन्न परिवारों तक सीमित होती जा रही है। इसी कारण से प्रदेश में जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, इण्टरमीडिएट विद्यालय हैं जिनको ग्रान्ट मिलती है वहां पर कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है और उनके शिक्षक एक दिन भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसे विद्यालयों का काम अब यह रह गया है कि जो असहायता प्राप्त विद्यालय हैं, जिनको मान्यता नहीं मिली है वहां पर हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा दी जाती है और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दर्ज किया जाता है और उनकी परीक्षा होती है। इसी के कारण आज नकल हो रही ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर जितने परीक्षार्थी अन्दर बैठकर परीक्षा देते हैं उससे ज्यादा बाहर बैठकर जिसमें अभिभावक भी होते हैं नकल करवाते हैं। जब साल भर पढ़ाई नहीं होगी पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराया जायगा तो ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक बच्चों का साल बरबाद न हो जायज और नाजायज तरीके से अपने बच्चों को पास कराने के लिये उपाय करेंगे। इसी कारण से आपने देखा होगा कि नकल रोकने के प्रश्न पर तमाम घटनायें भी ऐसे

नोट:--वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्यालयों में हुआ करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके आधार पर विद्यालयों की स्थापना करने का काम करें। एक बहुत बड़ी आपकी कमी और सामने आयी है वह यह है कि आपके जो सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वहां पर अध्यापकों के पद रिक्त हैं। मैनेजमेन्ट के द्वारा बिना परमीशन के अध्यापकों की नियुक्ति कर ली जाती है। मेरे यहां जालौन में 50सौ ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति अवैधानिक तरीके से कर ली गयी और डी0 आई0 ओ0 एस0 को हड़काकर स्वीकृति ले ली गयी और ऐसे अध्यापक आज हाईकोर्ट से स्टे लाकर पढ़ा रहे हैं। इस ओर आप ध्यान दें। यह धन्धा बन गया है।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें।

श्री श्रीराम पाल--

इसके साथ जो असेवित न्याय पंचायतों और ब्लाकों में कन्या जूनियर हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज खोले जाने की सरकार की नीति है। वर्ष 2001 में प्रत्येक जनपद से असेवित ब्लाक और असेवित न्याय पंचायतों को, जिला स्तर पर अधिकारियों की एक समिति गठित है, उस समिति द्वारा चयनित विद्यालयों की सूची शासन को प्राप्त हो गई है । शासन के द्वारा उनकी स्वीकृति भी हो चुकी है। विद्यालय समिति द्वारा चयनित हुए लेकिन कोई शासनादेश जारी नहीं किया जा रहा है जो सरकार की ओर से घोषणा है कि इतना धन दिया जाएगा वह नहीं दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के किसी एम0 एल0 सी0, एम0 एल0 ए0, एम0 पी0 द्वारा एक चिट्ठी लिख दी जाती है कि यह विद्यालय ठीक नहीं है यह फलां पार्टी के लोगों द्वारा संचालित हो रहा है ऐसे विद्यालयों के संबंध में शासनादेश जारी नहीं करते, जो चयनित विद्यालय हैं असेवित न्याय पंचायतों और असेवित ब्लाकों में उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

ऐसे विधान सभा क्षेत्र जो नगर में हैं जिसके आस पर ग्राम सभा भी लगी हुई हैं अगर नगरीय क्षेत्र में कन्या हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज हैं तो चाहें 50-50, 100-100 गांव हों लेकिन उन सबको सेचुरेट मान लिया जाता है और ऐसे गांवों में कन्या हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज नहीं खोले जाते क्योंकि उनको सेवित मान लिया जाता है। उनको कन्या हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज से वंचित कर दिया गया है। अगर आरक्षित वर्ग के अध्यापक चाहें वह अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों या पिछड़े वर्ग के हों आयोग द्वारा उनका चयन कर लिया जाता है लेकिन वह अध्यापक होकर किसी निजी प्रबन्ध तंत्र के विद्यालय में जाते हैं तो उनको ज्वाइन नहीं कराया जाता।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें।

श्री श्रीराम पाल--

मान्यवर, मेरी पार्टी की तरफ से ज्यादा नाम नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता--

तो आपके नेता को ज्यादा नाम भेजना चाहिए था। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

(इस समय 5 बजकर 08 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए।)

श्री श्रीराम पाल--

ऐसे अध्यापक जो शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित भी होते हैं लेकिन उनको निजी प्रबन्ध तंत्र के विद्यालय ज्वाइन नहीं कराते। वह कहीं शासन, कहीं आयोग, कहीं उच्च न्यायालय में चक्कर काटते रहते हैं। सरकार की ओर से ऐसा कानून बनाया जाए ताकि निजी प्रबन्ध तंत्र के विद्यालय के मैनेजमेंट की, उनकी ज्वाइनिंग के लिए बाध्यता हो। जैसा कि पूर्व साथी ने कहा उत्तराचंल में करीब 4 हजार माध्यमिक शिक्षक नौकरी कर रहे हैं वहां की परिस्थिति इतनी विकट है वहां पहाड़वाद और प्लेनवाद चला हुआ है यह मानसिकता इतनी बुरी तरह व्याप्त है कि वहां मैदानी क्षेत्र के अध्यापक जो आयोग द्वारा चयनित होकर जिनकी नियुक्ति हुई है वह किसी समारोह व अन्य जगह नहीं जा पा रहे हैं वह अपने घरों में ही रुके हैं उनको बुरी तरह से अपमानित, प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उनको धिक्कार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो पद रिक्त पड़े हैं तो उत्तराचंल के चार हजार शिक्षकों को जिनके विकल्प भी स्वीकृत हुए हैं उनको यहां तैनात किया जाए। सरकार में संवेदनशीलता होनी चाहिए लेकिन यह सरकार हृदयहीन हो गई है। आज अध्यापक लोग अपना धरना प्रदर्शन विधान भवन के सामने कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आज उनको वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। मारापीटा जा रहा है कई के तो हाथ पैर तोड़ दिये गये। सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ इन चार हजार मैदानी क्षेत्र के अध्यापकों को उनके द्वारा भरे विकल्प के आधार पर रिक्त स्थानों पर यहां भर्ती किया जाय। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री कैलाश सिंह राजपूत--

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस सरकार से जो पूर्व सरकारें थी उस समय परीक्षा का ऐसा माहौल हो गया था कि छात्रों ने पढ़ना बन्द कर दिया। छात्र और उनके अभिभावक ऐसे विद्यालय की तलाश करते थे जहां नकल होती हो लेकिन जब से यह सस्कार आई है मंत्री जी ने दायित्व संभाला है नकल विरोधी अध्यादेश का कड़ाई से पालन कराया जिससे प्रदेश में छात्रों के मन में पढ़ाई की जिज्ञासा आई और नकल जिस समय चरम सीमा पर थी मेधावी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया था, पढ़कर परीक्षा पास करने वाले से ज्यादा अंक नकल करने वाला छात्र लाता था इन सब पर रोक लगी मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं। मंत्री जी के कार्यकाल में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास खण्डों में छात्राओं को पढ़ाने के लिए हाई स्कूल इंटर कालेज जहां नहीं थे निजी प्रबंध तंत्र को आमंत्रित कर 20 लाख प्रति विद्यालय की सहायता करके विद्यालय खुलवाये जो सराहनीय कार्य है। असेवित विकास खण्ड ही नहीं बल्कि असेवित न्याय पंचायतें भी इससे अछूती नहीं रहीं वहां भी छात्राओं के पढ़ने के लिए विद्यालय खोले गये। हमारे कन्नौज जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं हैं, नियुक्ति करने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री बाबू खां--

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देने हेतु खड़ा हुआ हूं। मुझे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत भाषा व माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट पर निहायत संदेह है । यह सही है कि हिन्दी राष्ट्र भाषा है भारत

नोट:--वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारती एवं अन्य पुरस्कार भी हैं संस्कृत भाषा योजना और अन्य योजनायें जो बताई गई हैं हम समझते हैं। संस्कृत भाषा के ऊपर भी आपने बजट मांगने की कृपा की है लेकिन खेद का विषय है कि और भी हमारे प्रदेश में तमाम भाषाएं हैं। उर्दू भी उनमें से एक भाषा है, इसके साथ माननीय मंत्री जी ने सौतेला व्यवहार किया है। अपने बजट में उर्दू भाषा के लिये कोई भी प्राविधान नहीं किया है, न ही इसके लिये कोई धन दिया गया है। यह बहुत खेदजनक बात है। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में हम कहना चाहते हैं कि आपने करीब 6 हजार स्कूल, कालेजों की गणना बताई है जो 40 हजार आबादी के ऊपर, 45 हजार की आजादी के ऊपर एक विद्यालय की हमारे प्रदेश में प्रति विद्यालय है। हम कहना यह चाहते हैं कि 45 हजार की आबादी के अर एक विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र कितने होंगे और उसी का यह कुप्रभाव है, कुव्यवस्था है कि बजट में मांग कम है। आज हमारे विद्यालयों में एक क्लास के अन्दर 80, 100, 200 छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वह शिक्षा उचित रूप से हो नहीं पा रही है। महिलाओं की शिक्षा के विषय में आपने जो बजट दिया है उसमें 357 ब्लाक ही लिये हैं जबकि हमारे प्रदेश में 1200-1250 ब्लाक हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने बाकी ब्लाकों को क्यों छोड़ दिया ?

मान्यवर, हरदोई जनपद का भरखनी ब्लाक जो कि सबसे बड़ा ब्लाक है, वहां पर एक भी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। यह स्थिति बहुत ही विडम्बनापूर्ण है और ऐसी स्थिति में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं। विद्यालयों की कमी और विद्यालयों में तमाम शिक्षकों की कमी होने के कारण से आज पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मान्यवर, हम देखें कि हमारे देश और प्रदेश की पहचान और इन्सान की पहचान शिक्षा से ही होती है। हमारा असली वस्त्र शिक्षा है। देश विदेश की तुलना में न जाकर अपने ही देश के अन्दर अपने प्रदेश की और दूसरे प्रदेशों के बीच में तुलना करें तो पायेंगे कि हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, आम लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान में केरल की शिक्षा, मद्रास की शिक्षा, असम की शिक्षा और सम्पूर्ण दक्षिण भारत की शिक्षा बहुत ही आगे है और वहां पर बहुत ही शिक्षित समाज है। मान्यवर, इसका यह कारण है कि क्योंकि वहां की शिक्षा की व्यवस्था, वहां की शिक्षा की मांग और वहां की शिक्षा की योजनाएं और दक्षिण भारत में शिक्षा के सारे प्रबन्ध उचित रूप से किये गये हैं।

इसलिए वहां शिक्षा का अच्छा प्रभाव है अधिक से अधिक समाज शिक्षित है और आज उत्तर प्रदेश शिक्षा में पिछड़ा है.....

(समय 5 बजकर 20 मिनट।)

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें।

श्री बाबू खां--

जब से बी0 जे0 पी0 की सरकार आई है शिक्षा पर ध्यान न देकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को पिछाड़ दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा की सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित करें तभी समाज शिक्षित हो सकता है। यह टेक्नालाजी का युग है, शिक्षा का युग है, शिक्षा में पीछे रह जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं, असफल हो जाते है इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अरविन्द गिरि--

मान्यवर, आपने भाषा ओर माध्यमिक शिक्षा विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, शिक्षा का अपना इतिहास, अपना महत्व अनादिकाल से रहा है और समय-समय पर इस पर बल दिया गया और महत्व समझा गया है। इसका अपना गौरवशाली प्रगति का इतिहास रहा है। वर्तमान में आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, शिक्षा की जो हालत है वह छिपी नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की आम जनता की चिन्ता का विषय है। राजनीति की दृष्टि से ऊपर उठ कर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें तो निश्चित रूप से पायेंगे कि चाहे शिक्षक हों, चाहे छात्र हों जितना दोहन वर्तमान सरकार में हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं उनका पत्र मुझे मिला था, पूरे प्रदेश के इस सम्मानित सदन के सदस्यों को मिला होगा, मुझे भी मिला, मैंने उनके अनुरूप कार्य करने का सफल प्रयास किया। हैदराबाद-जनपद लखीमपुर खीरी में सात लाख की आबादी है यहां एक भी राजकीय इण्टर कालेज नहीं है मात्र दो अशासकीय इण्टर कालेज हैं, आठ हाई स्कूल हैं, एक बालिका इण्टर कालेज है, मुझसे पहले जो हैदराबाद के प्रतिनिधि रहे होंगे लेकिन जो इस प्रदेश के इस क्षेत्र के नौनिहाल हैं वह शिक्षित हो जायेंगे उनकी यह सोच रही होगी कि क्षेत्र के नौनिहाल पढ़-लिख गये तो अपने अधिकारों को समझने लगेंगे तो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी कर सकते हैं इसलिए इनकी शिक्षा के ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस विद्वान वर्तमान सरकार ने कोई शिक्षा की उत्तम व्यवस्था कराने का कोई कार्य नहीं किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं आपके पत्र का सम्मान ही नहीं किया बल्कि एक शिक्षक और शिक्षक पुत्र होने के नाते अपने दायित्व को स्वीकार किया, शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। विधायक निधि से आपके विभाग को 60 लाख रुपया देने का काम किया, शायद प्रदेश में पहला अवसर होगा कि किसी विधायक ने आपके विभाग को 60 लाख रु0 दिया होगा। शहीद राजनारायण मिश्र इण्टर कालेज सिकन्दराबाद, राजू किसान इण्टर कालेज अमीन नगर, स्वर्गीय राजेन्द्र गिरि स्मारक इण्टर कालेज पिपरिया कप्तान का भवन बनवाने का काम किया, पूरा वर्ष हो गया है, मान्यता नहीं मिली है।

मैं चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में एवं जनता के हितों को ध्यान रखते हुए शिक्षा के सम्बन्ध में काम किया है। विधायक निधि से 60 लाख रुपया दिया है, इसमें मेरी हिम्मत अफजाई होनी चाहिये थी। यही नहीं, यदि आप शिक्षा के प्रति जागरुक हैं विश्वास को कायम करना चाहते हैं तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि शहीद राजनारायण मिश्र ऐसे एक महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शहीद थे, जिनका नाम पूरे जनपद में आदर्श के साथ जाना जाता है, उनके नाम पर विद्यालय भवन बनाने का काम किया है। मान्यवर, स्व0 श्री राजेन्द्र गिरि बालिका इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य ही नहीं बल्कि जनपद लखीमपुर-खीरी के शिक्षा जगत के स्तम्भ थे, उनके नाम पर स्व0 श्री राजेन्द्र गिरि स्मारक इण्टर कालेज के भवन का निर्माण करने का कार्य किया1 मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह भवन शहरों की नहीं सुदूर गांव के क्षेत्र में बने हैं जहां आपकी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिये थी, आपने नहीं की। सरकार, यदि शिक्षा के प्रति संवेदनशील है, शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहती है, तो तीन इण्टर कालेज के भवनों की जो स्थापना की गई है उनको सवित्त मान्यता देने के लिए आपके

माध्यम से चाहता हूं कि मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का काम करेंगे। मान्यवर, ब्लाक स्तर पर ही नहीं न्याय पंचायत स्तर पर इण्टर कालेज की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें।

श्री अरविन्द गिरि--

मान्यवर, इस बजट में क्रमशः ब्लाक व न्याय पंचायत स्तर पर राजकीय इण्टर कालेज, राजकीय हाई स्कूल का न होना दुःख की बात है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट में समर्थन के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, 1991-92की जो पूर्व स्थिति थी उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जब सारे प्रदेश के अन्दर माध्यमिक शिक्षा में नकल एक कैन्सर बन चुका था। 1991-92 में हमारी सरकार ने नकल रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया और सारे देश के अन्दर एक प्रतिष्ठा अर्जित की थी। 1991-92 के पूर्व प्रदेश की जो स्थिति थी, जो हालत थी उससे पूरा प्रदेश व देश अवगत है। अभी मैं कटौती के प्रस्तावक श्री विश्वनाथ जी को मैं सुन रहा था। वह आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे कि नकल रोकने के अभियान में इतनी जगह छापे पड़े, इतने सेन्टर निलम्बित किये, इतनी गिरफ्तारियां की गयीं तो हमने यह किया, इसके लिए हमको धन्यवाद देना चाहिये था कि नकल रोकने का कड़ाई से प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसके लिए हमारी निन्दा की जा रही है।

हमारी सरकार की सदैव से यह नीति रही है कि नकल विहीन शिक्षा प्रदेश के अन्दर दी जाय। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नकल विहीन शिक्षा की कोशिश हमारी सरकार ने की थी उसके बाद दूसरे दल की सरकार बनी थी उन्होंने स्वकेन्द्र स्थापित करके क्या नकल को प्रोत्साहित नहीं किया था ? मैं पूछना चाहता हूं उस समय के बयान, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बयान कि हमारी सरकार आयेगी तो एक मिनट में नकल अध्यादेश को समाप्त कर देगी। हमने एक अध्यादेश लाकर एक अच्छा कदम उठाया था उसकी सराहना की जानी चाहिये लेकिन शिक्षा का राजनीतिकरण किया गया मैं इसकी निन्दा करता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार ने शिक्षा को व्यापक बनाने में स्वसुलभ बनाने के लिए 9(4) के अन्तर्गत मान्यता देने की व्यवस्था की है। विद्यालय खोले जा रहे हैं। अभी कटौती के प्रस्तावक ने कहा कि थैलीशाहों का वर्चस्व हो जायेगा, पूंजीपतियों का वर्चस्व बढ़ जायेगा, मैं पूछना चाहता हूं कि राजकीय विद्यालय कितने हैं ? निजी क्षेत्र में जो विद्यालय स्थापित हुए हैं उन्होंने शिक्षा के लिए सार्थक प्रयास नहीं किये थे। मान्यवर, जो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय स्थापित किये हैं उनको ग्रान्ट में ले लिया है। यह जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार निजी क्षेत्रों के विद्यालयों को प्रोत्साहित कर रही है 9(4) के अन्तर्गत लेकर ताकि जो शिक्षा की स्थिति है उसको सुधार करने के लिए, उसका विकास करने के लिए वे आगे आयें तो इसके लिए उन्हें प्रशंसा की जानी चाहिये। मान्यवर, बालिका विद्यालय की बात आयी। असेवित ब्लाक की बात आयी तो असेवित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है। हमारे पास संसाधन कम हैं। मैं चाहूंगा कि

उत्तर प्रदेश के लोग सरकार के द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करें। मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। आज प्रदेश के अन्दर अध्यापकों का अभाव है, रिक्तियां हैं, चयन की प्रक्रिया को तेज किया जाय तो इससे सुधार होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर, जो प्रोन्नति के अध्यापक हैं डी0 आई0 ओ0 एस0 या बेसिक शिक्षा अधिकारी हो जाते हैं उनसे व्यवस्था को नियंत्रित करने में सुविधा नहीं हो रही है। मान्यवर, सीधी भर्ती के पदों से चयन करके व्यवस्था की जाये उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाये जायें और जो अन्य पद हैं वो बनाये जायें। इस तरह से व्यवस्था बनायी जाये। मान्यवर, मैं इस बात को कहता हूं कि हमारी सरकार ने पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू होने की बात कही है जिसके लागू होने की शीघ्र ही पूरी संभावना है। मान्यवर, इसको लेकर शिक्षकों में असंतोष था और उस असंतोष के कारण शिक्षा का स्तर प्रभावित हो रहा था अब शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग का वेतनमान मिलेगा।

मान्यवर, क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में स्थापित करने की गत वर्ष बात उठायी थी। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसमें सार्थक पहल करें मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी 25 फरवरी, 2001 को हमारे क्षेत्र में गये थे और वहां राजकीय कन्या विद्यालय, लालगंज का शिलान्यास किया था और कहा था कि इसको इण्टर तक की मान्यता दी जायेगी। मान्यवर, शिलान्यास हो गया भवन के लिए पैसा जारी हो गया है लेकिन विद्यालय भवन बनाने में अभी समय लग सकता है इसमें जुलाई से पढ़ाई की व्यवस्था करनी है तो मेरा अनुरोध है कि किसी किराये के भवन में इसको शुरू करा दें। मान्यवर, इसी तरह से राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बरवा के भवन के लिए भी 25 फरवरी, 2001 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने धन देने की घोषणा की थी, अभी वह विद्यालय किराये के भवन में चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों घोषणाओं का क्रियान्वयन कराने की कार्यवाही करायें। इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रामतेज यादव एडवोकेट--

मान्यवर अभी हमारे विधायक दोस्त बोल रहे थे नकल पर बड़ा भाषण दे रहे थे कि नकल नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, शिक्षा विभाग में पहले से घोषणा है नकल रोकने की लेकिन डपोरशंखी भाजपा सरकार सयानी बच्चियों को हथकड़ी लगाने का काम कर रही है और यह काम बड़ी बेशर्मी और बड़ी बेहयायी से कर दिया है। अब उनकी शादी-ब्याह होने में कितनी दिक्कतें होंगी। मान्यवर, नकल अध्यादेश के कितने मुकदमें आज लम्बित हुए हैं, यह आपके चिन्तन का विषय नहीं है, आप इनकी हां में हां मिलाते रहते हैं आपके बच्चे और बच्चियों को जब हथकड़ी लगेगी तब पता चलेगा कि नकल अध्यादेश क्या है ? नकल नहीं होनी चाहिये कौन कहता है कि नकल होनी चाहिये ? मैं भी कहता हूं कि नकल नहीं होनी चाहिये लेकिन जिन सयानी बच्चियों को 4 साल के अन्दर इस सरकार ने हथकड़ियां लगवायी हैं उनकी शादी-ब्याह कैसे होगी और उनका और उनके परिवार का स्तर समाज में कितना गिर गया है इस पर आप सोचें आप चिन्तन करो शिक्षा आज जो होनी चाहिये उसमें हिन्दी होनी चाहिये, उर्दू होनी चाहिये, संस्कृत भी होनी चाहिये लेकिन आप अंग्रेजी के लिए चिल्लाते रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में इस देश में हिन्दी नहीं चलेगी तो क्या लन्दन में चलेगी ?

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप कौन सी शिक्षा रखना चाहते हैं आप संस्कृत तो पढ़ाइये संस्कृत आप पढ़ा नहीं सकते उसमें अक्ल नहीं लगा पा रहे हैं उर्दू और हिन्दी दो सगी बहने हैं हिन्दी को आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं और उर्दू के प्रति आपकी मानसिकता खराब है आप उर्दू की तरक्की नहीं करना चाहते हैं उर्दू के अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं।

मेरी सरकार थी हमारे दल के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने बड़ी सख्ती से इसमें काम कियां था नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी लेकिन आपने बच्चों की फिर से फीस बढ़ा दी जो परीक्षा फीस थी उसको दुगुना-तिगुना कर दिया है क्या काम किया है आपने शिक्षा में ? आप अंग्रेजियत को उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं आप दूसरे प्रदेशों की भाषाओं को यहां लायें तमिलनाडु, केरल की भाषा को लायें ताकि जो इन प्रदेशों में हिन्दी के प्रति रुझान नहीं है वहां के लोग भी हिन्दी के लिए कोशिश करें। जब आप दूसरे प्रदेशों की भाषा भी पढ़ायेंगे तो वहां हिन्दी हमारी मजबूत होगी और वे लोग हमारी भाषा का सम्मान करेंगे खड़े होकर नमस्कार करेंगे हमारे नेता ने दूसरे प्रदेशों की भाषा को पढ़ाने की व्यवस्था की थी। आप यहां हिन्दी, उर्दू और संस्कृत को पढ़ायें लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अन्दर अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है आपका मैच्योर माइन्ड नहीं है आप उस व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते हैं। आप उर्दू को मत दबाइये क्योंकि हिन्दी के तमाम ऐसे शब्द हैं जो उर्दू से पोषित हैं आप इसमें अन्तर मत डालिए, अंग्रेजी के गुलाम भी मत बनिये। मान्यवर, एक व्यक्ति आया था कोई बड़ा नेता था मान्यवर, लोकसभा में बात आई थी तो हमारे नेता ने बढ़-चढ़कर कहा था तो उन्हें हिन्दी में बोलना पड़ा था। समाजवादी पार्टी के नेता वसूलों से समझौता नहीं करते।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी देर तक बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बता रहे थे अभी तक पहाड़ा पढ़ा रहे थे अब इकाई दहाई भी जान लो। मान्यवर, जितने भी अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं प्रदेश में तोड़ देना, सहायता नहीं देना, अध्यापकों को बेइज्जत करना, उनको महत्व न देना यह भारतीय जनता पार्टी का अन्दरूनी मामला था। वह 4 साल में खुलकर सामने आ गया। अब तो बेनकाब हो गये हो, अब तो कहीं छुपने की जगह भी नहीं है अब तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया आप चेहरा छिपा नहीं सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ढुलमुल तरीके से नहीं चलेगा शिक्षा की नीतियों को साफ तौर पर लागू करना पड़ेगा। ब्लाक स्तर पर आपकी असेवित संस्थायें चलती हैं। ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा की नहीं चलेगी। इस बजट पर भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक जीत कर आये हैं, उन सबको सहायता मिलनी चाहिये। एकाधिकार नहीं बन रहा है ये बजट का दुरुपयोग कर रहे हैं और खाने-पीने का इंतजाम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू के अध्यापक, उर्दू की संस्थाओं को मिटाइये नहीं और आपके मिटाने से मिटेंगे भी नहीं। जब उर्दू भाषा की संस्थाएं खड़ी हो जायेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को रास्ता ढूंढ़े नहीं मिलेगा, तो मान्यवर, बहुत ढिंढोरा पीटते हो नकल का, मैं सुन रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी नकल के बड़े विरोधी हो एक-एक अक्षर पढ़ कर बोले हो, यह नकल नहीं है तो क्या है ? अक्ल नहीं है तो नकल लगाये रहो। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे-बच्चियों को मुकदमें में फंसा रखा है तो सेकेण्डों देर नहीं लगेगी मुकदमा वापिस करूंगा। इतना ही नहीं बी0 एस-सी0, एम0 एस-सी0 तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दूंगा और आपके मुंह पर कालिख पुतवा दूंगा और सुनिये जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कमजोर

गरीबों को फंसाया है उनको जेल भेजने का काम किया है उनके भी खिलाफ जांच करवाऊंगा और उनको भी जेल भिजवाकर मानूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर जो बजट आया है उस पर की गयी कटौती का मैं समर्थन करता हूं। मैं अपने जनपद की बात कर लूं। आपने बहराइच का सत्यानाश कर दिया। मंत्री चलने-फिरने से लाचार, बैठने से लाचार उसको बैठा दिया जो कुछ नहीं कर सकता। बहराइच जनपद के तमाम स्कूल हैं, जिनमें अध्यापक नहीं हैं, आप उनमें अध्यापकों की नियुक्ति करायें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधरेगी यह सरकार नहीं सुधरेगी और यह मंत्री जी भी नहीं सुधरेंगे। इनको सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग दवा इलाज करेंगे। इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि माध्यमिक शिक्षा के बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने का अवसर दिया। मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरठ महानगर में जो बरसों से चीज प्राप्त नहीं हुई थी, आपने पिछले शिक्षा सत्र से वहां गवर्नमेन्ट गर्ल्स इण्टर कालेज दिया है, भले ही विधायक निधि से मेरा भी सहयोग था, लेकिन शासन ने इसकी स्वीकृति दी, शासन ने भवन मद में जितना अनुदान था, वह पूरा का पूरा अवमुक्त किया। मैं आप से मांग करता हूं कि इसको उच्चीकृत करके इन्टर कालेज बनाया जाय और उसमें विज्ञान वर्ग की कक्षायें खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाय। भवन की जिम्मेदारी मेरी और अध्यापक और पद शासन के देने का काम है, ऐसा कर देने से महिला शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति होगी।

मान्यवर, मैं एक चीज और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी स्वयं को और शिक्षा विभाग को शिक्षक संघ के आतंक से मुक्ति दिला लें, आज पूरा शिक्षा विभाग इनसे त्रस्त है, जनपद से लेकर मंडल तक, इस शिक्षक संघ से आप इसको मुक्ति दिलायें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो प्रबन्धकीय विवाद विद्यालयों में चल रहे हैं उसके लिए प्रदेश स्तर पर लोक अदालतों का गठन किया जाय और जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट लोक अदालत की पद्धति से इन प्रशासकीय विवादों को सुलझा कर इन संस्थाओं को बचाया जाय।

मान्यवर, समान शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहूंगा कि इसके बारे में माननीय मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी और जब माध्यमिक शिक्षा का बजट होगा तो समान शिक्षा के सम्बन्ध में सुनने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मुझे महान कष्ट है। मान्यवर, संस्कृत विद्यालयों के प्रकरणों के सम्बन्ध में 5 फरवरी, 2001 तथा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 4 अप्रैल, 2001 के फाइनल आदेश के बाद एक माह बीत जाने के बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं हो सके हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में विशेषज्ञ शिक्षकों के बावत कहा कि उनकी नियुक्ति की गई है। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। हमारे मेरठ मंडल का जो रिजल्ट है, वह अभी तक घोषित नहीं हुआ है, उसको घोषित करवाने की आप कृपा करें।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जी0 आई0 सी0 के भवन के लिए यदि अनुदान की व्यवस्था हो सकेगी तो मैं आपका आभारी हूंगा। इसी प्रकार उत्तरांचल के 4000 विकल्पधारी शिक्षकों का प्रकरण है। यह सभी राजकीय शिक्षक हैं। मैंने इस मामले को नियम 51 में भी उठाया था। मान्यवर, इस

सम्बन्ध में पुनर्गठन विधेयक से विकल्प मांगा गया, जिसको उत्तरांचल सरकार ने तो अपनी सहमति दे दी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति नहीं दी और अब उत्तराखंड क्रान्ति दल के अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने धमकी दी है, ऐसे शिक्षकों को उत्तरांचल के बाहर खदेड़ दिया जायेगा। इसकी तुलना उन्होंने आसाम से की है और कहा है कि यह जो राज्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, यह आसाम की तरह की परिस्थिति उत्तरांचल में पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा है कि सरकार शिक्षकों के मामले को उलझा रही है। वहां के स्वास्थ्य मंत्री श्री अजय भट्ट, जो पूर्व में इसी सदन के सदस्य थे, ने कहा है कि उत्तर प्रदेश कैडर के कर्मचारी मन लगाकर काम नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी विपरीत परिस्थिति वहां पैदा हो गई है, ऐसे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे 4 हजार विकल्पधारी शिक्षकों के मामले में आप शीघ्र निर्णय लेने की कृपा करें। और तो और जो आपका महालेखाकार का कार्यालय उत्तर प्रदेश में है जो उत्तरांचल में चले गये, माध्यमिक शिक्षकों के खातों में भयंकर हेरा-फेरी की गयी है। इस बारे में भी आप ध्यान दे लें कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक थे, उत्तरांचल चले गये हैं, आपका महालेखाकार कार्यालय भी काम कर रहा है, शिक्षकों के खातों में भारी हेरा-फेरी हुई है, उसको आप देख लें तो अच्छा रहे। मान्यवर, एक लायल लाइब्रेरी है उसके लिए अनुदान का अनुरोध करूंगा। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, सदन में फीस माफी और नि:शुल्क शिक्षा की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं मेरा मानना है कि ये लोग शिक्षा को समूल नष्ट करने की बात कर रहे हैं। मेरा तो कहना है कि माध्यमिक स्कूलों में और बाकी स्कूलों में, छोटे स्कूलों से लेकर बड़े तक जिन बच्चों के माता-पिता पैसा देने में सक्षम हैं 50-60 प्रतिशत लोग, उन लोगों से फीस ली जानी चाहिये और उस पैसे से गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। केवल राजनीति और वोटों के लालच में शिक्षा को नष्ट करने का श्रेय कम से कम हमारी सरकार को नहीं लेना चाहिये।

जो लोग फीस देने में सक्षम हैं, उनसे फीस ली जानी चाहिये और उससे आप कालेज के भवनों का निर्माण करें, अध्यापकों की व्यवस्था करें, सीटों को बढ़ाने की व्यवस्था करें और आर्थिक संकट के नाम पर ऐसी परिस्थिति पैदा न करें कि जैसे कबूतर, बिल्ली को आता देखकर आंख मूंद कर बैठ जाता है। मान्यवर, सरकार को अधिक से अधिक शिक्षा की व्यवस्था पैसे के आधार पर नहीं छोड़नी चाहिये और मेरा यह निश्चित मत है कि वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा की स्थिति आ रही है, धीरे-धीरे संसाधनों के अभाव के नाम पर विभिन्न प्रकार के शिक्षा मित्रों, विषय विशेषज्ञ के नाम पर जो व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो जाये कि जो हमारा मूल रास्ता है उससे हम भटक जायें, हम शिक्षा भी न दे सकें और मन मसोस कर रह जायें। मान्यवर, प्रबन्धकीय विवाद के लिए लोक अदालत की मैं सिफारिश करता हूं। इससे जनपदों के विद्यालय बच जायेंगे क्योंकि अधिकारियों के मुंह में खून लग चुका है और शिक्षक संघ के आतंक से मुक्ति मिल जाये। यह मेरा निश्चित मत है कि शिक्षा विभाग एक ही शिक्षक संगठन से ग्रस्त है वहां एकतरफा काम चल रहा है। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री अफजाल अहमद--

मान्यवर, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा और भाषा के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने बजट भाषण में बहुत ही अच्छी नीति का पूरा ब्यौरा सदन में रखा

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मैं स्वयं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा में दिन-प्रतिदिन गिरावट आ रही है। शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आयी उसके कुछ कारण हैं, इनकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, शिक्षा विभाग एक पवित्र विभाग है, मान्यवर, शिक्षा हमारे जीवन में ओढ़ने और बिछाने की तरह काम करती है। शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद से ही इस मुल्क में जो काम होना चाहिये था, वह नहीं हुआ है।

मान्यवर, हमको जिस तरह से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बच्चों का टेस्ट लिया जाये जैसा और कन्ट्रीज में लिया जाता है जिसमें जैसा टैलेंट है उसी आधार पर उसका एडमीशन लिया जाना चाहिये। यह नहीं कि कक्षा 8 तक 8 विषय पढ़ायें, हाई स्कूल, इण्टर में 5, बी0 ए0 में 3 और एम0 ए0 में एक विषय पढ़ा दिया, हमने जो पठन-पाठन की व्यवस्था की है उससे केवल क्लर्क ज्यादा पैदा हुए हैं आफिसर कम पैदा हुए हैं। आज स्थिति यह है कि एम0 ए0 पास व्यक्ति चपरासी की नौकरी नहीं पा रहा है। मान्यवर, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो शिक्षा नीति में परिवर्तन कर रहे हैं, पाठ्यक्रम बदल रहे हैं, अगर आप कमेटी बनाते हैं तो कोई सलाह लेते हैं कि नहीं, मशविरा लेते हैं कि नहीं, जब उस स्तर की अध्यापक की स्टडी है नहीं और करते चले जा रहे हैं, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, शिक्षा में जो गिरावट आयी है उसका सबसे बड़ा कारण है मास्टरों का कोचिंग चलाना। पहले मास्टरों को कम तनख्वाहें मिलती थीं और वह मन लगाकर पढ़ाते थे, आज अध्यापकों को ज्यादा तनख्वाहें मिल रही हैं लेकिन वह मन लगाकर छात्रों को नहीं पढ़ाते हैं। कोचिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और 200, 300 रुपया प्रति छात्र से ले रहे हैं और हजारों रुपया कमा रहे हैं उनके यहां आपको हर प्रकार की सुविधा देखने को मिलेगी। आज शिक्षा में गिरावट आ रही है। हमारे सत्ता पक्ष में विपक्ष के साथी बैठे हैं यह गम्भीर विषय है इस पर चिन्ता करनी चाहिये। क्या कोई ऐसी व्यवस्था टीचरों की निगरानी के लिए नहीं किया जा सकता कि जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दी जाये वह इसकी निगरानी करे।

आज अध्यापक कक्षाओं में पढ़ाने नहीं जाता, 35-40 मिनट का क्लास होता है लेकिन वह अखबार पढ़ने और गप्पें लगाने में समय बिता देता है। जो महिला टीचर्स हैं वह जाड़े के दिनों में कक्षायें न लेकर बुनाई करने में व्यस्त रहती हैं, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। नकल की बात आयी, आपने कहा कि हम नकल रोकना चाहते हैं मान्यवर, इस बार ऐसी नकल हुई है कि बोलकर नकल करायी जा रही है, अध्यापक कमरे में बोलता है और बच्चे सामूहिक रूप से लिखते हैं। आपने एक तरफ नकल रोकने का काम किया दूसरी तरफ क्लास में बोलकर सामूहिक नकल करायी जा रही है। अगर आपकी यही उपलब्धि है तो ऐसे नकल विरोधी कानून को समाप्त कर दें। हमारी सरकार आयेगी तो हम इसको समाप्त कर देंगे। अगर लड़कियों की तलाशी लेनी है तो महिला टीचर लगाइये, उनकी तलाशी कोई पुरुष अध्यापक न करे। बहुत से अध्यापक गन्दी मानसिकता के होते हैं वह लड़कियों को छूने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि नकल निकालो, नहीं तो हाथ डाल दूंगा। कुछ अध्यापक तो नशे में रहते हैं इसलिए महिला अध्यापक ही लड़कियों की तलाशी लें। इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र जौनपुर की बात कहना चाहता हूं। मैं जौनपुर नगर से चुनकर आया हूं। वहां पर एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज है, उसके पांच भवन गिर रहे हैं, साइंस लैब खत्म होता जा रहा है, फर्नीचर नहीं हैं। माननीय मंत्री जी, आपने जौनपुर को कुछ नहीं दिया।

पूर्वांचल की धरती पर जौनपुर सबसे बड़ा जिला है और उसकी आबादी 45 लाख है। यहां से एक से बढ़ कर एक महापुरुष हुये हैं, आचार्य नरेन्द्र देव, पं0 कमलापति त्रिपाठी, राजनारायण, पं0 मदन मोहन मालवीय और डा0 राम मनोहर लोहिया। ऐसे पूर्वांचल की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस इण्टर कालेज की ओर ध्यान दिया जाये। इसी के साथ भाई विश्वनाथ जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री छोटे लाल गंगवार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट पर आपने बोलने का समय दिया इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। माननीय मंत्री जी ने बगैर पैसे के माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन की बात कही है, जो असम्भव है। उन्होंने कहा कि 96 प्रतिशत तनख्वाह पर और 4 प्रतिशत विद्यालय भवनों का मरम्मत कराने व अन्य मदों में रखा है। किस तरह से आप शिक्षा सामग्री, फर्नीचर, लैबोरेटरी, लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था करेंगे ? माननीय मंत्री जी ने वर्ष 1999-2000 में यह घोषणा की थी कि असेवित विकास खण्ड के हर न्याय पंचायत में एक असेवित कन्या विद्यालय की स्थापना करेंगे। इस प्रदेश के अन्दर 809 ब्लाक हैं और केवल 26 विद्यालयों की स्वीकृति वर्ष 2000-2001 में दी गयी है।

(इस समय 6 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रवीन्द्र शुक्ल पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं कितने परसेन्ट कामयाब हुई हैं। यह आपके सामने भी है। इस वर्ष का भी जो बजट इन्होंने रखा है वह कितना बजट है और यह बात करते हैं उन्नयन की। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, असेवित शिक्षा के विकास के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना के लिए आदेश जारी किये थे कि निजी संस्थाएं वह विद्यालय खोल सकती हैं जिनमें छात्र और छात्राएं दोनों ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे लेकिन 2000-2001 में यह शासनादेश जारी कर दिया गया कि इनमें सिर्फ कन्याएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2000-2001 के पूर्व जिन विद्यालयों की स्थापना हुई है उनमें दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का एक शासनादेश जारी करने की कृपा करें।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में नवाबगंज में आज से 8-10 वर्ष पूर्व एक कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वीकृत हुआ था जिसके लिए 20 लाख रुपये जिला योजना से प्राप्त भी हो गया है लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण अभी तक उस भवन का निर्माण नहीं हो सका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करके उस भवन का निर्माण कराने की कृपा करें। एक बात मैं माननीय मंत्री जी को और कहना चाहूंगा कि हमारे जो अध्यापकों की कमी है और उत्तरांचल जो आज हमारे प्रदेश से अलग हो गया है उसमें बहुत सारे अध्यापक हैं जो उत्तर प्रदेश वापस आना चाहते हैं जो उनकी भी आवश्यकता है और हमारी भी आवश्यकता है अगर उनको माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में समायोजित कर लें तो उनकी भी समस्या का समाधान हो जायेगा और हमारी भी समस्या का समाधान हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय विश्वनाथ जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

नोट--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, मैंने भाषा विभाग की कटौती रखी थी मुझे खेद है कि भाषा के सवाल पर सत्ता पक्ष का कोई माननीय सदस्य नहीं बोला ओर विपक्ष के सदस्य तो बोले कुछ कटौती के समर्थन में कुछ भाषा के विषय पर, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा किसी सदस्य का न बोलना इस बात का द्योतक है कि वह भाषा के प्रश्न पर कितने अगम्भीर हैं।

मान्यवर, 1991 की जनगणना के अनुसार टोटल आंकड़ा है 39.05 परसेन्ट और बंगला का 8.22 परसेन्ट, तेलगू का 7.80 परसेन्ट, मराठी का 7.38 परसेन्ट, तमिल का 6.26 परसेन्ट, गुजराती का 4.81 परसेन्ट, कन्नड़ का 3.87 परसेन्ट, मलयालम का 3.59परसेन्ट, उड़िया का 3.32 परसेन्ट, पंजाबी का 2.76परसेन्ट और असमिया का 1.55 परसेन्ट, सिन्धी का 0.25 परसेन्ट और नेपाली का 0.25 परसेन्ट, कोकड़ी का 2.12 परसेन्ट, मणिपुरी का 0.15 परसेन्ट है जब कि कश्मीरी का उपलब्ध नहीं है और संस्कृति का 0.01 परसेन्ट है जिसका प्रतिशत कम है। जब उत्तर प्रदेश सरकार में हिन्दी के लिए कुछ नहीं होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली प्रदेश ऐसे हैं जहां हिन्दी का बाहुल्य है मैं चाहता हूं कि हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए जरूर प्रयास किया जाना चाहिए।

जहां तक संस्कृत भाषा का सवाल है और इसके नाम पर आपने भाषा विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 2000-2001 का प्रस्तुत किया है1 संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए 2000-2001 में आयोजनागत बजट में 10 लाख 25 हजार का प्राविधान किया था जो इस वर्ष शून्य हो गया है। जैसा संस्कृत का 0.01 परसेन्ट है, लगता है इस तरह से 0 परसेन्ट हो जायेगा। संस्कृत के आधार पर आप बहुत गौरवान्वित होते हैं कि हमारी भाषा संस्कृत है, सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृति से सभी भाषाओं का उद्भव हुआ है, लेकिन देखा जाये तो पता लगता है कि आप कितने अगम्भीर हैं। उर्दू भाषा का सवाल है। उर्दू का विकास और प्रचार और राज्य कर्मचारियों का उर्दू में दक्षता प्राप्त करने पर पुरस्कार करने की योजना है,इसमें जो आयोजनेत्तर व्यय है 6 लाख 71 हजार 500 रुपये का है। उर्दू भाषा जो द्वितीय राजभाषा है, उसके आधार पर आप इस प्रदेश को कहां तक ले जाना चाहते हैं जबकि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत अच्छी है, उस आधार पर जोड़ने का काम करते तो बहुत खुशी होती। इसलिए माननीय मंत्री जी के बजट भाषण से निराशा ही हाथ लगी है। तीसरी बात यह है कि कल बुद्ध राम और अम्बेडकर की चर्चा हुई। बुद्ध साहित्य पाली भाषा में है और बुद्ध साहित्य बहुत धनी है, प्रगतिशील लिटरेचर है। राहुल साँकृत्यायन इसको खच्चर पर लादकर न लाये होते तो दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम मिट जाता। इसलिए पाली भाषा में जो भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन है और इस दर्शन को भारतीय भाषाओं में विदेशी भाषाओं में ट्रान्सलेट किया गया है। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश जहां बुद्ध पैदा हुए हों और उत्तर प्रदेश सरकार ने पाली भाषा के लिए कोई प्राविधान नहीं किया है इसलिए मुझे इस बजट से निराशा हाथ लगी है। मान्यवर, मैं ज्यादा न कहकर केवल यह कहना चाहता हूं कि आयोजनागत और आयोजनेतर दोनों को मिलाकर बजट 3 करोड़ 62 लाख 56 हजार है तो इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। आज 3 करोड़ के घपले के बारे में मैंने बताया था उसकी जांच करानी आवश्यक है। यह जो धनराशि आपने बजट में रखी है उससे शिक्षा का कुछ भला होने वाला नहीं है तो फिर मैं कैसे 'अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले सकता हूं, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री विश्वनाथ--

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के बजट पर जो चर्चा आयी और जो तथ्य आये और जो बजट है उसको देखकर जो स्थिति आयी वह चिन्ताजनक और खेदजनक है। मान्यवर, इस देश में महिलाओं को और बालिकाओं को शिक्षा मिलनी चाहिये। अगर देश को चलाना है तो शिक्षा सर्वसुलभ बनानी होगी एक तरह की बनानी होगी और नि:शुल्क करनी होगी। मान्यवर, कान्वेन्ट और दून स्कूल एक तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारे माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं उनमें पढ़ाने के लिये अध्यापक नहीं है और साज-सज्जा नहीं है। ऐसे कमरों में स्कूल चल रहे हैं जिनमें छत नहीं है। मान्यवर, इस तरह से कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कैसे हो पायेगी। देश में शिक्षा के लिये एक तरह का निजाम और इन्तजाम करना होगा।

भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गयी है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाय उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेन्ट पर है। स्टेट गवर्नमेंन्टअपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है आप केन्द्र सरकार को इस बात से अवगत करायें और उत्तर प्रदेश से पैसा मांगे और शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करें। जो आपके नोबुल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति अमर्त्यसेन हैं उन्होंने 2 चीजों के बारे में कहा है गरीबी और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं जो गरीब घर से आये हैं वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा और यदि मस्तिष्क ठीक होगा तो शिक्षा ग्रहण होगी क्योंकि भूखे भजन न होय गोपाला। आपके बजट में गरीब के लिए कोई ऐसी व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है कोई ऐसी आशा की किरन नजर नहीं आ रही है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैला दे और गरीब का बेटा भी ज्ञानवान हो जाय और उसकी प्रगति हो सके चूंकि ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

माध्यमिक शिक्षा, भाषा मंत्री (डा0 नैपाल सिंह)--

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर जितने भी सदस्य बोले मैंने बड़ी गम्भीरता से उनको सुना ऐसा लगा कि उन्होंने 1991 से लेकर आज तक सभी बजटों का बड़ी गम्भीरता से अध्ययन किया है। लेकिन विपक्ष में बैठने के नाते आलोचना की, कटौती का प्रस्ताव रखा। वह दिल पर हाथ रख कर सोंच लें कि 1991 की परिस्थितियों शिक्षा विभाग की क्या थी और आज 2001 में क्या स्थिति है। कितना विस्तार और कितना सुधार हुआ है तो शायद उनको अपना जवाब मिल जाता। माननीय सदस्यों ने नकल पर अपने-अपने विचार रखे। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हम सत्ता में आये तो नकल अध्यादेश समाप्त कर देंगे। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी आपके पूरे नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि नकल अध्यादेश को वापस कर देंगे।

विश्वनाथ जी ने स्कूलों के विषय में बात की। वह भूत में झांककर देखें तो पता चलेगा। विद्यालयों में विकास शुल्क जो लिया जाता था उसका आधा हिस्सा विद्यालय में जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है विकास शुल्क जितना भी लिया जाता है बढ़ाकर लिया जाता है वह पूरा का पूरा विद्यालयों को छोड़ दिया जाता है इससे विद्यालयों का कितना विकास हुआ है इसको देखें। हमने नकल को भी रोका है, मूल्यांकन को भी ठीक किया है। विश्वनाथ जी ने स्क्रूटनी की बात कही मैंने स्क्रीनिंग की बात कही थोड़ी समझने में चूक हो गयी। आज मूल्यांकन के साथ-साथ कापियों की रिचेकिंग भी हो रही है इसके कारण मूल्यांकन प्रभावी हो गया है। त्रुटियां

कम हो गयी हैं। यह पिछले साल बात आयी थी कि त्रुटियां ज्यादा हुई थीं इसी के कारण यह व्यवस्था बनानी पड़ी सुधार के रूप में इससे फायदा हुआ है। सौलत अली जी ने नाइन्थ परीक्षा के बारे में कहा, नाइन्थ की परीक्षा के बारे में इतना ही कहूंगा कि नाइन्थ परीक्षा होने के कारण शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगा है विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हुई है। मुझे खुद याद है कि नाइन्थ में सैलबस बना था कि शिक्षक क्या पढ़ाएं ? नाइन्थ की परीक्षा में 100 लड़के पास हुए वहीं से हाई स्कूल में 400 फार्म जमा हुए, कोई कहीं से जाकर वहां नाम दे देता था नवीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन के कारण भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। इसलिए नाइन्थ परीक्षा करवाने से फायदा हुआ है। पहले नवीं परीक्षा में चार-चार विषयों में प्रमोशन दे दिया जाता था। हाई स्कूल में जाकर वह छात्र फेल हो जाता था इसके कारण प्रमोशन की व्यवस्था समाप्त हो गयी।

माननीय सदस्य वित्त विहीन मान्यता देने की आलोचना भी करते हैं दूसरी तरफ यह भी मानते हैं कि वित्त विहीन मान्यता से शिक्षा का विस्तार हुआ है तो ऐसा लगता है कि वह देवानन्द की तरह डबल रोल कर रहे हैं एक तरफ कहते हैं कि इस तरह की मान्यता समाप्त की जाए दूसरी तरफ कागज दे देते हैं कि वित्त विहीन मान्यता दे दी जाए।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

देवानन्द की उस पिक्चर का नाम तो बता दें, डबल रोल की।

डा0 नैपाल सिंह--

बाजपेयी जी के लिए डबल रोल मना नहीं। पैसे के बारे में राम औतार शाक्य ने सवाल उठाया मैं इतना कहूंगा कि पिकप ने साढ़े सात करोड़ दी है। प्रकोष्ठ में 28 करोड़, 12 लाख, 98 हजार रुपये सुरक्षित हैं।

मान्यवर, भाषा के बारे में मैं जब बोला था तो कुछ भाषाओं के बाद मैंने आदि बोला था। आदि में सभी भाषायें आ जाती हैं। प्रदेश में पांच भाषा के केन्द्र संचालित हैं। जिसमें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान छात्रों को दिया जाता है। यह थे उत्तर उनके जो यहां प्रश्न उठाये गये थे उनके। उत्तरांचल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता मुझे अधिकार नहीं है दूसरे राज्य के बारे में कुछ कहने का विपक्ष को यदि हैं तो उसने कहा। मैं पुन: माननीय सदस्यों से जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखा है अनुरोध करता हूं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें। मैं उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करूंगा।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, दो स्पष्टीकरण दिलवा दें। मैंने पूछा था [x x x] जो उस समय विशेष सचिव थे उसने तीन करोड़ का घपला किया उसके करप्शन के बारे में कोई बात नहीं कही गई और जो साढ़े सात करोड़ रुपया 1999-2000 में मंत्रि मण्डल द्वारा कैपिटल अंश मानकर राइटर्स पर दिया गया वह रुपया कैसे वापस हो गया और दूसरा जो साढ़े सात करोड़ रुपया औद्योगिक विकास निगम पर था गलत हेड होने के कारण वापस नहीं हुआ ? उत्तर दिलवा दें।

डा0 नैपाल सिंह--

पुस्तकों की खरीद हुई । जांच हुई इसमें। मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था स्थानान्तरण के लिए और अब पुन: निवेदन कर लूंगा।

नोट--[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री विश्वनाथ--

मा0 मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39-भाषा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,94,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,28,37,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) अनुदान संख्या 75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,26,09,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,68,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, महात्मा गांधी ने एक अवसर पर कहा था कि "जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बादल जैसे सबके लिए समान बरसते हैं उसी तरह से विद्यावृष्टि सब पर समान होनी चाहिए।" यह कल्पना की गयी थी, देश की आजादी के समय से कि हम सबको समान और अनिवार्य रूप से शिक्षा दे सकेंगे। मान्यवर, पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। अभी जो साक्षरता के आंकड़े प्राप्त हुए हैं जनगणना के समय उत्तर प्रदेश की साक्षरता बढ़कर 57.4 प्रतिशत हो गयी है, जबकि यह 1991 में 40.7% थी। इस तरह से उत्तर प्रदेश की साक्षरता में 16.7% की वृद्धि हुई है। यह सम्पूर्ण भारत की औसत साक्षरता दर 13.2% से अधिक है। महिला साक्षरता के क्षेत्र में और भी प्रगति की है। महिला साक्षरता दर भारत में औसत 14.9 में वृद्धि है जबकि हमने उ0प्र0 में 18.6 प्रतिशत प्राप्त किया है। इस तरह से हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है लेकिन फिर भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं और मैं उन चुनौतियों को भी रेखांकित करना चाहता हूं।

21वीं सदी में हम जा रहे हैं। 42.6% निरक्षर भाई बहिन का हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। यह चुनौती स्वीकार करनी है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम साक्षर कर सकें। इस प्रदेश की प्रत्येक महिला को, जिनका निरक्षरता का प्रतिशत 57 है, हम साक्षर कर सकें यह बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग ने 8 बिन्दु निर्धारित किये हैं। प्रत्येक बालक के लिए उसकी सामान्य पहुंच के भीतर विद्यालय की स्थापना, सभी बालक-बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराना, विद्यालय भवनों का निर्माण, विद्यालयों की मरम्मत एवं भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना, विद्यालयों में अध्यापकों की समय से एवं पूर्णकालिक उपस्थिति सुनिश्चित कराना, विद्यालय में ह्रास अवरोध की समस्या को समाप्त करना, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए न्यूनतम अधिगम आधारित पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों का निर्माण एवं बालिका शिक्षा का विस्तार। मान्यवर, इन बिन्दुओं पर काम करते हुए बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में चौतरफा कार्यवाही हुई है। शिक्षा के विस्तार के लिये असेवित बस्तियों में जो विद्यालय खोले गये हैं उनके सम्बन्ध में जो विभाग द्वारा साहित्य वितरित किया गया है, मैं आंकड़े दिये गये हैं। मैं उन

(इस समय 6 बजकर 20 मिनट।)

आंकड़ों को रखकर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं गत वर्ष में नवीन प्राथमिक विद्यालय 1099 खोले गये और नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय 718 खोले गये। आगामी वर्ष में प्राथमिक विद्यालय 1210 और नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय 360 स्थापित करने का लक्ष्य है। हमने अपने विद्यालयों में वहां संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण किया है। मान्यवर, यह प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में एक भी प्राथमिक विद्यालय ऐसा नहीं है जिसका अपना भवन न हो। कुछ संख्या जर्जर भवनों की अवश्य है उस समस्या के समाधान के लिए भी इस वित्तीय वर्ष जो समाप्त हुआ है जर्जर भवनों 1689 का पुनर्निर्माण किया है। आगामी वर्ष का लक्ष्य हमारा 1531 का है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 311 जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण किया है और आगामी वित्तीय वर्ष में 359 भवनों का पुनर्निर्माण करना है। इसी तरह से अतिरिक्त कक्ष, हैंडपम्प, शौचालय का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रत्येक विद्यालय में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय के भवन की रंगाई पुताई के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में दो हजार रुपये उपलब्ध कराया गया अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए 5 हजार रुपया प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा । विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक प्रकार से सुनिश्चित की जा सके । अध्यापकों की बड़ी संख्या में कमी थी उसको पूरा करने के लिए 23 हजार विशिष्ट बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है । 27 हजार बी0एड0 प्रशिक्षितों में चयनित करके प्रशिक्षित किया गया है । 23 हजार लोग सेवा के लिए आए उनको सेवा में लिया गया है । 38 हजार 221 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति गतिमान है । इस प्रकार अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए गत वर्ष प्रयास किये गये हैं । 1997 बी0टी0सी0 की प्रवेश परीक्षा का परिणाम रुका था, 1998 की प्रवेश परीक्षा का भी परिणाम रुका था । उनका परिणाम घोषित कर दिया गया है प्रशिक्षण शुरू हो गया है । 2001 की बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा हो गयी है उनका प्रशिक्षण चल रहा है इसमें पहले 50 बच्चे चयनित होते थे, अब 100 प्रति डालर कर दिए गए हैं।

आगामी वर्षों में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हो सकें इसका प्रयास किया गया है । अध्यापकों की उपस्थिति समय से हो इसके लिए प्रभावी निरीक्षण के प्रोग्राम शासन के सहयोग से चलाए जायेंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शासन के अधिकारी 15 दिन का अभियान चलाया गया। ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अध्यापक समय से आएं । मान्यवर, वास्तव में बच्चों की शिक्षा जैसा कि सब जानते हैं महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा का मतलब अक्षर ज्ञान नहीं है । कुछ पाठ्यक्रम रट कर, प्रमाण-पत्र देना शिक्षा नहीं है । महर्षि अरविन्द ने कहा है--"हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, कुछ विशेषता है शिक्षा का यही कार्य है कि इसको खोज निकाला जाए और विकसित किया जाए"। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है--"ज्ञान बालक के अन्दर अवस्थित है उसे समझने और विकसित करने का अवसर देना ही शिक्षा है।" महात्मा गांधी ने कहा है कि-- "वास्तविक शिक्षा का यह एक आवश्यक अंग होना चाहिए कि बालक इस बात का ज्ञान प्राप्त करे कि जीवन संग्राम में वह प्रेम के द्वारा घृणा पर, सत्य के द्वारा असत्य पर और शालीनता के द्वारा बल प्रयोग पर बहुत सहज में विजय प्राप्त कर सकता है ।"

शिक्षा बड़ा उद्देश्य है इसको प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बहुत सारे कायर्क्रम चलाए जा रहे हैं। बच्चों को अच्छी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हों, न्यूनतम अधिकतम बच्चे का उत्तरोत्तर विकास कैसे हो ? ये हमारा प्रयास है ।

श्री लालजी वर्मा--

उत्तर भाषण में कह लीजिएगा ।

श्री बालेश्वर त्यागी--

धैर्य रखें न्यूनतम अधिगम से कैसे उत्तरोत्तर विकास हो, जो एक से पांच तक की नई पाठ्य पुस्तकें लिखी गयी हैं, जिसके लिए कई टेलीवीजन कम्पनियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है वे इसके आधार पर कायर्क्रम विकसित करना चाहते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। शिक्षा बच्चों की अरुचिपूर्ण नहीं होनी चाहिए । बच्चे स्कूल छोड़कर न आएं । पाठ किस

तरह पढ़ाया जाए, टीचर गाइड के माध्यम से यह संदेश देना है और सेवारत अध्यापकों को सतत् प्रशिक्षण । यह उन्हें विषय ज्ञान के लिये ही नहीं बल्कि उसके साथ अन्य शिक्षण विधाओं का ज्ञान भी है, मोटीवेशन का भी प्रयास है । नयी-नयी विधाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हुयी हैं उनका ज्ञान हो सके और वह अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें यह हमारा उद्देश्य है । मान्यवर, जिला प्राथमिक शिक्षा कायर्क्रम -II यह 22 जिलों में संचालित हो रही है और यह 1997 से 2003 तक है इसमें 629 करोड़ रु0 का व्यय होगा । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम -III यह 2002 से 2005 तक है यह 804 करोड़ रु0 का प्रोजेक्ट है, जनशाला कायर्क्रम यह 2000 से 2003 तक है यह 11 करोड़ का है । सर्व शिक्षा अभियान जो भारत सरकार का कायर्क्रम है, 17 जनपदों से योजनाएं तैयार की गयी हैं और यह 2001से 2010 तक है, भारत सरकार को भेजी जा चुकी है वहां से स्वीकृति के बाद और बहुत सारे कार्य होंगे । एजूकेशन गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत एक किलोमीटर की परिधि में जहां विद्यालय नहीं है और 30 बच्चे बस्ती में हैं वहां पर तीन हजार ई0 जी0 ए0 सेन्टर प्रारम्भ हो गये हैं । ग्यारहवें वित्त आयोग के माध्यम से यह चार वर्ष का कायर्क्रम है और इसमें 111 करोड़ रुपया व्यय होगा । सघन क्षेत्रीय विकास क्रायर्क्रम यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है इस वित्तीय वर्ष में 6.64 लाख व्यय होगा ।

मान्यवर, साक्षरता का कायर्क्रम साक्षरता में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है । प्रदेश की साक्षरता वृद्धि दर राष्ट्रीय साक्षरता की वृद्धि से अधिक है । प्रदेश के सभी जनपदों में साक्षरता अभियान संचालित हो रहे हैं । साक्षरता अभियान की सफलता पर यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया । सम्पूर्ण राष्ट्र में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद को साक्षरता कायर्क्रम दूसरा स्थान मिला है । जनपद अलीगढ़ को "सत्येन मैत्र" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । यह पुरस्कार महामहिम उपराष्ट्रपति जी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर 8 दिसम्बर, 2000 को दिया गया है । मान्यवर, साक्षरता कायर्क्रम को तीन स्तरों में बांटा गया है । सम्पूर्ण साक्षरता कायर्क्रम 19 जनपदों में, उत्तर साक्षरता 37 जनपदों में और सतत् शिक्षा कायर्क्रम 14 जनपदों में संचालित है । शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक नवाचार शिक्षा कायर्क्रम में अनौपचारिक शिक्षा समाप्ति के बाद जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं उनको ब्रिज कोर्स शिक्षा चलाकर औपचारिक शिक्षा में शामिल करने का कायर्क्रम है । मान्यवर, प्रदेश में अशिक्षा के दो कारण हैं । एक गरीबी और एक अज्ञानता । इसके लिए हमने लोगों को जागृत किया । पिछले वर्ष जुलाई में हमने स्कूल चलो अभियान चलाया और यह जन सहयोग से चलाया । एक अभियान जिसमें उन सारे लोगों के बच्चे जा सकें जो नहीं पढ़ाते हैं । इस अभियान में 54 लाख नये बच्चों का नामांकन हुआ जो गत वर्ष से साढ़े चार गुना अधिक है । मान्यवर, श्रावस्ती जनपद में सिरसिया ब्लाक में महिला साक्षरता दो प्रतिशत है । मान्यवर, मैं वहां पर स्कूल चलो अभियान में गया था। मैंने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजो तो अभिभावकों ने कहा कि मजदूरी कौन करेगा । मैंने कहा कि भगवान ने इनके भाग्य में मजदूरी नहीं लिखी है आप अभिभावक हैं अगर आपने इनके भाग्य से इनके हाथ में मजदूरी ही लिख दी है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्हें कक्षा-8 तक पढ़ा दो । इसके बाद भी मजदूरी करेगा तो इनकी मजदूरी करने की ताकत दोगुनी हो जायेगी । मान्यवर, अगर इन्होंने 8वीं तक की शिक्षा ले ली तो जब तहसील आयेगा तो वह जितने

रुपये लेगा उतने की ही रसीद देकर जायेगा । फिर गवाही के नाम पर इनके पुस्तैनी मकान को नहीं हड़प सकेगा और अगर वह होटल में सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक काम करेगा तो परिश्रम की एक-एक पाई वसूल करने की ताकत उसमें आ जायेगी । इसलिए प्राथमिक शिक्षा की जरूरत है। कहा जाता है कि बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है पढ़ाने की क्या जरूरत है हमारी प्राथमिक शिक्षा कोई रोजगार देने का काम नहीं करती है आज व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने की आवश्यकता है उसके लिए प्राथमिक शिक्षा बहुत जरूरी है। मान्यवर, हमारे यहां प्राथमिक विद्यालयों में जो कक्षा एक से पांच तक की शिक्षा है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बालक तथा सभी बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कीं, 57 लाख बच्चों को वितरित कीं, 33 करोड़ का भार सरकार पर आया है ।

मान्यवर, जो हमारे विद्यालय बनते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए 40 प्रतिशत शिक्षा विभाग देता है और 60 प्रतिशत डी0आर0डी0ए0 से मिलता है और अब डी0आर0डी0ए0 तो पंचायतों के अधीन चला गया है, मान्यवर, 60 प्रतिशत धन उपलब्ध नहीं हो रहा था जिससे भवन अधूरे पड़े थे उन पर कार्य नहीं हो रहा था हमने प्रयास किया और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 68 करोड़ रुपये भवन बनाने के लिए प्राप्त किये यह 60 प्रतिशत के रूप में उपलब्ध हुआ है अब हमारे अधूरे भवन बन सकेंगे ।

मान्यवर, स्कूल चलो अभियान के बाद जन सहयोग बढ़ रहा है । मान्यवर, मुझे बताते हुए खुशी है कि लखनऊ में प्रधानमंत्री जी की ओर से सांसद निधि से भवनों के निर्माण व पुनर्निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया गया है साथ ही लखनऊ के सभी विधायकों ने अपनी विधायक निधि से धन उपलब्ध कराया है । मान्यवर, सूडा ने भी सहयोग किया है लखनऊ में और गाजियाबाद में जो 60 प्रतिशत जब धन नहीं मिल रहा था तो सूडा ने 16 लाख से अधिक धन उपलब्ध कराया है । गाजियाबाद में सूडा से 16 लाख से अधिक धन प्राप्त हुआ है ।

मान्यवर, जन सहयोग की भावना बढ़ने के बाद हमारे विभाग में कार्यों में काफी प्रगति हुई है । मान्यवर, जवाहर ग्राम्य समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना में शासनादेश निर्गत हो गया है कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जायेगी ताकि भवनों का निर्माण हो सके। मान्यवर, समाज की सहभागिता आज आवश्यक है ग्रामीण शिक्षा समिति जो है उसमें प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि जो अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं उनको भी समझ में आये ।

मान्यवर, विख्यात दार्शनिक सुकरात ने कहा था "प्रिय नागरिकों तुम अपने बच्चों की देख-भाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज्यादा समय क्यों देते हो, जबकि एक दिन यह सब बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है ।" मान्यवर, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का प्रचार-प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है सभी को शिक्षा का ज्ञान कराना आवश्यक है यहां तक कि धन कमाने से भी महत्वपूर्ण शिक्षा है । मान्यवर, उसके साथ अभिभावकों में कर्तव्य का बोध और उनका प्रशिक्षण, ताकि वह विद्यालयों में देख सकें कि किस तरह की पढ़ाई हो रही है किस तरह का वातावरण चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने अध्यापकों की पंचायत बुलाई और उनके समस्याओं के

समाधान के लिए पहल की यह बहुत आवश्यक है क्योंकि एक वातावरण भी आवश्यक होता है काम करने के लिए । मान्यवर, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हम एक ऐसा असरदार माहौल बना सकते हैं जिससे प्रेरणा पा सकें ।

मान्यवर, मुझे एक कहानी याद आ रही है-तीन आदमी ईंटों की चुनाई कर रहे थे एक राहगीर ने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं । पहले आदमी ने कहा कि क्या तुम देखते नहीं कि मैं रोजी कमा रहा हूं दूसरे ने कहा कि क्या तुम देखते नहीं कि मैं ईंटों की दीवार चुन रहा हूं और तीसरे ने कहा कि मैं खूबसूरत इमारत बना रहा हूं । तो मान्यवर, यह विचारों की बात है । मान्यवर, जब विचारों में सुन्दर भवन के निर्माण की प्रक्रिया पनपी है तो जरूर अच्छा कार्य होगा इसलिये अब अध्यापकों को भी हम प्रेरित कर सकेंगे उनके दायित्व के प्रति इसलिए आवश्यक है कि उनकी समस्याओं पर और गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाय । मान्यवर, अध्यापकों के मन में भी यह भाव आना स्वाभाविक है । अभी चर्चा हो रही थी उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की तो बेसिक शिक्षा में मैं ही ऐसा हूं जो शिक्षक नहीं हूं बाकी सब शिक्षक हैं ।

मान्यवर, मार्टिन किंग लूथर जूनियर ने कहा है । अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाय तो उसे सफाई वैसे ही करनी चाहिए जैसे माइकेल एंजिलो पेंटिंग करता हो या बीथोबन संगीत की रचना करता हो या शेक्सपियर कोई कविता लिखता हो उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों के लोग बोलें कि यहां सड़क सफाई करने वाला रहता था जिसने अपना काम गर्व से और बहुत अच्छी तरह किया । तो यह प्रेरणा देना चाहते हैं अध्यापक मित्रों को उनके पास दो अवसर हैं इस देश की पीढ़ी के निर्माण का भी और अपने दायित्व का भली प्रकार निर्वाह कर वह यह कर सकें इसलिए अध्यापकों की समस्या के समाधान को हमने कार्यक्रम के रूप में लिया है । मृतक आश्रित का सेवायोजन, 110 हड़ताल अवधि के शिक्षकों को वेतन व विनियमितीकरण, बीमा राशि 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख, जी0पी0एफ0 पर्ची, कम्प्यूटर से वेतन बिल, अध्यापक के आश्रित को भी चिकित्सा लाभ। हमने आगामी वर्ष में सुधार का कार्यक्रम बनाया है कक्षा 6 से 8 तक की नई पाठ्य पुस्तकें, जनसहयोग से नामांकन का बड़ा अभियान, अध्यापकों की संख्या में वृद्धि। अध्यापकों की संख्या में वृद्धि के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति, ताकि अगले वर्ष के प्रारम्भ में ही हम अध्यापको की उपस्थित करा सकें । सबको नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें 1 से 5 तक । नगरीय क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को यह शिकायत है तो नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों का पुनर्निर्माण और छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों का निर्धारण करेंगे । गाजियाबाद में हमने यह ऐक्सपेरीमेन्ट किया कि हमने 24 विद्यालयों को नगर निगम और विकास प्राधिकरण से जमीन लेकर मलिन बस्तियों में स्थापित किया और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में उनके निर्माण के लिए धन भी उपलब्ध कराया । 24 मलिन बस्तियों में यह कार्य किया है और अब इस प्रयोग को अन्य नगरों में भी प्रारम्भ करेंगे । जो सब विधायकों की चिन्ता रही है कि शहरों के आस-पास बड़ी संख्या में अध्यापक इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके लिए छात्रों की संख्या के अनुसार प्रत्येक विद्यालयों के अध्यापकों के पदों का निर्धारण कर रहे हैं ताकि अधिक संख्या में अध्यापक न रह सकें ।

मान्यवर, दो बड़ी संस्थाओं ने हमें सहयोग किया है एक तो जी टी वी है तालीम फाउण्डेशन उसने 3000 हमारे प्राथमिक विद्यालयों में आगामी वर्ष से टेलीवीजन से शिक्षा देने के

लिए अपना कार्यक्रम बनाया है इसी तरह से इण्डिया एजूकेशन फाउण्डेशन ने 200 प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर देने का, कम्प्यूटर शिक्षा का कार्यक्रम लिया है । शिक्षा में जनसहयोग भी आवश्यक है इसलिये वह जनसहयोग ले रहे हैं ।

एस सी ई आर टी में इलाहाबाद, वाराणसी व लखनऊ में कालेज आफ टीचर एजूकेशन की स्थापना तथा भदोही में नये डायट की स्वीकृति मिल गयी है । उसका निर्माण कार्य भी प्रारम्भ करेंगे । किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में चौतरफा हमारा प्रयास है, मुझे आशा है कि सभी लोग इस क्षेत्र में जरूर सहयोग करेंगे ताकि सभी शिक्षित हो कोई भी बालक 6 वर्ष से 14 वर्ष का बालक निरक्षर न रहे और हम गांधी जी के सपने को साकार कर सकें और प्राथमिक तालीम सब को मिल सके । बहुत -बहुत धन्यवाद ।

श्री राम औतार शाक्य--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया, मुझे खुशी है कि बहुत की सारगर्भित था और मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मंत्रि परिषद् के सदस्यों में चंद सदस्यों की जो अच्छी छवि है, उनमें से माननीय मंत्री जी एक हैं, इसलिये भी मैं खुश हूं। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं । माननीय मंत्री जी बजट भाषण को मैंने शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से सुना और यह पाया कि उन्होंने बहुत कुछ प्रयास करने की कोशिश की है। केन्द्रीय सरकार से और वर्ल्ड बैंक से बहुत सी योजनाओं में रुपया मिलता है, उसके आधार पर और प्रदेश सरकार के अपने रिर्सोसेस के आधार पर कुछ अंश वाली तमाम योजनाओं को उन्होंने गिनाया। कुछ विद्वानों को भी कोट किया, गांधी जी को कोट किया, विवेकानन्द को कोट किया और सुकरात को भी कोट किया। यहां शिक्षा के विषय में कोई विवाद नहीं हो सकता। यह पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, इसमें कोई दल की बात नहीं है। राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, शिक्षा के प्रक्रिया, शिक्षा के मामले को लेकर हमारे विचार बहुत उच्च होना चाहिये। यह सही है कि आपका प्रयास है। मैंने कल भी कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। स्मार्ट हर्वट स्पेन्सर ने कहा है "टू प्रिपेयर अस फार कम्प्लीट लिविंग इज दि फंक्शन विच एजूकेशन हैज टू डिस्चार्ज ", अर्थात् शिक्षा का उद्देश्य बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना है। इसी तरह से डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है "दि एम आफ एजूकेशन इज नाट सिम्पली टू इनरिच दि माइंड्स आफ पीपुल विद न्यू नालेज बट आल्सो टू हेल्प देम राइज टू देयर स्प्रिचुअल स्ट्रेचर "। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करना है। इसी प्रकार गांधी जी ने, विवेकानन्द जी और सबने कहा है, अन्य विद्वानों ने कहा है, माननीय मंत्री जी ने

कहा है और हम भी कह रहे हैं, लेकिन वह आखिर हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, सवाल यह है ? इस पर चिन्तन करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है।

जब बच्चा माँ की गोद से प्रथम बार प्राथमिक विद्यालय में जाता है, उससे पहले माँ की गोद ही उसकी पाठशाला होती है। जिस वातावरण में वह पलता है, जिस परिवेश में वह पलता है, जिस बोली-भाषा में पलता है और जिस संस्कार में वह पलता है, उससे अलग हटकर वह विद्यालय में वातावरण पाता है, उसके बाद वह और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाता है। तो उन विद्वानों ने जो बातें कही हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम क्या करें, सवाल इस बात का है। स्कूल ज्यादा खोल दें, स्कूल तो खुलने ही चाहिये, लेकिन मुख्य रूप से इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में बच्चा मात्र 4-5 घण्टे विद्यालय में रहता है और बकिया 20 घण्टे मां के पास रहता है और उस समय उस क्लीनसेट में जो कुछ लिख दिया जायेगा वहीं उसके भविष्य निर्माण में सहायक होता है तो आखिर हम कौन सी शिक्षा दें ताकि हम उसके व्यक्तित्व को बहुमुखी बना सकें और वह देश के निर्माण में कोई बड़ा योगदान कर सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान व्यवस्था है उस वर्तमान व्यवस्था में जो आपने पाठ्यक्रम प्रेसक्राइब्ड किया है, चाहे प्राथमिक का हो या पूर्व माध्यमिक का पाठ्यक्रम हो, वह ठीक नहीं है वह पाठ्यक्रम इतना उपयुक्त नहीं है, वह पाठ्यक्रम धनी व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, वह नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं है और राष्ट्रीय भावना को पैदा करने के लिए भी वह उपयुक्त नहीं है। वह बोझिल है, वह इतना बोझिल है कि किताबें लादते-लादते उसकी गर्दन भी टूट जाती है, उसकी उंगलियां भी टूट जाती हैं और आंखें भी कमजोर हो जाती है।

इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस पाठ्यक्रम की व्यवस्था को इस शिक्षा को संवेदनशील और मानव मूल्यों से परिपूर्ण व्यक्तियों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है कि जो पाठ्यक्रम हम प्रेसक्राइब्ड करें, वह क्षेत्रीय आधार, लिंग समानता, जाति और वर्ग विहीनता, धर्म निरपेक्षता जनसंख्या, शिक्षा, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे तत्वों का भी उस पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए और इतना ही नहीं विश्व के साथ कदम मिलाकर चलने की जो प्रतिस्पर्धा है, उस परिप्रेक्ष्य में भी पूर्व माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक में तो सम्भव नहीं है, पूर्व माध्यमिक स्तर पर यदि सम्भव हो तो माध्यमिक स्तर पर कम्प्यूटर और सूचनाओं को एकत्र करने के चैनल को भी समावेश होना चाहिए और तीसरे पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रदेश और राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति, विकास की सम्यक् मांग ओर उस क्षेत्र में विस्तारित ज्ञानात्मकता की धारा में रखकर उसे जोड़ने की बात करनी चाहिए। हालांकि मंत्री जी ने कहा है कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को नहीं जोड़ सकते हैं लेकिन हमारा यह सुझाव है कि जो वर्तमान शिक्षा है और इस वर्तमान शिक्षा के चलते जो छात्र हम देश और प्रदेश को दे रहे हैं उससे हम कोई ज्यादा लाभ अर्जित नहीं कर रहे हैं। हम इण्टर और उच्च शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वहीं से निकल करके तो हम उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी कुछ इस तरह का शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

मान्यवर, जहां तक यह स्कूलों के बारे में जो आपने बताया, माननीय मंत्री जी मैं उन सब आंकड़ों को प्रस्तुत करके आदरणीय सदन का कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ

इतना कहना चाहता हूं मान्यवर, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें आपने 3 कि0मी0 का मानक स्थापित किया है तो 3 कि0मी0 के मानक के आधार पर मान्यवर, अभी 2000 विद्यालयों की कम से कम और आवश्यकता है तो इन 2000 विद्यालयों की स्थापना आप कैसे करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने की संख्या तो बहुत अधिक है। पहले आपने डेढ़ कि0 मी0 के आधार पर उन विद्यालयों की जो स्थापना की बात की है अब सम्भवत: एक कि0मी0 कर दिया है। जो विश्व बैंक की परियोजनायें आ रही हैं उसमें एक कि0मी0 के मानक की स्थापना की बात कर रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसमें 426 विकास खण्ड ऐसे हैं जहां बालिकाओं के लिए न तो कोई शासकीय या अशासकीय विद्यालय है। जब विद्यालयों की इतनी बड़ी कमी है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तो बालिकाओं को कैसे पढ़ायेंगे ? जब 426 ब्लाकों में शासकीय और अशासकीय विद्यालय नहीं हैं तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ायेंगे और शिक्षा को उपयोगी बनायेंगे या शिक्षा को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे ? बालक और बालिकाओं का शिक्षा का जो प्रतिशत है वह 4:1 है। . . . .

श्री अधिष्ठाता --

शाक्य जी संक्षेप करिये, जो रह जाय वह उत्तर भाषण में कह दीजियेगा। माननीय मंत्री जी ने भी संक्षेप किया था।

श्री राम औतार शाक्य --

मान्यवर, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। एक समस्या है जिधर माननीय मंत्री जी ने सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उच्च प्राथमिक स्तर पर जितनी संख्या में विद्यालयों में दाखिला होता है। आठवीं कक्षा तक वह विश्वविद्यालय जाना बन्द कर देते हैं। ड्राप आउट की प्राब्लम बहुत है। मान्यवर, साक्षरता बढ़ाने के नाम पर आपने प्रतिशत को तो बढ़ा दिया लेकिन इस सत्य से नकार नहीं सकते कि जो प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की होती है वह प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में घट जाता है। आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ड्राप आऊट प्राब्लम पर भी ध्यान दें। संविधान में यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। संविधान में व्यवस्था है, मंत्री जी भी चाहते हैं कि अनिवार्य शिक्षा हो लेकिन इस अनिवार्य शिक्षा के प्राविधान के बावजूद संविधान में उल्लेख होने के बावजूद आखिर हम अनिवार्य शिक्षा देने में नाकाम क्यों रहे हैं अगर मंत्री जी बजट भाषण में समीक्षा करते और आगे का प्रोग्राम बताते तो हमें बड़ी खुशी होती। मान्यवर, जो ग्रामीण बालक गांव से निकलकर आता है और शिक्षित है उसका स्तर नीचा है आज कम्प्यूटर का युग आ गया है पहले गणित का जो शिक्षक हुआ करता था वह अपने दिमाग से बड़े-बड़े सवालों का जवाब हल कर दिया करता था। कम्प्यूटर की शिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता का उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान में असर हुआ है लेकिन जो योग्यता है वह शनै: शनै: लुप्त होती जा रही है। इसलिए शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता है खासतौर से ग्रामीण अंचल में जहां भारी अशिक्षा है जहां के लोग बैकवर्ड हैं वहां की स्थिति नाजुक है। अभी दोहरी शिक्षा की बात हो रही थी मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज दोहरी शिक्षा नहीं है अपितु 5-6 तरह की हो गयी है। एक वह शिक्षा है जो गांव में रहने वाले, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले, विद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए बैठने के लिए न टाट है , न पट्टी है और न पढ़ाने के लिए अध्यापक हैं दूसरी शिक्षा टाउन एरिया नगर पंचायत स्तर पर है,

म्युनिस्पैलिटी स्तर पर है वहां पर स्तर कुछ आगे बढ़ जाता है। तीसरी शिक्षा जिला मुख्यालय की है वहां पर थोड़ा स्तर और बढ़ जाता है प्रदेश स्तर है, जिसमें पब्लिक स्कूल आते हैं और आगे दून स्कूल की शिक्षा है। इस तरह से मान्यवर, एक तरह की शिक्षा नहीं पांच तरह की शिक्षा व्यवस्था है। इसी प्रकार की एक सरस्वती शिक्षा मंदिरों के माध्यम से दी जाती है तो इस तरह से मान्यवर, कई तरह की शिक्षा व्यवस्थायें हैं। मान्यवर, तो आज हम देखें कि जिस परिवेश से प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा गुजर रही है उससे न केवल गांव के गरीब आदमी का बेटा, गांव के कमजोर छात्र या गांव के गरीब किसान की बेटी या गरीब छात्रा को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पायेगा इसलिए मान्यवर, आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जब तक शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं किया जायेगा शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हो सकेगा। इस तरह से जो हमारी शिक्षा स्तर को बढ़ाने की परिकल्पना है, जो दर्शन है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। इस तरह से हम शिक्षा को व्यवहारिक रूप में प्राप्त करने वाले नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा की कमी है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास अध्यापकों की बहुत कमी है छात्रों की संख्या अधिक है। लेकिन अध्यापकों की संख्या इस हिसाब से बहुत कम है हमारे जितने भी प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें पूरे प्रदेश में विद्यालय में हजारों-हजार की संख्या में छात्र हैं लेकिन शिक्षकों की संख्या एक-एक है, ऐसे बहुत से विद्यालय हैं। पहले तो बहुत से ऐसे भी विद्यालय थे जिनमें शिक्षक ही नहीं थे तो क्या ऐसी व्यवस्थाओं के चलते हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर पायेंगे, शिक्षा का विकास कर पायेंगे। मान्यवर, जो विशिष्ट बी0टी0सी0 की बात कही गयी है वह ठीक है आपने विशिष्ट बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति की है उनमें बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मेरिट में आये हैं और उनका परसेन्टेज अधिक है लेकिन वह अपने अधिकार से वंचित रह गये हैं और जो उनसे कम परसेन्टेज प्राप्त किये हुए हैं उनकी नियुक्तियां हो गयी हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो आपकी व्यवस्था है, जिन संस्थाओं द्वारा यह कार्य किया जाता है वहां कागजों का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में 1500 रिट याचिकायें हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, लेकिन आज दो साल हो रहे है उनका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, यह भी आपकी व्यवस्था है। तो मान्यवर, इसके चलते शिक्षा जगत में आप अच्छी छवि कहां से बना पायेंगे और भी बहुत से बातें हैं जिनको मैं अभी बाद में कह दूंगा।

*श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, आपने बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश में शिशुओं और बच्चों के पढ़ाने के लिए जितना प्रयास किया और जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी " स्कूल चलो अभियान'' के तहत एक अच्छा संदेश भेजा है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 54 लाख छात्रों की संख्या बढ़ी और इससे जो वंचित रह गये थे उन लोगों को शिक्षा में सुधार का अवसर प्राप्त हुआ इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं । मान्यवर, अध्यापकों की कमी थी यह सही है कि पिछली सरकारों में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हुआ करते थे कि एक भी अध्यापक

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं होते थे केवल भवन दिखायी देता था। मान्यवर, उसको सुधारने का प्रयास किया है। प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापक हो उसी के तहत 23 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है। सचमुच बिना किसी ताम-झाम के परीक्षार्थियों ने मात्र एक रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेज दिया था उसके माध्यम से सर्टिफिकेट आया था और बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण देकर 23 हजार प्राइमरी विद्यालयों में नौकरी देने का कार्य किया है। शिक्षा मित्र की नियुक्ति कर शिक्षा पर भार न बढ़े तथा बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया है। शिक्षितों को ऐसा अवसर देने का कार्य किया है तथा शिक्षा मित्र की नियुक्ति 38 हजार 221 प्रदेश में की गयी है और जो गांव के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा है।

मान्यवर, पूर्वांचल के लोगों का क्षेत्रीय कार्यालय बनारस होता था और कोई भी समस्या होती तो उसका निराकरण वहीं से होता था। माननीय मंत्री जी ने बजट घोषणा में कहा है कि गोरखपुर में क्षत्राय कार्यालय खोलेंगे इसके लिए सभी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां एक अध्यापक है। पिछली साल आपने प्रयास किया था, जिसकी वजह से छात्रों की संख्या में बढोत्तरी हुई थी मान्यवर, एक जिम्मेदारी अध्यापकों पर होनी चाहिए कि कम से कम इतने छात्र विद्यालय में होने चाहिए अगर उतने नहीं होंगे तो उनकी तनख्वाह से कटौती कर दी जायेगी और उनकी जिम्मेदारी हो जायेगी कि गांव से सम्पर्क करें जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनको लाकर पढ़ाने का प्रयास करें। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी विद्यालय में एक ही अध्यापक हैं और कहीं-कहीं 5-6 अध्यापक हैं आप कम से कम इतना तो जरूर करें कि जो अध्यापकों की पोस्टिंग होती है ब्लाक से बाहर किया जाये और यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जहां एक हैं या दो हैं और जहां 7-8 हैं, वहां से कुछ कम करके समानता निर्धारित की जाये और छात्र संख्या न्यूनतम निर्धारित की जाये जिसकी वजह से एक जिम्मेदारी बन जाये कि इतने छात्र नहीं पढ़ेंगे, इतने छात्र कक्षा में नहीं होंगे, तो उनके वेतन पर प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। शिक्षा के महत्व को देखते हुये हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को देखते हुये संविधान में इस बात की व्यवस्था की गयी थी यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य होगा कि वह 6-14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य ओर मुफ्त शिक्षा देने का काम करेगी। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी नीतियां और कार्यक्रम रहे उसके चलते आज उत्तर प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक लोग अशिक्षित हैं। आधी आबादी आज भी निरक्षर है। आज जो हम प्राथमिक शिक्षा के बजट पर विचार कर रहे हैं उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि पहले जो हमारे ऐसे विद्यालय थे उन्हीं से पढ़कर बच्चे निकलते थे और वह आई0ए0एस0/आई0 पी0 एस0 और डाक्टर इंजीनियर बनते थे। आज जो गिरावट आयी है उसी कारण आज इन स्कूलों के बच्चे कंपटीशन में नहीं आ पाते हैं और इंजीनियर, डाक्टर, आई0ए0 एस0 तथा आई0पी0एस0 नहीं बन पाते हैं।

आज 53 वर्ष देश को आजाद हुये हो गये हैं लेकिन आज भी स्तरीय शिक्षा हम बच्चों को उपलबध नहीं करा पाये हैं। आज जो विद्यालयों के भवन बने हैं कक्षा 1-5 तक के उनमें 2 कमरों के भवन बने हैं उसमें कैसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा दी जा सकती है। मान्यवर, मैं यह भी

कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी ने शिक्षा मित्र के बारे में कहा है। मैं बताना चाहता हूं कि तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां पर केवल 1 अध्यापक है और कहीं पर एक भी अध्यापक नहीं हैं। इस स्थिति में कैसे आप शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं। अध्यापक की जिम्मेदारी पठन-पाठन की होनी चाहिये लेकिन आपने उनके ऊपर अनेक दूसरी जिम्मेदारियां जैसे जनगणना का कार्य, पोलियों ड्राप्स का कार्य, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की गणना का कार्य, आवासों की गणना कार्य, पंचायतों और नगरपालिका परिषदों का कार्य, एम0एल0ए0 तथा एम0पी0 के निर्वाचन का कार्य तो जब इतने कार्य आप शिक्षक से लेंगे तो वह पढ़ाने के लिये कहां से अवसर निकाल पायेंगे। ऐसे में कहाँ आप प्राथमिक शिक्षा में सुधार की कल्पना कर सकते हैं। वह अध्यापन का काम कर पायेंगे यह सम्भव नहीं प्रतीत होता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने शिक्षा के महत्व को जिस तरह से अपने बजट व्याख्यान में रखने का काम किया है लेकिन अध्यापकों के जिम्मे अगर विभिन्न कार्य रहेंगे तो वह अध्यापन का कार्य नहीं कर सकेंगे। शिक्षकों के सम्बन्ध में सेवा के विस्तार करने की बात करना या शिक्षा के सुधार की परिकल्पना करना बिल्कुल कपोल कल्पित है। एक निवेदन और करना चाहूंगा जो शिक्षकों का अभाव है उसके सम्बन्ध में भी हमें सोचना पड़ेगा इसके लिए हमें निश्चित रूप से कार्य करना पड़ेगा दूसरी तरफ जो विद्यालय बनाने की बात आती थी पहले जो विद्यालय का चयन होता था उस चयन समितियों में विधायकों की हिस्सेदारी होती थी पहले शिक्षा सलाहकार समितियों में विधायक सदस्य हुआ करते थे क्योंकि विधायकों को जानकारी होती है अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी होगी कि कहां पर विद्यालय नहीं हैं कहां पर किस चीज की जरूरत है वह शिक्षा सलाहकार समिति के माध्यम से किया करते थे।

इस वर्तमान सरकार ने विधायकों की शिक्षा सलाहकार समिति को समाप्त करके जिला पंचायतों की केवल शिक्षा समिति बनाने का काम किया है इस तरह से उसको जिम्मेदारी से मुक्त करने का काम किया है। अधिकारियों के जिम्मे यह काम दिया कुछ जिला पंचायत शिक्षा समिति के जिम्मे काम किया। जिसके कारण चयनित होने का काम सही नहीं हो पा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 विद्यालयों को चयनित किया गया है एक गांव में जहां पहले से विद्यालय चल रहा था उसी के दूसरे मजरे में चयनित हो गया जबकि दूसरे गांव में जहां एक हजार की आबादी है वहां विद्यालय चयनित नहीं किया गया। इसी तरह से मेरा अनुरोध है कि शिक्षा सलाहकार समितियों को पुनर्जीवित किया जाए विधायकों की अध्यक्षता में पहले बैठक हुआ करती थी इसी तरह से बैठक करके जन प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में उसमें चयनित करने का काम करेंगे विद्यालयों को, तो हर गांव में एक विद्यालय बनने का काम हो सकेगा। मंत्री जी ने कहा कि अध्यापकों की जो समस्यायें हैं, उनको निदान करने का काम करेंगे।

(इस समय 7 बजकर 20 मिनट।)

श्री अधिष्ठाता –

अब समाप्त करें।

श्री लाल जी वर्मा–

समाप्त कर रहा हूं। जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं निजी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हैं उसका शिक्षक जब रिटायर होता है तो उसकी पेंशन व्यवस्था में बहुत असुविधा होती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के जो अध्यापक रिटायर होते हैं, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक रिटायर होते हैं, उनको सेवा निवृत्ति के बाद राजकीय कोषागारों

के माध्यम से पेंशन दिलाने की व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से इसमें सुधार हो सकेगा। पुन: मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अध्यापकों का काम अध्यापन का है जो उनको अन्य कार्य दिए गए हैं उनसे उनको मुक्त करने का काम करें। विद्यालय भवनों का निर्माण प्रत्येक गांव सभा में, ग्राम पंचायत में कराइए। शिक्षकों को नियुक्त करने का काम करें यह सब करने में अगर आप सफल हो सकेंगे तो जो हमारे उद्देश्य हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के उद्देश्य हैं वह तभी पूरे हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्री राम औतार शाक्य के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*बचन राम—

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना, चरित्र निर्माण करना है। मान्यवर, इसके पूर्व में जब आपने बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में इस सदन में बजट प्रस्तुत किया था और इस वर्ष हमारे मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और लगभग चार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजट में हमने पाया कि ग्रामीण अंचलों के ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चे को आर्थिक तंगी की वजह से कान्वेन्ट सिटी मान्टेसरी स्कूलों में नहीं भेज सकते थे हमारी ओर आकर्षित हुए। जो मार्गदर्शन आपके समय में मिला वही आज हमारे बालेश्वर त्यागी जी ने अपनाया है वे वास्तव में त्यागी पुरुष हैं। जिस प्रकार से आपने सिटी मांटेसरी की तरह सरकारी विद्यालयों में ड्रेस का प्राविधान किया अब माननीय त्यागी जी भी उसी पर बल दे रहे हैं मैंने देखा कि चाहे गोरखपुर हो, आजमगढ़ हो, बनारस हो प्रदेश के सभी जिलों में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे ड्रेस पहनते हैं जिससे एक पहचान मिली है।

विद्यालय चलो अभियान के तहत गरीब अभिभावकों की रुचि बढ़ी है और लगभग 54 हजार बच्चों के प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराई। मेरा एक सुझाव था कि हमारे यहां अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय लगभग दो हजार की संख्या में है। 84 से लेकर अब तक वहां अध्यापक पांच सौ, छ: सौ रुपये प्रतिमाह पर पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वहां 500 विद्यालयों का प्राविधान कर दिया जाय। इस बजट में तो नहीं किया गया अगले बजट में जरूर कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी की सदाशयता के कारण जो बी0ए0,बी0एड, बी0टी0सी0 करके छात्र घर बैठते थे उनमें 27 हजार अध्यापकों की नियुक्ति का निर्णय लिया और उनको प्रशिक्षण भी दिया गया जिसमें से 23221 की नियुक्ति हो गई। जो लोग चालीस पचास साल के हो चुके थे 10-10 वर्षों से बी0टी0सी0 डिग्री लिये थे जर्जर स्थित में थे उसमें से 10699 को नौकरी दी गई । अब कोई भी बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी नहीं बचा है घर घर बेकार नहीं पड़ा है। हमारी सरकार ने जितने बी0टी0सी0 प्रशिक्षित लोग थे, घर बैठे थे उनको नियुक्त करने का काम किया है। यह बी0जे0पी0 की चार साल की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बी0जे0पी0 की सरकार है जिसने गरीब, किसान, मजदूर और दलित के बच्चों के बारे में सोचा है कि किसी की भी बेटा-बेटी शिक्षा से वंचित न रहे। जैसे कि हमारे संविधान में व्यवस्था है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा दी जाय, यह भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिसने इस पर अमल किया इस पर चल रही है और काम कर रही है। जो लोग गरीबों, दलितों, पीड़ितों के हितों के बारे में कहते हैं हमने उनकी सरकार को भी देखा था। इन्होंने इन गरीब दलितों के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कोई काम नहीं किया था।

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री बेचन राम–

बस एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, बी0जे0पी0 की सरकार में आप शिक्षा मंत्री थे उस समय भी आपने काफी काम किया था। हमारे गोरखपुर में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर प्राथमिक विद्यालय न हों। हमारे बिधान सभा क्षेत्र में तीन-तीन जूनियर हाई स्कूल का निर्माण किया गया है। हर 500 मीटर की दूरी पर विद्यालय हैं। अभी वर्मा जी बात कर रहे थे कि दो कमरे के विद्यालय हैं और कहीं पर वह भी नहीं हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि दो कमरे तो थे ही विद्यालय में । हमारी सरकार ने जहां पर बच्चों की संख्या अधिक है, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया है। विश्व बैंक स्कीम के अन्तर्गत जो विद्यालय हैं उनके अलावा औरों में 2/3 कमरों का निर्माण कराया है। नर्सरी और सिटी मान्टेसरी स्कूलों की तरफ अभिभावकों का बहुत रुझान हो रहा है। इसको देखते हुए हमारे मंत्री जी ने अभिभावकों की रुचि इन प्राथमिक विद्यालयों की तरफ बढ़ाने के लिये अंग्रेजी कक्षा 3 से 5 तक की है। कुछ लोग जो झूठा बाबा साहब का नाम लेकर कि हम गरीबों के मसीहा हैं,सर्वे सर्वा हैं,कहा करते हैं हमने उनकी सरकार को भी देखा है। यह भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिसने 57 लाख पाठ्य पुस्तकें नि:शुल्क दलित, गरीब बच्चों में बांटने का काम किया है। हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं क्योंकि वे वोट के सौदागर हैं। पहली सरकार है जिसने शोषित, पीड़ित, दलित और अभावग्रस्त लोगो के बच्चों के बारे में सोचा है।

श्री अधिष्ठाता –

अब समाप्त करें।

श्री बेचन राम–

मान्यवर, एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बिना विद्या के व्यक्ति पशु के समान है। हमारी सरकार ने साक्षरता के बारे में सोचा है और साक्षरता के प्रतिशत को 57 % तक ले आई है। हमारी जनता भी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने । मैं सोच रहा था मेरी माता जी पढ़ी लिखी नहीं हैं, मेरे पिता जी पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं सोच रहा था कि साक्षरता का कितना प्रतिशत है। मुझे लग रहा है कि अब हम साक्षरता में शत प्रतिशत पहुंच गये।

श्री अधिष्ठाता –

बेचन जी, अब समाप्त करें। समय ज्यादा हो गया है।

श्री बेचन राम–

मान्यवर, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह सब जानते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर ढंग से समर्थन करता हूं।

श्री सोलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती का प्रस्ताव जो शाक्य जी ने रखा है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, बालेश्वर त्यागी नि:सन्देह एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। इस सरकार में जितने मंत्री साफ सुथरी छवि के कहे जाते हैं, उनमें इनकी

गिनती है, मैं माननीय शाक्य जी की इस बात का समर्थन करता हूं तजुर्बेकार भी हैं, बड़ा धारा प्रवाह भाषण प्रस्तुत किया, बहुत से महापुरुषों के उदाहरण दिए, इस उम्र में भी उत्तेजक भाषण था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता --

निश्चित अवधि में अपनी वात समाप्त करें।

श्री सौलत अली एडवोकेट--

शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इंसान की जिन्दगी में हर कदम पर शिक्षा की आवश्यकता है, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास के लिए, जन्म एवं मृत्यु दर घटाने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए, सशक्तिकरण एवं समता के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, हर कदम पर शिक्षा की आवश्यकता है। क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति आप कर पा रहे हैं ? सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम बनाए, औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा शुरू की, आपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया लेकिन भ्रष्टाचार ने इन सारे कार्यक्रमों को फेल कर दिया। आपने 57 प्रतिशत साक्षरता दर बताई, सर्वे हुआ हमारे प्रदेश में 41.6 प्रतिशत साक्षर लोग हैं। 58 प्रतिशत निरक्षर हैं हमारे प्रदेश के साक्षर 41.6 हैं लेकिन उत्तरांचल के घटाकर 40.78 प्रतिशत हैं। 1996 में सर्वेक्षण हुआ कुल 86,361।

विद्यालय थे आपने कहा तीन सो की , 800 की आबादी पर प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल खोले जाएंगे। अभी आप 9524 पर 41 जनपदों में 4786 प्राइमरी स्कूल खोल पाए हैं। 551 जूनियर हाई स्कूल खोले गए हैं जिसमें 249 बालिकाओं के हैं। जूनियर हाई स्कूल जिनके भवन अधूरे हैं यह जाहिदपुर, सीकमपुर, भायपुर, ठिरियादान जो बालिकाओं का है वह अधूरा पड़ा है, प्राइमरी स्कूल भौंसिया धर्मपुर में अधूरा है। श्रीमन् दैनिक जागरण 30 जून 2000 का है जिसमें है "निरक्षरता की भीषण चुनौती, भारत के लिए 21 वीं सदी में थी अभी पूरी व्यापकता से बरकरार रहेगी। भारत सरकार के सहयोग से 1979 में अनौपचारिक शिक्षा शुरू हुई और वह समाप्त हो गई। श्रीमन् 1981-82 में एल0 टी0 ग्रेड के पर्यवेक्षक रखे गए। 1989-1991 में राज्य स्तरीय चयन समिति ने इनका राजपत्रित वेतनमान 6500-10,500 किया। 2001 में नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा का नाम दे दिया, श्रीमन्, 21 मार्च, 2001 के राज्य मंत्रिमण्डल ने निर्णय ले लिया कि एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों को पदावनत कर दिया जाए और सहायक अध्यापक का 4500-7000 का वेतन दिया जाए। जबकि 11-4-2001 को हाईकोर्ट में स्टे हो चुका है आप उनसे क्यों नाराज हैं ? क्या उन्होंने सेवा नहीं की ? एल0 टी0 ग्रेड उन्हें आपने ही दिया ? क्या वह समाज का हिस्सा नहीं है क्या उनको उन्नति का अधिकार नहीं है ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं संविधान के आर्टिकल 21 में है--"प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है श्रीमन, उन्नेकृष्णन जे0 पी0 बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार" आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमति व्यक्त की यह एस0सी0-ए0आई0आर0 1996 (एस0सी0-1051) कोर्ट सिस्टम हुआ। जनकल्याणकारी राज्य का अस्तित्व ही इसलिए है कि वह न केवल लोगों की जीविका कमाने में मदद करे बल्कि उन्हें उन्नत जिन्दगी के अवसर प्रदान करे।

आपकी सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती है। आप इन लोगों को वेतनमान क्यों नहीं दे रहे हैं ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यह सरकार उनका शोषण कर रही है। मान्यवर, जो शिक्षा के क्षेत्र में माफिया पैदा हो गये है उनसे आप लेशमात्र भी अपने आपको नहीं बचा पा रहे हैं। मान्यवर,

जितनी आपकी योजनाएं हैं यदि मैं कहूं कि 80 प्रतिशत का दुरुपयोग हो रहा है तो यह कहना गलत न होगा। आप इस मामले में जांच करा लीजिये। शिव सुन्दरी मान्टेसरी स्कूल मुरादाबाद में है, वहां की अध्यापिकाएं हैं, हाई कोर्ट से आदेश हुआ उनके वेतन का एरियर के भुगतान का । यह एरियर चौबीस लाख बत्तीस हजार दो सौ बावन रुपये का था, तीन वर्ष हो गये हैं चालीस लाख आपने दिया है, बी0एस0ए0 के खाते में जमा है मैनेजमेंट नहीं चाहता है वह दें। 11 बार बी0एस0ए0 को लिख चुका है, डायरेक्टर ने लिखा है आपके भी आदेश अप्रैल में हुए हैं लेकिन आपके अधिकारियों पर आपका अंकुश नहीं चल पा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन माफियाओं के शोषण से आप मुक्ति दिलायें। यह प्रबन्ध तंत्र की हठधर्मिता के चलते हुए हो रहा है। इसको समाप्त करें।

मान्यवर, 5 मई के अखबार में दिया है सहारनपुर की न्यूज है, "राष्ट्रीय सहारा" पेपर है इसमें यह लिखा है कि --एक मात्र अध्यापक के रिटायर होने के कारण विद्यालय बन्द होने की कगार में। यह गाजीवाला गांव है। वहीं पर बराबर के गांव में 53 बच्चे हैं और वहां पर पांच टीचर नियुक्त किये हैं। यहां पर 80 बच्चे और एक भी अध्यापक नहीं और बगल में 53 बच्चे और पांच टीचर। आप क्या कोशिश कर रहे यह बता दीजिये। आपको लेशमात्र भी कामयाबी नहीं मिली है कि आप बच्चों के औसत के आधार पर नियुक्त कर सकें। ट्रांसफर कर सकें। मान्यवर, आपके विभाग में ऐसे भी माफिया है, एक मेरे क्षेत्र में जहीरुल इस्लाम हैं जो ए0बी0एस0ए0 है और 17 साल से वहीं पड़े हैं। वह ब्लाक मूठापाण्डे के हैं और रामपुर के मूल निवासी हैं जो कि पांच किलामीटर की दूरी पर है। यह वहीं पैदा हुए थे। इनको पांच साल पहले स्थानान्तरित किया गया लेकिन वे हाईकोर्ट से स्टे ले आये हैं। आपके निदेशक पन्त साहब ने कहा कि 15 दिन में हटा दिया जायेगा लेकिन 15 साल से हटा नहीं पा रहे हैं। एसेम्बली में जवाब दिया गया था कि स्थगन आदेश के कारण रोका गया है तो क्या कोई स्थगन आदेश से फार ऐवर के लिए हो जाता है। जो शिक्षा मित्र की बात कही गयी तो एक हारून साहब हैं यह पांच-पांच हजार रुपया लेकर शिक्षा मित्र रखवाने का काम कर रहे हैं ए0बी0एस0ए0 के लिए। उर्दू की बात कही गयी। आपने कहा कि उर्दू निदेशालय कायम किये, नियुक्ति भी की। मान्यवर, 96-97 के बाद आपकी सरकार ने नियुक्तियां बन्द कर दीं एक भी नहीं रखे गये हैं। मुलायम सिंह जी ने उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़कर उनकी नियुक्ति की थी। आपने उर्दू विद्यालयों का जिक्र किया। केन्द्र के कुल 810 उर्दू विद्यालय हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के 96-97तक 7442 तथा जब से आपकी सरकार आयी है 2252 विद्यालय उर्दू के हैं। तो इस तरह से कुल 10504 विद्यालय है तो इस प्रदेश की जनता को आप क्या देना चाहते हैं।

मान्यवर, समय हो रहा है। एक अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। चीन में साक्षरता सौ प्रतिशत है। वहां पर बेसिक शिक्षा को कम्पल्सरी और फ्री कर दिया है। जब बच्चा पांच वर्ष का हो जाय तो स्कूल में नाम लिखा दिया जाता है। अगर नहीं लिखा जाता है तो वहां के प्रधान, सभासद या स्कूल के हेड मास्टर के ऊपर पैनाल्टी डाल दी जाती है। तो भी इस पर विचार कीजिए। अंत में एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। माननीय लालजी वर्मा जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं कि अध्यापकों को शिक्षा के अलावा अन्य कार्यों से हटा लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 इन्द्रदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं प्रबल समर्थन करता हूँ मान्यवर, इसलिए कि हम अगर आज पूरे प्रदेश को देखे तो बेसिक शिक्षा का जो विस्तार माननीय मंत्री जी ने किया है मैं समझता हूँ कि शिक्षा रूपी जो भवन है उसकी नींव को मजबूत किया है। मान्यवर, इन गाँवों में, मजरों में जहाँ कभी विद्यालय नहीं थें बच्चे पढ़ नहीं पातें थे वहाँ आज प्राथमिक विद्यालय बन गये है मान्यवर, मेंरे क्षेत्र में 10-15 गाँवों के ब्लाक हैं यहां पर बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं थी चारों तरफ नदियां थी। बच्चे पढ़ने नही आते थे आज वहां प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय है बच्चे अब आगे जाकर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और आगे रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे। मान्यवर, शिक्षा की एक बहुत बड़ी बयार आज वहनी प्रारम्भ हुयी है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, आपने एक नीति बनायी कि एक किलोमीटर की दूरी पर कोई विद्यालय नहीं है तो वहां पर आपने प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया । मान्यवर, आपने शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जहाँ बच्चे अधिक हैं वहां आपने अतिरिक्त कक्षा के निर्माण का निर्णय लिया साथ ही हैडपंप, शौचालय की व्यवस्था विद्यालय में आपने करायी जिसके लिए साधुवाद देता हूँ। मान्यवर, जो नये भवन बन रहे हैं वह देखने में बहुत सुन्दर हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था हैं भूकम्परोधी हैं। मान्यवर, सुन्दर चीज से बच्चे भी आकर्षित होते है।

मान्यवर, शिक्षा की व्यवस्था का प्रश्न है अगर हमारे सामने एक सरकारी विद्यालय, एक इंग्लिश मीडियम का प्राथमिक विद्यालय और एक शिशु मंदिर की पद्धति का विद्यालय हो तो प्रश्न है कि अभिभावक बच्चों को कहां पढ़ाना पसन्द करेंगा यह एक विचारणीय प्रश्न है मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अगर मैं स्पष्ट मन से कहूँ तो सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में अभिभावक बच्चों को भेजना पसन्द नहीं करेगा अगर भेजेगा तो उस स्थिति में जब उसके पास शिशु मन्दिर या अंग्रेजी स्कूल की फीस देने की स्थिति न हो। मान्यवर, अंग्रेजी विद्यालय के बारे में जो कल्पना रहती है वह यह कि वहाँ जब बच्चा पढ़ेगा तो रोयेगा अंग्रेजी में, हंसेगा अंग्रेजी, में पढ़ेगा अंग्रेजी में और जो शिशु मंदिर में बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में यह भावना रहती हैं कि यहाँ नैतिक शिक्षा दी जाती है देश भक्ति देश प्रेम की भावना सिखायी जाती है। भारतीय संस्कार सिखाये जाते है और सांस्कृतिक विकास का भी प्रयास किया जाता है। बच्चे का विकास होता है। तीसरे मान्यवर, हमारी सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय है। मान्यवर, अगर हम उनको अंग्रेजी विद्यालयों के नजदीक नहीं पहुंचा सकते है तो कम से कम अपने शिशु मंदिर के नजदीक तो पहुँचा दें ताकि अभिभावकों को यह महसूस हो कि हमारे बच्चे कम से कम अच्छी शिक्षा तो प्राप्त कर सकेंगे। मान्यवर, एक समस्या सभी लोगों ने रखी है कि बहुत सारे विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है और कहीं एक है तो उसके जिम्मे बहुत से बच्चे होते है। यह दूरस्थ विद्यालयों की बात है । दूसरी तरफ शहरों के निकट जो विद्यालय है वहां 4-5 शिक्षक हैं मान्यवर, अनुभव यह है कि जो विद्यालय दूरस्थ है जहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है आने-जाने के साधन कम है, वहाँ शिक्षकों की कमी है। अगर कोई शिक्षक भेजा भी गया तो फिर अपने सम्पर्कों के माध्यम से वह ट्रांसफर करा लेता है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे विद्यालयों को छांट करके जहां पर अध्यापक कम संख्या में पहुंचते हैं तो रहते नहीं हैं, ट्रान्सफर करा लेते हैं तो अगर आप शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था करा दें तो मैं समझता हूं कि शिक्षक के सामने एक अतिरिक्त आकर्षण होगा कि उस

विद्यालय में वह चला भी गया तो वहां आवास की व्यवस्था है, वह रह जायेगा। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आवास की व्यवस्था करा दें।

मान्यवर, एक समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में अम्हेड़ा गांव है वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय है। 15 फरवरी, 2001 को इसी वर्ष में वहां छापा पड़ा बच्चों की संख्या 300 से ऊपर रजिस्टर्ड थी लेकिन उपस्थिति थी 100 से कुछ अधिक। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस दिन इतनी भयंकर शीत थी, वर्षा थी कि हमारे मुरादाबाद मंडल के अन्दर 12-13 लोग मरे थे और उस कारण विद्यालय में उपस्थिति कम थी। विद्यालय के प्रधान अध्यापक नरेन्द्र कुमार सिंह उस दिन और उसके पहले दिन से आकस्मिक अवकाश पर था। टास्क फोर्स ने उनको भी निलम्बित कर दिया और जिले के बी0एस0ए0 को सस्पेण्ड कर दिया। बच्चे कम थे इसलिए और दूसरा आरोप लगाया गया कि छात्रवृत्ति नहीं बटी। जब छात्रवृत्ति उनके खाते में ही नहीं आई, छात्रवृत्ति आई 15 दिन के बाद और यह आरोप लगा दिया और जो छुट्टी पर था उस पर भी आरोप लगाकर निलम्बित कर दिया। मैं समझता हूं कि यह गलत है। मेरा आग्रह है कि उन बी0एस0ए0 को और प्रधानाध्यापक का निलम्बन वापिस लेकर उनको सेवाकाल में वापिस लें। यह एक अच्छा बजट है। अत: मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

माननीय अधिष्ठाता जी, मै माननीय शाक्य जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बेसिक शिक्षा का यह बजट और बेसिक शिक्षा का यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, प्रदेश के अनपढ़ लोग इस सरकार से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न कर रहे हैं और यह चिल्ला-चिल्लाकर यहां की जनता यह पूंछ रही है, सवाल कर रही है--

"गाली तो गांव-गांव हरेक की जुबां तक पहुंची, यह बताइये कि तालीम कहां तक पहुंची।

मान्यवर, इस बजट को मैं बड़े गौर से देख रहा था लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या पढ़ूं और क्या देखू इससे बेहतर तो आपने बजट रखा था क्योंकि उसमें बोलने के लिए कुछ तथ्य तो थे आज इसमें न ही स्कूल खोलने की कोई व्यवस्था है।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री–(श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, जो बुनियाद जी ने कहा उस पर कह रहा हूं--

तेरी निगाह जहां तक पहुंची, वहां तक तालीम पहुंची।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

"मेरी निगाहें अकीदत सलाम कहती हैं,
और कातिल की मुहब्बत सलाम कहती है।"

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।"

नोट--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

आज की जो शिक्षा नीति की व्यवस्था है, हम उसका विरोध करते है, यह विरोध इसलिये करते हैं कि जो आज सरकार कभी पाठयक्रम बदल रही है, कभी किताबें बदल रही हैं, अब प्रश्न यह है कि यह सब आखिर कब तक चलेगा ? प्राइमरी स्कूल जो आपके द्वारा बनाये गये हैं, देहात में, उसमें पढ़ने वाला बच्चा कभी सोचता नहीं है कि वह कलेक्टर बनेगा, जब कि दून स्कूल के प्राइमरी में पढने वाला बच्चों कभी सोचता नहीं है कि वह चपरासी बनेगा। क्योंकि गांव में पढ़ने वाले बच्चें की किताब में लिखा है ह से हल, उसके ऊपर वह सोचता नहीं और दूसरे स्कूल वाली किताब में लिखा है ह से हवाई जहाज, वह उसके नीचे देखता नहीं । ऐसी व्यवस्था का हम खुलकर विरोध करते हैं। हम यह चाहते है कि शिक्षा हर एक को कम्पलसरी हो।

आज देश को आजाद हुए 53 साल हो गये, हम एक काम भी पूरा नहीं कर पाये कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, वही नहीं कर पाये। आज स्कूलों की ज्र्जर व्यवस्था है तो ऐसे में देहात में पढ़ने वाला बच्चा क्या तरक्की करेगा । जो आज प्राइमरी स्कूलों की हालत है, जो माननीय जन प्रतिनिधि अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, यदि हमारी बात को सच मानेगें तो वह बंधुवा मजदूर का कर्तव्य कर रहे हैं, जबरदस्ती बधाई दे दी। जबकि वास्तविकता यह है कि स्कूलों में टाट पट्टी है नहीं, टीचर के बैठने के लिए कुर्सी है नहीं, और अगर छत है तो वह 3 दीवारों पर टिकी है,आज बच्चे जोखिम में बैठकर पढ़ते हैं, यह हालत प्राइमरी विद्यालयों की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से उनके उत्तर में एक ही स्पष्टीकरण चाहूँगा कि जो आपने साहित्य दिया है, उसमें नये स्कूल भवन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है जो आपको वर्ल्ड बैंक रुपया दे रहा है, गाँव-गाँव से इतने कि0 मी0 पर स्कूल बनाने के लिए, उसमें 40 प्रतिशत धन आपका लगना है, क्या उसकी व्यवस्था आपने इस बजट में की है ? यदि नहीं की है तो कहाँ से इसकी व्यवस्था आप करेगे ? पहले ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक है। लिखा जाता था, वह शिक्षा सरल थी, आसान थी लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी कि अब रफ कागज के ऊपर करते है। अत: शिक्षा प्राप्त करना बड़े आदमियों का काम रह गया, गरीब आदमी के लिए शिक्षा बहुत मुश्किल काम हो गया है। क्या वजह है कि आज जो चीन भारत के बाद आजाद हुआ और चीन में हमसे डेढ़ गुना ज्यादा लोग शिक्षित हैं और वह दुनिया की एक ताकत है और यहाँ हर चीज में घोटाला, छात्रवृत्ति में घोटाला, बाल पोषण में घोटाला,मुफ्त योजना में घोटाला, आखिर आप इस शिक्षा को कहाँ ले जाना चाहते है ? हमारे भाई लाल जी वर्मा कह रहे थे कि टीचर कभी चुनाव का काम कर रहे हैं, कभी मर्दनशुमारी करवा रहे हैं,कभी चूहे मरवा रहे है। जब एक टीचर आठ-आठ स्कूल बनवायेगा तो बच्चों को शिक्षा किस वक्त देगा।

मान्यवर, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे यहां एक शिक्षा अधीक्षक, खैराबाद नगरपालिका हैं,उनका 4-4 बार स्थानान्तरण किया गया, वह सारे टीचर्स यूनियन का उत्पीड़न करते हैं, उन लागों ने धरना-प्रदर्शन भी किया, लेकिन पता नहीं, इस सरकार को उनमें क्या अच्छाई दिख रही है कि आज वह वहीं पर फिर जमे हुए हैं। वह कहता है कि किसी की औकात नहीं, ताकत नहीं, जो मुझे हटा दे तो क्या ऐसे शिक्षा होगी ?

नोट--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस तरह से भ्रष्टाचार होगा, हमारे यहां पर तमाम अध्यापक ऐसे हैं जो इंगित है, जिनके ऊपर कार्यवाही हो रही है, उन्होंने पैसा निकाल लिया भवन निर्माण का और उसके बाद वह भाग गये, वह न तो पढ़ाने आते हैं और न उनकी कोई रिकवरी हो रही है। किस तरह का प्रशासन है, इसी का हम मंत्री जी से उत्तर चाहते है। मान्यवर, हमारी ही विधान सभा के जो 8 स्कूल हैं और पूरे जनपद में जो ऐसे 40 स्कूल है, जो अध्यापक पैसा लेकर चले गये, न वह पढ़ाने आ रहे हैं और रिकवरी होती नहीं। सरकार हर तरह से फेल हो रही है। मान्यवर, खाद्यान्न में जिस तरह से हमारे यहां और छात्रवृत्ति में 1 करोड़ कुछ रुपया का जो घोटाला हुआ है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद ही कोई जनपद होगा और उसके बाद आपने कितने लोगों को सजा दी, कितनों के खिलाफ आपने कार्यवाई की ? मान्यवर,यह एक चिन्ता का विषय है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आप ईमानदारी के साथ सोचेंगे । मान्यवर, जब तक प्राइमरी एजूकेशन सही नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता अगर चाहते हो गरीबी खत्म करना तो प्राइमरी शिक्षा की तरफ सरकार को ध्यान देकर सुधार लाना पड़ेगा।

*श्री नवाब सिंह नागर--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, हम आभारी हैं। मान्यवर, हमें इस बात का गर्व है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग का बजट मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं वह ऐसी शख्सियत हैं जो मूल्यों, और सिद्धान्त का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मान्यवर, यह ऐसी शख्सियत हैं जो आज की राजनीति में एक आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। आज जब सारे प्रदेश में मंत्रियों के जेब खर्च की चर्चा है, वहां पर एक मात्र ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पूरे अपने काल में एक भी नया पैसा जेब खर्च के नाम पर नहीं लिया है। निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं और एक आदर्श उपस्थित कर रहे है। आज इन्हीं के हाथ में यह बेसिक शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण काम दिया गया है जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण काम है, राष्ट्र निर्माण का काम है, मानव की शुरूआत का कार्य है और हमें प्रसन्नता है कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश बहुत तेजी से शिक्षा प्राप्त कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

अपने क्षेत्र की कोई बात रखनी हो तो 2 मिनट में रख लीजिये।

श्री नवाब सिंह नागर--

मान्यवर, 1,2 मिनट तो बोलने देंगे, मान्यवर , यह भी क्षेत्र और प्रदेश की ही बात है। मान्यवर, आज साक्षरता दर में सारे देश में हमारा प्रदेश आगे है। शिक्षा मित्र की व्यवस्था हुई है,अभिनव प्रयोग हुआ है, जहाँ पर दूर-दराज में कोई रास्ता नहीं है, वहीं के जो बच्चे हैं जो इण्टर पास किये है उनके लिए बढ़िया व्यवस्था की है 2250 में, पैसा भी कम है और वहॉ पर उसका लगाव भी है क्योंकि वह उसी गॉव का व्यक्ति है। इस व्यवस्था के लिये मैं मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहूँगा । यह सभी ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि पब्लिक स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, प्राइमरी स्कूलों में अभिभावकों का विश्वास घट रहा है, इसके लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो अध्यापक हैं वह सबसे पहले अपना काम करते हैं और काम को निपटाने के बाद स्कूल में पहुँचते हैं। इसी से निश्चित रूप से अभिभावकों के मन में यह बात बैठी हुई है कि प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक नहीं मिलते हैं।

नोट:--वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर कुछ भवन प्राधिकरण ने बनाये हैं,झट्टा बदौला और छातखेड़ा में, प्राधिकरण ने उनका निमार्ण बहुत अच्छा किया है। उनमें मान्यता प्रदान करके शिक्षकों की नियुक्ति करने की कृपा करें, यह मेरा निवेदन है। पुन: माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूँ। मंत्री जी ने जो मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने का संकल्प लिया है उसमें आप सफल होगें । मैं बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अवधेश प्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे प्राथमिक शिक्षा के बजट पर और राम औतार शाक्य जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। मैने माननीय मंत्री जी के बजट भाषण को और अन्य सदस्यों के विचारों को गम्भीरतापूवर्क सुना । मै उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। श्रीमन्, जब देश के अन्य राज्यों की शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षा है, मूल शिक्षा है उस पर बहुत चिन्ता होती है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे उन समस्याओं का निदान हो सके । अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में 20 हजार प्राथमिक पाठशालायें ऐसी हैं जहाँ पर एकल अध्यापक हैं। माननीय सदस्यों ने भी इस विषय पर चिन्ता व्यक्त की है और सुझाव भी दिये हैं । हम माननीय मंत्री जी से इस दिशा में स्पष्ट रूप से जानना चाहेगें जब माननीय मंत्री जी, अपने उत्तर के लिए खड़े होंगे तो यह बतायेगें कि प्रदेश में कितने ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर एकल अध्यापक नियुक्त हैं। जब एकल अध्यापक की नियुक्ति हुई है तो कई माननीय सदस्यों ने स्पष्ट रूप से चिन्ता व्यक्त की है कि उनके जिम्मे कई काम रहते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि विद्यालय में ताला लगाकर जाते हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने ऐसे विद्यालय हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं।

श्रीमन्, शासन की तरफ से शिक्षा मित्र की भर्ती के लिए बड़ा प्रचार किया गया है। मेरी स्पष्ट धारणा है यह शिक्षा मित्र शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। शासन की नीति इस दिशा में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की नहीं है बल्कि उसकी नीयत, प्रदेश में जो तमाम आर0एस0एस0के विद्यालय खोले गये हैं उनको बढ़ावा देने का लक्ष्य है। अगर बढ़ावा देने की होती तो यह क्यों 10 महीने के लिए शिक्षा मित्र की नियुक्ति करते ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितनी गॉव सभाओं में शिक्षा मित्र कि नियुक्ति हो गयी है। ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया है परन्तु अभी कहीं पर भी नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षा जगत को तमाशा बनाकर रख दिया है। आज सरकार में बैठे हुए लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रदेश के शिक्षक कटोरा लेकर भीख मॉगने के लिए मजबूर हुए हैं। कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दृष्टांत देना चाहता हूँ पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश के जो भी भूतपूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं उनके आवास पर शिक्षक गये सभी ने कुछ न कुछ कहकर टाल दिया किसी ने समस्या का हल नहीं किया। लेकिन माननीय मुलायम सिह जी ने कहा कि घबड़ाइये नहीं आप कि समस्या का समाधान करेंगें। जब हमारे प्रदेश में शिक्षक भीख मॉगने के लिए कटोरा लेकर खड़े हैं तो शिक्षा कि क्या स्थिति होगी ? जब मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होगें तो उसका उत्तर देंगे । पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक यह सरकार लागू करेगी । श्रीमन्, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जो इस देश में माध्यमिक शिक्षा के भवन बने हैं और जो बन रहे हैं वह विश्वबैंक से ऋण लेकर बन रहे हैं तो मान्यवर, पढ़ाई का कार्य यह भवन नहीं करेंगे जब

तक शिक्षक नहीं होंगे शिक्षण कौन देगा। मैं पहले भी यह कह चुका हूँ कि बीस हजार स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। दूसरी समस्या यह है मान्यवर, कि पूरे प्रदेश में जो गांव के स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की संख्या निल है और कहीं-कहीं जो शहरों की शिक्षण संस्थाए हैं उनमें शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक 20-25 से लेकर 53 तक है तो इस संबंध में भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सुदूर गांवों में शिक्षकों की संख्या निल है और शहरों में आवश्यकता से ज्यादा, तो इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

हमने माननीय मंत्री जी के विचारों को सुना उनोंने कहा है कि हम गांवों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे कि वहीं पर कृष्ण और सुदामा पढ़ेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो विद्यालय आर0 एस0एस0 द्वारा संचलित होते हैं उनके बारे में आप क्या करना चाहेंगे। मान्यवर, हमारे देश में सात प्रकार की शिक्षा है--पहली शिक्षा गांवों की है, दूसरी कस्बों की है, तीसरी जिला मुख्यालयों पर होती है, चौथी महानगरों की शिक्षा है, पांचवी आर0एस0एस0 स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है और छठी शिक्षा दून कालेज तथा पब्लिक स्कूलों के माध्यम से दी जाती है और सबसे अन्त में सातवीं शिक्षा आती है वह है विदेशी शिक्षा है तो हमारे यहां पर इतने प्रकार की शिक्षायें दी जाती हैं तो आप उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा कैसे लागू कर सकेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राम औतार शाक्य जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आर0एस0एस0 स्कूलों की शिक्षा के बारे में बात कही है तो क्या माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि आपके पक्ष के लोगों के कितने बच्चे पढ़ते हैं और उनमें एडमिशन हेतु कितने उतावले हैं ?

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, बेसिक शिक्षा के बजट पर चर्चा में आज कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी ने इस बात पर बल दिया है कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा स्तर पर जो मानव संसाधन विभाग की रिपोर्ट है उसके आधार पर जो सकल दाखिले का अनुपात है उसमें उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है।

मान्यवर, मिजोरम में जी0ई0आर0127.17 परसेंट है और सबसे निचली सीढ़ी पर देखा जाये तो उत्तर प्रदेश है इसका 63.35 प्रतिशत है। गोवा में 71.28 परसेंट और बिहार जैसे सबसे ज्यादा पिछड़ा प्रदेश में 78.02 परसेंट है। बिहार में काफी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब बतायी जाती है। सकल दाखिला के अनुपात को बढ़ाने का काम करें। हम पहले से पिछड़ गये हैं। माननीय मंत्री जी ने बड़े जोश और खरोश में कहा साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ायेंगे, यह घटोत्तरी क्यों हुई और इसको बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात यह कि जो निदेशालय का ढांचा है वह आधा-अधूरा है, उसमें एडीशनल डायरेक्टर के एक पद को छोड़कर 9 खाली हैं,ज्वाइंट डायरेक्टर के 8 पद रिक्त हैं, डिप्टी डायरेक्टर के 35 पद रिक्त है, क्लास-1 के 15-16, क्लास-2 के लगभग 300 पद रिक्त हैं। जब इतनी रिक्तियाँ ऊपर के स्तर पर है तो नीचे के स्तर पर कितनी ज्यादा रिक्तियाँ होंगी। इसमें आप सुधार करें।

नोट :- *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी की मैंने तारीफ की है, लेकिन उस तारीफ का तात्पर्य यह नहीं है कि विभाग में करप्शन नहीं हो रहा है। यह पहले से करप्शन की पत्रावलियाँ लम्बित हैं। विजिलेंस के बहुत सारे प्रकरण लम्बित हैं। फाइलों में दबा दिये गये हैं कुछ भी कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी, कुर्सी आती है और चली जाती है एक इतिहास बनाने का कार्य करें,भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित करने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक मौलिक प्रश्न की तरफ आकर्षित करना चहता हूं। कक्षा 5 की "हमारा समाज" नाम की एक पुस्तक है और उसका नम्बर 270100151484l और एक चैप्टर है "हमारा कृषि और पशुधन" उसमें लिखा है कि हमारे देश और प्रदेश में फसलें 3 बार उगाई जाती हैं। फसलें हैं रबी और खरीफ तथा जायद। रबी में कहा है कि धान, मक्का, बाजरा, मूँग, उड़द, जूट, कपास, और खरीफ में कहा है कि गेहूँ, जौ, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू तो खरीफ की बात को रबी में और रबी की बात को खरीफ में बता रहे हैं। इस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, कभी-कभी चूक हो जाती है कृषि विभाग का बजट कई दिन पहले पारित हो चुका है माननीय सदस्य उसी के अनुसार तैयारी करके आये हैं।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, शासन द्वारा इसकी एक लाख प्रति भेजी गयी है और इनकी अनुमति से इसका प्रकाशन होता है जिसको देखकर आप अंदाजा लगा लें, आप शिक्षा को कहाँ ले जाना चाहते हैं ? मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि 1997-98 में 250 विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने का काम किया है और 1998-99 में 220 विद्यालय अनुदान सूची पर लिये गये हैं। इनमें बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां पर तनख्वाह भेजने का काम नहीं किया गया है और इनमें अध्यापक बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह भेजने का काम करें। फतेहगढ़ में एक एन0 ई0 रेलवे कालोनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय है वहाँ के अध्यापकों को तीन साल से वेतन नहीं मिला है इस संबंध में कई आदेश शासन स्तर से हुए हैं लेकिन वहां के ज्वाइंट डाइरेक्टर और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ने अभी भी तनख्वाह देने का काम नहीं किया है। मान्यवर, अर्बी मदरसों में 137 में से 68 मदरसों को सूची पर लिया गया है लेकिन अनुदान नहीं दिया गया है यह कितनी विसंगति है और कितनी गलत नीति है। आपके इस आचरण से अविश्वसनीयता की भावना पैदा हो रही है जो समाज देश और राष्ट्र के हित में नहीं है। आज हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार छपा है मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ।

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि--

"द स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक 'मदर टंग' कम्पल्सरी एण्ड ओनली मीडियम आफ टीचिंग टिल क्लास थर्ड, इन आल द स्कूल्स पब्लिक, प्राइवेट आर गवर्नमेंट दिस मीन्स आल द स्कूल्स विल हैव टू यूज हिन्दी एज मीडियम आफ इन्स्ट्रक्शन फार हिन्दी इज द मदर टंग इन द स्टेट इंगलिश कुड बी टाट एज ए लैंगुएज और यूस्ड एज मीडियम आफ इन्स्ट्रक्शन, ओनली आफ्टर क्लास थर्ड।

अपार्ट फ्राम दिस आल्ल द स्कूल्स विल हैव कामन सिलेबस टिल क्लास फिफ्थ नाट जस्ट दिस द गवर्नमेंट इज आलसो टेकिंग स्टेप्स टू मेक स्कूल-बैग्स लाइटर बाइ लिमिटिंग सबजेक्ट्स

द गवर्नमेंट इज प्लेनिंग टू इण्ट्रोड्यूज दीज कन्ट्रोवर्सियल चेन्जेस इन बेसिक एजूकेशन फ्राम एनस्युइंग सेशन। द ड्राफ्ट आफ कामन सिलेबस इज रेडी।

द चेन्जस आर वीइंग इन्ट्रोड्यूज्ड फालोइंग द 1968 एजूकेशन पालिसी दैट एनवीसेज्ड 'इक्वालिटी इन एजूकेशन अपारच्युनिटीज'। द पालिसी लेस स्ट्रेस आन द कामन स्कूल सिस्टम। आन द बेसिस आफ द पालिसी द गवर्नमेंट हैड आलसो एनवीजन्ड कन्सेप्ट आफ "नेबरहुड स्कूल"।

मान्यवर, मैंने जो अभी पढ़ा है मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। मान्यवर, इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार कक्षा तीन तक मातृभाषा में शिक्षा सभी स्कूलों में चाहे वह प्राइवेट हों या पब्लिक स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों अनिवार्य करने जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य के स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा कक्षा तीन तक दी जायगी और उसके बाद की कक्षाओं में अंग्रेजी में शिक्षा दी जा सकेगी। इसके अलावा कक्षा 5 तक सभी स्कूलों में समान सिलेबस होगा। इसके अलावा बच्चों पर किताबों का बोझ कम हो। मान्यवर, यह अच्छी बात है कि कक्षा 3 तक आप मातृभाषा में शिक्षा देने जा रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू भाषा भी बहुत से लोगों की मातृभाषा है तो उसको भी शामिल किया जाना चाहिये। आपके सामने मैंने जो विंदु उठाये हैं उनके बारे में मुझे उम्मीद है कि जब माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर भाषण देंगे, तो मेरे द्वारा कही गयी बातों का उत्तर अवश्य देंगे और मेरे द्वारा दिये गये सुझावों का समावेश करने का काम करेंगें।

(इस समय 8 बजकर 20 मिनट)

श्री बालेश्वर त्यागी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राम औतार शाक्य और अन्य माननीय सदस्यगण ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उनके लिये उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अच्छे सुझाव दिये गये लेकिन कुछ बातों के लिये चिंता व्यक्त की है। श्री बर्नाड शा की उक्ति मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि "जहां ज्ञान का अभाव होता है वहां अज्ञान अपने आपको वैज्ञानिक कहने लगता है।" मुझे भी कभी-कभी लगता है कि उनकी यह उक्ति मेरे सामने वाले मित्रों पर पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। मैंने जो पूर्व में बजट भाषण दिया है उसमें बहुत सी बातों का विस्तार से उल्लेख किया है। बहुत सी बातें यहां विस्तार से आयी। एक बात जरूर है मैं बेसिक शिक्षा में राज्य मंत्री हूँ, मैं शिक्षक नहीं हूँ कि बुनियाद अंसारी जी व अन्य मित्रों को पढ़ाने का काम करूं बजट लिटरेचर पढ़ाने का मेरा दायित्व नहीं है वह पढ़ते तो सारी बातों की जानकारी होती। हमने नए विद्यालय खोलने के लिए बजट में प्राविधान किया है विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जो विद्यालय खुलने हैं उनका प्राविधान किया है जो 60 प्रतिशत डी0आर0डी0ए0 से निर्णय दे सकते है। उसकी व्यवस्था की जा रही है। यह बजट साहित्य में उपलब्ध है। अगर वह देखते तो सवाल नहीं करते।

21वीं सदी प्रतिस्पर्धा की सदी है यदि हम प्राथमिक स्कूलों को पब्लिक स्कूलों के मुकाबले खड़े नहीं कर सके तो समाज में क्या कहेंगे एक वर्ष में जो 3,634 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं उसके बारे में लोग कहेंगे कि फिर इतने रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता। स्कूली शिक्षा अपने

आप हो जाएगी कोई नौजवान होता है दुर्घटना जब हो जाती है तथा जब अस्पताल में होता है तो उसके मिलने वाले कहते हैं कि भगवान उसकी रक्षा करे उसके बच्चों को कौन पालेगा और जब वह दुर्घटना के वाद बच जाता है और 90 साल का हो जाता है तो बच्चे वही कहते हैं कि हे भगवान इसको उठा लो ऐसा क्यों ? क्योंकि वह व्यक्ति अनुपयोगी हो गया। अगर हमारी शिक्षा की व्यवस्था अनुपयोगी हो गई तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति के अनुपयोगी होने पर उठाने की प्रार्थना की जाती है कि इसे उठा लो उसी प्रकार कहा जाएगा कि हे भगवान इस शिक्षा व्यवस्था को उठा लो शिक्षा मंत्री को भी उठाओ। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। शिक्षा विभाग साढ़े तीन लाख लोगों को अध्यापक की नौकरी देने के लिए नहीं है। मुझे शिक्षा मंत्री वनाने के लिए यह विभाग नहीं बना है, यह प्रदेश के बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए बना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी सम्भव होगा किया जाएगा । बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो जो पहला काम बाबा साहब ने बताया था हम उसको कर रहे हैं सबको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। बाकी लोग मलिन बस्तियों में शराब बाँट रहे हैं या नफरत बाँट रहे है। हम शिक्षा बाँट रहे हैं। हर बस्ती तक जहाँ तीस बच्चे भी उपलव्ध हैं शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत केन्द्र स्थापित करके शिक्षा को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था गरीब के बच्चे अगर स्कूल तक न आ सकते हों तो स्कूल उनके दरवाजे तक जाए। शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत हम स्कूल उनके दरवाजे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा की समानता की बात बार-बार उठती है। देश को आजाद हुए 53 वर्ष हो गए इतनी सरकारें आई चली गई गोमती में बहुत सारा पानी बह गया। लोगों ने नारा तो लगाया शिक्षा की समानता के लेकिन शिक्षा की समानता के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यह पहली सरकार है जिसके नेता मा0 राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने गम्भीरता के साथ शिक्षा की समानता और शिक्षा के समान अवसर इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि नए सत्र से हम समान पाठ्यक्रम हर स्कूल में लागू करेंगे ताकि सब बच्चों को समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो सके।

अंग्रजी स्कूलों की बात बार-बार खड़ी होती है मैं भी गाजियाबाद का रहने वाला हूँ यह भ्रम है अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बड़ी नौकरी पाते हैं वे केवल सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव बनते हैं हमारे जो स्कूल हैं, इण्टर कालेज हैं, इनमें पढ़ने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए इनसे चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्री राम औतार शाक्य जी से कहना चहता हूँ कि पहली बार उत्तर प्रदेश में वी0एड0 की चयन में पूरी पारदर्शिता बरती गई और बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त किया गया। मानक निर्धारित था 52.99 यह अंतिम अंक था उसको लिया गया यह बात अखबारों के माध्यम से भी बतायी गई कि इस अंक से जिसके ज्यादा अंक हों और वह रह गया हो तो वह 15 मई तक आकर अपना रिप्रिजेन्टेशन दे दे उसकी जाँच करवा लेगें सही पाया जाएगा तो अवसर देंगे इतनी पारदर्शितता कभी नहीं हुई इसके पहले लोगों ने तो अपने-अपने रिश्तेदारों को रख दिया था अपनी विरादरी के लोगों को नौकरी दे दी थी हमने योग्यता के आधार पर गरीब के बेटे को नौकरी दी जिसके पास सिफारिश नहीं थी। हमने उसको नौकरी दी जिसके पास पैसा नहीं था घूस देने के लिए। यह व्यवस्था की हमने जिसमें गाँव, शहर, गरीब, अमीर में भेद नहीं किया सबको समानता के आधार पर मानकर पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। एक प्रश्न आया कि उच्च प्राथमिक विधालय के सम्बन्ध में सर्व शिक्षा अभियान में मानक बदल गये हैं तो मैं कहना चहता हूँ अब हर प्राइमरी दो

स्कूलों पर एक उच्च विद्यालय हाईस्कूल विद्यालय होगा। हमनें बच्चों की संख्या के आधार पर अध्यापकों के पद निर्धारित किये हैं। बार-बार पाँचवें वेतन आयोग की वात उठी तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि छः माह में इसे लागू कर दिया जायगा इंतजार करें छः माह होते ही लागू कर दिया जायगा। माननीय राम औतार शाक्य जी ने एक पुस्तक के संबंध में कहा तो हम देखेंगे कि छापने वाला कहीं भोगांव का तो नहीं था। हमारे पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं हम उनके लिए रास्ता बनाते हैं।

एक ड्रमगुले नाम के विद्वान ने लिखा है "एक बुजुर्ग सुनसान सड़क पर जा रहा था समय होते-होते ठंड में ठिठुरते-ठिठुरते पहुँचा एक लम्बे गहरे दर्रे के करीब, उस दर्रे को उसने पार किया पानी की धार से उसे डर नहीं लगा मगर वह पीछे मुड़ा बर्रा पार कर जाने के बाद एक पुल उस पर बनाया। पीछे से एक साथी यात्री ने उसे पुकारा और कहा कि इसे बनाने में बेकार मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा दिन के ढलते ही खत्म हो जायगी और फिर तुम कभी इस रास्ते से नहीं गुजरोगे तुमने इस चौड़े और गहरे दर्रे को पार कर लिया है। तुम इस दर्रे पर पुल क्यों बना रहे हो। उस बुजुर्ग ने सिर उठाकर कहा मेरे दोस्त जिस रास्ते पर मैं आया हूँ इस राह पर मेरे पीछे आ रहा है एक नौजवान जिसे यहाँ से गुजरना है यह दर्रा मेरे लिए मुश्किल रहा है उसके लिए बड़ा खतरा हो सकता है उसे भी शाम के धुंधलका में इसे पार करना पड़ेगा। मैं यह पुल उस नौजवान के लिए बना रहा हूँ।" यह सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बना रही है इस यशस्वी काम में सहयोग दे और कटौती के प्रस्ताव को वापस ले।

श्री अधिष्ठाता--

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 27,26,09,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,68,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 23 मई, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुईं :--

पहली सूचना श्री रूप चौधरी की है जो प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए नये थाने खोलने, पुलिस बल व आधुनिक शस्त्र बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। दूसरी सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की है, जो जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत सड़कों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। तीसरी सूचना श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, जो उच्च शिक्षा सेवा आयोग, उ0 प्र0 के कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 कर्मचारियों के समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। चौथी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है, जो जनपद फिरोजाबाद के ग्राम वजीरपुर बेहलपुर, निवासी बकार चालक गुड्डू की हत्या के अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। पांचवी सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा की है, जो जनपद बांदा में करतल मार्ग पर पुंगरी नाले के पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने तथा बानगंगा नाले पर बदौसा फतेहगंज मार्ग पर पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। छठी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है, जो जनपद गौतमबुद्ध नगर में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत समस्त गेहूं क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूं को भारतीय खाद्य निगम द्वारा चमकहीन बताकर वापस किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। सातवीं सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि की है, जो कानपुर नगर निगम में सीवर सफाई में जहरीली गैस के कारण मृत नवयुवकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने तथा नगर निगम में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। आठवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, जो जनपद मथुरा में गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूं क्रय किये जाने में की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। नवीं सूचना श्री राम कुमार एडवोकेट एवं श्री उदय राज यादव की है, जो जनपद उन्नाव में बेगार से इंकार करने पर श्रमिक की रायफल की बटों व हाकियों से पीटकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 56 में प्राप्त हुई, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। दसवीं सूचना श्री बाबू खां की है, जो प्रदेश में नवगठित तहसीलों के गलत सीमांकन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 56 में प्राप्त हुई, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। ग्यारहवीं सूचना श्री अरिमर्दन सिंह की है, जो जनपद महोबा में जिलाधिकारी द्वारा बिहार प्रदेश के तीन दर्जन व्यक्तियों को राजस्व संग्रह विभाग व तहसीलों में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 56 में प्राप्त हुई, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। बारहवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड में विद्युत् अभियंताओं की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। तेरहवीं सूचना श्री आर्य रामसरन तथा श्री रामचन्द्र यादव

की है जो आयुर्वेदिक निदेशालय। लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। चौदहवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है, जो कृषि निदेशालय में कमर्चारियों द्वारा दोहरा आवास भत्ता लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। पन्द्रहवीं सूचना श्री बिन्दु लाल की है, जो जनपद बलरामपुर में बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए आवासों के स्वामियों को गृह अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। सोलहवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की है, जो जनपद मऊ में फुटकर डीजल की दुकानों के आवंटन में कथित रूप से की गयी अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वींकृत की गयी है। सत्रहवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की है, जो जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत हुए अग्निकाण्डों के पीड़ितो को समुचित सहायता न दिये जाने तथा इन्दिरा आवास योजना के चयन में प्राथमिकता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है। अठारहवीं सूचना मास्टर छोटे लाल गंगवार की है, जो प्रदेश में विशेषत: जनपद बरेली में गैर डिग्री धारक चिकित्सकों द्वारा फर्जी बोर्ड लगाकर जनजीवन के साथ खिलवाड़ किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी है। उन्नीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की है, जो जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विधायक निधि से उपलब्ध कराये गये धन के बावजूद विद्युत् वितरण खण्ड, अकबरपुर द्वारा विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी है। बीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार की है, जो परिवहन निगम के अन्तर्गत चालक से परिचालक पद परिवर्तन हेतु निर्गत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी है। इक्कीसवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह की है, जो सिंचाई विभाग के कम्प्यूटर केन्द्र के अधिकारियों द्वारा बिना टेण्डर के कम्प्यूटर आदि की खरीद में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी है। बाईसवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की है, जो लखनऊ नगर में त्रिलोक सिंह हायर सेकेण्ड्री स्कूल के निकट लाइट लाइन के ऊपर से निकलने वाली पावर लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी है। तेईसवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की है, जो जनपद सन्त कबीर नगर (खलीलाबाद) में टाउन एरिया हरिहरपुर में टैक्सी स्टैण्ड से बाजार तक के मार्ग को व्यवस्थित रूप से बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। चौबीसवीं सूचना श्री अकबर हुसैन की है, जो जनपद मुरादाबाद में फैल रही चिकन पॉक्स की बीमारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी है। पच्चीसवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की है जो लखनऊ नगर में एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड में एम0एम0 सेक्टर डी-1, 303 से 330 तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई :--

1--श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, 2--डा0 धर्मज्ञ मिश्र, 3--श्री दीप लाल भारती, 4--श्री उदयराज यादव, 5--श्री परवेज हलीम, 6--श्री राजपाल सिंह, 7--श्री नरेन्द्र सिंह भाटी एवं 8--श्री सुधाकर सिंह की है।

प्रदेश के सभी बड़े नगरों के सिनेमाधरों में अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन के कारण समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री- (श्री हुकुम सिंह)

[मा0 विधायक ने नियम 51 के अधीन दी गयी सूचना में राज्य सरकार का ध्यान प्रदेश के विभिन्न जनपद के छविगृहों में चल रहे अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कहा है कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत लोनी, लोनी बार्डर व अन्य स्थानों सहित मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर व प्रदेश के सभी बड़े नगरों के सिनेमाघरों में अंग्रेजी व अन्य भाषाओं की फिल्में प्रदर्शित की जा रही है। प्रदेश के राजधानी लखनऊ में इस प्रकार की फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए छात्रों, युवाओं की भीड़ लगी रहती है, जबकि यह लोग इन भाषाओं को जानते भी नहीं हैं। इनके फिल्म देखने का एक मात्र कारण अश्लील दृश्य ही है क्योंकि सिनेमा मालिक फिल्मों के बीच में (ब्लू नग्न उत्तेजक) फिल्में भी दिखातें हैं, जिसके कारण समाज में बलात्कार, हत्या, लूटमार व अन्य अपराध बढ़ रहे हैं और प्रदेश में शान्ति व कानून व्यवस्था को भयंकर खतरा है, इसलिये इन फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगायी जाय व सिनेमा मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

2--उपरोक्त कथन सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि चलचित्र प्रमाणीकरण नियमावली, 1983 के प्राविधानों के अन्तर्गत फिल्म प्रदर्शन हेतु फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा दिये गये निम्न प्रमाण-पत्र की फिल्मों का प्रदर्शन ही प्रदेश के सभी छविगृहों में किया जा रहा है :--

1--फिल्म अनिबंधित लोक प्रदर्शन अर्थात् "यू" प्रमाण-पत्र के लिये उपयुक्त हो।

2--फिल्म अनिबंधित लोक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त है किन्तु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फिल्म देखने की अनुमति अभिभावकों के साथ होगी, अर्थात् फिल्म को "यू/ए" प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

3--वयस्कों के लिये निबंधित लोक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त है। अर्थात् फिल्मों को "ए" प्रमाण-पत्र किया जाता है।

फिल्म सेंसर बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इसके द्वारा प्रमाणित फिल्मों में किसी प्रकार का राज्य सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। फिल्मों को प्रदर्शन से पूर्व उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली के नियम 2 (V) के अधीन विहित सिनेमा लाइसेन्स की शर्त-27 के साथ पठित संख्या-6 के अन्तर्गत सिनेमा लाइसेन्सी को फिल्म के कथासार एवं फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के साथ सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देने का प्राविधान है। फिल्म के

नोट: -[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदर्शन की अनुमति उक्त प्रमाण-पत्र देने के बाद ही दी जाती है। लाइसेन्स की शर्त संख्या-4 में प्राविधान है कि सिनेमा लाइसेन्सी द्वारा कोई ऐसा पोस्टर सिनेमा परिसर में प्रदर्शित न किया जाय, जो अश्लील, अनैतिक, अशोभनीय तथा विचारोत्तेजक हो। इसका उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार सिनेमा स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान है।

3--स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम, 1986 के प्राविधान के अन्तर्गत अश्लील प्रदर्शन अपराध है और इस विषय में मनोरंजन कर आयुक्त ने कठोर कार्यवाही के आदेश जिला मजिस्ट्रेटों को दे रखा है।

4--फिल्म प्रमाणीकरण संविधान के अनुच्छेद-246 से पठित अनुसूची-7 के संघ सूची (क्रमांक-60) का विषय है और उसका नीति निर्धारण संघ सरकार द्वारा किया जाता है।

5--उक्त नियमों के विरुद्ध यदि किसी अश्लील फिल्म का प्रदर्शन सिनेमा स्वामी करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।]

प्रदेश के राजकीय बालिका कालेजों में बी0टी0सी0 वेतनमान की शिक्षिकाओं की एल0टी0 में प्रोन्नत/संविलीन किये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री–(श्री चन्द्र किशोर)

[सी0टी0 संवर्ग मृत घोषित हो जाने से बी0टी0सी0 संवर्ग के शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति का अवसर समाप्त हो गया है। अतः इन शिक्षिकाओं के प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से एल0टी0 सेवा नियमावली में 5% कोटा निर्धारित किये जाने पर शासन विचार कर रहा है, प्रश्नगत प्रकरण नीति विषयक प्रकरण है, जिसमें मात्र शिक्षा विभाग ही स्वयं निर्णय लेकर कोई शासनादेश निर्गत करने हेतु सक्षम नहीं है।]

प्रदेश में अनियमित रूप से की जा रही विद्युत् कटौती से जनसामान्य को हो रही असुविधाओं तथा पावर कारपोरेशन द्वारा समस्या का सम्यक् निराकरण न कर पाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री–(श्री हुकुम सिंह)

[प्रदेश में विद्युत् की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है लेकिन उसके सापेक्ष उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है। मांग को पूरा करने के लिए सेन्ट्रल सेक्टर/एन0टी0पी0सी0 से विद्युत् को आयात किया जाता है। विद्युत् की मांग एवं उपलब्धता में अन्तर होने के कारण तथा प्रणाली की सुरक्षा हेतु कभी-कभी आपात कटौती करना भी आवश्यक हो जाता है। आपात कटौती निर्धारित शिड्यूल के अनुसार प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार की जाती है। कभी-कभी विशेष आयोजनों मा0 जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर भी कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए कटौती नहीं की जाती है तथा क्षेत्र को कटौती मुक्त रखा जाता है। प्रदेश में विद्युत् उपलब्धता में सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा स्थित ताजमहल एक विश्व विख्यात स्मारक है। इसको प्रदूषण से क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ताज ट्रेपजियम क्षेत्र को विद्युत् कटौती से मुक्त रखने हेतु आदेशित किया गया है। तदनुसार ही आगरा को कटौती मुक्त रखने के प्रयास किये जाते हैं।

प्रदेश में चोरी रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं। इस हेतु निगम में पुलिस महानिरीक्षक की देखरेख में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवर्तन दल कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद लेकर भी विद्युत् चोरी रोकने हेतु प्रयत्न किये जाते हैं।

मेरठ नगर में इस वर्ष पिछले तीन माह में ऊर्जा प्रणाली द्वारा औसतन प्रतिदिन निम्नवत् विद्युत् आपूर्ति (घंटों में) की गयी :

फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई (दि0 15-5-2001 तक)
18:52	21:41	20:35	22:01

उपरोक्त विद्युत् आपूर्ति में स्थानीय दोषों के कारण विद्युत् आपूर्ति के व्यवधान सम्मिलित नहीं हैं। प्रदेश के अन्य नगरों की भांति मेरठ में भी चोरी रोकने हेतु प्रवर्तन दल कार्यशील है। मा0 विधायक जी द्वारा दी गयी सूचना में सिर्फ 18 मोहल्लों का जिक्र है लेकिन मोहल्लों के नाम नहीं दिये हैं। अत: महाप्रबंधक (वितरण), मेरठ क्षेत्र को निर्देशित किया गया है कि उप पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) को निर्देशित करें कि वे चोरी ग्रस्त इलाकों में सघन काम्बिंग आपरेशन करके चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करायें।

प्रदेश में विद्युत् की उपलब्धता मांग के अनुरूप न होने के कारण वतर्मान में मेरठ नगर को विद्युत् कटौती से मुक्त रखना सम्भव न होगा।]

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में वार्षिक गृह परीक्षायें मई माह में आयोजित किये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)--

[शिक्षा संहिता के नियम-119 (क) में यह प्राविधान है कि कक्षा 10 तथा 12 के अतिरिक्त जिनमें एक परीक्षा वर्ष के दौरान शिक्षा संस्थान के प्रधान की इच्छानुसार उपर्युक्त समय पर तथा उसके अधीक्षण में होगी। सभी कक्षाओं में अनिवार्यत: दो परीक्षाएं प्रथम अर्द्धवार्षिक तथा दूसरी वार्षिक आधार पर होगी। उपरोक्त प्राविधानानुसार प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में गृह परीक्षाएं, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में संस्था के प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाचार्य सम्पन्न कराते हैं।

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शिक्षा निदेशक के परिपत्र दि0 12 मई, 1997 द्वारा विद्यालयों में संचालित होने वाली समस्त कार्यक्रमों हेतु शैक्षिक पंचांग निर्गत करते हुये विद्यालय में माहवार की जाने वाली शैक्षिक /शिक्षणेत्तर गतिविधियों को निर्धारित करते हुये विद्यालय के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों को तद्नुसार संचालित करने के निर्देश दिये गये थे। उसी निर्देशों में यह भी निर्देश था कि अर्द्धवार्षिक परीक्षायें 24 दिसम्बर तक सम्पन्न करा दी जायं तथा 30 दिसम्बर तक मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का कार्य पूर्ण कर लिया जाय एवं माह अप्रैल में वार्षिक परीक्षायें एवं माह मई में मूल्यांकन कार्य करा लिया जाय। इसी प्रकार शैक्षिक सत्र 1998-99 के लिए शिक्षा निदेशक के परिपत्र दि0 8 जुलाई, 1998 शैक्षिक सत्र 1999-2000 के लिए 26-11-99 तथा शैक्षिक सत्र 2000-2001 के लिए 24-7-2000 में मासिक कार्यक्रमों को निर्धारित करते हुये विद्यालयों से तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये। उक्त निर्देशों में भी माह दिसम्बर में अर्द्धवार्षिक परीक्षायें संपन्न कराने तथा माह अप्रैल में वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन करने तथा माह मई में गृह परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने एवं गृह परीक्षा तैयार कंर वितरित करने का निर्देश दिया गया है। अर्द्धवार्षिक परीक्षायें यथा निर्देशानुसार सामान्यत: सम्पन्न कर ली जाती है। परन्तु वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन कक्षा 10 एवं 12 के सार्वजनिक परीक्षा के कार्यक्रम पर निर्भर करता है।

वर्ष 1999 से कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में विशेष परिवर्तन कर दिये गये। इस परिवर्तन के अनुरूप वर्ष 2001 की परीक्षा हेतु प्रदेश के समस्त विद्यालयों में परीक्षा की तिथियां निश्चित कर दी गयी है। शैक्षिक सत्र 2000-2001 में कक्षा 9 की परीक्षा दि0 23 अप्रैल, 2001 से 03 मई , 2001 तक सम्पन्न करायी गयी। अन्य कक्षाओं की 6, 7, 8 एवं 11 की परीक्षायें शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 119 (क) के प्राविधानों के अनुसार शिक्षा के प्रधानों को निदेशालय के परिपत्र दि0 24 जुलाई , 2000 के अनुरूप सम्पन्न कराने का निर्देश दे दिये गये थे।]

फिरोजाबाद नगर में पीने के पानी की भीषण कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)--

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना में फिरोजाबाद नगर में पीने के पानी की भीषण कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जिन बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है, के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि :--

फिरोजाबाद नगर की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2,63,373 थी जो वर्तमान में लगभग 4,00,000 हो गयी है। फिरोजाबाद नगर की पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था नगर-पालिका परिषद के अधीन संचालित है। जलकल अभियंता से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर क्षेत्र में 22 नलकूपों तथा अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों से कुल 16.70 एम0 एल0 डी0 जल उत्पादन करके

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान में 4 लाख की जनसंख्या को 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति की जा रही है। यह दर निर्धारित मानक का 36 प्रतिशत है। जहां तक पेयजल की गुणवत्ता का प्रश्न है, पेयजल की गुणता का नियंत्रण नगरपालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है।

फिरोजाबाद व समीपवर्तीय क्षेत्र का भूजल स्तर के निरन्तर गिरने के कारण डार्क श्रेणी घोषित किया गया है। यह सही है कि भूजल स्तर गिरने के कारण वर्तमान में अधिष्ठापित 22 नलकूपों के श्राव पर भी प्रभाव पड़ा है तथा नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु अधिष्ठापित 750 हैण्ड पम्प भूजल स्तर गिरने के कारण खराब हो रहे हैं।

ग्रीष्म काल के दौरान फिरोजाबाद की नगरीय पेयजल समस्या के निदान हेतु दैवी आपदा राहत निधि से शासनादेश दिनांक 11 मई, 2001 द्वारा 50.00 लाख रु0 की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। उपलब्ध करायी गयी धनाराशि से जिलाधिकारी को यह निदेशित किया गया है कि प्रश्नगत धनराशि से नगरीय क्षेत्र के हैण्ड पम्पों की रिबोरिंग/मरम्मत, प्राचीन काल के निर्मित कुंओं की सफाई तथा पम्पिंग की व्यवस्था एवं टैंकरों से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर अधिक व्यय आने की दशा में स्वीकृत धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि से नये हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन के मद में व्यय की जायेगी। उपलब्ध करायी गयी धनराशि से फिरोजाबाद नगर के खराब हैण्ड पम्पों को रिबोर कर तत्काल चालू करा दिये जायेंगे।

फिरोजाबाद नगर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु 94.20 करोड़ रु0 की कार्य योजना एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से वित्त पोषित कराकर कार्यान्वित किया जाना विचाराधीन है।]

वाराणसी नगर के सर सुन्दर लाल मेडिकल कालेज में आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न एक नई "मर्चरी" का निर्माण तथा शव विच्छेदन हेतु डाक्टरों एवं कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था व शवों के साथ आने वाले लोगों के लिए प्रतीक्षालय व शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम -51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।]

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा0 राम बाबू हरित)--

[वाराणसी नगर में स्थित सर सुन्दर लाल, चिकित्सालय (मेडिकल कालेज) केन्द्र सरकार के अन्तर्गत संचालित है। यह प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कालेज में मर्चरी उपलब्ध है जिसमें पर्याप्त स्थान एवं व्यवस्था है। प्रतिदिन शव का विच्छेदन स्थानीय एवं पी0 एम0 एच0 एस0 के चिकित्सकों द्वारा भी किया जाता है। मर्चरी के स्थान को देखते हुये इसके विस्तार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

विच्छेदन हेतु चिकित्सकों की व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं होती है। विच्छेदन में लगे हुये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मेडिकल कालेज से संबंधित होते हैं।

शवों के साथ आने वाले परिजनों हेतु बी0 एच0 यू0 परिसर में मर्चरी के पास एक टीन शेड है जो परिजनों द्वारा उपयोग किया जाता है। चिकित्सालय परिसर में सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी है।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद के सम्भल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नई बस्ती व मण्डलाई के ग्रामीण विद्युत लाइन (हातिम सराय सब स्टेशन) से कनेक्शन लेने वाले किसानों को शहरी लाइन की दरों से बिलों के भुगतान का नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री इकबाल महमूद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।]

संसदीय कार्य , स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विद्युत संयोजन ग्रामीण लाइन अथवा शहरी लाइन से उपलब्धता के आधार पर कर दिया जाता है।

1--ग्रामीण लाइन से दिये गये संयोजन को सीमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है जबकि शहरी संयोजनों को ग्रामीण लाइन की अपेक्षा में बेहतर विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है इसी के अनुसार इन शहरी लाइन से प्राप्त संयोजनों की विद्युत दरें ग्रामीण लाइन से प्राप्त संयोजनों की विद्युत दरों से अधिक होती है।

2--वर्तमान में उ0 प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के अनुसार प्रदेश में विद्युत दरों का निर्धारण उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है जो एक स्वतंत्र संगठन है।

3--उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों का समय से भुगतान न करने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है जिससे राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जाती है।

4--जुलाई, 94 से जून, 99 के मध्य शहरी फीडरों से आपूर्ति निजी नलकूपों/पम्पिंग सेट की विद्युत दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विचाराधीन है। क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं कि अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत शहरी फीडरों से जुड़े इस श्रेणी के जो उपभोक्ता जून, 99 से घटी हुई दरों के अनुसार भुगतान कर दें उनके संयोजन विच्छेदित न किया जाये।]

जनपद फैजाबाद, मसौधा शुगर फैक्ट्री के निकट शराब फैक्ट्री के जहरीले पानी से जनसामान्य को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[जनपद फैजाबाद स्थित मसौधा शुगर फैक्ट्री के निकट शराब फैक्ट्री से निकले जहरीले पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त सूचना दी गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मे0 के0 एम0 शुगर मिल लि0 (डिस्टलरी डिवीजन), मोतीनगर, फैजाबाद जो कि एक आसवनी इकाई है तथा इस इकाई द्वारा शीरे को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर औद्योगिक एल्कोहल 50 कि0 ली0/दिन क्षमता पर उत्पादन किया जाता है। उद्योग से प्रदूषित उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके शुद्धिकरण हेतु उद्योग में प्रथम एवं द्वितीय चरण का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, परन्तु उद्योग में स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र से निर्धारित सीमा तक शोधन नहीं हो रहा था।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस कारण उद्योग को जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974 की धारा 33(ए) के अन्तर्गत उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2000 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

2--इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उद्योग द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम "बोर्ड" में प्रेषित किया गया था, साथ ही शुद्धिकरण संयंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु बायो-कम्पोस्टिंग पर आधारित प्रस्ताव भी दिया गया था। इस प्रस्ताव के समयबद्ध रूप से एक माह में कार्यान्वयन किये जाने तथा रुपये दो लाख की बैंक गारण्टी जमा करने हेतु "बोर्ड" के पत्र दिनांक 26-2-2001 द्वारा उद्योग को निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में उद्योग द्वारा सुदृढ़ीकरण प्रस्ताव पर क्रियान्वयन किया गया तथा लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण भी कर लिया गया, परन्तु निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण रूप से न किये जाने के कारण उद्योग द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र "बोर्ड" में प्रस्तुत किया है कि शेष बचे हुये कार्य जब तक पूर्ण नहीं कर लेंगे, तब तक उद्योग को बन्द रखा जायेगा।

3--उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माह जनवरी, 2001 में फैक्ट्री से लगी हुयी कालोनी के हैण्डपम्पों के नमूना की जांच तथा माह फरवरी, 2001 में ग्राम खानपुर के हैण्डपम्पों के नमूना की जांच की गयी थी। इन नमूनों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि यद्यपि इन हैण्डपम्पों का जल डिसइन्फेक्शन के पश्चात् पीने योग्य है परन्तु ग्राम खानपुर के कम गहराई के हैण्डपम्पों में रंग की समस्या पायी गयी थी। ग्राम खानपुर, मसौधा में पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु दस हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य उद्योग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा निवासियों का नियमित चिकित्सीय परीक्षण भी उद्योग द्वारा कराया जा रहा है।

4--उद्योग का नवीनतम निरीक्षण "बोर्ड" के क्षेत्रीय अधिकारी, फैजाबाद स्तर से दिनांक 15 मई, 2001 को किया गया और यह पाया गया कि उद्योग में उत्पादन कार्य वर्तमान में बन्द है।]

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त सभी प्रवक्ता (पुरूष) पदों को तत्काल पदोन्नति से भरे जाने के सम्बन्ध में श्री चेतराम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य--

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)--

[मान्यवर, वर्तमान समय में राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता (पुरूष) संवर्ग के कुल 425 पद रिक्त हैं, जिसमें 104 पद सीधी भर्ती के हैं एवं 321 पद पदोन्नति कोटे के हैं। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अधियाचन भेजा गया है।

2--पदोन्नति कोटे के 321 रिक्त पदों के भरे जाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली, 1992 में संवर्ग के 50 प्रतिशत पदों को श्रोत संवर्ग स्नातक वेतनक्रम के अर्ह एवं पात्र शिक्षकों से विभागीय चयन के माध्यम से भरे जाने का प्राविधान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 8-2-99 के द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। अस्तु अब प्रवक्ता के शत-प्रतिशत पदों (सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों) पर आयोग के

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परामर्श से ही चयन कराना होगा। शासनादेश दिनांक 8-2-99 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली, 1992 के नियम 15, 16 आदि में आवश्यक संशोधन शासन के विचाराधीन है।

3--जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 952 प्रवक्ता के पद सृजित है। इन पदों को भी उ0 प्र0 विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली, 1992 में किये गये प्राविधानानुसार 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदों को विभागीय चयन समिति के माध्यम से स्नातक वेतनक्रम के शिक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

4--सम्प्रति प्रदेश के डायट में प्रवक्ताओं के कुल 453 पद रिक्त हैं यह समस्त रिक्त पद सीधी भर्ती कोटे के ही हैं। जो भी पद भरे हुये हैं, वह सभी पदोन्नति के माध्यम से उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये हैं। डायट में विषय का निर्धारण न होने के कारण सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन नहीं भेजा गया है। शीघ्र ही विषय का निर्धारण कर अधियाचन आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा।]

जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ग्रामों में हुई ओलावृष्टि व ग्राम अमीन नगर में हुए भीषण अग्निकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अरविन्द गिरि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राहत कार्य राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

राहत कार्य राज्य मंत्री (श्री बहोरन लाल मौर्य)--

[जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम दूल्हापुर, पिपरिया कप्तान, बेला पहाड़ा बंजरिया, पंढरी मझगवां, करौंदा मोठी खेड़ा एवं फरीदपुर ग्रान्ट में ओलावृष्टि से फसलों को क्षति हुई है । ओलावृष्टि से प्रभावित ग्राम दूल्हापुर के 133 खातेदारों की क्षतिग्रस्त फसलों हेतु रु0 1,46,495/=, पिपरिया कप्तान के 246 खातेदारों को रु0 2,42,4:0/=, बेला पहाड़ा के 210 खातेदारों को रु0 2,66,805/=, बंजरिया के 405 खातेदारों को रु0 3,84,260/= पडरी के 284 खातेदारों को रु0 2,17,615/=मझगवां के 62 खातेदारों को रु0 61,502/=, करौंदा के 279 खातेदारों को रु0 2,17,615/=, मोठी खेड़ा के 47 खातेदारों को रु0 28,290/= एवं फरीदपुर ग्रन्ट के 45 खातेदारों को रु0 40,270/= अर्थात् कुल प्रभावित 1711 खातेदारों में कुल धनराशि रु0 16, 05,260/= वितरित की जा चुकी है ।

ग्राम अमीन नगर में भीषण अग्निकाण्ड से 31 मकान जले हैं तथा 6 बकरी एवं 2 बैल की मृत्यु हुई है । अग्निकाण्ड से पीड़ित पात्र परिवारों को अहेतुक सहायता मद में रु0 1000/= प्रति परिवार एवं गृह अनुदान मद में रु0 600/= प्रति परिवार की दर से वितरित किया गया । प्रभावित परिवारों में 7 परिवार ऐसे थे जिनके केवल छप्पर ही जले थे इसलिए इन प्रभावित व्यक्तियों को रु0 200/= प्रति परिवार की दर से राहत सहायता प्रदान की गई । पशु स्वामियों को अनुग्रह मद में रु0 4,250/=की सहायता प्रदान की गई । पात्र परिवारों में नियमानुसार राहत सहायता का वितरण किया गया है । इस प्रकार मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त नोटिस में इंगित "सैकड़ों किसानों के समक्ष जीवन मरण का प्रश्न उत्पन्न हो गया है" ऐसी स्थिति, नियमानुसार अनुमन्य राहत सहायता वितरण के पश्चात् नहीं हैं ।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टाण्डा थर्मल प्रोजेक्ट, विद्युत नगर-टाण्डा, जनपद अम्बेदकर नगर में उ0 प्र0 राज्य विद्युत् उत्पादन निगम द्वारा तापीय परियोजना में कराये गये कार्यों का क्षेत्रीय ठेकेदारों व श्रमिकों की बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री लाल जी वर्मा , द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[14 जनवरी, 2000 को टाण्डा तापीय विद्युत परियोजना को उ0प्र0 सरकार द्वारा मेसर्स एन0टी0पी0सी0 को उसके लम्बित दायित्वों के विरुद्ध बेच दिया गया था किन्तु उ0प्र0 विद्युत् सुधार अन्तरण स्कीम, 2000 के अन्तर्गत टाण्डा तापीय विद्युत् परियोजना से संबंधित समस्त दायित्व उत्पादन निगम को दे दिये गये थे ।

हस्तान्तरण के समय लम्बित दायित्व निम्नानुसार थे:--

	(रु0 लाख में)
1-कार्य एवं आपूर्ति किए गये सामान से संबंधित बीजक (स्थानीय ठेकेदार इत्यादि)	352.64
2-मेसर्स बी0एच0ई0एल0 के लम्बित बीजक	741.66
3-रेलवे, पालूशन बोर्ड, निर्माण निगम इत्यादि	42.35
4-विभिन्न फर्मों की प्रतिभूतियां	108.31
5-अरनेस्टमनी	9.67

कुल योग= 1253.63

धन की कमी के कारण कुछ ही भुगतान किए जाने सम्भव हुए जिसमें से मुख्यत: स्थानीय ठेकेदारों के लगभग रु0 40.00 लाख एवं विभिन्न ठेकेदारों की प्रतिभूति मद में लगभग रु0 50.00 लाख का भुगतान किया गया शेष भुगतान किये जाने का प्रयास जारी है ।]

उ0 प्र0 पुलिस आवास निगम में अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति में व्याप्त आरक्षण सम्बन्धी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री सीता राम निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[उ0प्र0 पुलिस आवास निगम में सहायक अभियन्ता पद पर 6 प्रोन्नतियां की गयी हैं जिसमें से 2 अनुसूचित जाति के लिए हैं । इस प्रकार प्रोन्नति का कोटा पूर्ण है ।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पिछड़ी जाति के अवर अभियन्ता को प्रोन्नत में आरक्षण का लाभ दिए जाने का कोई प्राविधान उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में नहीं है । उ0प्र0 पुलिस आवास निगम में अवर अभियन्ता संवर्ग में प्रोन्नति वरिष्ठता सूची के अनुसार बनायी गयी है, जिसमें श्री सत्यवीर सिंह का नाम 15वें स्थान पर है तथा इनसे कनिष्ठ किसी भी अवर अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति नहीं की गयी है ।

श्री सिंह ने अपनी प्रोन्नति हेतु मा0 लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में 2 निर्देश याचिकाएं दायर कर रखी हैं जिसमें निर्णय होना है ।]

मेसर्स ग्लेयर्स आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0), गढ़ी बलना, जनपद हाथरस की उ0 प्र0 वित्त निगम द्वारा अनियमित रूप से की गयी नीलामी के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार चोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन, मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[मे0 ग्लेयर्स आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, गढ़ी बलना, जनपद हाथरस को उ0प्र0 वित्तीय निगम ने फरवरी , 1990 में रू0 44.00 लाख का सावधि एवं मार्च, 1993 में 6.115 लाख का अतिरिक्त ऋण कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु स्वीकृत किया था, जिसमें रुपये 44.00 लाख एवं 4.96 लाख क्रमश: वितरित किए गए। इकाई के प्रवर्तक प्रारम्भ से ही निगम के देयों की अदायगी में असफल रहे। इकाई के अनुरोध पर निगम द्वारा वर्ष मार्च, 1993 में ऋण के देयों के पुन: निर्धारण की सुविधा प्रदान की गई तथापि इकाई द्वारा रुपया 2.50 लाख का चेक उनके बैंक द्वारा अनाहरित कर दिया गया।

2--उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा बाध्य होकर देयों की वसूली हेतु दिनांक 8.9.94 को रिकाल नोटिस जारी करना पड़ा। तत्पश्चात् निगम ने प्रवर्तको के आपसी विवादों के कारण वित्तीय निगम अधिनियम की धारा--29 के अन्तर्गत दिनांक 24.08.94 को सूचना निर्गत की, जिसके विरुद्ध प्रवर्तको द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में उक्त कार्यवाही के विरुद्ध एक वाद दायर किया, मा0 न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय (दिनांक 9.2.95) का अनुपालन इकाई कर्ताओं द्वारा नही किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 28.10.94 को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। अत: निगम द्वारा इकाई के विरुद्ध 4.10.96 के द्वारा धारा --29 की सूचना निर्गत की गई साथ ही इकाई की परिसम्पत्तियों की बिक्री हेतु समाचार - पत्रों में भी एक विज्ञप्ति दी गई, जिसके तहत निगम को उक्त परिसम्पत्तियों को क्रय करने हेतु रुपया 42.50 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव को निगम द्वारा दिनांक 22.10.96 को अनुमोदित कर सूचना इकाई के प्रवर्तकों को मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रेषित कर दी गई।

3--तदोपरान्त इकाई के मालिक निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 04.11.96 को उपस्थित हुए और इकाई को उपरोक्त प्रस्ताव से अधिक में क्रय करने की इच्छा प्रकट की। इसी बीच निगम को एक और प्रस्ताव रू0 43.00 लाख का प्राप्त हुआ। उक्त दोनों क्रेताओं को क्षेत्रीय

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यालय की समझौता समिति की बैठक में दिनांक 20.11.96 को बुलाया गया, जिसमें इकाई के निदेशक श्री गिरिराज किशोर भी उपस्थित थे। समझौता समिति में अन्तिम प्रस्ताव निम्न थे :—

(रु0 लाख में)

प्रस्तावक का नाम	तिथि	धनराशि	नकद	भुगतान की अवधि
1. श्री रंगनेश कुमार	20.11.96	47.50	20.00	3 वर्षों में
2. श्री मुकेश कुमार	20.11.96	47.00	15.00	3 वर्षों में

श्री सुधीर कुमार गुप्ता (अनुमोदित श्री गिरिराज गुप्ता, निदेशक ग्लेयर आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज)

4—उक्त प्रस्ताव के आधार पर श्री रंगनेश कुमार त्यागी का प्रस्ताव बेहतर होने के कारण निगम ने उनके पक्ष में परिसम्पत्तियों को बेचना सुनिश्चित किया और दिनांक 26.11.96 की इकाई क्रेता को हस्तगत करा दी गई।

5—तत्पश्चात् श्री मुकेश कुमार और श्री सुधीर कुमार ने अपना प्रस्ताव पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 16.12.96 को प्रेषित किया तब तक निगम द्वारा क्रेता के पक्ष में इकाई का हस्तान्तरण रुपया 20.00 लाख जमा करने पर किया जा चुका था। तदोपरान्त इकाई के पक्ष में बयनामा भी किया जा चुका है।

6—फलस्वरूप इकाई के दूसरे प्रस्तावित खरीददार श्री मुकेश कुमार एवं श्री सुधीर कुमार द्वारा जमा की गई टोकन मनी को वापस कर दिया गया तथा दूसरे भागीदार के शेयर का भुगतान भी डाक द्वारा प्रेषित किया गया जो कि वापस आ गया।

श्रीमती राजरानी गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि कम्पनी के डायरेक्टर श्री प्रेम चन्द्र द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र पर आयुक्त आगरा मण्डल ने जाँच की थी तथा जाँच में नीलामी गलत व त्रुटिपूर्ण पाई थी। इस सन्दर्भ में आयुक्त ने अपनी टिप्पणी में नीलामी को केवल तकनीकी रूप में गलत करार दिया हे। आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 1999 में लिखा है कि स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन धारा--31के अन्तर्गत बिना अपने राजस्व अधिकारियों से मंत्रणा किए स्वत: ही स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन अधिनियम, 1951 की धारा--29 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इकाई की नीलामी नहीं कर सकती। निगम के विधि विभाग का यह मत है कि आयुक्त का यह विचार सही नहीं है, निगम को अधिनियम—29 के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार है कि वह इकाई का भौतिक अधिग्रहण कर बेंच सके। निगम ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए इकाई को श्री त्यागी को बेच दिया जैसा कि उपरोक्त से विदित है कि निगम ने इकाई के प्रवर्तक को पूरी सुविधायें प्रदान की थी, परन्तु अन्तत: जब इकाई निगम की देन दारियों को देने में असफल रही तो विवश होकर निगम को इकाई का भौतिक अधिग्रहण धारा—29 के अन्तर्गत करना पड़ा।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमती राजरानी गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि इसी बीच अधिकारियों ने इकाई को सस्ते में बेच दिया, जबकि स्टोरेज की जमीन और बिल्डिंग ही रु0 84.00 लाख तथा इकाई की मशीनों की कीमत ही रुपया 50.00 लाख से अधिक थी। निगम के पास अपने तकनीकी अधिकारी हैं। निगम अपनी इकाई को अपने तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से मूल्यांकन कराता है तथा मूल्यांकन के अपने नियम हैं, जो कि निदेशक मण्डल द्वारा पारित किये गये हैं। इस मूल्यांकन के आधार पर इम कोल्ड स्टोरेज का मूल्यांकन रु0 45.91 लाख पाया गया था। अत: यह कहना कि जमीन ओर बिल्डिंग की कीमत रु0 84.00 लाख एवं मशीन की कीमत रु0 50.00 लाख से भी अधिक है, उचित नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इकाई को बेचने के लिये कम्पनी के निदेशकों को निगम के द्वारा यह अवसर दिया गया था कि उनके पास यदि और कोई खरीददार है, जो निगम को अधिक मूल्य दे सकता है, तो उसे निगम के समक्ष लायें। इस कोल्ड स्टोरेज की बिक्री कम्पनी के एक निदेशक श्री गिरिराज किशोर के समक्ष हुई थी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही उनके संज्ञान में थी। उस समय श्री किशोर ने इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई तथा रुपया 47.50 लाख से अधिक कोई भी ग्राहक निगम के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके।

श्रीमती राजरानी गुप्ता ने अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि तहसीलदार हाथरस द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि यह कोल्ड स्टोरेज दिनांक 06.02.95 से दिनांक 02.04.97 तक नोटिस द्वारा कुर्क दर्शाया गया है। अत: उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को उक्त कोल्ड स्टोरेज को नीलाम करने का मौलिक अधिकार नहीं है। निगम द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र को राजस्व विभाग ने अपने पत्र दिनांक 04.04.96 को वापस कर दिया है। उनका यह मानना था कि इस वसूली प्रमाण-पत्र पर मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अत: यह कहना कि यह कोल्ड स्टोरेज दिनांक 06.02.95 से 02.04,.97 तक कुर्क कर दिया गया, उचित नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस कोल्ड स्टोरेज की बिक्री नियमानुसार की गयी थी। विभिन्न जाँच अधिकारियों ने जिन तथ्यों से उक्त बिक्री को अवैध पाया है, वह नियम उचित नहीं है। निगम को अपनी इकाई को वित्तीय अधिनियम की धारा--29 के अन्तर्गत अधिग्रहण करने व बेचने का पूर्ण अधिकार है। बेचने से पूर्व निगम को किसी भी न्यायालय या न्यायाधीश से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। सम्प्रति श्रीमती राजरानी गुप्ता ने मा0 उच्च न्यायालय में इकाई की बिक्री के विरुद्ध याचिका भी दाखिल की है, जो अभी लम्बित है।]

जनपद संत रविदास नगर के विधानं सभा क्षेत्र भदोही में स्वीकृत 50-50 हैण्ड पम्प अभी तक न लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम--51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)---

[मा0 सदस्य द्वारा नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र भदोही में अभी तक 50-50 हैण्डपम्प में से एक भी हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं जबकि उनके द्वारा सूची भी काफी समय पूर्व उपलब्ध करा दी गई है। जल निगम के अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित भी नहीं रहते। इस समय पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में हैण्डपम्प अभी तक न लगना जनहित में उचित नहीं हैं।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 1999-2000 के लिए विधान सभा/विधान परिषद् के मा0 सदस्यों को 50-50 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे। हैण्डपम्पों के अधिष्ठान हेतु प्रत्येक मा0 सदस्य द्वारा सूची उपलब्ध कराये जाने पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य कराया जाता है। मा0 सदस्य द्वारा सूची उपलब्ध कराने के उपरान्त कार्यालय की औपचारिकताएं पूर्ण करने एवं धन की उपलब्धता के कारण तथा सामग्री आदि की व्यवस्था करने मे थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। मा0 सदस्य द्वारा हैण्डपम्पों के अधिष्ठान का कार्य पंचायत उद्योग से कराये जाने की अपेक्षा की गई है जो कि नियमानुसार अनुमन्य नहीं है। मा0 सदस्य की संस्तुति के अनुसार भदोही विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्पों के अधिष्ठान का कार्य त्वरित गति से प्रारम्भ कर दिया गया है।

जल निगम के अधिकारी विभागीय बैठक एवं जिला प्रशासन की बैठकों में भाग लेने तथा क्षेत्र के भ्रमण के अतिरिक्त सदैव कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं तथा पेयजल संबंधी प्राप्त शिकायतों का निदान तत्परतापूर्वक किया जाता है। वर्तमान में जनपद संत रवि दास नगर भदोही में पेयजल की उपलब्धता सामान्य है। जनपद के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 हेतु प्रस्तावित सभी 52 हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिसकी सूची मा0 जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायी जा चुकी है। फर्जी रिबोर के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत किसी भी स्तर से प्राप्त नहीं हुई है। रिबोर कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में भी कोई शिकायत अथवा प्रकरण लम्बित नहीं है।]

यू0पी0 पावर कारपोरेशन द्वारा ऐसे किसानों के नलकूपों की जो शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, नई संशोधित टैरिफ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अत्यधिक शुल्क लिये जाने तथा लघु एवं मध्यम पावर में संगणित कर इण्डस्ट्रियल रेट वसूले जाने के संबंध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम--51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल बक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[जुलाई, 94 से जून, 99 के मध्य शहरी फीड़रों से आपूर्ति निजी नलकूपों/पम्पिंग सेट्स की विद्युत दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विचाराधीन है।

क्षेत्रीय अधिकारियो को यह आदेश निर्गत कर दिए हैं कि अन्तरिम व्यवस्था के अंतर्गत शहरी फीड़रों से जुड़े इस श्रेणी के जो उपभोक्ता जून, 99 से निर्धारित घटी हुई दरों के अनुसार भुगतान कर दें, उनके संयोजन विच्छेदित न किये जायें]

श्री अधिष्ठाता

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुन : बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 8 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ
दिनांक 23 मई, 2001

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 स0--31 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....देखिये)

श्री प्रभुदयाल श्रीवास अपर निदेशक समाज कल्याण द्वारा 2000-2001 के मध्य कानपुर नगर, जनपद, के विद्यालयों की जाँच की सूची :–

1–सरस्वती शिक्षा सदन बगाही, कानपुर नगर।

2–आर0 के विद्यालय, बाबूपुरवा, कानपुर नगर।

3–एस0 डी0 विद्यापीठ जूनियर हाईस्कूल, श्याम बिहार।

4--शारदापुर माध्यमिक विद्यालय, जूही, कानपुर नगर।

5–जी0पी0आर0डी0 स्कूल, गंगाकुटी, कानपुर नगर।

6–विवेक विद्या मन्दिर, रायपुरवा, कानपुर।

7–सत्यवती मेमोरिया प्रा0 वि0 जूही, कानपुर नगर।

8–राष्ट्रीय शिक्षा निकेतन प्रा0 स्कूल, सरायमीता, कानपुर नगर।

9–आलोक भारतीय विद्यालय, देव नगर, कानपुर नगर।

10–न्यू आगा पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जगईपुरवा, कानपुर नगर।

11–जी0एस0 चिल्ड्रेन प्रा0 स्कूल, मंगल बिहार।

12–जनसहयोगी बालिका विद्यालय, तिरम्बी, कानपुर नगर।

13–तुलसा देवी प्राइमरी स्कूल, अजीतगंज, कानपुर।

14–जी0 सहाय विद्यालय विद्याश्रम प्राईमरी स्कूल, कोयला नगर, कानपुर।

15–रूमी प्राइमरी स्कूल, जूही, कानपुर नगर।

16–के0 पी0 वाई0 पब्लिक स्कूल, तिरम्बी, कानपुर नगर।

17–महर्षि कन्या विद्यालय, बिनगवाँ, कानपुर नगर।

18–आदर्श बाल वि0 प्राइमरी स्कूल, जूही कलाँ, कानपुर नगर।

19–एम0के0 विद्यालय, बिनगवाँ, कानपुर नगर।

20–महर्षि वशिष्ठ विद्याश्रम नौबस्ता, कानपुर नगर।

21–गनपत सहाय स्मारक प्राइमरी स्कूल, बाबूपुरवा, कानपुर नगर।

22–राहुल शिक्षा निकेतन, किदवई नगर, कानपुर।

23–आर0के0 प्राइमरी विद्यालय, राजीव नगर, कानपुर।

जी0एस0यू0पी0–8 विधान सभा–14-7-03 –813 (डी0टी0पी0/आफसेट)।